Page No 1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक 1] प्रथम विधान सभा के पंचम सत्र का 54वां दिवस [संख्या 24

शुक्रवार, दिनांक 12 मई, 1972

विधान सभा की बैठक म० पू० 11-01 को विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[अकाल सहायता, वित्त, स्वायत्त शासन, योजना, सहकारिता, खनिज, जनस्वास्थ्य, उद्योग, गृह, नगर आयोजना, कृषि, पशुपालन, शिक्षा, एवं वन विभाग]

श्री अध्यक्ष : श्री जीथिग !

बांसवाड़ा जिले की अकाल समस्या

463. **श्री जीथिग (कुशलगढ़)** : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या जिला बांसवाड़ा की अकाल समस्या को स्थायी रूप से हल करने की सरकार ने कोई योजना बनाई है? यदि हां, तो कब और नहीं तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि अकाल समस्या का स्थायी हल करने की योजना 1971 से राज्य में लागू कर दी गई है ? अगर हां तो बांसवाड़ा जिले के लिए कुल कितनी धनराशि खर्च करने की योजना बनाई और आरम्भ से अब तक कुल कितनी राशि खर्च हो चुकी है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त रकम बांसवाड़ा के अन्य क्षेत्रों के मुकाबले कुशलगढ़ क्षेत्र में कम खर्च की गई है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो बांसवाड़ा के चारों क्षेत्रों में कितनी-कितनी राशि 1971 से अब तक खर्च की गई ? क्षेत्रवाइज सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) अकाल-समस्या का स्थाई हल करने की योजना के अनुसार जो रकम खर्च की जायगी वह किन-किन मदों में की जायगी और क्या उक्त योजना में ग्रामीण विद्युतिकरण भी शामिल है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

अकाल सहायता मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) जी हां। केन्द्रीय सरकार द्वारा अकाल-समस्या को स्थायी रूप से हल करने की दिशा में कार्यक्रम के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा बांसवाड़ा जिले के लिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाकाल के लिए दो करोड़ रु० की अनुमानित राशि का प्रावधान रखा गया है।

(श्री परसराम मदेरणा)

(2) जी हां। बांसवाड़ा जिले के लिए 186.71 लाख रु० के कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं और 11.07 लाख रु० के वन विकास के कार्य भारत सरकार के विचाराधीन हैं। इस योजना के अन्तर्गत 31 मार्च, 72 तक निम्न प्रकार व्यय किया जा चुका है:—

(1) सिंचाई विभाग द्वारा	29.78 लाख
(2) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा	19.10 लाख
(3) वन विभाग द्वारा	5.71 लाख
(4) कृषि विभाग द्वारा भू-संरक्षणके लिए	0.03 लाख
योग....	54.62 लाख

(3) जी नहीं। समस्त योजना संपूर्ण जिले को एक इकाई मान कर बनाई गई है। अतः व्यय की गई राशि का क्षेत्रानुसार विभाजन सम्भव नहीं है। अतः सूची सदन की मेज पर रखने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) इस योजना के अनुसार जो रकम खर्च की जायेगी वह सिंचाई, सड़कों वन, भू-संरक्षण के कार्यों पर खर्च की जाएगी। उक्त योजना में ग्रामीण विद्युतिकरण शामिल नहीं है क्योंकि यह कार्यक्रम लोगों को रोजगार दिलाने वाला लेवर इन्सेन्टिव कार्यक्रम नहीं है।

श्री विट्ठल (पीपलखूंट) : आपने यह बताया कि जो रकम खर्च की जा रही है वह जंगल पर भी खर्च की जा रही है। जितने बांसवाड़ा जिले में नदी और नाले और तालाब हैं उन पर भी क्या सरकार खर्च करने का विचार रखती है ?

श्री परसराम मदेरणा : दो करोड़ की योजना में से जैसा कि, मैं याददाश्त से कह रहा हूं, एक करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, वह भी सिंचाई के कार्यक्रम पर हो रहा है, और उसकी भारत सरकार ने प्रॉयरिटी रखी है। फॉरेस्ट की जो योजना है उसमें पाश्चर डेवलपमेंट की योजना भी है और उसी के अन्तर्गत फॉरेस्ट की योजना को लिया गया है।

श्री विट्ठल : क्या यह सही है कि सिंचाई के अन्तर्गत जो काम क्रैश प्रोग्राम के तहत हो रहे हैं उनमें मजदूरों की संख्या बहुत कम है। एक भी तालाब पूरा नहीं हुआ है। 50-60 मजदूरों से भी काम नहीं हो रहा है। इस तरह से तो यह पांच साल में भी एक तालाब नहीं बन सकेगा।

श्री परसराम मदेरणा : क्रैश प्रोग्राम की योजना अलग है और रूरल वर्क्स प्रोग्राम की योजना अलग है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : यह योजना ड्रॉट प्रोन योजना के अन्तर्गत है तो मैं यह जानकारी चाहता हूं कि अकाल का स्थायी हल चाहे बांसवाड़ा हो, चाहे बाड़मेर और जैसलमेर जिला हो, कितने समय में इसका स्थायी हल कर सकेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : अभी यह योजना चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल के लिए है, आगे भारत सरकार के निर्णय पर मुनहस्सिर है।

श्री विट्ठल : जो योजना बनाई गई थी इसको दो साल गुजर चुके हैं। अब बरसात शुरू हो जाएगी, काम बन्द हो

(श्री विट्ठल).

जाने वाला है। मजदूर लगाये नहीं जा रहे हैं। काम हो नहीं रहा है और सही ढंग से खर्चा नहीं हो रहा है। आप कहते हैं कि हम गरीबी मिटायेंगे और वहां पर अकाल का स्थायी हल करेंगे तो क्या इस तरह से काम करके अकाल मिटा सकेंगे? एक भी तालाब नहीं बन पाया है तो बाकी काम कैसे पूरे होंगे?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़): एक प्रश्न मेरा भी सुन लीजिए। यह वनों पर जो व्यय किया जा रहा है, क्या इस दृष्टि से किया जा रहा है कि बरसात अधिक होगी?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मेरा प्रश्न भी साथ ही पूछ लेता हूं....

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय यह ड्रॉट प्रोन प्रोग्राम जिसकी बिना पर रूरल वर्क्स राजस्थान के दस जिलों में हाथ में लिए गये है और दो करोड़ रुपये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में खर्च करने का प्रावधान किया है। ये सब योजनाएं इसके बारे में बन चुकी है, और माननीय सदस्य का यह कहना कि बरसात शुरू हो जाएगी और काम बन्द हो जायगा, तो मैं माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूं कि जो भी काम हाथ में लिए गये हैं, पूरे एस्टीमेट्स के साथ हाथ में लिए गये हैं। साथ ही एस्टीमेट्स और टेक्नीकल सेंक्शन हम नहीं दे रहे हैं लेकिन यह भारत सरकार देती है। भारत सरकार के द्वारा सेंक्शन देने के साथ ही साथ कॉस्ट रेश्यो भी रहता है। एक करोड़ 32 लाख रुपये का प्रोविजन केवल इरिगेशन के कार्यों पर रखा गया है। वर्क प्रोग्रेस पर है और मैं समझता हूं कि काम काफी चालू है।

मैं एक बात और निवेदन कर देना चाहता हूं कि जो योजना दो करोड़ की बांसवाड़ा की ली गई है उसको चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में अवश्य पूर्ण किया जाएगा, उसमें एक भी बाकी नहीं रहेगा।

दूसरा यह कहना कि काम शुरू नहीं हुआ है, मैं अपने प्रश्न के उत्तर के भाग (2)में कह चुका हूं कि 54 लाख 62 हजार की राशि इन दो फाइनेन्शियल ईयर में खर्च कर चुके हैं और वर्क प्रोग्रेस पर है और बाकी दो करोड़ में से भी शेष राशि खर्च की जावेगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत सरकार से यह और पूछना चाहता हूं कि क्या इरिगेशन के जो कार्य शुरू किए गए हैं उनसे सिंचाई और पिलाई के काम शुरू हो गए हैं?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मैं भी एक प्रश्न....

श्री विट्ठल : मैं आपसे कहता हूं कि ये ठेके वाले काम हैं, मजदूरों को पेमेन्ट पूरा नहीं हो रहा है। काम ठण्डा पड़ा हुआ है। हम तो सारे इलाके में घूम कर आये हैं, कहीं हमने काम नहीं देखे।

श्री परसराम मदेरणा : जो बांसवाड़ा जिले में 70-71 में सिंचाई विभाग के मार्फत किए जाने थे उनकी संख्या 22 थी, और उसके बाद में 71-72 में जो काम स्वीकृत हुए उनकी संख्या 40 है और इस प्रकार 40 और 22 मिला कर 62 काम हैं जो 1 करोड़ 25 लाख के भारत सरकार ने स्वीकृत किये हैं और जो सिंचाई विभाग इसकी एजेन्सी है जिसके मार्फत काम होने हैं, उनको काम करने का अधिकार दे दिया गया है। जो काम करने हैं

(श्री परसराम मदेरणा)

उनके बारे में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो काम स्वीकृत हुए हैं उनमें कुछ की स्वीकृति द्वितीय वर्ष के अन्त में प्राप्त हुई और हो सकता है कि उनके काम शुरू नहीं हो पाए हों, मैं इसकी जानकारी प्राप्त कर लूंगा।

अभी दो दिन पहले ही मैंने मुख्य सचिव को इस बात के आदेश दिये हैं कि जो रूरल वर्क्स के काम हैं, खास तौर से सिंचाई के काम, उनमें न केवल बांसवाड़ा में बल्कि राजस्थान के जो 9 और जिले हैं और जिन पर भारत सरकार की स्वीकृति हो गई है वे काम जल्दी से जल्दी शुरू हो जाने चाहिएं। मैं यह भी निवेदन कर दूं कि हर काम के यहां से एस्टीमेट तैयार होकर सर्वे करा कर जैसा प्रोफार्मा भारत सरकार ने निर्धारित किया है उसके अनुसार तैयार करके भारत सरकार के एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को भेजे जाते हैं, वहां पर कई टैक्निकल डिपार्टमेन्ट एक साथ बैठ कर राजस्थान के ही नहीं, हिन्दुस्तान के जिन 54 जिलों में ये ड्रॉट इफेक्टेड एरियाज में जो काम चलाए जा रहे हैं उनकी स्वीकृति दी जाती है। यह स्वीकृति भारत सरकार से आने के बाद जो इसकी एजेन्सी है और जिसके द्वारा यह काम होता है सिंचाई विभाग, उसको काम शुरू करने के आदेश दिए गए हैं।

फॉरेस्ट डिपार्टमेन्ट के जो कुछ काम करेन्ट फाइनेन्शियल ईयर में लेने हैं और जिनके बारे में 10 लाख के प्लान भारत सरकार की स्वीकृति के लिए भेजे हैं उनकी अभी तक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : यह तो आप का प्लान पोर्शन है इसमें दो राय नहीं है, लेकिन ऑपरेशनल पोर्शन जो है जिसमें आपकी योजनावधि के पहले कार्य पूरे हो जायें ? आपके स्टेटमेंट में कन्ट्राडिक्शन है। 22 कार्य कुल शुरू हुए बाकी 62 कार्यों के लिये स्वीकृति हुई है।

श्री परसराम मदेरणा : यह मैंने नहीं कहा है। मैंने यह बात कही है कि 70-71 में इतने काम स्वीकृत हुए और '71-72 में 40 काम स्वीकृत हुए। कुल मिलाकर पिछले 2 साल में जब कि योजना 70 के अन्त में दी गई है। 70-71 की योजना इसलिए नहीं ले सके हैं क्योंकि यह योजना अक्तूबर के आसपास एप्रूव की गई थी और उसकी सेन्क्शन जनवरी-फरवरी के अन्त में आई थी, लेकिन उस साल खर्च कम हुआ, लेकिन पिछले वर्ष जो आई है, उसमें काफी खर्चा हुआ है और वर्तमान वर्ष में जो करेन्ट फाइनेन्शियल ईअर है, उसमें साढ़े सात करोड़ रुपये का प्रोवीजन है, सभी जिलों के लिए तो मैं समझता हूं, वह ठीक है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : माननीय सदस्य का कहना है कि मंजूर हुए हैं लेकिन कार्य नहीं हो रहा है।

श्री परसराम मदेरणा : यह गलत बात है।

श्री विट्ठल भाई : काम ढिलाई से हो रहा है और ठीक ढंग से नहीं हो रहा है।

श्री परसराम मदेरणा : मैं इसकी जानकारी कल ही कर लूंगा और माननीय सदस्य परसों बात करना चाहते हैं तो सण्डे को मेरे घर पर बात कर सकते हैं, मैं पूरी इत्तिला दूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री चेतराम !

सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्ट्री पर करों की बकाया

464. श्री चेतराम (टोडा भीम) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सच है कि सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्ट्री पर सरकारी करों का बहुत रुपया बाकी है ?

(2) यदि हां, तो किस-किस साल का एवं किस-किस कर का कितना-कितना रुपया क्यों बकाया है ?

(3) उपरोक्त धनराशि (करों) को वसूल करने के लिए सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये और उठा रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) :

(1) जी हां।

(2) जो राशि बाकी है उसका वर्ष-वार ब्योरा निम्न प्रकार है :–

वर्ष	विद्युत् शुल्क	बिक्री-कर
63–64	2,17,180.56	—
64–65	1,38,752.21	—
65–66	24,380.32	—
66–67	14,383.28	—
67–68	2,600.00	—
65–66 (फलोदी)	9,254.05	—
69–70	–	39,937.64
योग....	4,06,550.42	39,937.64

विद्युत् शुल्क की रकम उच्च न्यायालय में रिट चलने की वजह से और बिक्री कर की रकम अपील के फैसले तक वसूली की कार्यवाही स्थगित हो जाने से बकाया थी।

(3) विद्युत् शुल्क की रकम उच्च न्यायालय के फैसले दिनांक 10-2-72 के अनुसार रु० 25,000 की मासिक किश्त में जमा कराई जायगी। पहली किश्त जमा हो गई है। बिक्री कर की राशि की अपील के फैसले होने तक वसूली का प्रश्न नहीं उठता।

श्री चेतराम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि 71-72 के करों की पोजीशन क्या है ?

श्री हरिदेव जोशी : इसके सिवाय और कुछ नहीं है।

श्री चेतराम : अध्यक्ष महोदय, आपने यह बतलाया कि उच्च न्यायालय से फैसला हुआ है, यह किश्त जो थी वह किन सालों के करों के लिए एप्लीकेबल थी ?

श्री हरिदेव जोशी : जो मैंने बतलाये हैं उनके लिए।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि जिस समय उच्च न्यायालय से स्टे ऑर्डर हुआ तो क्या उसके पहले इस कम्पनी के खिलाफ पी० डी० आर० के अन्दर वसूली करने की कार्यवाही की गई थी ?

श्री हरिदेव जोशी : जी हां।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं यह भी जानना चाहूंगा कि कितने रुपये उसके तहत वसूल हुए थे ?

श्री हरिदेव जोशी : वसूली का प्रश्न ही नहीं आया और वे उच्च न्यायालय में चले गये और स्टे ले लिया।

श्री गुमानमल लोढ़ा : जिनके यहां पर करोड़ों रुपयों का सामान है और जो कि नोटिस के जाते ही रकम जमा करा सकते हैं उनसे चूंकि सन् 67 में यहां पर कांग्रेस गवर्नमेंट बनाने में उन्होंने मदद की थी इसलिए उनसे रुपया वसूल नहीं किया गया अन्यथा एक ही नोटिस में सारी रकम आ गई होती।

श्री हरिदेव जोशी : यह आपकी धारणा है। जहां तक राजकीय रकम का प्रश्न है राज्य सरकार ने पूरी कानूनी कार्यवाही की।

श्री अध्यक्ष : श्री यशवन्तसिंह !

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : माननीय अध्यक्ष महोदय, वह कोई मामूली पार्टी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री यशवन्तसिंह !

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : तो पैसा वसूल होने में क्या कठिनाई है ?

श्री मीठालाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि यह जो इन्फर्मेशन दी गई है, वह इन्कम्प्लीट इनफर्मेशन 69-70 तक की दी गई है और 70-71 और 71-72 की इन्फर्मेशन नहीं है। अब तक यह इकट्ठा होता रहा है। माननीय मंत्रीजी भविष्य में नहीं होने का एश्योरेन्स दें।

श्री हरिदेव जोशी : क्या कहा, मैं समझा नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री यशवन्तसिंह !

नगर परिषद् में प्रशासक की नियुक्ति

465. **श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) :** क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) निर्वाचित नगर परिषद् की अवधि समाप्त होने पर क्या प्रशासक को सारा कार्यभार सौंपा जाता है ?

(2) क्या नगर परिषद् में पहले से प्रबंध अधिकारी (अधिशासी अधिकारी) और आयुक्त रहते हैं ?

(3) इन दो वर्चस्व अधिकारियों के रहते हुए भी क्या प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक है ?

(4) यदि हां, तो क्या ऐसा नियम या प्रावधान वस्तुस्थिति की दृष्टि से उपयुक्त है और क्या प्रशासक को दैनिक कार्य सौंपा जाता है और वे अपने स्वयं कार्यभार के परे इस कार्य को पूरा कर सकते हैं ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) जी हां। नगरपालिकाओं की अवधि समाप्ति के पूर्व चुनाव नहीं हो पाने की दिशा में उनके लिये प्रशासक की नियुक्ति अनिवार्य है।

(2) नगर परिषद् में सिर्फ आयुक्त ही होता है, अधिशासी अधिकारी नहीं। विशेष परिस्थितियों में आयुक्त के अतिरिक्त सचिव ही हो सकता है।

(3) जी हां। चाहे आयुक्त को ही परिषद् के अधिकार दे कर प्रशासक नियुक्त किया जाय।

(श्री परसराम मदेरणा) :

(4) जी हां।

श्री **यशवन्तसिंह नाहर** : क्या यह सम्भव है कि जो अधिकारी आर० ए० एस० ऑफिसर हैं सीनियर वेही इस काम को देख सकते हैं, इसकी कोई आपके पास में रिपोर्ट है ?

श्री **परसराम मदेरणा**: आर० ए० एस० ऑफिसर को लगाया जाता है तो म्युनिसिपैलिटी के एडमिनिस्ट्रेटर्स का काम कर सकते हैं तो ऐसे ही व्यक्तियों को इस पर लगाया जाता है।

श्री **यशवन्तसिंह नाहर** : यहां जो म्युनिसिपल बोर्ड में एडमिनिस्ट्रेटर्स नियुक्त किये गये हैं वे सुचारुरूप से काम की देखरेख कर सकते हैं ऐसी कोई रिपोर्ट है ?

श्री **परसराम मदेरणा** : म्युनिसिपैलिटी का प्रश्न नहीं है। अगर म्युनिसिपैलिटी है तो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हो सकता है और अगर एडमिनिस्ट्रेटर है तो म्युनिसिपैलिटी के रहने का प्रश्न ही नहीं होता है।

श्री **यशवन्तसिंह नाहर** : म्युनिसिपैलिटी डिफन्क्ट होती है तभी एडमिनिस्ट्रेटर होता है देट आई कैन अन्डरस्टेण्ड। मैं यह पूछना चाहता हूं कि ये जो म्युनिसिपल कौन्सिल में एडमिनिस्ट्रेटर्स मुकर्रर हुए हैं तो जैसा कि मैंने प्रश्न के पहले भाग में दिया है वे इन अवस्थाओं में हुए हों कि इलेक्शन नहीं हुए हों या और कोई कारण से तो जब सचिव दिया हुआ है 293-ए के मातहत तो उसमें भी आपने पार्ट-टाइम एडमिनिस्ट्रेटर्स सीनियर आर० ए० एस० का एपाइन्टमेंट किया है तो क्या उनके द्वारा बोर्ड का काम सुचारुरूप से चलता है या चल रहा ऐसा कोई प्रतिवेदन राज्य सरकार के पास पहुँचा है ?

श्री **परसराम मदेरणा** : प्रतिवेदन किस तरह का ? मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं।

श्री **यशवन्तसिंह नाहर** : राज्य के उच्च अधिकारियों को जो एडमिनिस्ट्रेटर्स एपाइंट करते हैं उनकी तरफ से कोई भी रिपोर्ट आती है कि जिसके द्वारा वह काम सुचारुरूप से हो रहा है।

श्री **खेतसिंह** : रिपोर्ट आने की जरूरत ही नहीं है। रिपोर्ट तो तब आयेगी जब आगे काम सुचारुरूप से नहीं होता है।

श्री **मूलचन्द सामरिया**: ऐसे आर.ए.एस. अधिकारी जिनको कि आप एडमिनिस्ट्रेटर का काम देते हैं वे अपनी खुद की ड्यूटी का काम करते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर का काम भी कर सकते हैं और जब वे एडमिनिस्ट्रेटर के पद से हटा दिये जाते हैं और उस ड्यूटी पर उनसे काम नहीं लिया जाता है तो इसका मतलब यह हुआ कि इन लोगों से फिर दूसरा कम काम लिया जाता है। जो इतना काम कर सकते हैं कि खुद का काम करने के अलावा एडमिनिस्ट्रेटर का भी काम कर सकते हैं, तो फालतू टाइम का कम काम लिया जाता है।

श्री **परसराम मदेरणा** : माननीय सदस्य का प्रश्न यह है कि किसी भी अधिकारी का वर्क लोड कितना है यह राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों के लिये निर्धारित किया गया है उतना काम रहता

(श्री परसराम मदेरणा)

है या नहीं या किसी को एडीशनल काम देदें और वह एडीशनल ड्यूटी खत्म हो जाती है तो उनके पास कम काम रहता है। म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव हो जाते हैं तो फिर एडमिनिस्ट्रेटर कितना काम करता है वह उनके पास नहीं रहता है यह कई बातों पर निर्भर करता है। बड़ी-बड़ी कौन्सिल्स में एडमिनिस्ट्रेटर्स फुल टाइम रहते हैं तो बोर्ड्स की तीन-चार केटेगरीज हैं तो कई बोर्ड में पार्ट-टाइम इसलिये लगाते हैं कि वहां पर प्रबंध अधिकारी अपने काम को करते हैं। वैसे भी राज्य कर्मचारियों को जितना काम उनको एलाटेड होता है उससे ज्यादा काम भी कभी-कभी करना पड़ता है ड्यूटी के अलावा। मैं निवेदन करूंगा कि प्राकृतिक प्रकोप या इमर्जेन्सी आ जाती हैं तो राज्याधिकारियों से जितने काम की उम्मीद की जाती है उससे ज्यादा काम लिया जाता है। वे भी राष्ट्र के नेशनल हैं और उनको कुछ ऐसे मामलों में आउटसाइड ड्यूटी भी काम देना चाहिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मोर देन एनफ, सर।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सचिव किन परिस्थितियों में नियुक्त किये जाते हैं। मंत्रीजी ने फर्माया कि सचिव विशेष परिस्थितियों में नियुक्त किये जाते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : कानून के अन्तर्गत।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपने कहा कि विशेष परिस्थितियों में तो जब आयुक्त न हो तो या आयुक्त के साथ और सचिव भी ले लिये जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री केदारनाथ!

श्री परसराम मदेरणा : एडमिनिस्ट्रेटर के अलावा नहीं है, लेकिन कमिश्नर के साथ लगाया जाता है। जहां पर परिषदें हैं वहां पर परिषद् प्रस्ताव पास करके राज्य सरकार के पास भेजती है कमिश्नर नहीं करता है। ज्यादा काम हो तो एडीशनल सेक्रेटरी की पोस्ट क्रियेट करके उनको दी जाती है।

श्री श्रीराम गोटेवाला: माननीय अध्यक्ष, मैं एक प्रश्न इसके बारे में पूछना चाहूंगा कि माननीय मंत्रीजी ने यह कहा कि कौन्सिल करके भेजती है रिजोल्यूशन और इसके बाद में सचिव की नियुक्ति होती है। मैं एक विशेष मामले की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जयपुर शहर के मामले में कौंसिल ने कोई रिजोल्यूशन नहीं किया और सचिव नियुक्त हुआ है तो वह किन विशेष परिस्थितियों में हुआ है?

श्री परसराम मदेरणा : यह अलग से प्रश्न है। मैं देख लूंगा कि यह किन परिस्थितियों में हुआ है। आपने यह कहा कि कौंसिल ने रिजोल्यूशन पास किया या नहीं किया यह जानकारी मुझे नहीं है। दूसरी बात यह कि वर्क लोड क्या था एडमिनिस्ट्रेटर के पास में...

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपने कौंसिल की बात कही है।

श्री परसराम मदेरणा : जयपुर की कौन्सिल राजस्थान में सबसे बड़ी कौन्सिल है। यह जो प्रोवीजन रखा गया है एडीशनल सेक्रेटरी का तो वाद-विवाद हुआ और दो एडीशनल सेक्रेटरी अगर जयपुर में लगा

(श्री परसराम मदेरणा)

किये गये तो इतनी बड़ी कौन्सिल है तो माननीय सदस्य ने मुझसे प्रस्ताव का पूछा है। इसमें सुपरवाइजरी और दूसरे मामलों के अन्दर काफी ढिलाई है इसलिए रस्ती से सुपरवीजन होना चाहिए। इस कौंसिल में एडीशनल सेक्रेटरी के लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं है तो राजस्थान में किस कौंसिल में जस्टिफिकेशन होगा।

प्रश्न संख्या 466

श्री अध्यक्ष : श्री केदारनाथ !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण लोक महत्त्व का प्रश्न है, राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय का प्रश्न है, इसे ले लें।

श्री अध्यक्ष : समय रहेगा तो ले लेंगे।

श्री नाथूराम।

बांसवाडा जिले की पंजीकृत ग्राम सेवा सहकारी समितियां

467. **श्री नाथूराम** (बागीडोरा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बांसवाड़ा जिले में 31-3-72 तक कुल कितनी ग्राम सेवा सहकारी समितियां पंजीकृत हुई और उनमें से कितनी चालू हैं? चालू समितियों की सदस्य संख्या, हिस्सा पूंजी, बांसवाड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. में उनकी जमाशुदा धनराशि, उनके जिम्मे बैंक का बकाया ऋण, ओवर-ड्यू और विगत पांच वर्षों में राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुदान की सूचना समितिवार सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) जनवरी 1972 से मार्च, 1972 तक किस-किस समिति का ओवर ड्यू कब-कब जमा हुआ तथा जनवरी, 1972 से मार्च, 1972 के प्रथम सप्ताह तक किस-किस समिति को कितनी-कितनी धनराशि ऋण के रूप में दी गई? सूचना सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

राज्य मंत्री सहकारिता (श्री जुझार सिंह) : (1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री नाथूराम : यह जो सूची मिली है इसको देखते हुए कई समितियों में ओवर-ड्यू है लेकिन फिर भी रकम का वितरण कर रहे हैं। मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि बैंक की स्थिति खराब क्यों होती जा रही है?

श्री जुझारसिंह : आपने सूची में देखा होगा, किसी में ऋण का वितरण नहीं हुआ जिनमें ओवर ड्यू है।

श्री नाथूराम : आइटम नं० 13 में देखिये, बहुत सी समितियां ऐसी हैं जिनमें ऋण बाकी है, उनको रकम दी गई है। बांसवाड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक है उसमें ओवर-ड्यू है, फिर ऋण क्यों दे रहे हैं, इसका क्या कारण है?

श्री जुझारसिंह : आइटम नम्बर 13 में ऋण वापिस नहीं किया गया है, आइटम सात-आठ में कोई एडवान्स नहीं दिया गया है।

श्री नाथूराम : कर्ज दुबारा दिया गया है, कर्ज वकाया है, कई समितियों में, मंत्री महोदय बतायेंगे, बांसवाड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक है, यह ओवर ड्यू में क्यों जा रही है ?

श्री जुझारसिंह : वसूली नहीं हो रही है इसलिए जा रही है।

श्री नाथूराम : वसूली नहीं होने का कारण क्या है ? रकम की जिनको ज़रूरत है उनको नहीं देते हैं, जिन बैंक में घोटाला है, जिनका स्टाफ परेशान है. जिनके चुनाव समय पर नहीं हो रहे हैं, और जिनमें पब्लिक के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, उनको देते हैं। मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे, बैंक के अन्दर स्टाफ वगैरह है और संचालक मंडल का चुनाव समय पर कराने की व्यवस्था है ?

श्री विट्ठल : घोटाला कराने का काम है ?

श्री जुझारसिंह : बांसवाड़ा में पिछले वर्षों में अकाल होने के कारण जिन लोगों के अन्दर ड्यू था, वह समय पर नहीं दे सके। जो शार्ट-टर्म लोन था, वह उक्त परिस्थिति होने के कारण मिडिल टर्म में बदल दिया गया। दूसरों की देनदारी भी थी, इसलिए समय पर लोन नहीं दे सके। अब उनकी वसूली करने की कार्यवाही की जा रही है और स्पेशल एफर्ट्स किये जारहे हैं, वसूली करने के लए अधिकारी लगा दिये गये हैं। यह बात सही है कि बैंक की हालत ठीक नहीं है, ओवर ड्यू बहुत है, और साथ-साथ में मांगने वाले हैं उनके आवेदन है। जिन सहकारी समितियों में ओवरड्यू होता है और इंडिविजुअल मेम्बर हैं, जिनकी देनदारी नहीं होती है वे चाहें तो लोन मिल सकता है। उनकी एप्लीकेशन नहीं आई हैं इसलिए नहीं मिला है।

प्रश्न संख्या 468

श्री अध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री मालाराम ?

पत्थर के कारखानों को ऋण

469. **श्री मालाराम** (नीम का थाना) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या नीम का थाना जिला सीकर में मोदियों का पत्थर का कारखाना है ? क्या इसमें सरकार से भी लोन लेकर लगा रखहै ? यदि हां, तो कितना, कब से तथा कितने अर्से के लिये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या मिल मालिकों ने इस ऋण की अदायगी में आज तक नियम का पालन किया है ? यदि नहीं, तो क्या नियम के विपरीत किया और उसके लिये सरकार ने क्या किया ? अब सरकार इस सम्बन्ध में कुछ करने को सोच रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

राज्य मंत्री, खनिज (श्री जुझारसिंह) : (1) जी हां। खनिज विभाग या सरकार

Page No 11

(श्री सुभारसिंह)
के द्वारा उक्त कम्पनी को कोई लोन नहीं दिया गया है। यह अवश्य है कि कम्पनी ने अपने निजी स्तर पर राजस्थान वित्त निगम से 11 वर्ष की अवधि के लिए कर्जा लिया था जिसका विवरण निम्न प्रकार है :

वर्ष जिसमें कर्ज दिया	कर्ज की राशि	ऋण चुकता करने का वर्ष
1959	2,50,000 रुपये	1970
1960	1,60,000 रुपये	1197

(2) जी हां। चूंकि ऋण की अदायगी नियमानुकूल कर दी गई थी। अतः पार्टी के खिलाफ किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती मदन कौर !

ग्राम बरिया का नल-कूप

470. **श्रीमती मदन कौर** (पचपदरा) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील पचपदरा के गांव बरिया में एक नल-कूप खोदा गया था ? यदि हां, तो उक्त नल-कूप को बन्द क्यों कर दिया गया ?

(2) क्या इस नल-कूप का पानी खारा था या उसकी पानी की क्षमता कम थी ?

(3) क्या यह सही है कि गांव बरिया और उसके आसपास के गांवों में पीने के पानी की भयंकर समस्या है ? यदि हां, तो इस समस्या के समाधान हेतु सरकार के पास क्या योजना है ?

जन-स्वास्थ्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) जी नहीं, नल-कूप नहीं बनाया गया सिर्फ ट्रायल बोर किया गया, पानी अत्यधिक खारा होने की वजह से बन्द कर दिया गया।

(2) जी हां, उसकी पानी की क्षमता भी कम थी।

(3) जी हां, अभी तक इस क्षेत्र के लिये कोई योजना नहीं बनाई गई है।

श्रीमती मदन कौर : अध्यक्ष महोदय, इस नल-कूप के बारे में असिस्टेन्ट इंजीनियर ने 19 तारीख को जिला परिषद् की बैठक में बताया कि इस नल-कूप का पानी मीठा है और पहले गलत रिपोर्ट दे दी गई है, क्या यह सही है ?

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्या जो बतला रही है, वह मेरी जानकारी में नहीं है, मगर यह जानकारी कर ली जायगी कि उन्होंने क्या कहा था, दरअसल में पानी खारा है या मीठा है।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलाल छंगानी !

आलोक उद्योग लिमिटेड एवं उसके अन्य सहयोगी प्रतिष्ठानों को सरकार द्वारा दिया गया ऋण

471. **श्री मोहनलाल छंगाणी** (फलौदी) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) आलोक उद्योग लि० एवं उसके अन्य सहयोगी प्रतिष्ठानों को (जयपुर उद्योग लि. के अतिरिक्त) अथवा ऐसे प्रतिष्ठानों को जिसमें आलोक उद्योग अथवा

Page No 12

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

सहयोगी प्रतिष्ठानों के संचालक हैं, राज्य सरकार एवं वित्त निगम द्वारा 29 फरवरी, 1972 तक कब-कब, किन-किन शर्तों पर किस-किस उद्योग के लिये कितना-कितना कर्जा अनुदान दिया गया ? कर्जा देते समय इन प्रतिष्ठानों की निजी पूंजी कितनी थी ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उक्त उद्योगों की स्वीकृति हेतु भारत सरकार द्वारा कब-कब लेटर ऑफ इंटेन्ट अथवा अनुमति-पत्र जारी किये ? कृपया लैटर ऑफ इंटेन्ट अथवा अनुमति-पत्रों की प्रतियां सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा उक्त उद्योगों की स्थापना हेतु कोई अवधि निर्धारित की थी ? यदि हां, तो क्या उद्योग निश्चित अवधि में स्थापित कर लिये गये ? यदि नहीं, तो अभी तक इन प्रतिष्ठानों द्वारा कितना व्यय किया गया है ?

(4) उद्योग स्थापित करने में क्या प्रगति हुई है ? यदि कोई प्रगति नहीं हुई तो इसके क्या कारण हैं ? राज्य सरकार द्वारा क्या कोई कार्यवाही विचाराधीन है ?

राज्य मन्त्री, उद्योग (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) आलोक उद्योग लिमिटेड नामक कोई पंजीकृत प्रतिष्ठान नहीं है। उन्हें तथा उसके अन्य सहयोगी प्रतिष्ठानों को (जयपुर उद्योग लिमिटेड के अतिरिक्त) राज्य सरकार द्वारा कोई कर्जा नहीं दिया गया। राजस्थान वित्त निगम द्वारा इस ग्रुप के अन्तर्गत साहू मिनरल एण्ड प्रापर्टीज लिमिटेड को 20 लाख रु. का ऋण मार्बल माइनिंग तथा प्रोसेसिंग का उद्योग लगाने हेतु 21-1-71 को दिया गया था। ऋण की स्वीकृति के समय उक्त कम्पनी की दत्त पूंजी (पेड-अप कैपीटल) 40,14,700 थी, तब की मुख्य शर्तों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) भारत सरकार द्वारा आलोक उद्योग तथा उससे सम्बन्धित प्रतिष्ठानों को कोई लाइसेन्स, लेटर ऑफ इंटेन्ट या अनुमति-पत्र नहीं दिये गये हैं।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, जो उद्योग मन्त्री ने उत्तर दिया है, मैं कहता हूं, वह सरासर गलत है। मेरा पहला प्रश्न था, आलोक उद्योग लिमिटेड कम्पनी है, वह रजिस्टर्ड है, उसका रजिस्ट्रेशन ऑफ कम्पनी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन है ? मैं फिर उद्योग मन्त्री को सूचना देता हूं कि इसके अन्तर्गत एक ही नहीं, कम से कम तेरह-चौदह संस्थान हैं जो इससे सम्बन्धित हैं, कृपया मंत्री महोदया नोट कर लें—1. जयपुर उद्योग लिमिटेड, 2. जयपुर उद्योग (नाइजीरिया) लि०, 3. जय एग्रो इण्डस्ट्रीज लि०, 4. कानपुर जूट उद्योग लि०, 5. बगलकोट उद्योग लि०, 6. आलोक उद्योग वनस्पति और प्लाईवुड लि०, 7. ब्रलचिमम प्लाईवुड लि०, 8. आलोक उद्योग ओवर-

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

सीज लि०, 9. आर. के. होटल्स प्राइवेट लि०, 10. रोहतास इंडस्ट्रीज लि०, 11. साहू मिनरल्स एण्ड प्रापर्टीज लि०, 12. आलोक उद्योग प्रापर्टीज लि०, 13. आलोक सर्विसेज लि०। इतने उद्योग इस ग्रुप के साथ सम्बन्धित हैं, इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं, गलत जानकारी सदन को न दी जाय, यह सदन की परम्परा और गरिमा के खिलाफ है। अगर मंत्री महोदया को अधिकारियों ने गलत जानकारी दी है तो पूरी जानकारी हांसिल करके सदन के सामने प्रस्तुत करें, यह मेरा नम्र निवेदन है। इसके साथ बहुत सारे प्रश्न जुड़े हुए हैं, साहू जैन ने किस तरह से आलोक जैन ने किस तरह से आलोक कर दिया है, और राजस्थान की अर्थ व्यवस्था को अंधकार में डाल दिया है, इसके साथ दूसरा प्रश्न जुड़ा हुआ है इसलिए इसकी तरतीब और गहराई में जाने का सवाल है, पूरी डिटेल्स इकट्ठी करके ब्यूरोक्रेसी के हाथ में न खेलते हुए सदन की जानकारी में लानी चाहिए। इतना मेरा निवेदन है मंत्री महोदया से।

श्रीमती कमला बेनीवाल : रजिस्ट्रार कम्पनी के यहां से जानकारी प्राप्त की गई है और उसी से जानकारी मिली। इस प्रकार का उद्योग उनके यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है। माननीय सदस्य ने सूचना दी है कि यह सूचना गलत है तो उनकी सूचना के मुताबिक मैं और जानकारी करा लूंगी और गलत जानकारी हाउस में दी गई है, उसके लिए सख्त कार्यवाही करूंगी।

श्री श्रीराम गोटेवाला : साहू मिनरल्स को 70 लाख का कर्जा दिया गया है. यह किसकी गारन्टी से दिया गया है? क्या मंत्री महोदया बता सकेंगी?

श्रीमती कमला बेनीवाल : यह तो मुझे अभी जानकारी नहीं है?

श्री श्रीराम गोटेवाला : जानकारी नहीं है, मैं बताता हूं, वह श्रीमती सुशीला जैन की गारन्टी के आधार पर 70 लाख का कर्जा दिया गया है। मैं मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहता हूं इस सारे रहस्य की आप पूरी जांच करायें। मैं एक निवेदन और करता हूं, एक तरफ तो करोड़ों का घाटा चल रहा है और दूसरी तरफ बड़े-बड़े उद्योग बड़ा इन्फ्लूएन्स करके लाखों-करोड़ों रुपये को चाटने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं, आर. के. होटल्स के बारे में कहा, प्रश्न संख्या 2 में कहा, काम प्रारम्भ नहीं हुआ है। रोहतास इंडस्ट्रीज लि० के बारे में निवेदन करता हूं कि वहां के लिए कर्जा सेंक्शन हो गया, लेकिन एक पैसे का काम नहीं हुआ है, केवल बिजली लगा ली गई है और कोई काम नहीं हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, हजारों छोटे-छोटे लोग लीन के लिए परेशान होते रहें, लेकिन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के डाइरेक्टर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने नाम से कर्जा सेंक्शन करा लें। मैं यह भी निवेदन करता हूं....

श्री अध्यक्ष : सवाल पूछिये!

श्री श्रीराम गोटेवाला : एक सवाल मैं पूछता हूं क्या यह सही है कि श्री आलोक अपनी फाइनेन्शियल कार्पोरेशन के डाइरेक्टर हैं या नहीं?

श्रीमती कमला बेनीवाल : श्री आलोक बोर्ड आॅफ डाइरेक्टर्स में हैं या नहीं, यह सूचना मेरे पास नहीं है लेकिन एक निवेदन जरूर करना चाहूँगी। यह पहले भी प्रश्न आया, अब भी आया और आगे भी आ सकता है। जो भी बिजनेस हाउसेज हैं जिनके बारे में आपको आपत्ति है और होनी भी चाहिये, मुझे भी इस बारे में आपत्ति है कि छोटे बिजनेस वालों को न देकर, बिग बिजनेस हाउसेज बराबर सरकार के पैसे से लाभ उठा रहे हैं, वह नहीं होना चाहिये लेकिन आप उन हाउसेज के नाम अगर दें और उनके अन्तर्गत चलने वाले जो यूनिट्स हैं, उनके नाम दें तो सरकार को कार्यवाही करने में अधिक सुविधा होगी। कायदे-कानून के अन्दर, रजिस्ट्रेशन के अन्दर, उनकी ओर से लिखित में नहीं होता है कि इस उद्योग के तहत काम करते हैं....

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा व श्री गुमानमल लोढ़ा साथ-साथ बोलने लगे)

श्री गुमानमल लोढ़ा : आलोक उद्योग ने कांग्रेस फंड में पैसा दिया, यह हाईकोर्ट के रेकार्ड पर है।

श्री श्रीराम गोटेवाला व श्री मोहनलाल छंगाणी : कांग्रेस वाले इन आरोपों से नहीं दबेंगे।

(शोर-गुल)

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय सुखाड़िया इसी आलोक के उद्योग के द्वारा....

(शोर-गुल, अश्रव्य)

बजाज साहब का देहान्त हो गया इसलिए नहीं जा सके। आप कैसे कहते हैं कि कोई संस्था ही नहीं है ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि मन्त्री महोदया को जो सूचना है, बराबर नहीं है, गलत है इसलिए या तो इस प्रश्न को स्थगित किया जाए और स्थगित नहीं किया जाय तो मेरी जो सूचना है उस आधार पर उत्तर देने की कृपा करें।

श्री नरंजननाथ आचार्य : सारी परिस्थिति पर, जैसे माननीय सदस्य ने कहा, कई विषमतायें हैं और संदिग्धियां हैं। मन्त्री महोदया इस पर स्टेटमेन्ट ही दे दें तो सबसे अच्छा हो।

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैं चाहूँगी कि जो स्टेटमेन्ट आप चाहते हैं उसके बारे में चाहे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दें या प्रश्न दें लेकिन वह स्वयं में स्पष्ट हो, ताकि उसका जवाब देने में आसानी हो।

श्री शांतिलाल कोठारी : अध्यक्ष महोदय, जब कभी भी उद्योगपतियों के बारे में प्रश्न आते हैं और मैं देखता हूँ कि इस तरह के जवाब दिए जाते हैं तो मुझे बहुत दुःख होता है। आप हम लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए हैं। खास तौर से आलोक और साहू जैन जिनका पोलिटिकल इन्फ्लूएन्स हैं जिन्होंने कई पोलिटिकल डिसीजन्स पर कन्ट्रोल किया है, मुझे सुन कर आनन्द हुआ कि मन्त्रीजी खुद कह रही हैं। बड़े उद्योगपतियों ने जिस तरह से इन्फ्लूएन्स के जरिये, जैसे साहू जैन के लिये कहा गया, तो मन्त्रीजी ने कहा है कि उनको दुःख है लेकिन राजस्थान की पोलिटिक्स साहू जैन और आलोक उद्योग से इतनी लिक्ड है कि जैसे लोढ़ा साहब ने कहा, वह कांग्रेस को चंदा देते हैं, उनको मालूम होना चाहिये

(श्री शांतिलाल कोठारीति) कि तीनों इलेक्शन्स में जनसंघ को 16,13,000) रु० साहू जैन ने दिया है।

(शोर-गुल)

श्री गुमानमल लोढ़ा : बिल्कुल गलत आरोप है, मैं चैलेन्ज करता हूँ।

श्री श्रीरामगोटेवाला : बहियों में जमा नहीं होंगे।

श्री शांतिलाल कोठारी : 16-17 राज्यों में उन्होंने, सब उद्योगपतियों ने, आपको ताज्जुब होगा, कम्युनिस्ट पार्टी को भी पैसा दिया। इसलिये यह कहना कि कांग्रेस को चंदा दिया, ठीक नहीं है। इनका धंधा है एम. एल. एज. को इन्फ्लुएन्स करना।

श्री भानुकुमार शास्त्री : कांग्रेस को कितने करोड़ रुपये दिये?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप अपनी बता दें, कांग्रेस वाले अपनी बता दें।

श्री शांतिलाल कोठारी : यह गहरा प्रश्न है, गंभीर इश्यू है। उस पर आप डाइरेक्ट प्रश्न पूछें। इन्फार्मल क्वेश्चन हो तो मेरे लिये मुश्किल है। यह पूरा एटमासफीयर है, सब जगह पोलिटिक्स को बाई ओवर कर दिया है। आज हमारी फिलोसाफी है जो लड़ाई है इसके अन्तर्गत मैं प्रार्थना करता हूँ इस समस्या पर कि जिस अधिकारी ने मन्त्री को गलत जवाब देने को कहा है तो वह गलत है या ये गलत हैं। जो भी गलत हैं उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया जाय। इसलिए इस इश्यू को स्थगित करके एक घण्टे की चर्चा जब भी गवर्नमेन्ट तैयार हो, होनी चाहिये। 10 साल के अन्दर इन्होंने क्या-क्या कम्पनीज खोलीं, कहां-कहां सीमेन्ट उद्योग खोले और वापस बन्द कर दिये, इनका पूरा-पूरा विवेचन जब सरकार तैयार हो, दिया जाय। यह जरूरी है क्योंकि उस तरफ हमारी सत्यानाश हो रही है एक-दो हाउसेज के कारण।

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय सदस्य ने जो कहा कि साहू उद्योग के कारण से, आलोक उद्योग के कारण से राज्य सरकार इतनी प्रभावित है कि वह सवाल का जवाब देने में टालमटोल करती है और उनके कारण से राजनैतिक प्रभाव भी पड़ता है तो मैं सदन की जानकारी के लिये बताना चाहती हूँ कि न इसमें साहू जैन के प्रभाव का सवाल है न आलोक उद्योग के प्रभाव का सवाल है। सवाल इतना है कि प्रश्न अपने आप में स्पष्ट नहीं था कि जितने उसके अन्तर्गत चलने वाले प्रतिष्ठान हैं, उनका विवरण दिया जा सके। जितनी आपको इसके बारे में परेशानी हो रही है उससे अधिक शायद मुझे हो सकती है। मुझे न तो साहू जैन ने न आलोक उद्योग ने चुनाव में पैसा दिया। मुझे जनता ने पैसा देकर जिता कर भेजा। इसलिये मैं जनता के वोट से जीत कर आई हूँ और जनता की रक्षा के लिए और समाज की रक्षा के लिए काम करेंगे, इसमें दो राय नहीं। मैं भी चाहती हूँ कि आप विस्तृत रूप से जो जानकारी चाहते हैं, मुझे दें, मैं आपके प्रश्न की जानकारी दे दूंगी।

(कई माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : (श्री मोहनलाल छंगाणी के खड़े होने पर) आप जानकारी मंत्री महोदय को भेज दें।

श्री श्रीराम गोदेवाला : प्रश्न को स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष : किसी और रूप में इस सवाल को उठा लें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : माननीय सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है और मंत्री महोदया खुद चिंता में हैं। ऐसी हालत में जैसा माननीय सदस्यों ने कहा है इस पर फुल डिस्कशन होना चाहिए और डिस्कशन के प्रश्न पर अगर कोई और भी सुझाव या तथ्य हैं तो हम देते रहेंगे लेकिन आप इसे मंजूर कर लें फुल आवर डिस्कशन।

श्री मोहनलाल छंगाणी : मंत्री मोहदया को एतराज नहीं। माननीय सदस्यों ने कह दिया।

श्री अध्यक्ष : कई और चैनेल्स हैं ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : मंत्री महोदया ने कह दिया कि उन्हें एतराज नहीं।

(शोर-गुल)

श्री चेतराम : (अश्रव्य) ?

श्री अध्यक्ष : श्री मीठालाल।

नादोती तहसील के ग्रामों में पेय जल की व्यवस्था

472 **श्री मीठालाल (लालसोट)** : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सच है कि सवाई माधोपुर जिले की नादोती तहसील के केमला शहर, कूसैला आदि ग्रामों को पेय जल की व्यवस्था हेतु कुछ वर्ष पूर्व केन्द्र से कुछ लाख रुपए को धनराशि स्वीकृत हुई थी ? यदि हां, तो कब और कितनी ?

(2) क्या यह सच है कि उक्त राशि का अभी तक उपयोग नहीं किया गया है ? यदि हां तो क्यों ? तथा अब कब यह योजना कार्यान्वित की जा रही है ? जन-स्वास्थ्य मंत्री की ओर से (श्री हरिदेव जोशी)।

उद्योग मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) केंद्र से योजना का तकनीकी अनुमोदन दिनांक 27-3-69 को प्राप्त हुआ था व राज्य सरकार द्वारा प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 18-12-69 को 20.66 लाख रुपयों के लिए की गई थी।

(2) राशि का उपयोग, उपलब्ध राशि के अनुसार बराबर किया जा रहा है और मार्च, 1972 तक 9.56 लाख रु० की राशि खर्च की गई। इस योजना के लिए जिस स्थान पर जल स्रोत बनाया जाना था वहां पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिला। अब तक कुल पांच ट्रायल बोर किए जा चुके हैं जिनमें कोई सफल नहीं हुआ। अन्यत्र भी प्रयत्न जारी हैं। जल स्रोत के मिलने के पश्चात् ही योजना पूरी की जा सकेगी। यदि इस क्षेत्र में आसपास कोई स्रोत नहीं मिला और आवश्यकता हुई तो गंभीर नदी से भी पानी ला कर दिया जावेगा।

श्री मीठालाल : अध्यक्ष महोदय, जब पांच जगह बोरिंग किया गया और आज तक उन पांच कुओं के बोरिंग में 9.56 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं तो मैं समझता हूं कि यह 20.66 लाख रुपये बोरिंग में ही खत्म हो जायेंगे और इस प्रकार पानी की समस्या तो ज्यों की त्यों ही बनी रहेगी।

(श्री मीठालाल)
तो क्यों नहीं गम्भीरी नदी से ही पानी लाया जाय। वह ज्यादा दूर नहीं है और इसके साथ अब चूंकि गर्मी आ रही है और लोगों को पीने के पानी की बहुत कठिनाई हो जायेगी। लोगों को पानी बाहर से मंगवाना पड़ता है।

श्री हरिदेव जोशी : जियोलोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया से सर्वे किया गया था और उसकी रिपोर्ट आने पर निर्णय लिया जायेगा।

श्री मीठालाल : यह रिपोर्ट कब तक आयेगी।

श्री हरिदेव जोशी : इसकी कोई डेट का तो मुझे पता नहीं। लेकिन जब आयेगी तो निर्णय लिया जा सकेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री गुरुदयालसिंह सन्धू।

श्री मीठालाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि रिपोर्ट के जल्दी आने के लिये रिमाइन्डर तो दिया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री गुरुदयालसिंह सन्धू।

गुन्डों के विरुद्ध कार्यवाही

473. **श्री गुरुदयालसिंह सन्धू** (करणपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिन गुन्डों द्वारा दिनांक 23-2-72 को गुरुद्वारा, जोहड़ पर कब्जा किया गया था उनके पास क्या-क्या हथियार थे तथा उनमें से कितने हथियार जायज थे और कितने हथियार नाजायज थे।

(2) पुलिस ने उन गुन्डों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की और भविष्य में क्या कार्यवाही करने का विचार करती है।

राज्य मन्त्री, गृह (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) जो व्यक्ति गुरुद्वारा बुढा जोहड़ पर कब्जा करने के लिये आये थे उनमें से 10 व्यक्तियों के पास कृपाण, एक व्यक्ति के पास डण्डा, चार व्यक्तियों के पास बन्दूकें, एक व्यक्ति के पास टांकुआ व 2 अन्य व्यक्तियों के पास राइफलें थीं। 4 बन्दूकें व 2 राइफलें लाइसेन्सशुदा थीं। बाकी कृपाण, डन्डा व टाकुओं के लिये लाइसेन्स नहीं रखा गया है। अतः कोई हथियार नाजायज नहीं था।

(2) पुलिस ने इन व्यक्तियों के हथियार ले लिये और मुकदमा नम्बर 4 जेर दफा 392 ता० हि० थाना मुकलावा में दिनांक 24-2-72 को दर्ज कर तफतीश शुरू की जो अभी तक जारी है। गुरुद्वारा, बुढा जोहड़ के कब्जे को लेकर भविष्य में झगड़ा-फिसाद रोकने के अदालत ए० डी० एम० गंगानगर में धारा 145 जा० फौ० के तहत कार्यवाही जेर तजवीज है। मुकदमे की तफतीश तकमील होने पर जैसी सूरत होगी फौरन कार्यवाही होगी।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु : क्या गुण्डों के पास हैण्ड ग्रेनेड भी था ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैं निवेदन कर चुकी हूं कि जो भी हथियार वहां लोग लेकर आये थे और जिसकी मुझे जानकारी मिली है वह मैंने बता दी है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धू : आपको जानकारी गलत मिली है।

Page No 18

श्रीमती कमला बेनीवाल : आप सही जानकारी बतावें और अगर आपकी दी हुई जानकारी सही होगी तो उसके लिये कार्यवाही कर ली जायगी।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु : गुरुद्वारा के जमीन पर नाजायज कब्जा करने के लिये लोग 60 मील से आये थे और····

श्रीमती कमला बेनीवाल : यह जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धू : क्या जिस दिन यह वारदात हुई उस दिन राजस्थान के खाद्यान्न मन्त्री वहीं गंगानगर में मौजूद थे ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : तारीख की मुझे पता नहीं, होंगे या नहीं होंगे, इसका भी मुझे पता नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या यह सही है कि आज वहां पर निर्लेपकौर लोगों को धमकी दिला रही है और उसके लिये एक ज्ञापन राज्य के मन्त्री महोदय को प्रस्तुत किया गया था ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : क्या धमकी दी इसकी मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। यह अलग से प्रश्न है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : इसे अलग से पूछिये।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु : अध्यक्ष महोदय, बड़ी ही गम्भीर स्थिति बनी हुई है, वह लोगों को धमकी दे रही हैं, क्या मन्त्री महोदय से उसका परिचय है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मेरा उससे कोई परिचय नहीं है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धू : अध्यक्ष महोदय, गुण्डों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : कार्यवाही की गई है और जब अदालत से जो भी फैसला होगा उन्हें सजा दी जायेगी।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु : क्या गुण्डों को सरकारी ट्रक में बैठा कर ले जाया गया था ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मुकदमे के चालान के लिये और रिमान्ड लेने जाते हैं तो लेजाया गया होगा। मुकदमा चल रहा है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु : कोई मुकदमा नहीं चल रहा है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट : श्री भानुकुमार शास्त्री।

झामर कोटड़ा से उत्पन्न खनिज पदार्थ

474. **श्री भानुकुमार शास्त्री** (उदयपुर): क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि झामर कोटड़ा से उत्पन्न खनिज पदार्थ को 1 हजार किलोमिटर से बाहर पड़ने वाले ग्राहकों को नहीं देने की नीति निर्धारित की गई है ? यदि हां तो क्यों और किस आधार पर ?

(2) क्या ऐसे प्रावधानों से प्रशासनिक अधिकारी अपनी मिली भगत से एका-

Page No 19

(श्री भानुकुमार शास्त्री)
धिकार की नीति निर्धारित कर कुछ सीमित पूंजीपतियों को उस खनिज उत्पादन का लाभ देना चाहती है।

(3) क्या सरकार ने लघु उद्योगों को इस खनिज से लाभान्वित व वितरण करने के लिये कोई नीति निर्धारित की है ?

राज्य मन्त्री, खनिज (श्री जुझारसिंह) :
1. जी हां इस नीति को अपनाने के आधार निम्नलिखित हैं:—

(क) दूरस्थ स्थानों के लिये रेलवे वेगन कठिनाई से व देर से प्राप्त होते हैं।

(ख) दूर स्थानों पर राक फोसफेट भेजने में रेल भाड़ा ज्यादा लगता है जिसका प्रभाव उत्पादित मूल्य पर पड़ता है।

(ग) झामरकोटड़ा रोक फोसफेट देश की आवश्यकता की 20 प्रतिशत मांग अभी पूरी कर रहा है। अत: शेष मात्रा आयात की जाती है जो दूर स्थित ग्राहक मिनरल एण्ड मेटल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इन्डिया द्वारा से ले सकते हैं।

2. जी नहीं।

3. नीति राज्य सरकार के विचाराधीन है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मेरा प्रश्न यह है कि जब कम्पनी को ठेका दिया गया तब क्या ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ था कि उसकी प्रोडेक्शन इतनी होनी चाहिये और वह डिमान्ड के बराबर प्रोडक्शन करती है या कम करती है। कम्पनी को बेगन नहीं मिलते हैं लेकिन दूसरे जो छोटे-छोटे उद्योग वाले लोग हैं उनको बेगन मिलता है और कम्पनी बराबर प्रोडक्शन कर रही है।

श्री जुझारसिंह : आपने अपने प्रश्न में जो कहा है वह ठीक है पर वह तो आज देश की जितनी जरूरत है उसका 20 प्रतिशत ही तो प्रोडक्शन कर रहा है और दूसरे एक हजार किलोमीटर की परिधि से बाहर को नहीं देने की नीति निर्धारित की गयी है। दूसरे लोगों को पूरी तरह से सप्लाई नहीं हो सकता है। इसके अलावा जो अगर बाहर के ग्राहकों को माल भेजा जाये तो बहुत ही कोस्टली पड़ता है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : ये कम्पनी उत्पादन ठीक कर रही है। दूसरे कम्पनी और गवर्नमेंट के बीच यह एग्रीमेंट भी हुआ है लेकिन एग्रीमेंट के आधार पर कार्यवाही नहीं हो रही है और दूसरे लोगों को लाभ दिया जा रहा है।

श्री जुझारसिंह : किसको दिया ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : कम्पनी के लिये जो एग्रीमेन्ट हुआ उसके अनुसार कार्यवाही नहीं हुई है और विजय एण्ड को. से रोक फोसफेट की डिमाण्ड ....

श्री जुझारसिंह : प्रोडक्शन माफिक नहीं होने से हुआ होगा।

श्री भानुकुमार शास्त्री : जो एग्रीमेन्ट हुआ उसके अनुसार कार्य हुआ है। वहां प्रोडक्शन दो हजार टन रोज उत्पादन करेंगे। 700 टन उत्पादन हो रहा है।

श्री जुझारसिंह : वास्तव में सही यह है कि प्रोडक्शन जितना चाहते हैं उतना नहीं हो रहा है। मशीनरी की कमी है। बाई दी एण्ड ऑफ दी ईयर यह 1600 टन उत्पादन करके हो सकेगा या इसमें....

श्री भानुकुमार शास्त्री : मशीनरी का तो नाम है पर सरकार के प्रशासनिक अधिकारी अपनी मिली भगत करते हैं। आज इसमें यह हो रहा है।

श्री जुझारसिंह : इसमें मशीनरी का अभाव है और दूसरे प्रोडक्शन नहीं होता है दूसरे देखा गया है कि मिडिल मैन वगैरह की वजह से तथा ट्रक वाले वगैरह के 10 रुपये से 25 रुपये तक पहुँच जाता है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : यहां पर 300 लेबर काम करते हैं और 500 टन रोजाना जा रहा है। बी.जी.ए. कम्पनी वाले दो हजार टन भेज दें इसके बारे में मशीनें वगैरह कि राज्य सरकार कब तक कर देगी।

श्री जुझारसिंह : राज्य सरकार इस बारे में कोशिश कर रही है। इस साल के अन्त तक !

श्री भानुकुमार शास्त्री : क्या राज्य सरकार मशीनों को लगाने के लिये लैण्ड वगैरह देगी ?

श्री जुझारसिंह : राज्य सरकार इसके लिये कोई जमीन नहीं देगी।

श्री भानुकुमार शास्त्री : दूसरे रोक फॉसफेट के बारे में क्या राज्य सरकार उस उद्योग को अपने हाथ में लेगी। उसे राज्य सरकार को काफी लाभ होगा और जो कम्पनी के डाईरेक्टर्स के लोगों की मिली भगत से लाभ नहीं हो रहा है इसलिये राज्य सरकार को चाहिये कि उसे अपने हाथ में ले ले।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है और प्रश्न के उत्तर में जो दिया गया है कि लघु उद्योगों से इस खनिज को लेकर लाभान्वित व वितरण करने के लिये कोई निर्धारित नहीं हुई है अभी तक यह विचाराधीन है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : वो क्या है आप बता दीजिये।

श्री जुझारसिंह : रोक फॉसफेट मिक्सड फरटीलाईजर्स में काम आता है और इसके तैयार होने में कई प्रोसेज से गुजरना पड़ता है। इसमें दूसरे फरटीलाइजर्स के बारे में पत्रव्यवहार किया गया है और भारत सरकार के इन्जीनियर्स से राय मांगी वह नहीं आयी है और जब आयेगी तब देखना पड़ेगा और दूसरे हम एज इट इज इजाजत देने में मजबूर हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : फॉसफरिक एसिड बनाना चाहेंगे उसको देंगे ?

श्री अध्यक्ष : नेक्सट।

श्री गिरधारीलाल भार्गव।

जयपुर की कच्ची बस्तियों का सर्वे

475. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (हवा महल, जयपुर) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सितम्बर, 1971 में कच्ची बस्तियों का सर्वे कराया गया था ? यदि हां, तो सर्वे के अनुसार

Page No 21

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
नगर में कुल कितनी कच्ची बस्तियां हैं ? उनमें कितने कच्चे मकान व झोंपड़े हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि कई बस्तियां सर्वे होने से रह गई हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन सी और क्यों ?

(3) कच्ची बस्ती के नागरिकों को, आवासीय भू-खण्ड (प्लाट) अब कब तक आवंटित किये जायेंगे तथा प्रत्येक प्लाट का क्षेत्रफल और कीमत क्या होगी ?

नगर आयोजना मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) नगर विकास न्यास व नगर परिषद्, जयपुर द्वारा अपने क्षेत्र की सरकारी भूमि पर बसी कच्ची बस्तियों को दी गयी सूचियों में अंकित कच्ची बस्तियों का सर्वे जिलाधीश, जयपुर द्वारा सितम्बर, 1971 में करवाया गया था। सर्वे के अनुसार कच्ची बस्तियों में कच्चे मकान व झोंपड़ियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) राजकीय मुद्रणालय के सामने स्थित हतरोई कच्ची बस्ती सर्वे होने से रह गयी।

(3) मामला विचाराधीन है, अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : क्या यह सही है कि सन् 1968 के समय 63 नगर न्यास और 37 नगर परिषद् और सन् 1971 के सर्वे में 73 नगर न्यास और 37 नगर परिषद् की कच्ची बस्तियों का सर्वे कराया गया लेकिन नगर की वास्तविक कई कच्ची बस्तियां रह गयीं। कच्चे मकान व झोंपड़ों की सूची भी 1968 और 1971 के सर्वे के आधार पर नहीं है। कई बस्तियों का सर्वे नहीं हुआ जैसे तिवाड़ीजी का बाग, माधोविलास का अहाता, बसवा ठाकुर की बस्ती, माधोविलास के सामने वाली बस्ती आदि कई जयपुर शहर में सर्वे होने से रह गयी हैं, उनका सर्वे करायेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : नगर न्यास क्षेत्र में और म्युनिसिपल क्षेत्र में जो कच्ची बस्तियां हैं, उनका सर्वे नहीं कराया गया है। म्युनिसिपल क्षेत्र में जो कच्ची बस्तियां रह गयी हैं, उनका निश्चित रूप से सर्वे कराया जायगा। हथरोई का मैंने आपको बताया। एक बस्ती रह गयी थी। कल ही सूचना मिली है। जो कच्ची बस्तियां रह गयी हैं, उनका सर्वे कराया जायगा अगर वे न्यास और म्युनिसिपल क्षेत्र हैं और निजी क्षेत्र में नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : सन् 1968 में कच्ची बस्तियों का सर्वे कराया गया। उनका सर्वे 1971 के आधार पर करेंगे ? तहरियों का वास आदर्शनगर, इनका सर्वे नहीं हुआ है और लिस्ट में दिखा गई हैं।

श्री परसराम मदेरणा : लिस्ट में नाम है तो उनका कराया जायगा। कितनी उसमें आ सकती हैं, यह भी देख लिया जायगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मूल प्रश्न बाकी है। प्राइवेट कच्ची बस्तियों का सर्वे नहीं करायेंगे, उत्तर बाद में दें।

Page No 22

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

7 सितम्बर, 1967 को पाइलेट योजना के अन्तर्गत तीन सदस्यों की कमेटी सदन में बनी थी, प्रथम चरण में 3 माह में नाहरी का नाका, बडोदिया बस्ती, मिनर्वा टॉकिज को बसा देने का निर्णय किया था।

श्री परसराम मदेरणा : अलग से प्रश्न है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मूल प्रश्न है मुझे सारी जानकारी मिलनी चाहिये। बिना राज्य सरकार की स्वीकृति के वड़ोदिया बस्ती में 7 प्रभावशाली व्यक्तियों को अक्तूबर, 1959 में अलॉटमेन्ट किये गये जब कि स्कीम स्वीकृति के लिये राज्य सरकार को 20-4-63 को भेजी गई है ?

इसी प्रकार नाहरी का नाका में प्लॉट नं० 85, 71, 32 व 35 को स्कीम बनने से पूर्व राजनैतिक आधार पर दिये गये हैं और दिये जा रहे हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : 15 साल से प्रश्न पूछा गया है। जनसंघ दफ्तर में इसकी फाइल है, सब ही प्रश्न पूछते हैं माननीय सदस्य, इस प्रश्न से उनका कतई सम्बन्ध नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष, बिना स्कीम के प्लॉट अलॉट किये जा रहे है। जयपुर नगर की 101 कच्ची बस्तियों में एक में भी नहीं बसाया गया है और राजनैतिक प्रभावशाली और मिलने वाले लोगों को बसाया जा रहा है इसलिये यह बताया जाय कि प्लॉट कब तक अलॉट कर देंगे, क्या क्षेत्र होगा ? कच्ची बस्तियों में क्या कीमत ली जावेगी और कीमत कब तक तय कर देंगे और क्षेत्रफल क्या होगा यह बता दीजिये ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कच्ची बस्तियों के लिये आप जो कहते रहे हैं, यह केवल नारा ही रह जावेगा और गरीब लोगों को प्लॉट नहीं मिलेंगे और प्रभावशाली लोग ले लेंगे।

(व्यवधान) (शोरगुल)

श्री परसराम मदेरणा : सरकार जागरूक है।

श्री अध्यक्ष : श्री भानुकुमार शास्त्री।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कच्ची बस्तियों में प्लॉट देना चाहते हैं तो कच्ची बस्तियों में रहने वालों को प्लॉट दीजिये।

श्री अध्यक्ष : श्री भानुकुमार शास्त्री। स्थगित प्रश्न 961

भारत-पाक युद्ध की स्थिति में गिरफ्तार किये गये व्यक्ति।

196. श्री **भानुकुमार शास्त्री** (उदयपुर) : क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) सन् 1971 के भारत-पाक युद्ध की स्थिति में राजस्थान में किन-किन व्यक्तियों को कब-कब, किस-किस आरोप में डिफेन्स ऑफ इन्डिया रूल्स एवं इन्टरनल सिक्योरिटी एक्ट के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ख) किन-किन व्यक्तियों के विरुद्ध तत्सम्बन्धी कानून के अन्तर्गत मुकदमा

(श्री भानुकुमार शास्त्री) :

चलाया गया और किनके विरुद्ध नहीं और क्यों ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ग) इन गिरफ्तार व्यक्तियों को किस-किस आधार पर कब-कब छोड़ा गया ?

(3) इन व्यक्तियों में कौन-कौन ऐसे हैं जिनको इसके पूर्व भी ऐसे कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

राज्य मंत्री, गृह (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) सन् 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान 64 व्यक्तियों की भिन्न-भिन्न तारीखों पर मेन्टैनेन्स ऑफ इन्टरनल सिक्योरिटी एक्ट के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : सूची सदन की मेज पर नहीं रखी, वह रखें।

श्रीमती कमला बेनीवाल : पहले प्रश्न का जवाब सुनने का कष्ट करें, फिर प्रश्न करें।

(ख) उपरोक्त व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध अदालत में मुकद्दमा नहीं चलाया गया क्योंकि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

(ग) गिरफ्तार व्यक्तियों में से 52 को माह जनवरी, 1972 में छोड़ दिया गया है क्योंकि सरकार ने इन व्यक्तियों को वांछित तिथि के पश्चात् अधिक दिनों तक बन्दी रखना आवश्यक नहीं समझा

(घ) उपरोक्त 64 व्यक्तियों में से 21 व्यक्तियों को पूर्व में सन् 1965 में भी गिरफ्तार किया गया था।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैंने सूची सदन की मेज पर रखने के लिये निवेदन किया था लेकिन सूची नहीं रखी गयी।

श्रीमती कमला बेनीवाल : आपने पूछा था। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से सूची देना उपयुक्त नहीं था, इसलिये नहीं दी।

श्री भानुकुमार शास्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिनको पकड़ा गया इस कारण से कि वे हमारे देश के हित में नहीं थे, ऐसे व्यक्ति जो कल्प्रिट्स हैं उनके नाम सदन की पटल पर रखना क्यों उपयुक्त नहीं होगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, कागजों में लिखा गया और रेकार्ड पर आया, लोगों को मालूम हुआ और माननीय मंत्री महोदया कहती हैं कि यह प्रिविलेज है और आसन से सम्बन्धित हैं, इन सब तथ्यों के आधार पर उन व्यक्तियों के नाम न बताये जावें जो प्रकट रूप में हैं प्रिविलेज का प्रश्न नहीं रहता है। इन तथ्यों पर इसको प्रिविलेज का प्रश्न न माना जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रिविलेज का प्रश्न तो नहीं है। लेकिन कौनसे फैक्ट पब्लिक इन्ट्रेस्ट में डिस्क्लोज किये जायें और कौन से नहीं किये जायं, गवर्नमेंट डिस्क्लोज नहीं करना चाहती है। पब्लिक इन्ट्रेस्ट में नहीं है, यह उनके अधिकार की बात है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अखबारों में आ चुके हैं नाम। सदन के पटल पर नहीं रखना चाहते हैं तो मेरे पास नाम है, वह मैं दे देता हूँ।

Page No 24

श्री अध्यक्ष : आपके पास सूचना है, दे दें।

श्री भानुकुमार शास्त्री : नाम लिखे हुए हैं:—

(1) सबोज प्रधान, चौहटन, (2) दोस मोहम्मद, सरपंच, कुंदनपुरा, (3) गुलाम मोहम्मद, सरपंच सेडवा, (4) मोहम्मद शरीफ पुत्र हाजी मोहम्मद, बीजराड़, (5)मौलवी अब्दुल हक, सावां, (6) इस्माइल सरपंच, सस्पेका तला, (7) इनायतहक ड्राईवर, बाड़मेर, (8) गोरधन मेवाल, भमड़ा (शिव), (9) अल्लाबक्ष, बालोतरा, (10) अलादक, बाड़मेर, (11) जनिया, बाड़मेर, (12) गुलामहुसैन पुत्र बाबू खां, साकिन भंवार, (13) आलम पुत्र अदरीम, कुमार का टीला।

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अभी और हैं— (14) हाजी अलादीन, साकिन मीडे का पार, (15) लियास पुत्र मिश्री, मापुरी, (16) नूरा पुत्र बीरा, चांदे का पार, (17) सलीम पुत्र सतों रासल का पार, (18) सैफल पुत्र आचार, बन्ने की बस्ती, (19) हाजी हासम पुत्र बादल, पदमपुरा, (20) मोहम्मद सरीफ तेली, बाड़मेर, (21) जालुदीन मते का तला, (22) पीरु, भीमड़ा, (23)अल्लादीन, बुक्कड़, (24)नूरा पुत्र चंदाणी, पांदी का पार।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भी पूछना चाहूंगा कि ये सब लोग गिरफ्तार किये गये या नहीं और ये सब रिकार्ड पर हैं या नहीं।

श्री अध्यक्ष : मैंने आपको निवेदन किया कि किसी फैक्ट को डिस्क्लोज करना पब्लिक इन्टरेस्ट में है या नहीं, यह गवर्नमेण्ट के देखने की बात है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : जो सत्र चालू था उसमें बहस हो चुकी है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, जो सामने आया है वह प्रश्न यह है कि क्या यह नाम आपकी लिस्ट में हैं या नहीं और क्या यह गिरफ्तार किये गये या नहीं? आप मौन हो जायें, इन्कार करना चाहें तो कर दें। जो कुछ करना चाहें कर दें।

श्री राजेन्द्र भारतीया : हां या ना करना पब्लिक डिस्क्लोजर हो जाये।

श्रीमती कमला बेनीवाल : जो गिरफ्तार किये गये, मैंने उनकी संख्या बता दी, छोड़ दिये गये उनकी संख्या भी मैंने बता दी और पहले पकड़े गये, बाद में पकड़े गये वह भी बता दी और नामों की तस्दीक कर सकती हूं तो मैं लिस्ट भी पेश कर सकती हूं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले भी ऐसा प्रश्न आया है, जिसमें नामों की सूचना गवर्नमेंट ने दी है। मैं यह पढ़ कर सुनाना चाहूंगा, सत्र 1965, दि० 25-26 मार्च और पेज नं. 5339 पर इस प्रकार की लिस्ट सरकार ने प्रश्न पूछने पर दी है।

श्री अध्यक्ष : सरकार देना चाहे तो दे सकती है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : जब सब प्रश्न सदन की पटल पर रखे हैं तो फिर यह प्रश्न योगेन्द्रनाथ हांडा का है—क्या गृह मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि आपत-कालीन स्थिति घोषित होने के बाद राजस्थान में कितने लोग डी० आई० आर० के तहत पकड़े गये—ऐसा प्रश्न आया है, जिसका आपने जवाब दिया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ऐसे गद्दारों का नाम आना चाहिये ताकि राजस्थान की जनता जान जाये। इसमें क्या हर्ज है ? मैं समझता हूं कि सरकार को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जब नाम बताये गये हैं, उस समय प्रिविलेज क्लेम नहीं किया गया, इसलिए इस स्थिति में प्रिविलेज का प्रश्न नहीं आता। जनता को जानना चाहिए कि कौन-कौन गद्दार हैं ताकि जनता उनके प्रति सजग हो जाये और यह पब्लिक इन्टरेस्ट में भी है।

श्री केदारनाथ : इसमें सोर्स ऑफ इन्फोर्मेशन नहीं चाही है क्योंकि यह न तो कोई मिलिट्री सिक्रेट है और न कुछ है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : हमारा गृह मन्त्रालय उनका प्रोटेक्शन करना चाहता है और डिस्क्लोज नहीं करना चाहता।

श्रीमती कमला बेनीवाल : न तो संरक्षण देना चाहती है, सरकार और न तथ्यों को दबाना चाहती है लेकिन यह उपयुक्त नहीं है इसलिए पेश करने में असमर्थ हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, सन् 65 में जिन लोगों को डी. आई. आर. में गिरफ्तार किया गया उसमें ये तथ्य सामने आये थे कि पुलिस ने अपनी जातीय रंजिश की वजह से बहुत से लोगों के विरुद्ध गलत रिपोर्ट बना कर और लगातार रिपोर्ट बना कर पटवारियों से रिपोर्ट बनवा कर उन लोगों को डी. आई. आर. के अन्दर पकड़ा। ये तथ्य पहले स्पष्ट सामने आये जैसे माननीय हादीजी का प्रश्न प्रस्तुत हुआ, इस सम्बन्ध में भी प्रश्न आया था कि इस प्रकार से उनकी वहां से कुछ पुलिस अधिकारियों से सांठ-गांठ होने के कारण उनके विरुद्ध इस प्रकार की रिपोर्ट होती रही और कुछ राजनैतिक फूट के कारण भी गिरफ्तार किया गया। उस समय यह प्रश्न सामने आया था। अब भी जिनको डी. आई. आर. में पकड़ा है, यह सम्भव है कि उसमें जातीय रंजिश के कारण कुछ लोगों की रिपोर्ट हुई हो और उन लोगों को गलत पकड़ा गया हो। इसलिए सूची आनी चाहिए। जिनको सही पकड़ा गया है तो राजस्थान के हर आदमी को जानना चाहिए और भारत के हर आदमी को जानना चाहिए कि कौन गद्दार है, कौन नहीं है ताकि उनसे सजग रह सकें।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस के कार्यकर्त्ता के रूप में कार्य करते रहे, इसलिए उनके नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते और उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं। बाड़मेर और जैसलमेर के अन्दर डी. आई. आर. में हादी और मोहम्मद को गिरफ्तार करने के वारन्ट निकले थे और जयपुर के अन्दर आकर बैठे थे। आज गृह मन्त्रालय ऐसे लोगों के लिए क्यों चुप है ? आप बतायें कि उनके विरुद्ध

Page No 26

(श्री भानुकुमार शास्त्री)
वारन्ट निकाला था या नहीं ? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो लिस्ट बाड़मेर और जैसलमेर के कलेक्टर और मिलीट्री के ऑफिसर्स ने बैठ कर बनाई थी और गृह मन्त्रालय को उन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए दी थी क्या वह आप पेश करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन कर दूं। प्रश्न यह है कि अगर कोई मंत्री पब्लिक इन्टरेस्ट में कोई बात डिस्क्लोज नहीं करना चाहे तो क्या इस बात के लिए उसको मजबूर किया जा सकता है कि वह उसको डिस्क्लोज करे। इस सम्बन्ध में मैंने अभी निवेदन किया कि इस मामले में पब्लिक इन्टरेस्ट में डिस्क्लोज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसका अन्तिम निर्णय गवर्नमेन्ट पर होता है और उसके लिए यहां सदन में बाध्य नहीं किया जा सकता। जो मैं कह रहा हूं वह इस सदन के निर्णय के आधार पर भी कह रहा हूं और पार्लियामेन्ट की प्रेक्टिस के आधार पर भी कह रहा हूं। इसी सदन का निर्णय आपको सुनाता हूं....

श्री निरन्जननाथ आचार्य : पर्टेनिंग टु डाकुमेन्ट।

श्री अध्यक्ष : 8 जून, 1954 को श्री जयनारायण व्यास द्वारा किसी अनुपूरक उत्तर नहीं दिये जाने पर अध्यक्ष महोदय से व्यवस्था चाही उस समय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि :

"Position is that they cannot be forced to give information which they don't want to give in public interest."

फिर पार्लियामेन्टरी प्रेक्टिस भी है :

"The answer to a question cannot be insisted upon if the answer is refused by the Minister."

तो इसमें मेरा यही निर्णय है कि पब्लिक इन्टरेस्ट में मिनिस्टर जवाब नहीं देना चाहे तो 'वी कैन नॉट फोर्स हिम'। देना चाहे बहुत खुशी की बात है मगर नहीं देना चाहे तो फोर्स नहीं कर सकते।

श्री भानुकुमार शास्त्री : इतना बतादें कि उनके लिए गिरफ्तारी के वारन्ट निकले या नहीं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक ही सदन में दो परम्परायें कैसे हो सकती हैं। एक में उत्तर दिया गया है और दूसरे में उत्तर नहीं दिया गया है। तो यह तो बहुत बड़ा कान्ट्रेडिक्शन होगा, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैं केवल यह पूछना चाहूंगा कि तीनों के ऊपर गिरफ्तारी के वारन्ट निकले या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

श्री केदारनाथ : इसमें ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो कि पाकिस्तान के इनफार्मर के बतौर गिरफ्तार किये गये ? क्या यह सही है कि ऐसे व्यक्ति भी हैं कि जो इनफॉर्मर होने के नाते भी गिरफ्तार किये गये ?

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न

प्रति व्यक्ति आय

466. **श्री केदारनाथ :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में स्थिर कीमतों के आधार पर प्रति व्यक्ति आय कितनी थी ?

(2) द्वितीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में प्रति व्यक्ति आय की क्रमिक वृद्धि किस प्रकार हुई तथा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में स्थिर कीमतों के आधार पर प्रति व्यक्ति आय कितनी होगी ?

उत्तर

प्रथम पंचवर्षीय योजना से यह सूचना उपलब्ध नहीं है। राज्य सरकार ने राज्य आय के अनुमान वर्ष 1954-55 से बनाना शुरू किया था।

द्वितीय, तृतीय वार्षिक योजनाएं 1966-69 एवं चतुर्थ योजनाओं में स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय में क्रमिक वृद्धि निम्न तालिका में दी गई हैं:—

योजनाकाल/वर्ष	प्रति व्यक्ति आय (रुपयों में)	गत वर्ष की तुलना में वृद्धि (+) या ह्रास (–)
1	2	3
द्वितीय योजना		
1956–57	246	(+) 4.24
1957–58	226	(–) 8.13
1958–59	248	(+) 9.73
1959–60	246	(–) 0.81
1960–61	237	(–) 3.66
तृतीय योजना		
1961–62	247	(+) 4.22
1962–63	244	(–) 1.21
1963–64	232	(–) 4.92
1964–65	246	(+) 6.03
1965–66	241	(–) 2.03
वार्षिक योजना		
1966–67	247	(+) 2.49
1967–68	266	(+) 7.69
1968–69	247	(–) 7.14
चतुर्थ योजना		
1969–70	268	(+) 8.50
1970–71	302	(+) 12.69
1971–72	295	(–) 2.32

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के आकार पर योजना आयोग से मतैव्य न होने के कारण पूरे योजनाकाल के कोई अनुमान नहीं बनाये गये हैं।

राज्य सरकार पर ऋण

468. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चालू वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार पर कुल कितना कर्जा है और उनका वार्षिक देय ब्याज कितना है ?

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

(2) क्या राज्य सरकार ने भारत सरकार से पूंजीगत खाते के ऋण तथा उसके ब्याज की वसूली चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं करने का अनुरोध किया था ? यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने उक्त अनुरोध स्वीकार कर लिया है ?

(3) भारत सरकार के अतिरिक्त और किस-किस का कितना-कितना ऋण राज्य सरकार पर है ?

(4) वर्तमान में ओवर ड्राफ्ट कितना है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1971-72 के संशोधित अनुमानों के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में राज्य सरकार पर 714.40 करोड़ रुपये का कर्ज है। उस पर वार्षिक देय ब्याज 38.95 करोड़ रुपया है।

(2) जी नहीं।

(3) भारत सरकार के अतिरिक्त अन्य ऋणों का विवरण निम्न प्रकार है:—

	(करोड़ रु.)
1. सार्वजनिक ऋण	56.86
2. राजस्थान जागीर पुनर्ग्रहण क्षतिपूर्ति तथा पुनर्वास बाण्ड	5.90
3. रिजर्व बैंक की राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण	2.13
4. भारत जीवन बीमा निगम से ऋण	9.61
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	1.95
6. खादी तथा ग्रामोद्योग कमीशन से ऋण	0.01
7. राष्ट्रीय वेयरहाऊसिंग निगम से ऋण	0.02
8. अल्पकालीन ऋण (रिजर्व बैंक तथा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से) (ओवर ड्राफ्ट)	71.24
योग....	147.72

(4) प्रश्न प्राप्ति की तिथि अर्थात् दिनांक 31-3-72 को राज्य खाते में 89.82 करोड़ रुपये का ओवर ड्राफ्ट था।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जयपुर शहर के लिए बनास नदी से पानी लाने की योजना

162. **श्री मीठालाल** (लालसोट) :

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि जयपुर शहर के लिए बनास नदी से पीने का पानी लाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

(2) क्या यह भी सच है कि जमवा-रामगढ़ के बांध से पीने का पानी कम

(श्री मीठालाल)
लेकर कृषि कार्यों में अधिक लेने की योजना है ?

(3) यदि हां, तो उक्त दोनों योजनाओं पर सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) बनास नदी से जयपुर शहर के लिये पीने का पानी लाने की अपेक्षा यह विचार है कि यदि उपयुक्त भूगर्भीय स्रोत प्राप्त हो सके तो योजना की लागत कम हो सकती है। अतः सरकार इस मामले में सर्वेक्षण करवा कर पुनः विचार करेगी। जमवारामगढ़ के बांध से कृषि कार्यों में अधिक पानी देने की कोई योजना नहीं होने के कारण सरकार द्वारा कठिन कदम उठाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

राज्य जल बोर्ड का गठन

163. श्री श्रीराम गोटे वाला (किशनपोल, जयपुर): क्या जलदाय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में जल बोर्ड का गठन कब हुआ था तथा इसके क्या उद्देश्य थे ?

(2) जल बोर्ड के माध्यम से कितने गांवों में पेय जल की व्यवस्था अब तक हुई है ?

(3) राज्य के प्रत्येक गांव में पीने के पानी की सुविधा कब तक उपलब्ध करादी जायेगी तथा इसके लिए सरकार की क्या योजना है ?

(4) क्या यह सही है कि नलकूपों के सम्बन्ध में अभी समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ था कि राज्य में नलकूप खोदे जाने की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या राज्य के समस्त भागों में नलकूपों द्वारा इसी वर्ष पीने के पानी एवं सिचाई हेतु पर्याप्त पानी उपलब्ध करा दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो इसे पूरा करने में कुल कितना समय लगेगा ?

उत्तर

(1) जल बोर्ड का गठन 11 जनवरी, सन् 1955 में किया गया। उक्त बोर्ड के निम्न उद्देश्य थे:—

1. उपलब्ध जल स्रोतों का विकास करना व उनकी वृद्धि करना, जैसे कि कुओं व कुन्डों की मरम्मत व कुओं को गहरा करना।
2. नये जल स्रोत बनाना और किसी भी अन्य तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में जल उपलब्धि की स्थिति में सुधार करना।

(2) विभाग में प्राप्त जानकारी के अनुसार जल बोर्ड के माध्यम से निम्न कार्य हुये:—

	वर्ष	राशि लाख रु०	कार्य संख्या
1. एफ. एफ. आई. प्रोग्राम के अन्तर्गत	1955-56,	98.38	5412
2. प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत	1955-56,	32.96	2030
3 द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत	1956-57,	44.22	2200

Page No 30

(जलदाय मंत्री)

(3) यह समस्या बहुत बड़ी है व सरकार इसके लिये अपने वित्तीय साधनों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक कदम उठा रही है। इस समय यह बता पाना मुश्किल है कि सब गांवों में यह समस्या कब तक हल करली जावेगी।

(4) राज्य सरकार के क्लस्टर नलकूप प्रोग्राम के अन्तर्गत 170 नलकूपों के प्रोग्राम का अनुमोदन केन्द्र सरकार द्वारा दिया गया है। यह प्रोग्राम इस दिशा में एक कदम है, किन्तु इससे समस्त समस्या का पूर्ण समाधान नहीं हो सकता। समस्या बहुत जटिल है और अभी यह बता पाना मुश्किल है कि समस्या का समाधान कब तक हो सकेगा।

मेडिकल रिएम्बर्समेन्ट की राशि

164. **श्री भीमसेन** (लूनकरणसर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य कर्मचारियों ने सन् 1971-72 में कुल कितना मेडिकल रिएम्बर्समेन्ट लिया ?

उत्तर

राज्य कर्मचारियों के मेडिकल रिएम्बर्समेन्ट से संबंधित व्यय बजट मदों के अन्तर्गत भत्ते और मानदेय में सम्मिलित होता है व इसका कोई पृथक् लेखा नहीं रखा जाता। अतः वांछित सूचना देना सम्भव नहीं है।

बीकानेर जिले के ट्यूबवेल्स

165. **श्री भीमसेन** (लूनकरणसर) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बीकानेर जिले में कुल कितने ट्यूबवेल्स एवं जल-प्रदाय योजनाएं कहां-कहां काम कर रही हैं तथा कहां-कहां जलप्रदाय योजनाएं कितनी-कितनी लागत से अब तक स्वीकृत की जा चुकी हैं ?

(2) स्वीकृत योजनाओं का कार्य कब तक प्रारम्भ होगा तथा कितने अर्से में सम्पूर्ण होगा ?

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

उत्तर

(1) बीकानेर जिले में कार्य कर रहे नलकूपों व जल योजनाओं की सूची जिनको विभाग चला रहा है, सलंग्न है। जहां-जहां की जलप्रदाय योजनायें स्वीकृत हुई हैं उनकी सूची मय अनुमानित लागत के सलंग्न है।

(2) स्वीकृत जल योजनाओं पर कार्य शुरू किया जा चुका है तथा समाप्त होने के संबंध में विवरण संलग्न तालिका में दर्शाया गया है।

कमजोर वर्ग की आर्थिक हालत में सुधार की योजना

166. **श्री भीमसेन** (लूनकरणसर) : क्या आयोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य की आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग की आर्थिक हालत में सुधार हेतु सरकार क्या-क्या योजनाएं एवं नीतियों में परिवर्तन कर रही है ?

उत्तर

सरकार द्वारा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों की हालत सुधारने हेतु सतत् प्रयत्न किये जाते रहे हैं। समाज में आर्थिक

(आयोजना मंत्री)

विषमताओं को दूर करने के और भी प्रभावशाली उपाय किये जा रहे हैं। समाजवादी समाज की स्थापना का लक्ष्य रखते हुए पहिले तो भूमि की अधिकतम सीमा निश्चित कर दी गई और अब शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा भी निर्धारित की जा रही है। जोत की अधिकतम सीमा को और भी घटाया जा रहा है तथा अधिकतम सीमा 30 स्टेन्डर्ड एकड़ से घटा कर 18 स्टेन्डर्ड एकड़ करने का निश्चय किया है। इससे अधिक भूमि अधिग्रहण की जाकर कमजोर वर्गों को आवंटित की जा सकेगी। सरकारी नीतियों का मुख्य उद्देश्य सम्पत्ति का कुछ हाथों में जमा होने से रोकना तथा जनता के आर्थिक स्तर में व्याप्त असमानता एवं विषमताओं को जल्दी से जल्दी दूर करना है। साथ ही समाज के कमजोर वर्गों के लिये अलग से भी कुछ कार्यक्रम हाथ में लिये जा चुके हैं जिनका विस्तृत विवरण नीचे दिया जा रहा है:—

(1) समाज कल्याण विभाग द्वारा राज्य योजना अन्तर्गत, योजना–भिन्न एवं केन्द्र प्रवर्तित परियोजनाओं के अन्तर्गत पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिये विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिनके अन्तर्गत इस समुदाय के लोगों को लघु सिंचाई, कुटीर उद्योग एवं गृह निर्माण के लिये वित्त व्यवस्था तथा इस समुदाय के व्यक्तियों द्वारा गत वर्ष से लिये गए ऋण पर व्याज की सरकार द्वारा भरपाई आदि मुख्य हैं।

(2) ग्रामीण रोजगार का क्रेश प्रोग्राम: – ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने के उद्देश्य से एक क्रेश प्रोग्राम भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ किया गया है जिसके अन्तर्गत राज्य के प्रत्येक जिले में 1000 व्यक्तियों को 10 माह के लिये रोजगार प्रदान किये जाने का कार्यक्रम है। इससे समाज के कमजोर तबकों के लिये रोजगार की व्यस्था हो रही है।

(3) स्मॉल फारमर्स डेवलपमेन्ट एजेन्सी तथा मार्जिनल फारमर्स एवं लैन्डलेस लेबरर्स एजेन्सी।

राज्य के छोटे कृषकों एवं भूमिहीन श्रमिकों के आर्थिक विकास के लिये राज्य के पांच जिलों भरतपुर, उदयपुर, अलवर, भीलवाड़ा व अजमेर में ये एजेन्सियां कायम की गई हैं जिनके अन्तर्गत इन जिलों में स्थित छोटे किसानों व भूमिहीन श्रमिकों को जिनके पास स्वयं के वित्तीय साधन अपर्याप्त हैं, खेती-पशुपालन, डेयरी, कुटीर उद्योग आदि के लिये वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

इन कार्यक्रमों के विस्तार के सतत् प्रयत्न किये जा रहे हैं तथा राज्य की पांचवी पंचवर्षीय योजना बनाते समय कमजोर वर्ग के कल्याण के लिये विशेष ध्यान रखा जाएगा।

निजी शिक्षण संस्थाओं को सहायता

167. **श्री जनार्दनसिंह गहलोत** (गांधी नगर, जयपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य की कितनी निजी शिक्षण संस्थाओं को 1971-72 में सहायता दी गई?

(2) राज्य के किस जिले की निजी शिक्षण संस्थाओं को अधिकतम राशि दी

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)
गई और किस जिले की निजी शिक्षण संस्थाओं को सबसे कम राशि अनुदान में दी गई ?

(3) जयपुर की शिक्षण संस्थाओं को कुल कितनी राशि 1971-72 में दी ?

उत्तर

(1) सत्र 1971-72 में जिन निजी शिक्षण संस्थाओं को सहायता अनुदान दिया गया उनकी संख्या इस प्रकार है: —

1. कॉलेज शिक्षा अन्तर्गत	27
2. प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत	185
3. संस्कृत शिक्षा अन्तर्गत	55

(2)

	अधिकतम राशि (जिला)	सबसे कम राशि (जिला)
1. कालेज शिक्षा	अजमेर	जयपुर
2. प्रथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा	जयपुर	नागौर
3. संस्कृत शिक्षा	जयपुर	झालावाड़

(3)

1. कॉलेज शिक्षा	रु. 10,73,503
2. प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा	रु० 21,94,000
3. संस्कृत शिक्षा	रु० 2,71,060

टैक्नीकल शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के छात्र

168. **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य की टैक्नीकल शिक्षण संस्थाओं में कुल कितने छात्रों ने सन् 1971-72 में प्रवेश लिया ?

(2) इनमें अनुसूचित व अनुसूचित जन-जाति के कितने-कितने छात्र हैं ?

(3) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के लिये जो सुरक्षित स्थान रखे गए हैं क्या वे पूरे भरे या नहीं ?

(4) यदि नहीं तो सरकार इस बाबत क्या कदम उठाना चाहती है ?

उत्तर

(1) 689 ।

(2) 36 ।

(3) जी नहीं। जितने अभ्यार्थियों ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये उनको प्रवेश दे दिया गया।

(4) सुरक्षित स्थान है। प्रार्थना-पत्र जितने आते हैं उन पर विचार कर भर्ती कर लिया जाता है।

लघु उद्योगों के लाइसेन्स

169. **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में कितने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के लोगों को लघु

(श्री मूलचन्द सामरिया)
उद्योगों के लाइसेंस सन् 1971-72 में दिए गए ?

(2) इससे कितने लोगों को रोजगार मिलेगा ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा कोई लाइसेंस उद्योगों को नहीं दिये जाते हैं। यह कार्य केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। लघु उद्योगों का पंजीकरण उद्योग विभाग द्वारा किया जाता है तथा मध्यम वर्ग के उद्योगों को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाता है। इन उद्योगों से सम्बन्धित अभिलेखों में अनुसूचित जाति/जन-जाति का विवरण न होने के कारण यह सूचना नहीं दी जा सकती है कि ऐसे कितने व्यक्तियों के उद्योगों का पंजीकरण किया गया है।

(2) बिना क्षेत्रीय सर्वेक्षण कराये यह सूचना देना सम्भव नहीं है।

जयपुर में नियुक्त आर. ए. एस. अधिकारी

170. **श्री केदारनाथ** (श्री गंगानगर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयपुर जिले में आर. ए. एस. अधिकारियों के कुल कितने पद हैं ?

(2) वर्ष 1960 से और सन् 1965 से जो आर. ए. एस. अधिकारी जयपुर में ही हैं अथवा जिनका हैड क्वार्टर जयपुर ही है- कितने हैं और वे किस पद पर कार्य कर रहे हैं ? उनके नाम और नियुक्ति की तिथि सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर जिले में आर. ए. एस. अधिकारियों के कुल 110 पद हैं।

(2) वांछित सूचना तालिका के (अ) तथा (ब) भागों में अंकित है जो संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

भारत-पाक युद्ध से सीमावर्ती क्षेत्र में हानि

171. **श्री केदारनाथ** (गंगानगर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गत वर्ष के भारत-पाक युद्ध में सीमावर्ती क्षेत्रों में कितनी हानि कहां हुई ? जिलेवार सूची सदन की पटल पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार ने उक्त नुक्सान का क्लेम केन्द्रीय सरकार से किया है ? यदि हां, तो कितनी क्षतिपूर्ति नुकसान होने का क्लेम स्वीकार किया गया तथा राज्य सरकार ने उसका कितना मुआवजा चुकाया ?

(3) यदि कोई मुआवजा चुकाया गया तो उसकी जिलेवार सूची सदन के पटल पर रखें।

(स्थगित किया गया)

पुलिस विभाग में अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के व्यक्ति

172. **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पुलिस विभाग में श्रेणीवार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के व्यक्ति जिलेवार कितने-कितने हैं ?

(श्री मूलचन्द सामरिया)

(2) कितने पुलिस वालों को 1967 से 1972 तक बीमारी के कारण कम्पलसरी रिटायरमेन्ट दिया गया ?

(स्थगित किया गया)

झालावाड़ जिले में ट्रैक्टरों का वितरण

173. श्री **रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) झालावाड़ जिले में सन् 1969, 1970 व 1971 में राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम ने कितने ट्रैक्टर वितरित किये ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। उपरोक्त वर्गों में कहां कहां के किन-किन व्यक्तियों को कितने हार्सपावर के किस किस किस्म के ट्रैक्टर दिये ?

(2) क्या उपरोक्त व्यक्तियों को ट्रैक्टर किन्हीं संस्थाओं की सिफारिश पर दिये गये थे ? यदि हां, तो किस किस की सिफारिश पर ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) सूची संलग्न कर सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

आर्थिक उत्थान के लिए योजना

174. श्री **भीमसेन** (लूनकरणसर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य के भूमिहीनों, खेतीहर मजदूरों, मार्जिनल एण्ड स्माल फार्मर्स के आर्थिक उत्थान के लिए कहां-कहां क्या-क्या योजनाएं शुरू की जा चुकी हैं तथा प्रत्येक योजना पर कितना-कितना सालाना खर्चा हो रहा है ?

(2) आर्थिक दृष्टि से कमजोर ग्रामीण क्षेत्र के कारीगरों को रोजगार देने अथवा उन्हें अपना गुजारा करने के लिए उनके धंधे के लिये आर्थिक सहयोग की कोई योजना है या नहीं ?

उत्तर

(1) राज्य के भूमिहीनों, खेतीहर मजदूरों के आर्थिक उत्थान के लिए लघु कृषक विकास योजना अलवर, भरतपुर, उदयपुर तथा सीमान्त कृषक एवं कृषि श्रमिक विकास योजना अजमेर व भीलवाड़ा में केन्द्रीय सरकार की सहायता से प्रारम्भ की गयी हैं। ये योजनाएं तीन वर्ष (1971-72, 72-73, 73-74) के लिए प्रारम्भ की गयी हैं। लघु कृषक विकास योजना के लिये डेढ़ करोड़ रुपये व सीमान्त कृषक एवं कृषि श्रमिक विकास योजना के लिये एक करोड़ रुपये का प्रत्येक के लिए प्रावधान है। बजट वर्ष 1971-72 में इन योजनाओं द्वारा निम्न प्रावधान रखे गये:-

<u>लघु कृषक विकास योजना</u>

अलवर	33.241	लाख रुपये
उदयपुर	34. 21	"
भरतपुर	40. 00	"

(कृषि मन्त्री)

सीमान्त कृषक एवं कृषि श्रमिक विकास योजना

अजमेर	26.95 लाख रुपये
भीलवाड़ा	24.74 लाख रुपये

(2) आर्थिक दृष्टि से कमजोर ग्रामीण क्षेत्र के कारीगरों को लाभप्रद रोजगार दिलाने के लिए आर्थिक सहयोग का विस्तृत कार्यक्रम अजमेर एवं भीलवाड़ा में स्वीकृत सीमान्त कृषक व कृषि श्रमिक विकास योजना में रखा गया है। तदनुसार हाथ कर्घा, चमड़ा धुलाई व रंगाई, खातीगिरो, लकड़ी के खिलौने, लौहारी, जनरल इन्जीनियरिंग, साबुन बनाने आदि विभिन्न ग्रामीण उद्योगों के लिये माल व सहायता उपलब्ध कराने एवं इन उद्योगों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण आदि देने का कार्यक्रम रखा गया है। साथ ही ग्रामीण कारीगरों को ट्रैक्टर की मरम्मत करने, मशीन मैकेनिक, फिटर, टरनर आदि के कार्यों का प्रशिक्षण देने का प्रावधान भी है। प्रशिक्षणार्थियों को उपयुक्त प्रशिक्षण भत्ता भी दिया जाता है।

ग्रामीण कारीगरों की सहायता के लिए लघु कृषक विकास योजनाओं को भी 5 लाख रुपये की राशि प्रत्येक योजना में रखी गई है।

गंगानगर की जनगणना और बिना मकान झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाले परिवार

175. श्री **केदारनाथ** (गंगानगर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गंगानगर शहर में सन् 1971 की जनगणना के अनुसार कितने परिवार बिना मकान के रहते हैं और कितने परिवार झुग्गी-झोंपड़ी में रहते हैं ?

(2) राज्य सरकार ने उनको समुचित तरीके से बसाने के लिये क्या प्रबन्ध किया ?

उत्तर

(1) जनगणना विभाग द्वारा अभी तक रिपोर्ट जारी नहीं करने से सन् 1971 की जनगणना के अनुसार सूचना उपलब्ध नहीं है। फिर भी नगर परिषद् की सूचनानुसार दिनांक 28-2-71 को बे घरबार स्त्रियों व पुरुषों की संख्या 221 थी।

झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वाले परिवारों की अनुमानिक संख्या 4000 बतलाई गई है।

(2) नगरपरिषद् के प्रस्तावानुसार भूमि अवाप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

फागी तहलसी में राहत कार्य

176. श्री **जयकिशनलाल तोसावड़ा** (फागी) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि फागी तहसील के काफी गांव इस वर्ष अधिक वर्षा के कारण बाढ़ग्रस्त हैं ? अगर हां, तो इन गांवों को सरकार द्वारा क्या क्या सुविधायें प्रदान की गई हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अतिवृष्टि के कारण काफी परिवार बेघर हुए हैं ? यदि हां, तो कितने परिवार बेघर हुए हैं और सरकार द्वारा क्या स्थाई सहायता कितने परिवारों को दी गई ? और किस किस को किन कारणों से नहीं दी गई ?

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)

(3) बाढ़ग्रस्त गांवों में व अतिवृष्टि से पीड़ित गांवों में लोगों को रोजगार देने व विकास का कार्य करने के दृष्टिकोण से क्या कोई ठोस योजना सरकार ने बनाई है? यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसी योजना बनाने का विचार रखती है?

(4) अतिवृष्टि व बाढ़ के कारण फागी तहसील में कितने बांध टूटे और उनके लिए सरकार क्या कर रही है? क्या सरकार उन बांधों का कार्य इसी चालू सत्र में पूर्ण कर देगी? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां, वर्ष 1971-72 में फागी तहसील के 106 गांव अधिक वर्षा व बाढ़ के कारण ग्रस्त हुए थे। इन बाढ़ग्रस्त गांवों के पीड़ित परिवारों को सरकार की ओर से मुफ्त भोजन, नकद सहायता राशि व टीन शीट्स सहायता के रूप में वितरित किये गये थे। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा 1,90,000 रु० का ऋण कृषकों को वितरण किया गया है जिससे वे अपने कुए, मकानात व भूमि जो क्षतिग्रस्त हुई उसे ठीक कर सकें।

(2) अतिवृष्टि एवं बाढ़ के कारण जो परिवार बेघरबार हो गये थे उनको नियमानुसार अधिकतम सहायता 300) रु० नकद या टीन शीट्स दी गई है। यह सहायता उन्हीं प्रभावित परिवारों को दी गई जिनके पास किसी प्रकार की खाने-पीने की या रहने की व्यवस्था नहीं थी। 563 परिवारों को राशन, 1994 परिवारों को नकद सहायता एवं 272 परिवारों को जी० सी० शीट्स के रूप में सहायता दी गई।

(3) बाढ़ग्रस्त गांवों में अतिवृष्टि के कारण रबी की फसलें ठीक होने के कारण कोई रोजगार देने की योजना नहीं बनाई गई है।

(4) अतिवृष्टि एवं बाढ़ के कारण सिंचाई विभाग के 17 तालाब, पंचायत समिति के 35 तालाब व गांवाई तालाब 76 टूटे। सिंचाई विभाग के तालाबों की मरम्मत के लिये सिंचाई विभाग को आवश्यक प्रावधान दे दिया गया है एवं पंचायत समितियों के तालाबों के लिये प्रावधान की व्यवस्था की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था!

श्री गुमानमल लोढ़ा : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था के पहले मैं प्रार्थना करूंगा कि मैंने एक विशेषाधिकार प्रस्ताव आपके सम्मुख प्रस्तुत किया था....

श्री अध्यक्ष : इसके पश्चात्।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

(1) श्री सुरेन्द्र प्रसाद, सदस्य विधान सभा ने उदयपुर विश्वविद्यालय में चल रही परीक्षाओं में लगातार कोर्स से बाहर पर्चा आने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(2) सर्वश्री भानुकुमार शास्त्री, मनोहरलाल और गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य विधान सभा ने दिनांक 5 मई, 1972

Page No 37

(श्री अध्यक्ष)

को उदयपुर में सीकर क्लब के पास रात्रि के 11 बजे श्री साधुराम सूद की हत्या करने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(3) श्री झांवरमल सूंडा, सदस्य विधान सभा ने डूंगरगढ़ पंचायत समिति, जिला चूरू के विकास अधिकारी द्वारा दिनांक 5 मई, 1972 से 81 मजदूरों को काम से हटा देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

सर्वश्री मूलचन्द सामरिया, मीठालाल मीणा और सुरेशचन्द्र शर्मा, सदस्य विधान सभा ने दिनांक 9 मई, 1972 को स्थगन प्रस्ताव की की, सूचना दी थी जिसमें कहा गया था कि जयपुर नगर परिषद् द्वारा प्रत्येक कृषक से दस पैसे प्रति क्विंटल की दर से अनाज पर चुंगी वसूल की जा रही है। यह प्रश्न राज्य सरकार की कर सम्बन्धी नीति का प्रश्न है, अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूँ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री खेतसिंह : मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय....

श्री गुमानमल लोढ़ा : मेरा विशेषाधिकार का प्रस्ताव है....

कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे।

(अश्रव्य)

श्री सुरेन्द्र व्यास : मेरा एडजोर्नमेंट मोशन था।

श्री मूलचन्द सामरिया : मेरा स्थगन प्रस्ताव जयपुर सिटी के बारे में था....

(व्यवधान-अश्रव्य)

(श्री सुरेन्द्र व्यास और श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा खड़े-खड़े एक साथ बोलते रहे) विचार करने लगे।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब तक ये तय करें मैं अर्ज कर देता हूं। मैंने एक एडजोर्नमेन्ट' मोशन दिया मेडिकल कॉलेज में के एक डॉक्टर द्वारा आत्म हत्या बेरोजगारी के कारण करने से सम्बन्धित एक नौजवान डाक्टर ने रोजगार नहीं मिलने के कारण आत्महत्या कर ली है और आज सुबह ही उसकी लाश बरामद हुई है। आत्महत्या करने से पूर्व उसने एक पत्र लिखा है कि मैं बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर रहा हूं, मैं अपने माता-पिता को भूखा नहीं मार सकता और मुझे रोजगार मिलता नहीं है इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। पुलिस द्वारा उस पत्र को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है उस पत्र को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिये मैं मांग करता हूँ कि इस बेरोजगारी की समस्या को ध्यान में रखते हुए एक डॉक्टर आत्महत्या करे, राजस्थान की राजधानी जयपुर में आत्महत्या हो, यह एक अत्यन्त लोक महत्त्व का प्रश्न है इसलिए मैं मांग करता हूँ कि आज की

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

सदन की कार्यवाही को स्थगित कर, सारे काम को रोक कर इस प्रश्न पर विचार करें कि बेरोजगारी के कारण आज हमारे नवयुवक पढ़े-लिखे लोग, डॉक्टर लोग इस प्रकार से मरें, आत्महत्या करें और उसके बाद में पुलिस उनके पत्र को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास करे। इसके अन्दर लॉ एण्ड ऑर्डर का सवाल भी सामने आता है। इसलिए मैं हरिदेवजी जोशी से निवेदन करूंगा कि वे इस स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री हैं वे इस पत्र को अपने कब्जे में करें, ताकि यह पत्र सदन की सम्पत्ति हो, सारे सदस्य उसको देख सकें और उस पर विचार कर सकें।

श्री अध्यक्ष : यह आपका प्रस्ताव 10-50 पर मिला है, मैंने इस पर निर्णय सुरक्षित रखा है, नैक्स्ट वर्किंग डे पर इस पर अपनी रूलिंग दूंगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप इस पत्र के बारे में पहले विचार करें, प्रस्ताव के बारे में भले ही आप बाद में विचार करें लेकिन इस पत्र के बारे में पहले व्यवस्था करावें क्योंकि पुलिस उस पत्र को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास कर रही है। एक डाक्टर ने बेरोजगारी के कारण आत्महत्या की है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर वह पत्र खुर्द-बुर्द हो गया तो सदन के माननीय सदस्य उस पर विचार करने से वंचित रह जायेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : उदयपुर विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है। परसों यहां पर स्टेट होम मिनिस्टर ने स्टेटमेन्ट दिया, लॉ एण्ड ऑर्डर की सिचुएशन पर स्टेटमेन्ट दिया और लाठी चार्ज के सम्बन्ध में सदन को अवगत कराया। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जो मूल प्रश्न इसमें है कि लगातार पाठ्यक्रम से बाहर के पर्चे आ रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : गवर्नमेन्ट से जानकारी चाही है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : जानकारी की बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : क्या जानकारी नहीं चाही जावे ? क्या कहना है आपका ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : रिजैक्ट तो किया नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह स्थगन प्रस्ताव जो मैंने रखा है।

श्री अध्यक्ष : मैंने उसे रिजैक्ट तो किया नहीं है जानकारी चाही है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : प्रश्न इसमें यह रह गया....

श्री भानुकुमार शास्त्री : लाठी चार्ज के बाद भी जिस प्रकार के प्रश्न-पत्र आ रहे हैं उनके बारे में माननीय सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव दिया है

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री सुरेन्द्र व्यास : होम मिनिस्टर के स्टेटमेन्ट के बाद भी जो प्रश्न-पत्र आ रहे हैं वे पाठ्यक्रम के बाहर से आ रहे हैं। कल ही राजस्थान पत्रिका में यह समाचार प्रकाशित हुआ है। अगर इस प्रकार से

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

पाठ्यक्रम से बहार के पर्चे आते हैं तो परीक्षा का महत्त्व क्या रह जाता है।

श्री अध्यक्ष : मैंने कहा ना आपको कि मैंने इसको अस्वीकार तो किया नहीं है। जानकारी चाही है। इसके उपरान्त भी आप कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : उसमें प्रश्न यह है कि शिक्षा मंत्रीजी बीच में नहीं आये। यह उस प्रश्न के दूसरे पहलू थे।

श्री अध्यक्ष : जानकारी चाही है मैंने, अभी रिजैक्ट तो किया नहीं है। जवाब आने के बाद ही कुछ कहने की स्टेज हो सकती है। ....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : शिक्षा मन्त्रीजी से कहिये....

श्री सुरेन्द्र व्यास : इस प्रस्ताव पर स्टेटमेन्ट तो करवायें....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की मंशा यह है कि आप स्टेटमेन्ट देने के लिए कहें।

श्री अध्यक्ष : मुझे जानकारी करने का मौका तो देंगे आप ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप कहिये स्टेटमेन्ट के लिये।

श्री खेतसिंह : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कल सदन के अन्दर....

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैंने कल विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रस्तुत किया था....

श्री अध्यक्ष : मुझे आज ही प्राप्त हुआ है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैंने कल प्रेषित कर दिया था। उपाध्यक्ष महोदय विराज रहे थे, उस समय।

अध्यक्ष श्री: मेरे पास आज आया है।

विशेषाधिकार प्रस्ताव

राजस्थान विधान सभा सदस्य श्री मनोहरलाल के साथ पुलिस अधिकारी का दुर्व्यवहार

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि इस सदन के एक माननीय सदस्य श्री मनोहरलाल गुप्ता जब कल सदन का कार्य करते हुए यहां पर बाहर जो श्रमिक मजदूरों का जुलूस आया था अपनी मांग रखने के लिये आये थे, उनके सामने गये थे तो उनके साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार किया गया। उस डी. वाई. एस. पी. ने इस सदन के एक माननीय सदस्य का अपमान किया है और उनके साथ में धक्का-मुक्का करके उनके साथ मारपीट की। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के सदस्य अपना कार्य करने के लिए, अपना कर्त्तव्य पालन करने के लिये कहीं पर जायें और उसमें पुलिस के द्वारा हस्तक्षेप किया जाय। पुलिस लाठी, गोली की सरकार की पुलिस उन पर हमला करे....

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन करूंगा आप सुन लीजिये मुझे। यह जो आपने प्रिविलेज मोशन दिया है, वह अण्डर कंसीडरेशन है। उसमें कन्सेन्ट दी जाय या नहीं दी जाय उसका निर्णय नेक्स्ट वर्किंग डे को सुना दिया जायगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह प्रश्न सदन की गरिमा का है। सदन की सीमा के अन्दर....

श्री अध्यक्ष : मैंने आपसे अर्ज किया कि यह अन्डर कंसीडरेशन है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं आपसे निवेदन करूंगा अध्यक्ष महोदय, कि आज ही डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस को अरेस्ट करके सदन में पेश किया जाये। लोक सभा का भी इसी प्रकार का प्रीसिडेंट है कि सदन के माननीय सदस्य के साथ इस प्रकार दुर्व्यवहार करने पर उसको सदन के सामने लाकर खड़ा किया गया और उसको सजा दी गई। मेरा प्रस्ताव है कि यह लॉ एण्ड ऑर्डर का प्रश्न...। आज यह इधर के सदस्य के साथ हुआ है कल उधर के सदस्यों के साथ भी हो सकता है। इसके बारे में श्री मनोहरलालजी ने भी आपका ध्यान आकर्षित किया था और मुख्य मन्त्रीजी ने उस समय यह कह दिया केवल कि इसकी जांच करा ली जायगी। जांच कराने से क्या होता है। यह सदन के अधिकारों का प्रश्न है सदन की गरिमा का प्रश्न है। इसलिये मेरा प्रस्ताव है कि उनको आज ही सदन के सामने गिरफ्तार करके बुलाया जाय और यहां पर माननीय सदस्य के साथ मारपीट करने के लिए, सदन की गरिमा को प्रतिष्ठापित करने के लिए, माननीय सदस्यों में विश्वास पैदा करने के लिये, वे अपना कर्त्तव्य निर्भयतापूर्वक निभा सकें, चाहे वह मजदूरों का मामला हो, चाहे कर्मचारियों का मसला हो, चाहे चपरासियों का मामला हो, वे अपना भली प्रकार काम कर सकें, इसके लिए उनको गिरफ्तार करके आज ही बुलाया जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय सदस्यों को अपना कर्त्तव्य पूरा करने के लिए पुलिस के अधिकारी लाठी गोली से उनको नहीं रोक सकते। इसलिये सदन की गरिमा को बनाये रखने के लिए और आसन की गरिमा को बनाये रखने के लिए मेरा प्रस्ताव है कि उस जुर्म करने वाले अधिकारी को बुलाया जाय और आज ही सजा दी जाय और माननीय सदस्य के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है....

श्री श्रीराम गोटे वाला : माननीय सदस्य उस समय वहां खड़े होकर भाषण दे रहे थे, उनके साथ मारपीट की कोई घटना नहीं हुई। मैं भी वहां था।

(श्री अध्यक्ष बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री गुमानमल लोढ़ा : आज ही उसको यहां बुलाया जाय....

श्री अध्यक्ष : मैं खड़ा हूं तब तो तशरीफ रखिये।

मैं निवेदन कर रहा था कि आपने जो प्रिविलेज मोशन दिया है उसमें यह डिसाइड करना है कि Whether it is in order and whether consent is to be given or not.

इस पर नेक्स्ट वर्किंग डे पर निर्णय दे दूंगा।

अशासकीय संकल्प

राजस्थान विधान सभा सदस्य श्री मनोहरलाल (कामा) का अभद्र व्यवहार के कारण निलम्बन

श्री खेतसिंह (मुख्य सचेतक कांग्रेस) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि कल सदन के अन्दर जिन माननीय

(श्री खेत सिंह)

सदस्य के लिए अभी जनसंघ के नेता कह रहे थे, कामां से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस प्रकार का व्यवहार यहां पर सदन के अन्दर किया उनका व्यवहार कतई नियमानुसार नहीं था और जिस प्रकार व्यवहार करके यहां पर सदन की मर्यादा को भंग किया और टेवल पर खड़े होकर जिस प्रकार से उन्होंने चुनौतियां दी उसके लिए मैं एक प्रस्ताव आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। वह प्रस्ताव इस प्रकार है:—

"कल दिनांक 11 मई, 72 को गंगानगर के श्रमिकों के सम्बन्ध में चर्चा के समय इस सदन के माननीय सदस्य श्री मनोहरलाल ने जो अभद्र एवं उच्छृंखल व्यवहार किया और मेज पर खड़े होकर अन्य सदस्यों को चुनौती दी तथा माननीय अध्यक्ष के आदेशों की निरन्तर उपेक्षा करते हुए इसी प्रकार खड़े रहे जिससे सदन की मर्यादा भंग हुई है।

अतः श्री मनोहरलाल को इस अशोभनीय एवं अवांछनीय व्यवहार के लिये तीन दिन के लिए सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय।"

श्री निरन्जननाथ आचार्य (मावली): अध्यक्ष महोदय, निश्चय ही...

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया (बूंदी): मैं इसका समर्थन करता हूं स्पीकर साहब का। (हंसी) सचेतक साहब का।

श्री निरन्जननाथ आचार्य: जो कुछ कल हुआ वह सदन की गरिमा और परम्परा के प्रतिकूल हुआ कहा जा सकता है। लेकिन मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि विगत 20 सालों में इस सदन ने जहां परम्पराओं को सुदृढ़ किया है, शासन के प्रति अपने विश्वास और निष्ठा को जहां प्रकट किया है, वहां कई ऐसी घटनाएं भी इस सदन के प्रांगण पर हुई हैं जिन पर सदन ने बराबर क्षोभ प्रकट किया है, जो कल घटनाएं हुई, उस घटना के संबंध में हम अपने अतीत को देखें और फिर निर्णय लेवें अतीत की घटनाओं में कई घटनाएं तो ऐसी हैं जो इससे अधिक विकृत कही जा सकती हैं। ऐसी घटनाओं पर भी कभी-कभी माननीय नेता महोदय द्वारा ऐसे विशेषाधिकार के प्रश्न उठाये जाते रहे, लेकिन एक परम्परा इस सदन की जो बहुत ही ऊंची है वह उदारता की है, सहृदयता, क्षमाशीलता की रही है। उस परम्परा के आधार पर इस सदन ने ऐसी विकृत दुर्घटनाओं पर क्षोभ किया और क्षोभ प्रकट करने के उपरान्त उदारता के आधार पर क्षमा भी दी।

इस संदर्भ में कहना चाहूंगा कि जो मुख्य सचेतक महोदय ने प्रस्ताव रखा है निष्कासन का वह इस सदन के अतीत के इतिहास के संदर्भ में रखा जाना तो सामयिक हो, लेकिन वापस, विथड्रा भी किया जाता रहा। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि परम्परा को कायम रखने के लिए, सुदृढ़ रखने के लिए, सम्मान और प्रतिष्ठा इस सदन की रखने के लिए माननीय सदस्य जिन्होंने यह व्यवहार किया है उनसे नम्रता से निवेदन करना चाहूंगा कि वह यदि इस पर क्षोभ प्रकट कर दें, खेद प्रकट कर दें, तो माननीय मुख्य सचेतक महोदय इस सदन के विगत अतीत को, उदारता और परम्पराओं को देखते हुए मेरे खयाल से उसको प्रेस नहीं करेंगे।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसके बारे में यह कहना चाहूँगा कि कल जो सदन में इस प्रकार की घटना घटी तो सदस्य नये हैं और कुछ बाहर से वास्तव में उत्तेजित होकर उन्होंने यह किया तो मुझे बड़ा खेद है। मैं यह चाहता हूँ कि हमारी पार्टी की इस आसन के प्रति और इस जनतन्त्र प्रणाली के अन्दर उसकी निष्ठा है, वह उसमें विश्वास करती है। हम हमेशा यह चाहते हैं कि सदन की गरिमा बने, लेकिन मैं एक बात अवश्य कहना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष महोदय को कि उनका उत्तरदायित्व सारे सदन के सदस्यों पर तो है ही लेकिन उसके साथ-साथ जो सत्तारूढ़ पक्ष के जो सचेतक हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि उन पर विशेष दायित्व है वह भी मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लें। सदन को सुचारुरूप से चलाने के लिए अपने दल के सदस्यों को इस प्रकार से नियन्त्रण में रखें कि इस प्रकार की बातें न करें कि जिससे दूसरे उत्तेजित हों। वह यह प्रार्थना स्वीकार कर लें। लेकिन मैं अपने दल की ओर से और वे सदस्य उपस्थित नहीं हैं उनकी ओर से खेद प्रकट करता हूँ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : अध्यक्ष महोदय, कल जिस प्रकार का व्यवहार कामां से आने वाले माननीय सदस्य ने किया वह इस सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है। वह व्यवहार काफी बचकाना था, लेकिन उसके साथ जो प्रस्ताव माननीय मुख्य सचेतक महोदय ने रखा वह काफी कठोर है, लेकिन अगर माननीय सदस्य जो कामां से आते हैं वह अपनी गलती को महसूस करते हैं और सदन से क्षमा मांग लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि सदन की गरिमा रहेगी, लेकिन उससे अधिक प्रस्ताव होना भी नहीं चाहिए।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : अध्यक्ष महोदय, अभी-अभी भूतपूर्व अध्यक्ष महोदय ने जो बात सदन के सामने रखी यह बात ठीक है। पिछले 5 सालों में इस सदन की गरिमा को रखने के लिए, उसकी प्रतिष्ठा को रखने के लिए मैंने भी अपने आदमियों से बहुत कहा, मेरी पार्टी के आदमियों की ओर से भी बड़ी गलतियां होती थीं और मैं उनसे कहता रहता था....

श्री निरञ्जननाथ आचार्य : फिर भी वैकल में नहीं आते थे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जब कभी ऐसी बात हुई और माननीय सदस्य जिन्होने गड़बड़ की है उनसे सदन से क्षमा प्रार्थना करवाई। इसलिए माननीय सदस्य जिन्होंने गड़बड़ की है उनसे अगर पार्टी के लीडर चाहते तो विथड्रा करवा लेते। पार्टी के लीडर ने क्षमा मांगी। सदन की प्रतिष्ठा भंग हुई तो उसका दरगुजर नहीं कर सकते। मैं चाहता हूँ कि उनको बुला लिया जाय। अगर नहीं हों तो अन्य समय के लिए इस प्रस्ताव को रख लें। अगर वह खुद क्षमा मांग लें तो इस प्रश्न को यहां पर ही ड्राप कर दें।

श्री मीठालाल (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, कल सदन में जो कुछ हुआ है वह वास्तव में इस पवित्र मंदिर की गरिमा के विपरीत था, और जैसे ही मैंने देखा तो मुझे ज्यादा दुःख हुआ इस मामले में, लेकिन यह नये सदस्य हैं और उनको सदन की कार्यवाही के बारे में पूरा ज्ञान नहीं होना स्वाभाविक है। इसलिए मैं कांग्रेस के

(श्री मीठा लाल)
माननीय सचेतक महोदय से निवेदन करूंगा कि जो प्रस्ताव उन्होंने रखा है वह काफी कठोर है, और उसमें इतना ही मैं इसके लिए उपयुक्त समझता हूं कि माननीय सदस्य खेद प्रकट कर दें, और साथ में माननीय सचेतक से निवेदन करूंगा कि वे अपने सदस्यों पर भी कुछ नियन्त्रण रखें, खास तौर से भारतीया जैसे माननीय सदस्यों के लिए कुछ नियन्त्रण रखना जरूरी है। कई बार वे ऐसे बेमतलब खड़े हो जाते हैं कि दूसरे को आवेश आ जाता है और आवेश में आकर ऐसी बात कर बैठते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि वह नियन्त्रण रखें। माननीय सदस्य का खेद प्रकट करना पर्याप्त होगा।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया : माननीय अध्यक्ष, मुझे भी दो मिनिट दिये जायं।

श्री अध्यक्ष : यह तो वही बात हो जायगी। मैं अपना निर्णय दे दूंगा।

श्री भानुकुमार शास्त्री : माननीय अध्यक्ष, आप निर्णय ले लें तो ठीक होगा। उसके बाद में जो बोलना चाहे बोलें।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया : एक निवेदन....

श्री अध्यक्ष : उसको दूसरे दिन पर रख रहा हूं।

माननीय सदस्यों ने जो अभी विचार व्यक्त किये हैं उनमें मुख्य रूप से यह बात कहना चाहते हैं कि माननीय मनोहरलालजी ने जो कुछ किया है वह निश्चय ही अभद्र व्यवहार है और इस सदन की प्रतिष्ठा, के अनुकूल नहीं है और अगर वह खेद प्रकट करें तो उस पर विचार किया जाना चाहिए और उसके बाद में निर्णय लिया जाना चाहिए। आज इस प्रकार से श्री मनोहर लालजी हैं नहीं ...

एक माननीय सदस्य (कांग्रेस) : दल के नेता कर लें।

श्री अध्यक्ष : दल के नेता से काम नहीं चलेगा। काम तो जिसका है उसको ही करना पड़ेगा। अगर आ सकते हों तो आज आजायं और कुछ कहना चाहें तो मैं मौका दूंगा। आज नहीं तो उसको परसों रख सकते हैं इस काम को। इस बीच में मुझ से बातचीत कर लें या जो कुछ कहना चाहें या लिखकर देना चाहें दे सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : परसों तो छुट्टी है, सोमवार को रखें।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट वर्किंग डे। जो कुछ लिखकर कहना चाहें या सदन को देना चाहें इसके बाद नैक्स्ट वर्किंग डे, मन्डे को रखें।

श्री केदारनाथ : प्रस्ताव बी केप्ट इन एबेयेन्स।

श्री अध्यक्ष : हां उस वक्त तक के लिए।

अनुदान की मांगों विचार पर

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : माननीय अध्यक्ष 9-5-72 को मैंने एक स्थगन प्रस्ताव रखा था और निवेदन किया था कि जयपुर में 2 रुपया प्रति क्विन्टल अनाज पर चुंगी लगाने का म्युनिसिपैलिटी का प्रस्ताव था। मैं निवेदन करना चाहता

Page No 44

(श्री मूल चन्द सामरिया)
हूं कि इस तरह का म्युनिसिपैलिटी का प्रस्ताव नहीं था और इस तरह का आदेश नहीं था। एक कमेटी नियुक्त हुई थी। उस कमेटी ने कोई निर्णय नहीं लिया और इल-लीगल तरीकेसे उन्होंने वसूली शुरू की। उसके बाद में जांच करने के बाद चैयरमैन ने स्टे आॅर्डर निकाल दिया लेकिन कमिश्नर महोदय ने स्टे आॅर्डर को रद्द कर दिया और दूसरा आॅर्डर निकाल दिया जिससे उस रोज झगड़ा हुआ। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक सरकार इस पर विचार करे और प्रस्ताव आने में एक-दो महीने लग जायं, जब तक आदेश नहीं दिये जायं और स्टे आॅर्डर जो चैयरमैन ने दिया है, उसको बहाल रखा जाय और कमिश्नर साहब ने स्टे को रद्द कर दिया तो उसको रद्द करके वसूली नहीं की जाय, वर्ना काफी झगड़ा बढ़ गया है और काफी असन्तोष हो रहा है क्योंकि लोगों के लोटे, इमरती, बाल्टी और साफे खेंचे जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : अनुदानों की मांगों पर विचार।

अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतीकरण

श्री ओंकारलाल (पंचायत मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6,67,31000 रुपये तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष : मांग मूव हुई। टौतीक प्रस्ताव।

श्री हीरालाल देवपुरा : और रखें ना।

श्री ओंकारलाल (खाद्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं, मांग संख्या 45 मुख्य शीर्षक 124-सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 8,95,68,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखा द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : मांग प्रस्तुत हुई।

मांग संख्या 23 व 45 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 23

श्री मनोहर कोठारी : (नाथद्वारा)

1. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण तथा छोटे कस्बों में विशेषकर नाथद्वारा की पंचायत समिति में आदिवासियों की समस्या पर चर्चा के लिये)।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) :

2. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि

Page No 45

(श्री यशवन्तसिंह हनाहर)

के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सामुदायिक विकास योजनाओं के विस्तार पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 45

1. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी को लागत के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी व्यापार की योजनाओं में विनियोजित पूंजी पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 23

श्रीमती भगवतीदेवी (भिनाय) :

4. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरपंचों एवं प्रधानों द्वारा अपने अधिकारों के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये) ।

5. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37. सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचों एवं सरपंचों के भत्ते में वृद्धि न करने पर चर्चा के लिये) ।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) :

6. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनाओं आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला परिषदों को समृद्ध करने पर चर्चा के लिये) ।

7. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विकास खण्डों के प्रशासन के सुधार हेतु चर्चा के लिये) ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) :

8. मांग संख्या 23 मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सादिकअली कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार पंचायतीराज संस्थाओं को सशक्त बनाने के संबंध में चर्चा के लिये) ।

9. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायतों एवं न्याय पंचायतों के पुनर्गठन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

10. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों से प्राथमिक शिक्षा को वापिस शिक्षा विभाग को स्थानान्तरित किये जाने हेतु चर्चा के लिये) ।

11 मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति, सांचोर में प्राथमिक पाठशालाओं की दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 45

12. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर

Page No 46

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांचोर में अनाज गोदाम के लिए एक बड़ा सरकारी गोदाम निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

13. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 124-सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनाज के सरकारी व्यापार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

14. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 124-सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ऊनी मिलों के विकास के बारे में सरकार की उपेक्षा पर चर्चा के लिये) ।

15. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 124-सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में ऊन व्यापार की योजना के बारे में सरकार की घोर उदासीनता पर चर्चा के लिये) ।

16. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 124-सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषकों द्वारा पैदा किये हुए अनाज की सरकारी व्यापार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

17. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 124-सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विश्व खाद्य कार्यक्रम योजना के कार्यक्रमों को राजस्थान में लागू कराने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये) ।

18. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 124-सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जी० सी० लोहे की चद्दरों का काला बाजार एवं काश्तकारों को जी० सी० शीट नहीं उपलब्ध कराने के बारे में चर्चा के लिये) ।

19. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 124-सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में बीमारियों के नियंत्रण की योजनाओं के बारे में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये) ।

20. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 124-सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकार द्वारा पंपिंग सेट्स खरीदकर छोटे काश्तकारों को दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

21. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 124-सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भीनमाल, सांचोर या जालोर में ऊनी मील की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

22. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 124-सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रानीवाड़ा, भीनमाल एवं सांचोर में दुग्ध वितरण योजनाओं को शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

23. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 124-सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीज, खाद तथा उपकरणों के क्रय तथा वितरण की योजनाओं के बारे में नये दृष्टिकोण अपनाये जाने पर चर्चा के लिये) ।

24. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 124-सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (काश्तकारों से सरकार द्वारा अनाज खरीदने एवं स्टॉक करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 23

श्री राजेन्द्रसिंह (उनियारा) :

25. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रूपया कम कर दिया जाय (क्रेस प्रोग्राम के अन्तर्गत लगाये गये बेरोजगारों द्वारा किये गये कार्यों पर चर्चा के लिये) ।

26. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम पंचायत बनेड़ा, पंचायत समिति उनियारा, जिला टोंक में गबन करने वालों को अभी तक पद से नहीं हटाये जाने पर चर्चा के लिये) ।

27. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायती राज के ढांचे में परिवर्तन किया जाये जिसमें पंचायत समितियों को कम किया जाने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 45

28. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 124-सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोंक जिले में टोंक में चर्म उद्योग राज्य व्यापार के रूप में स्थापित करने हेतु चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 23

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) :

29. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम पंचायतों द्वारा उनके क्षेत्र में स्थापित उद्योगों पर कर लगाए जाने के विषय पर चर्चा करने हेतु) ।

श्री देवीलाल (सराड़ा) :

30. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा में आदिवासी

(श्री देवीलाल सराड़ा)
सामुदायिक विकास खण्ड खुलवाने हेतु चर्चा के लिये)।

31. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सराड़ा पंचायत समिति के अन्तर्गत छोटे तालाब व एनिकट्स के अधूरे कार्यों को पूरे कराने पर चर्चा के लिये)।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) :

32. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 कम कर दिया जाय (पंचायती राज कर्मचारियों के लिये राजस्थान स्टेट एम्पलाइज इन्श्योरेन्स नियम 1953 की स्कीम को जनवरी, 1962 से बंद करने के विषय में चर्चा के लिये)।

श्री चिम्मनसिंह भाटी (भीम) :

33. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सामुदायिक विकास की योजनाओं को भली प्रकार क्रियान्वित न करने पर चर्चा के लिये)।

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) :

34. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत व पंचायत समितियों को दिये जाने वाले अनुदान के बारे में सरकार की उपेक्षावृत्ति पर चर्चा के लिये)।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) :

35. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुंझुनू में क्रेश प्रोग्राम के तहत चालू कार्यो पर चर्चा के लिये)।

36. श्री जेठमल (परबतसर) : मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति, परबतसर व मकराना पंचायत समिति में सार्वजनिक कुओं का निर्माण करना तथा समिति के प्राइमरी स्कूलों के भवन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

37. श्री दीपशंकर (लाडनूं) : मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाओं की असफलता पर चर्चा के लिये)।

38. श्री भेरूलाल (अकलेरा) : मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील अकलेरा के चुरेला सरड़ा, भावता, चन्दीपुर और बनेठ क्षेत्र में विद्युतीकरण कराये जाने में विकास विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

39. श्री केसरीमल (ब्यावर) : मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत मांग

(श्री केसरीमल) ...
में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विकास विभाग सामुदायिक विकास परियोजनाओं पर उचित नियंत्रण रखने में असफल रहा इस पर चर्चा के लिये) ।

40. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37—सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति के अंतर्गत कार्य करने वाले अध्यापकों के दवाइयों के बिलों के भुगतान में देरी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

41. **श्री चेतराम** (टोड़ाभीम) : मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37—सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विकास विभाग द्वारा किये जाने वाले खर्च फिजूलखर्च है इसमें सुधार लाने हेतु चर्चा के लिये) ।

42. **श्री रावतराम** (छापर) : मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37—सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायतों, पंचायत समितियों, न्याय पंचायतों के वर्त्तमान स्ट्रक्चर में परिवर्तन, अधिकार, कार्य प्रणाली में बरती जाने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये) ।

43. **श्री रामरघुनाथ** (डेगाना) : मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37—सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों की कार्यप्रणाली के दोषों के कारण योजना की विफलता पर चर्चा के लिये) ।

43. **श्री सांवरमल** (श्री माधोपुर) : मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37—सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सामुदायिक विकास कार्यों में व्याप्त अव्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिये) ।

45. **श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत** (चित्तौड़गढ़) : मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चित्तौड़गढ़ में सामुदायिक विकास के कार्यों की धीमी गति पर चर्चा के लिये) ।

46. **श्री शंकरलाल जाट** (कपासन) : मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37— सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सामुदायिक विकास परियोजनाओं के पर्यवेक्षण की शिथिलता पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 45

47. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 124-सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी व्यापार की योजनाओं पर लगी पूंजी का सही लाभ नहीं मिलने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 23

48. **श्री नन्दलाल बैरवा** (पाटन) : मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37- सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय

(श्री नन्दलाल बैरवा)
(राजस्थान में अब तक पंचायतों के चुनाव समय पर नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

49. मांग संख्या 23 मुख्य शीर्षक 37- सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में पंचायत समितियों के अन्तर्गत प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को मेडिकल बिल अथवा टी० ए० बिल समय पर नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

50. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में न्याय चपंायतों के चुनाव समय पर नहीं करवाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

51. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदादिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी की ग्राम पंचायतों को अधिक अनुदान नहीं दिये जाने से पीने के पानी के अधूरे कूए पूरे नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 45

52. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 124- सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी व्यापार में हो रहे घाटे से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)

मांग संख्या 23

53. **श्री मोहनराज**(बाली): मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों को आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाने हेतु इस प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

54. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर):मांग संख्या23, मुख्य शीर्षक 37- सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार प्रधानों व प्रमुखों के चुनाव की पद्धति में मौलिक परिवर्तन करने में असमर्थ रही इस पर चर्चा के लिये)।

55. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37- सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

56. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37- सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत योग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों में हो रहे जीपों के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

57 .मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37- सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा ग्राम पंचायत को सार्थकताहीन बना देने के संबंध में चर्चा के लिये)।

58. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37- सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि

Page No 51

(श्री वृद्धिचन्द जैन)
के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने हेतु पंचायत राज संस्थाओं को सशक्त बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

59. **श्री भंवरमल** (फतेहपुर): मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37- सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खण्ड विकास कार्यों में आने वाली रुकावटों पर चर्चा के लिये)।

60. **श्री चतुरभुज** (टोडारायसिंह) : मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37- सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विकास योजनाओं के तहत काम करने वाले कर्मचारियों के निकम्मेपन पर चर्चा के लिये)।

61. **श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** (बानसूर) : मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव कराने में सरकार की शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

62. **श्री गोरधन सिंह** (सीकर) : मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति धाई, (सीकर) के सरपंचों को राजनैतिक आधार पर निलम्बित किये जाने पर चर्चा के लिये)।

63. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37- सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सामुदायिक विकास कार्यों में आवश्यक सुधार किये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 54

64. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 124-सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी व्यापारी योजनाओं में अधिक सुधार किये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 23

65. **श्री गुरदयाल सिंह संधु**(करनपुर): मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विकास कार्य में ग्राम सेवकों की आवश्यकता नहीं है इस पर चर्चा के लिये)।

66. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों द्वारा धन का उचित उपयोग नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

67. **श्री शंकरलाल** (पाली) : मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों की जीपों के दुरुपयोग को रोकने हेतु चर्चा के लिये)।

68. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि

(श्री शंकरलाल)
के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों के कार्य संचालन में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

69. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों द्वारा गांवों में पीने के पानी के कुओं व कृषि विकास कार्यों पर पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

70. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास कार्य परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (स्टॉफ पर व गैर योजना मद के खर्चे में कमी करने हेतु चर्चा के लिये)।

71. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण रोजगार हेतु केश कार्यक्रम में स्थाई रोजगार के कार्य आरम्भ कराने हेतु चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 45

72. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीज, खाद और कृषि उपकरणों के खरीद व फरोख्त में अपनाई गई प्रणाली पर चर्चा के लिये)।

73. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकार द्वारा खाद्यान्न की खरीद व बिक्री की प्रणाली में सुधार हेतु चर्चा के लिये)।

74. श्री **गिरधारीलाल भार्गव** (हवा-महल, जयपुर) : मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फोरेस्ट्स कूप्स विभागीय प्रबन्धन योजना के अन्तर्गत वन विभाग के माध्यम से संचालित कोल डिपोज की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

75. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जी०सी० चद्दरों के वितरण में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

76. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर दुग्ध वितरण योजना द्वारा वितरित किये जाने वाले पदार्थों पर चर्चा के लिये)।

77. **श्रीमती कमला कौर** (पचपदरा): मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर दुग्ध योजना द्वारा अच्छा दूध सप्लाई करने में असमर्थता पर चर्चा के लिये)।

78. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर

(श्रीमती मदन कौर)

पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जोधपुर दुग्ध वितरण योजना के विस्तार की मांग पर चर्चा के लिये) ।

अनुदानों की मांगों पर विचार एवं पारण

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल !

श्री शंकरलाल (पाली) : अध्यक्ष महोदय, सामुदायिक विकास योजनायें और पंचायत राज के सम्बन्ध में वैसे राजस्थान एक अग्रणी प्रान्त रहा है। जिस समय पंचायत राज की स्थापना हुई, सबसे पहले हिन्दुस्तान के अन्दर राजस्थान ने इस बात की वाहवाही ली कि हम लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के जरिये और पंचायती राज के जरिये देश के अन्दर नई शक्ति, नये जीवन का संचार करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, उस वक्त बड़ी-बड़ी आशायें थीं और उस समय के अन्दर हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के ऐतिहासिक जिले नागौर के अन्दर एक नई दिशा, नई प्रेरणा के दीप को जाग्रत किया था। अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का खेद है और सरकार को स्वीकार करना चाहिए, आज इतने सालों के अन्दर हम सामुदायिक विकास योजनाओं और पंचायत राज की प्रगति पर दृष्टिपात करें और आज की दशा को देखें तो इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि जिस उद्देश्य के साथ, जिस लगन के साथ, जिस उम्मीद के साथ हमने पंचायत राज की स्थापना की थी, वह उम्मीद आज धूलि धूसरित हो चुकी है, आज उस आशा के ऊपर तुषारापात हो चुका है। हम यह कहने की स्थिति में है कि पंचायती राज असफल रहा है। अध्यक्ष महोदय, इसका क्या कारण है। कारण बहुत हो सकते हैं लेकिन एक बात जो हमको सामने दिखती है वह यह है कि कितने ही साल हो गये, पंचायत राज एक्ट के अनुसार इन पंचायतों के चुनाव हो जाने चाहिए थे, वह नहीं हुए। समय-समय पर सरकार के द्वारा मियाद बढ़ाई गई। बीच में यह प्रश्न आया कि पंचायतों का रीआर्गेनाइजेशन होना चाहिए, इनमें वार्ड छोटे चाहिए, पंचायत के पटवार सर्किल, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत इन सबके रीआर्गेनाइजेशन के लिए एक कमेटी का निर्माण किया गया, लेकिन उस कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई और न चुनाव हुए पंचायतों के। इससे लोगों के अन्दर उत्साह नहीं रहा। वही पुरानी पंचायतें, वही पुराना ढांचा, वही निर्जीव ग्राम पंचायतें, वही ढांचा उनका रहा। यह मैं सरकारी पक्ष की तरफ से कह सकता हूं, अकाल पड़े, यह बात सही है, दूसरी परिस्थिति भी आई यह बात भी स्वीकार करनी पड़ेगी। लेकिन कोई भी लोकतांत्रिक संस्था हो, उसके चुनाव समय पर नहीं होते हैं, उनको समय पर पुनर्गठित नहीं किया जाता है तो लोकतंत्र के अन्दर जनता की आशा और विश्वास समाप्त हो जाता है। इसलिए समय पर चुनाव कराया जाना जरूरी है....

(12.35 अ॰ प॰)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, एक तो यह मेरा निवेदन था। दूसरी बात भी मुझे कहनी पड़ेगी,

(श्री शंकरलाल)

वह यह है, जिस सरकार ने प्रारम्भ के अन्दर, शुरू-शुरू में इनके अन्दर काफी अनुदान, काफी मदद की धनराशि रखी, चाहे एजूकेशन के लिए हो, चाहे सहकारिता के लिए हो, चाहे दूसरे बीज के लिए हो चाहे खाद के लिए हो, चाहे तालाब के लिए हो, चाहे समाज कल्याण के लिए, हो, चाहे युवकों के लिए हो, चाहे महिला मण्डल के लिए हो–तरह तरह की प्रवृत्ति पंचायत समितियों की मार्फत प्रारम्भ की, उनमें अनुदान की धन-राशि सरकार ने दी। हम उम्मीद करते थे कि एक समय आयेगा, जब पंचायत समितियां अपने पैरों पर स्वतः खड़ी हो जायेंगी। हमने एक्ट, नियमों में प्रावधान रखा कि पंचायत समितियों, पंचायतों को कुछ टैक्स लगाने का अधिकार दें। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि यह पंचायत, यह पंचायत समितियां सेल्फ सपोर्टिंग बाडी अभी तक नहीं हो पाई हैं, न इसकी उम्मीद है। इसका कारण यह है कि सरकार की तरफ से इस बात की लापरवाही रही। सरकार अनुदान और धनराशि काफी अर्से तक देती रही, साथ साथ सरकार और जो उसके अन्दर काम करने वाले ऑफिसर हैं, विकास अधिकारी हैं, एक्सटेंशन ऑफिसर हैं डिस्ट्रिक्ट के अन्दर कलेक्टर हैं–इन संस्थाओं को इस तरफ अग्रसर करते कि सेल्फ सपोर्टिंग कैसे हो सकती हैं, यह संस्थायें आगे जाकर कैसे पनप सकती हैं और सफलता प्राप्त कर सकती हैं। शुरू में यह प्रावधान रखा था कि लैण्ड रेवेन्यू का इतना हिस्सा देंगे, लेकिन उस हिस्से से भी इसमें खर्च काफी नहीं हुआ बल्कि खर्च में दिनों दिन कटोतरी ही हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करूं, जो आंकड़े सामुदायिक विकास और पंचायत विभाग के प्रगति विवरण में पेश किये गये हैं, उसके आधार पर आंकड़े रखूंगा कि किस प्रकार राशि स्वीकृत की जाती है और किस प्रकार दिनों दिन घटोतरी हुई है, आज क्या हालत है। मैं दो वर्ष के तुलनात्मक आंकड़े रखना चाहता हूं जिससे ज्यादा समय इस सदन का न लूं। उपाध्यक्ष महोदय, 1970-71 में सामुदायिक विकास के लिए 315·84 लाख रुपये का प्रावधान रखा था, वह 1971-72 के अन्दर 189·38 लाख के ऊपर घट कर आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि दो सौ लाख की कमी हुई। उसमें जो सामुदायिक विकास योजना के लिए प्रावधान रखा था। भू राजस्व का 1970-71 के अन्दर 82·46 लाख रखा था, यह जो प्रावधान था, वह 1971-72 के अन्दर घट कर 42·18 लाख रह गया। मुझे पता नहीं, इसका क्या कारण है। कारण तो पंचायत मंत्री बतायें कि भू-राजस्व का अंश जहां पहले 1970-71 में 82·46 लाख था वह 1971-72 में घट कर 42·18 लाख कैसे रह गया ? वह यह कहेंगे कि कुछ फेमिन के कारण हुआ– तो यह बात भी सही है, इसलिए भी घटोतरी हुई। इसके आगे जाकर ग्रामीण कूप निर्माण के अन्दर जरूर प्रावधान में कुछ बढ़ोतरी हुई है और वह 1970-71 में 36.70 लाख था, वह 1971-72 में 50.00 लाख तक हो गया है। यह भी काफी नहीं है, जहां सारे गांव के गांव में यह दिक्कत है, जहां पानी की समस्या है और दिक्कत है वहां पचास लाख की धनराशि पर्याप्त नहीं है। इस

(श्री शंकरलाल)

प्रकार सामुदायिक विकास योजनाओं के लिए रखी जाने वाली धनराशि में कमी हुई है, भू-राजस्व के अंश में भी घटोतरी हुई है। इसके साथ-साथ कृषि का प्रावधान देखें तो 1970-71 के अन्दर जहां 175.46 लाख था, वहां 1971-72 के अन्दर घट कर 159.23 लाख रह गया है। इसमें भी चालीस लाख की घटोतरी हुई है। पशुपालन के अन्दर 1970-71 के अन्दर 32.97 लाख का प्रावधान था, वहां 1971-72 के अन्दर यह घट कर 23.52 रह गया है। इस प्रकार कृषि के प्रावधान में कमी, पशु पालन के प्रावधान में कमी है, वहां सहकारिता में जहां 1970-71 में 9.18 लाख का प्रावधान था, वह बढ़ कर 9.75 लाख का हो गया है। शिक्षा का जो क्षेत्र है, उसके 1970-71 के अन्दर 1136.96 का प्रावधान था वह केवल 1029.99 का प्रावधान रह गया है। यह आंकड़े इस बात का सबूत है कि जो भी प्रावधान राज्य सरकार ने रखा, वह दिनोंदिन कम ही होता गया और जो प्रावधान की रकम में घटोतरी है तो जो योजनायें आप पंचायत समितियों के मार्फत पूरी कराना चाहते हैं, उन योजनाओं के अन्दर हम किसी भी प्रकार की प्रगति की आशा नहीं कर सकते, उनका असर नहीं पैदा कर सकते। शिक्षा की बात के साथ मैं यह कहना चाहूंगा, मेरा स्पष्ट निवेदन है आपको और सदन को भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्राथमिक एजूकेशन, प्राथमिक शिक्षा पंचायत समितियों को दी गई है उससे प्राथमिक शिक्षा के साथ, शिक्षा संस्थाओं के साथ और अध्यापकों के साथ बहुत भारी अन्याय हो रहा है। एक तो शिक्षा का स्तर गिर रहा है, इसलिए पंचायत समितियों के पास प्राथमिक शिक्षा बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। पंचायत समितियों का यह कर्त्तव्य था कि मास्टर की तनख्वाह का प्रावधान जो है, उससे वह मास्टरों को तनख्वाह बांट दे। इससे अधिक पंचायत समितियों का कोई योगदान नहीं है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ अध्यापकों की जो मांग है, वह इसलिए है कि उनकी बड़ी दुर्दशा है। अध्यापक हैं, इनके साथ में राजनैतिक कारणों से, दूसरे कारणों से अन्याय होता है। उनको तनख्वाह मिलने में और उनके बिल्स बनने के अन्दर जो उनके साथ में दुर्व्यवहार होता है, इसी तरह से जो स्कूल खोले जाते हैं, वह जहां पर कि लड़के नहीं हैं, वहां खोले जाते हैं और जहां लड़के हैं वहां स्कूल नहीं है। इस तरह से यह हुआ है कि पंचायत समितियों के हाथ में रहने से प्राथमिक शिक्षा का स्तर गिर गया है। यह स्पष्ट सबूत है। देश में अध्यापकों ने मांग की है कि प्राइमरी एजूकेशन का देश-व्यापी एक कैडर होना चाहिए। एक एजूकेशन कारपोरेशन न भी हो लेकिन राजस्थान में यह नहीं होना चाहिए कि प्राइमरी एजूकेशन आप पंचायत समितियों को दें और दूसरे प्रकार की शिक्षा विभागों के पास रखें। इस से दुधारी व्यवस्था होती है। पंचायत समितियों का स्तर बढ़ता नहीं है। पंचायत समितियों को अगर काम देना चाहते हैं तो निश्चय ही उनको काम दें। आज हम समाजवाद का नारा देते हैं कि बेरोजगारी को मिटायेंगे, गरीबी को दूर करेंगे। बेरोजगारी और गरीबी इस तरह दूर नहीं होगी वह एक स्तर है। ये जो ग्रामीण रोजगार की बातें

(श्री शंकरलाल)
हैं उनमें आप पंचायत समितियों को एसोसिएट करें। यह सही है कि आपके क्रेश प्रोग्राम की जो योजना है, उसके साथ आपने पंचायत समितियों को एसोसिएट किया है। आपकी ग्रामीण बेरोजगारों की जो योजना है देशव्यापी उसके साथ पंचायत समितियों को जोड़ा है। यह कुछ कार्यक्रम हैं जिनको पंचायत समितियों के जिम्मे दे रखा है लेकिन गांवों के अन्दर जो छोटे-छोटे उद्योग हैं, पंचायत समिति क्षेत्र में चाहे वे छोटे-छोटे बढ़ई, चाहे लुहार, चाहे किसान, चाहे बुनकर हों जो छोटे छोटे उद्योग गांवों में पनपते थे, पंचायत समितियां बनने के बाद हम आशा करते थे कि यह जो चमड़े का व्यापार है, गांवों में छोटे-छोटे उद्योग धंधे पनपेंगे लेकिन नहीं पनपे। कोई प्रगति नहीं हुई। उद्योग धंधों को पंचायत समितियों के मार्फत पनपाया जाए। उद्योग का जो पैसा आपके विभाग के पास है जो छोटे उद्योग लगाना चाहते हैं पंचायत समितियों के मार्फत उन उद्योग धंधों को आप पनपा रहे हैं, इस प्रकार का कृषि का जो प्रोग्राम है वह कम्पलीटली पंचायत समितियों को दें। इसके अतिरिक्त इस बात का कोई इन्टरफीयरेन्स न रखें यह दूसरी बात है। आप समय पर पंचायत समितियों को बीज व खाद नहीं देते हैं तो कहते हैं कि कृषि विभाग से हमको समय पर इसके लिए पैसा उपलब्ध नहीं हुआ, वह चीज उपलब्ध नहीं हुई। अगर आज आप समय पर किसान को बीज नहीं देते हैं तो वह अपने बीज उधार लेकर बरसात आने के बाद ठहर नहीं सकता। कब पंचायत समिति को बीज मिलेगा? अगर ठहरता है तो उत्पादन गिरता है। इसी प्रकार खाद के लिए ठहर नहीं सकता। समय पर खाद और बीज ले लेना यह पंचायत समिति की जिम्मेदारी होनी चाहिए। पंचायतों के माध्यम से किसानों का उत्पादन बढे, उनका रोजगार बढ़े, केवल दो प्रोग्राम पर इन पंचायत समितियों को अगर लगा दें तो इनकी सार्थकता सिद्ध हो सकती है। अन्यथा दो प्रोग्राम ये पंचायत समितियों के पास नहीं रखना चाहें तो केवल शिक्षा के माध्यम से केवल पंचायत समितियों को रखना बेकार है और पंचायत समितियों को समाप्त करना उचित होगा। अगर इन दो प्रोग्रामों को आप नहीं जोड़ते हैं तो फिर टू टायर सिस्टम ठीक है। एक बार मैंने विधान सभा में कहा था और फिर दोहराना चाहता हूँ कि पंचायती राज को अगर आप सबल बनाना चाहते हैं तो जिला स्तर पर जो जिला परिषद् हैं, उसको मजबूत करें। आज जिला परिषद् में प्रधान, विधायक और प्रमुख इसके सदस्य होते हैं। साल में एक दो मिटिंग्स होती है कोई उनके पास प्रोग्राम नहीं, कोई पूछ नहीं, क्या जिला परिषद का प्रोग्राम है, क्या उनके पास पावर्स हैं। आपने जिला परिषद् को बिल्कुल डिफन्ट बाडी बना रखा है। जिला परिषद और पंचायतों के बीच में बिचौलियों का काम कर रही है। जिस तरह से कोई टेली-फोन पर आपरेटर बैठा हुआ है हलो करेगा, तार मिलाता है। सरकार से पैसा आ गया, पंचायत समिति को देना जिला परिषद् का काम है, वह भी ज्यादातर तो सीधा जाता है, केवल कुछ पैसा कुएं का या अन्य प्रोग्राम हुआ तो वह जिला परिषद के मारफत पैसा मांगते

(श्री शंकरलाल)

हैं लेकिन उसमें भी जिला परिषद् के प्रस्ताव का कोई मूल्य नहीं रहता। सरकार के पास सीधा पहुँच जाते हैं, मिडिल स्कूल खुलवाना है तो खुल जाएगा, जिला परिषद् का प्रस्ताव ताक पर रह जाएगा, जिला परिषद् के निर्णय का कोई औचित्य नहीं है। आपने इस प्रकार जिला परिषदों को रखा है तो वह बेकार है, समय की बरबादी है और पैसे की बरबादी है। इस प्रकार की बाडी नाममात्र है। इसलिए अगर आप इसके अंदर वापस जीवन लाना चाहते हैं तो जल्दी से नए प्रोग्राम जोड़कर इसको सजीव करें वरना ये दोनों प्रकार की संस्थायें निर्जीव हो चुकी हैं और लोग कहते हैं कि पंचायती राज फेल हो चुका है। जो भी सरकार के द्वारा बीज खाद और दूसरे इम्पलीमेंट्स की खरीद होती है उसके अंदर दूसरी प्रणाली है, वह यह कि चाहे पंचायत समितियों के मारफत खरीदा, चाहे कृषि विभाग के मारफत खरीदा लेकिन जब वह माल किसान के पास पहुँचता है तो किसान को आश्चर्य होता है, वही माल दूसरी जगह अच्छा सस्ता मिल जाता है और उस माल की खरीद और फरोख्त में घोटाला होता है, समय पर खरीद नहीं होती है और साथ में घोटाला होता है जो खरीद होती है खाद्य निगम के मारफत उसमें बहुत भारी घोटाला है। खाद्य निगम के एजेन्ट्स अपने आप को भारत सरकार के एजेन्ट्स कहते हैं। जगह-जगह जाकर उनके जो व्यापारी हैं उनसे हाथ मिलाते हैं और किसानों से सीधा माल खरीदते नहीं हैं। किसानों से सस्ता अनाज व्यापारी ने खरीद लिया और व्यापारी से खाद्य निगम ने खरीद लिया। इससे फायदा व्यापारी को होता है। उनको आवाज उठानी चाहिए। कई राज्यों में इस प्रकार का घोटाला हो रहा है। भारत सरकार से कहना चाहिए कि इस खाद्य निगम को बिल्कुल समाप्त करें, इस प्रकार बिचौलियों से अगर धान खरीदते हैं, सरकार अपने आप को एसोसिएट करती है तो सरकार भी भागी है। सरकार खाद्य निगम के इस भ्रष्टाचार को रोके और किसान से सीधा खरीदे, बिचौलियों के मारफत नहीं और क्योंकि काफी मूल्य देना पड़ता है वह फायदा व्यापारी को मिलता है। इस तरह जो बीज और खाद वितरण और खरीद के संबंध में बात है वह मैंने आपके सामने रखी है।

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा विश्वास है कि पंचायती राज दिल के दौरे से संतप्त है और आक्सीजन के सहारे वह श्वास ले रहा है। उसकी असफलताओं को मंत्रीजी को स्वीकार कर लेना चाहिए, राज्य सरकार को स्वीकार कर लेनी चाहिए। एक समय था स्वतंत्रता के बाद जब पंचायती राज की कल्पना और उसका साकार रूप सामने आया तब उसको जन-आन्दोलन की शक्ति प्राप्त हुई, जन सहयोग स्वतः ही जाग्रत हुआ और गांव-गांव में लोगों का श्रमदान का विश्वास बढ़ा, जन-सहयोग देते रहे लेकिन वह जन-सहयोग अब समाप्त है क्योंकि हमारे पंच और सरपंच कार्यकर्त्ता राजनैतिक कार्यकर्त्ता सभी इस प्रश्न पर उदासीन हैं इसलिए जिस पंचायती राज को जन-

(श्री निरंजनाथ आचार्य)

सहयोग प्राप्त न हो वह पंचायती राज जीवित नहीं रह सकता। जन-सहयोग और जन आंदोलन को राज्य सरकार ने सजग करने: के आधार पर काफी प्रयास नहीं किये हैं। जैसा माननीय सदस्य अभी कह रहे थे, जिला परिषद् पंचायत समिति और पंचायत इनके प्राण निकल चुके यह अस्थि कंकाल है। अगर कोई भार रह गया है उनके सर पर तो प्रशासन का भार है और उसके भार से दबी हुई ये संस्थायें केवल अपने कर्मचारियों की तनख्वाह चुकाने में व्यस्त रहती हैं, केवल तनख्वाहों के आधार पर इनके कर्मचारी जिंदा हैं। मैं इस बात से सहमत हूँ कि पंचायती राज के प्रश्न पर राज्य सरकार सजग हो किन्तु राज्य सरकार जब दिवालिया है, तो इसका पुनर्गठन कैसे किया जाए प्रशासनिक व्यय को हल्का किया जाय। पंचायती राज में थ्री टायर सिस्टम बिलकुल असफल हुआ है और थ्री टायर की गाड़ी चलाने में उसकी गति को धीमी करना है। थ्री टायर की गति धीमी हुआ करती है। मेरा विश्वास है इसमें से एक टायर निकाल दीजिये, टू टायर पर ही चलिये तो इसकी गति में वृद्धि आ सकती है। जिन जिला परिषदों पर अभी संकेत किया गया यह भी सफेद हाथी है तो जिला परिषद् को हटा कर पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत को रख लीजिये। आपके प्रशासन में भी खर्च में कमी होगी और गति भी तेज हो जायेगी। दूसरा आपका एक और सफेद हाथी है और मैं नहीं चाहता हूं कुछ कहूँ वह सफेद हाथी सफेद वस्त्रों में है। इस हाथी को आपका बल प्राप्त है। हाथी का नाम जिला परिषद् पंचायत समिति कमीशन है। ये हैं दूसरे विभागों से अधिकार लेकर एक नये अधिकार वाला विभाग खड़ा कर दिया गया किसी व्यक्ति का पोषण करने के लिये कार्य क्या किया ? शिक्षकों का ट्रांसफर करना है या छोटे-मोटे निरीक्षण करना इसका काम है, जिनका कोई प्रशासन नहीं उसके आधार पर एक बहुत बड़ा डिपार्टमेन्ट। चेयरमेन और चेयरमेन के साथ इतने मेम्बर और मेम्बर के साथ बहुत बड़ा लवाजमा, इनके सारे प्रशासन का खर्चा, मेम्बर और चेयरमेन का खर्चा अगर टी. ए., डी. ए. लगाया जाय तो मैं समझता हूँ दो-चार पंचायत समितियों का खर्च उसमें से निकल सकता है। आप यह कहते हैं राजस्थान आर्थिक संकट में गुजर रहा है फिर इस सफेद हाथी को पालना उचित नहीं। प्रशासन के अधिकारों को विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिए, यह बात ठीक है। आज शिक्षकों, अध्यापकों में जो पंचायत समिति के अधीनस्थ है, पंचायतों के अधीन हैं उनकी मांग उग्रता से बढ़ती जा रही है, वे पंचायतों के अधीन नहीं रहना चाहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है जो शिक्षक आक्रोश रखता है, जो पंचायत समिति के अधीन नहीं रहना चाहते हैं। आपने उनकी विवशता में इनके अधीन कर रखा है। इसका मतलब है आप उनको कर्त्तव्य से उदासीन रखना चाहते हैं। यह मांग चलती आ रही है और यह उनकी न्यायिक मांग है। इसलिये इनके इन अधिकारों पर ध्यान देना चाहिए। अन्य विषय पर तो नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन आपका ध्यान इस प्रश्न पर आकर्षित करना चाहता हूँ, इस मरे हुये विभाग को आप किस प्रकार प्राण दे सकते हैं। एक समिति गठित कीजिये। आपके पास कार्यक्रम नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

उस पर भी आपका सफेद हाथी सवार है और कामों में रुकावट डाल रहा है। इसको हटा करके आप प्रशासन में गति दे सकते हैं। उन कार्यक्रमों का भी आप अध्ययन करें। आज ग्राम पंचायतें, न्याय पंचायतें और पंचायत समितियां निष्प्राण हैं। उनके सेक्रेटरी के पैसे नहीं चुकते चूंकि ग्राम पंचायतों के रिसोर्सेज बिलकुल बन्द है। ग्राम पंचायतों के विकास का काम बिलकुल बन्द है। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं यदि उस सुझाव पर आप ग्राम पंचायत को सजग कर सके—मैं चाहता हूं इस प्रश्न का अध्ययन करने के बाद आप ग्राम पंचायतों को सजग करें।

जिन पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में उद्योग पनपते हैं, वे चाहे छोटे हो या बड़े उद्योग हों उन उद्योगों पर जिन पंचायतों द्वारा कर लगाने का अधिकार है और यदि यह कर की व्यवस्था पंचायत कर लेती है तो फिर अपने क्षेत्र में आर्थिक व्यवस्था जुटाने में यह सक्षम होती है। मैं आपका ध्यान राजस्थान पंचायत एक्ट के नियम 64 का (ज) की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। करारोपण के सम्बन्ध में—राजस्थान पंचायत सामान्य नियम, 1961 नियम 93–64 को मैं रेफर करता हूं। निर्धारित नियमों के अन्दर राज्य सरकार ने इन पंचायतों को अधिकार दिया है कि कोई पंचायत (ज) में उल्लिखित उद्योगों पर कि जिसका कर अधिकार भी संविधान के अन्तर्गत राज्य सरकार को दिया गया है– कर लगा सकती है। मगर यह अधिकार कानकरेन्ट है। राज्य सरकार को कर लगाने का अधिकार है और पंचायतों को भी कर लगाने का अधिकार है और उसका उल्लेख संविधान में शिड्यूल्ड सेवन्थ में ट्वन्टीफोर इन्डस्ट्रीज सब्जेक्ट टू दी प्रोवीजन 52 ऑफ लिस्ट वन इन्डस्ट्रीज और लिस्ट वन यह है कि—

"Industries, the control of which by the Union is declared by Parliament by law to be expedient in the public interest." यानी जिन इन्डस्ट्रीज पर राज्य सरकार कर लगा सकती है उन इन्डस्ट्रीज पर पंचायतें भी कर लगा सकती है, शर्त यह है कि राज्य सरकार उनको स्वीकृति दे दे। इस प्रश्न को आप एग्जामिन करा लें और मेरा विश्वास है यह एग्जामिन कराने का प्रश्न भी नहीं है, स्वयं अध्ययन कर लें संविधान और पंचायती एक्ट के प्रावधानों के अनुसार पंचायतों को अधिकार दिये गये हैं कि वे इन्डस्ट्रीज जो उनके ज्यूरिसडिक्शन में आती है. उन पर टैक्स लगाये। यह तो सामान्य सिद्धान्तों के आधार पर निवेदन किया जो सारी पंचायतों से संबंध रखता है उस सम्बन्ध में हैं। अब मैं अपने क्षेत्र की स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मावली क्षेत्र में लाखों-करोड़ों रुपयों के उद्योग चल रहे हैं और प्रोडक्शन बहुत हो रहा है। मावली में नान्दवेल पंचायत समिति आती है उस नान्दवेल पंचायत समिति में जो उद्योग चलते हैं उन पर यदि कर लगाया जा सके तो यह पंचायत राजस्थान की प्रमुख पंचायतों में विकास के आधार पर गिनी जा सकती है। नान्दवेल पंचायत ने आपके यहां प्रार्थना-पत्र दिया है—प्रस्ताव के साथ दिया है। कृपा करके समाजवादी नीतियों को क्रियान्वित करने के लिये इस बड़े उद्योग पर कर लगाने की स्वीकृति दीजिये। इसलिये मैं चाहता

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

हूं कि राज्य सरकार समाजवादी नीतियों को क्रियान्वित करना चाहती है और समाजवादी नीतियों पर विश्वास रखती है तो ऐसी पंचायत जो कर लगाना चाहती है अपने इस नीति के आधार पर आप उनको कर लगाने की स्वीकृति दीजिये। दूसरे सोपस्टोन की इन्डस्ट्री पर कर लगाने का संकल्प भेजा है। वह प्रस्ताव अब नीचे है या ऊपर है लेकिन भेजा है। इसी तरह उसी क्षेत्र की दो और हैं पंचायतें–चन्देसरा और विजनवास। इस तरह चार पंचायतों का आपके पास प्रश्न है। मैं व्यक्तिगत प्रश्नों पर नहीं जाना चाहता हूं। मैंने उदाहरण के रूप में इन पंचायतों के नाम रखे हैं लेकिन मैं इस आधार पर चाहता हूं आप सारे इन पंचायतों के मामलों को तय करें।

दूसरा प्रश्न मैं स्वयं व्यक्तिशः आपका ध्यान अपने ही क्षेत्र मावली की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान में जब अल्प बचत योजना का कोम्पीटीशन हुआ था उस प्रतियोगिता में पहले उदयपुर जिले में मावली पंचायत समिति प्रथम रही, द्वितीय बड़गांव, तृतीय गिरवा पंचायत समिति रही और उसमें ऐसा प्रावधान था कि जो पंचायत समिति प्रथम रहेगी उसे 1 लाख रुपया दिया जायेगा। चूंकि मावली पंचायत समिति प्रथम रही थी इसलिये 1 लाख रुपया उसको दिया गया। लेकिन थोड़े दिन बाद उसको स्टे कर दिया और कहा गया कि उस धनराशि को खर्च नहीं किया जावे। ये किस उद्देश्य से कहा गया यह पता नहीं, उसके पीछे क्या राजनीति है, उसकी क्या रूपरेखा है, यह भी पता नहीं। पंचायत समिति, मावली ने यह निर्णय जो लिया था कि जो इनाम का रुपया आवेगा उस एक लाख रुपये में अपने क्षेत्र में पाठशालाओं के अधूरे भवनों को पूरा करने पर खर्च किया जायेगा। पर शायद कुछ लोगों को यह अच्छा न लगा कि मावली पंचायत समिति में विकास का कार्य न हो जावे। शायद इस दृष्टि से खर्च करने का स्टे कर दिया गया। मैं इस सम्बन्ध में राजस्थान के सामुदायिक विकास मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मावली क्षेत्र का इससे विकास कार्य अवरुद्ध हो गया। मावली पंचायत समिति ने 1970–71 में राज्य स्तर पर जो प्रतियोगिता हुई उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया इसके फलस्वरूप उसे यह रकम एक लाख रुपया प्राप्त हुई थी और जो द्वितीय रही उसे 70 हजार रुपये और तृतीय रही उसे 50 हजार रुपया अल्प बचत से राजस्थान सरकार द्वारा प्राप्त हुए। मावली मेरा निर्वाचन क्षेत्र है जहां से कि मैं चुनाव लड़ कर जीत करके आया हूं। ये ऐसी पंचायत समिति हैं, जिनसे कि मुझसे खूब लगाव है और जिसमें वहां की जनता में मेरा व्यक्तिगत सम्पर्क घर-घर के बच्चे बूढ़ों जवान व्यक्तियों से, सभी से है, यह वो क्षेत्र है जिसने मेरे ऊपर बहुत विश्वास करके न केवल राजस्थान में ही बल्कि हिन्दुस्तान में अपनी एक मिसाल कायम की है। इसलिये इस पंचायत समिति का और इसके नीचे आने वाले गांवों का विकास होने में मैं योगदान दूं यह मेरा परम कर्त्तव्य हो जाता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि एक लाख रुपया जो प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करके जीता उसको खर्च नहीं करने के आदेश क्यों दिये गये और जो आदेश दिये हैं उन्हें हटाया जाय ताकि मावली पंचायत समिति द्वारा जो प्लान बनाया गया था

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

उसके अनुरूप कार्य हो सके। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो रकम सेंक्शन हुई थी वह उन्हें दी जाय। वैसे तो राज्य सरकार विकास के बारे में बात करती है पर कथनी और करनी में अन्तर रख रही है। मेरा, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन है जब एक पंचायत समिति स्वयं अपने आप में सजग और अपना विकास कार्य करना चाहती है और इस प्रकार जो रकम उसने प्रतियोगिता में जीती वह नहीं मिलने से उसके जो विकास कार्यक्रम थे, जो अवरुद्ध हो गये है, वे न रुकें ऐसी व्यवस्था की जाय। बस।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भंवरलाल !

श्री भंवरलाल भदादा (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, सामुदायिक विकास योजना पर जो चर्चा आज इस सदन में चल रही है उसमें मेरा यह निवेदन है कि सामुदायिक विकास योजना एक महत्वपूर्ण योजना है और यह हमारे देश के निर्माण करने में बहुत ही सार्थक हुई है। आज हमारे देश की जो आबादी है उसकी 80 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है। इसलिये ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिये सामुदायिक विकास योजना को बढ़ाया जाय। इस योजना के अन्तर्गत और भी कार्यक्रम पुनः चालू किये जायें। आज केवल प्राईमरी एजुकेशन सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत रह गई है, पुनः कृषि, पशुपालन सुधार, ग्रामोद्योग, छोटे कुटीर उद्योग व सहकारिता इसके अन्तर्गत चालू किये जाने चाहिये। हम देखते हैं कि जब सामुदायिक विकास योजना शुरू हुई तब प्रगति अच्छी हुई पर आज धीरे-धीरे यह क्रमशः समाप्त होती जा रही है और जिसके कारण आज पंचायत समितियां और पंचायतों के पास कोई काम नहीं रहा है। पंचायत समितियों के पास सिर्फ अपने कर्मचारियों को वेतन वितरण करने का ही काम रह गया है। आज यह स्थिति बहुत ही दयनीय है और इस स्थिति पर राज्य सरकार को बहुत ही गम्भीरता से विचार करना चाहिये और आज सामुदायिक विकास योजनाओं के कार्यक्रमों को ज्यादा से ज्यादा प्रभावशाली ढंग से शुरू करने चाहिये। पंचायत समितियों को सबल बनाने पर ही सामुदायिक विकास योजनाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो सकेगा। इस सन्दर्भ में यह निवेदन करना उचित ही होगा कि पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव तुरन्त कराये जायें। पहले जब सामुदायिक विकास योजनायें शुरू हुई थी तब पंचायत समितियों के विकास अधिकारी आर० ए० एस० अधिकारी रखे जाते थे तब उनका अपना महत्व होता था पर अब नोन–आर० ए० एस० को विकास अधिकारी रख कर पंचायत समिति के महत्व को बहुत ही कम कर दिया गया है। इसलिये वापिस बी० डी० ओ० की पोस्ट पर आर०ए०एस० अधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिये। यह इस दृष्टिकोण से भी बहुत जरूरी है कि आर० ए० एस० अधिकारी को ग्रामजीवन का प्रत्यक्ष अनुभव हो और वे गांव की समस्याओं से पूर्णतया परिचित हों ताकि भविष्य में प्रशासनिक सेवाकाल में ग्रामवासियों और ग्राम समस्याओं के साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार और निर्णय कर सकें। पंचायत समितियों के क्षेत्र में उद्योग धन्धों का विकास किया जाना नितान्त आवश्यक है। ग्रामोद्योग को बढ़ाया जाना जरूरी है। अगर हम गरीबी हटाना चाहते हैं देश से,

(श्री भंवरलाल भदादा)

तो ग्रामोद्योगों का विकास किया ही जाना चाहिये उनके लिये जो रुपया चाहिये वह राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दिये जाना चाहिये। पंचायतें खुद भी अपने स्रोतों से धन प्राप्त करने का प्रयत्न करे तो अच्छा है।" आज छोटे-छोटे ट्रान्सफर और नियुक्तियों के चक्कर में ही राजनीति घुस गई। आज कृषक को भी अपनी खेती के बारे में आधुनिक ज्ञान नहीं है इसलिये ऐसी सामुदायिक विकास योजनाओं को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये कि जिससे आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से अपनी खेती का विकास कर सके। अगर हमें काश्तकार की आर्थिक हालत सुधारनी है तो हमें सामुदायिक विकास योजनाओं को सर्वांगीण रूप से आगे बढ़ाना चाहिये, नहीं तो उसकी आर्थिक हालत नहीं सुधरेगी। ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये जिससे उत्पादन बढ़े। आज किसान के पास जो कुछ भी पैसा है वह रूढ़िवादिता के कारण मोसर और मुकदमेबाजी में खर्च हो जाता है। अतः सामाजिक सुधार की प्रवृत्तियों को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिये जिससे प्रोडक्शन बढ़े और इससे उपलब्ध धन का उपयोग जीवन स्तर को उठाने में कर सकें।

जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि 8-10 वर्ष से चुनाव न होने के कारण पंचायतें और पंचायत समितियें निष्प्राण हो चुकी हैं। पांच वर्ष के बाद फिर एक-एक वर्ष की अवधि बढाने का यह परिणाम हुआ कि इस कार्यकाल में न तो विकास कार्य में न तो प्रधान की और न पंच की ही दिलचस्पी रही। अच्छा यह होता कि इनका कार्यकाल एक साथ तीन वर्ष के लिये बढ़ा दिया जाता ताकि सरपंच और प्रधान यह महसूस करते कि इस अवधि में इन्हें काम करना है और तीन वर्ष पूरी लगन के साथ काम करते। मंत्री महोदय सदन में घोषणा करेंगे कि वर्ष के अन्त तक पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव करा देंगे। यदि मंत्री महोदय यह करते हैं तो पंचायती राज के साथ बड़ा न्याय करेंगे और इसका औचित्य भी सिद्ध करेंगे।

इसी सन्दर्भ में मैं यह भी निवेदन करूंगा कि पंचायतों का क्षेत्र भी बढ़ाया जाये। पंचायतों का स्वरूप इतना छोटा है, इतना साधनहीन है कि क्षेत्र के विकास के कार्यों को पर्याप्त रूप में नहीं कर पाती हैं, विकास कार्यों को प्रभावशाली ढंग से सम्पन्न कराने के लिए उनके क्षेत्र को बड़ा बनाना नितान्त आवश्यक है। जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा है। न्याय पंचायतों के अधिकार उनको दे दिये जायें तो इनको काम करने के व्यापक अवसर खुल जायेंगे और ये अधिक शक्ति और साधनों के साथ गांवों के विकास कार्यों को कर सकेंगी।

जिला परिषदों को नहीं रखने के बारे में कहा गया है। लेकिन इनको तोड़ने के बजाय उनको शक्तिशाली और सम्पन्न बनाना चाहिये। जिला परिषदों को जिले की विकास योजनाओं को सम्पर्क करने का काम सौंपना चाहिये। यदि लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण को सफल और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो जिला परिषदों को भी शक्तिशाली बनाना होगा और जिला स्तरीय काम उनके जरिये कराने की चेष्टा करनी होगी। सादिकअली कमेटी की रिपोर्ट काफी अर्से से कोल्ड स्टोरेज में पड़ी

(श्री भंवरलाल भदादा)

हुई है। अच्छा हो कि उस पर विचार कर उसकी सिफारिशों और निर्णयों को जल्दी से जल्दी लागू करने का प्रयत्न करें।

जिला प्रमुख और प्रधानों के जो अलाउन्स और भत्ते निर्धारित हैं। इतने कम हैं और इतने अशोभनीय हैं कि उनके बारे में, हम जो यहां प्रतिनिधि बैठे हुए हैं उनको उन पर आवश्यक विचार करना चाहिये। प्रधान को तीन रुपये रोज का भत्ता मिलता था, वह अपने राज्य के निम्नतम कर्मचारी के भत्ते से भी गया बीता भत्ता है। आज पांच रुपया प्रधान को और 6.50 रुपया प्रमुख को मिलता है। जबकि विधान सभा के सदस्य को 31 रुपया भत्ता मिलता है। इस पर राज्य सरकार विचार करे। प्रधान को 200 रुपया माहवार सन् 1959 में मिलता था वह ही मिल रहा है इस पर भी विचार किया जाना चाहिये। राज्य सरकार चाहती है कि प्रधान और प्रमुख पूरे समय सच्चाई और ईमानदारी के साथ जनसेवा का काम करें तो उसे उनके वेतन और भत्तों पर अवश्य विचार करना चाहिये। मेरा सुझाव है कि कम से कम प्रधान को 300 रुपये और प्रमुख को 500 रुपये मासिक वेतन देना चाहिये और दैनिक भत्ता 8 और 10 रुपये निश्चित किया जाना चाहिये।

मैं इस बात की आशा करता हूं कि सरकार इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए खास तौर से पंचायतों और पंचायत समितियों के चुनाव जल्दी से जल्दी करवा कर उनमें नये प्राण और जोश का संचार करेगी हम चाहते हैं कि हमारे गांवों की गरीबी दूर हो इनका निर्माण श्रमशक्ति के आधार पर हो तो उसके लिये नये पंचों, सरपंचों, प्रधानों और प्रमुखों को उत्साही और प्रेरित करना होगा कि वे जन शक्ति का सहयोग और सहायता लेकर आगे बढ़ें। पूंजी के अभाव की स्थिति में उसके बल पर विशाल देश का नव निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसके लिये नितान्त आवश्यक है कि श्रम शक्ति के आधार पर विकास के कामों को गतिमान कर आगे बढ़ायें और चुनावों को शीघ्रातिशीघ्र करावें। जिससे जनता की श्रम और शक्ति के बल पर देश के नव निर्माण का प्रोग्राम आगे बढ़े। मुझे आशा है कि इन सुझावों पर सरकार गम्भीरता से विचार करेगी और निर्णय लेगी कि शीघ्र से शीघ्र चुनाव हो, ताकि पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों में नव शक्ति का संचार हो और ये घटकपूर्ण शक्ति के साथ निर्माण कार्यों में जुट जाएं ताकि गरीब देश की गरीबी दूर हो और जैसा हम समाजवाद लाना चाहते हैं वह साकार हो।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन !

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सामुदायिक विकास योजना सम्बन्धी कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। मैं उनके बारे में सदन के समक्ष अपने विचार रखना चाहता हूं। सामुदायिक विकास योजना सन् 1952 में शुरू हुई जिसको 20 साल हो चुके हैं और उसके बाद में सन् 1959 में लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की योजना राजस्थान में सर्वप्रथम शुरू की गयी। उस समय हमें आशायें थीं कि लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण बहुत ही सफल होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में एक लीडर-

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

शिप जमेगी और ग्रामीण क्षेत्रों का हर तरह से विकास होगा। परन्तु वे आशायें हमारी सफल नहीं हुईं और उन आशाओं पर तुषारापात हो गया। उसका कारण कुछ तो यह भी था कि हमारे सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत जो ब्लॉक पहले फर्स्ट स्टेज में, फिर सैकिन्ड स्टेज में और फिर सैकिन्ड अपर स्टेज में स्थापित हुए उस वक्त तो हमें काफी मदद मिलती थी परन्तु बाद में मदद कम हुई। कारण यह था कि फर्स्ट स्टेज सैकिन्ड स्टेज ब्लॉक के स्थापित होने पर हम पैरों पर खड़े हो शक्ति बढ़ायें, पंचायत समितियों की शक्ति स्ट्रेंग्थन करें, जनता की शक्ति बढ़ायें लेकिन जनता की शक्ति प्राप्त नहीं कर सके और उससे सामुदायिक योजना का कार्य हम चाहते थे वह सफल नहीं हो सका। जो फीगर्स दिये हैं सामुदायिक विकास विभाग ने, 1969-70 में वार्षिक व्यय किया गया 239.39 लैक्स, वार्षिक व्यय 1970-71 में 31९.84 लैक्स और 71.72 में जो वित्तीय प्रावधान है वह 189.38 ही हैं। वित्तीय प्रावधान तो बताया गया लेकिन वार्षिक व्यय क्या हुआ है यह आंकड़े नहीं दिये गये। 31 मार्च एन्ड हो जाता है 1972 का। उसके बाद भी अप्रेल मिल जाता है, मई मिल जाता है। वास्तविक व्यय के आंकड़े सदन को प्राप्त हो जायं तो सही स्थिति के बारे में कुछ कह सकते हैं लेकिन जो प्रावधान है उसके अनुसार कह सकता हूं कि सामुदायिक विकास की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उसी प्रकार कृषि के मामले में वार्षिक व्यय 1969.70:470.66 लाख और ब वित्तीय प्रावधान है 1971-72 के 159.23 लाख। वास्तविक व्यय क्या हुआ इसका आंकड़ा नहीं है। कृषि की ओर भी हमारा ध्यान नहीं है।

पंचायत समितियों का जो प्रगति विवरण दिया गया है उसमें बताया 1970-71 में पशु वितरण 2 और पीने के पानी का कुआ 10 बनाया गया। पंचायत समितियों को बहुत कम राशि दे रखी है और प्रगति नहीं हो रही है।

इस समय मैं और ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव 8 साल के अर्से में भी नहीं हुए हैं। चुनाव नहीं होने से ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ा भारी असंतोष है। जो सरपंच, प्रधान और प्रमुख 8 साल से चुने हुए हैं वही चलते रहें यह स्थिति कोई भी ग्रामीण जनता बरदाश्त नहीं कर सकती और अभी भी स्थिति गवर्नमेंट की साफ नहीं है कि कब चुनाव कराये जायेंगे। यह कहा जाता कि एक समिति का निर्माण हुआ है और वह समिति पंचायतों के पुनर्गठन और पंचायत समितियों के ढांचे के बारे में सुझाव देगी। तो वह समिति क्या फंक्शन कर रही है, कब रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, कब इलेक्शन होंगे इसके बारे में अभी तक भी स्थिति साफ नहीं है। तो मैं राज्य सरकार से यह चाहता हूं, पंचायत मंत्रीजी से यह चाहता हूं कि वह अपने जवाब में घोषणा करें और उसकी निश्चित तिथि बतायें कि कब चुनाव करा दिये जायेंगे क्योंकि चुनाव जब तक नहीं होते हैं तो लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण जिसमें 8-8 साल तक पंचायत समितियों के चुनाव नहीं हों तो यह प्रजातन्त्र की पूरी तरह अवहेलना है और

(श्री वृद्धिचन्द जैन)
हमें प्रजातन्त्र की अवहेलना नहीं करनी चाहिये। हम समाजवाद को मजबूत करना चाहते हैं, हम प्रजातन्त्र को मजबूत करना चाहते हैं और प्रजातन्त्र में 8 साल तक चुनाव नहीं कराये और उसकी खिल्ली उड़ायें यह उचित नहीं होगा। यह मैं स्पष्ट चाहता हूँ कि पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषदों के कब चुनाव होंगे। इसके बारे में निश्चित तिथि से अवगत करायें।

अब जो ग्राम पंचायतें, पंचायत समिति और जिला परिषदों का ढांचा है मेरा तो दृढ़ मत है कि पंचायतें सुदृढ़ होनी चाहियें। पंचायत समितियां ठीक तरह फंक्शन नहीं करतीं — मेरा यह सुझाव है कि टू टायर सिस्टम होकर एक ग्राम पंचायत हो और दूसरी जिला परिषद हो या डिस्ट्रिक्ट कौंसिल हो और उसके बारे में भी मेरा यह मत है कि जो ब्लॉक समितियां हैं उन ब्लॉक समितियों से 3-3 प्रतिनिधि ले लें, 4-4 प्रतिनिधि ले लें, जो भी उचित समझें उतने ही प्रतिनिधियों को ले लें और प्रतिनिधियों के चुनाव डाइरेक्ट इलेक्शन से नहीं होने चाहिये बल्कि प्रपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन के बेसस पर जैसे राज्य सभा में चुनाव होते हैं उस बेसस पर चुनाव हों ताकि जो पार्टी इन पावर है उसका भी रिप्रेजेन्टेशन आ सके और अपोजीशन का भी रिप्रेजेन्टेशन आ सके और ये 3-3 ब्लॉक समिति के सदस्य जहां 8 पंचायत समितियां होंगी वहां 24 हो जायगीं और 4 सदस्य करना चाहें तो 32 सदस्य हो जायेंगे और दूसरे एम० एल० ए० सदस्य हैं और डिस्ट्रिक्ट कौंसिल विधान सभा के रूप में काम करें, उसकी वाइड पॉवर्स हों और रिसोर्सेस अच्छे हों उनको टैक्स वसूल करने के अधिकार हों और रेवेन्यू का भी अंश उनको मिले तो इस प्रकार स्ट्रांग आर्गेनाइजेशन कायम हो। इसलिये जो समिति अपनी राय प्रकट कर रही है या जो कुछ सजेशन्स देना चाहती है मैं यह चाहता हूँ कि जो मैं सजेशन दे रहा हूँ उनको भी वह समिति कन्सीडर करे और उसकी बेसिस पर जिला परिषद् या यों कहें कि डिस्ट्रिक्ट कौंसिल का पुनर्गठन हो। तो डिस्ट्रिक्ट कौंसिल का सेक्रेटरी हम रख सकते हैं एडीशनल कलेक्टर का रैंक का रख सकते हैं और हम पंचायतों को सुदृढ़ बनाना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं तो कलेक्टर को उसका सेक्रेटरी रख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कौंसिल का और उसमें एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर्स वगैरह सभी आयेंगे और वह रेस्पान्सीबल होंगे। इसलिये इस प्रकार का पुनर्गठन डिस्ट्रिक्ट कौंसिल का हो।

एक माननीय सदस्य : आपके हाथ आई० ए० एस० मजबूत करेंगे।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : जो हमारा लोकतन्त्र है और हम समाजवाद की स्थापना करना चाहते हैं उनको भी हमारे समाजवाद के ढांचे के अनुकूल होना पड़ेगा। हमें आई० ए० एस० से घृणा नहीं करनी चाहिये। मैं तो देख रहा हूँ कि आई० ए० एस० केटेगरी के लोग ऑनेस्ट हैं, 80-90 परसेन्ट लोग उनमें ऑनेस्ट हैं। सिर्फ उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन करना होगा। अगर हम अपने पंचायतों को मजबूत करते हैं, प्रजातन्त्र को मजबूत करते हैं, केन्द्रीय सरकार को मजबूत करते हैं तो उनके भी

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

दृष्टिकोण में परिवर्तन होगा। जो डिस्ट्रिक्ट कौंसिल बनेगी उनको सक्सेसफुल करने में उनको भी योग देना पड़ेगा।

अब मैं यह चाहता हूं कि जो न्याय पंचायतें हैं उनके बारे में भी मैं कुछ विचार रखना चाहता हूं। मेरे डिस्ट्रिक्ट में मेरी यह एक्सपीरियेन्स है कि न्याय पंचायतें फंक्शन नहीं कर रही हैं और ग्राम पंचायतें कोई भी उनको सहयोग नहीं देतीं और दें भी कैसे जब कि उनकी खुद की फाइनेन्शियल पोजीशन वीक है। वह सेक्रेटरी नहीं रख सकतीं, ग्राम पंचायतें अच्छी तरह से फंक्शन नहीं कर सकतीं और उसके आधार पर न्याय पंचायतें चलायें यह किसी तरह से उचित नहीं है। तो मेरा दृढ़ मत है कि न्याय पंचायतें चलाना चाहते हैं और न्याय पंचायतें अच्छी तरह से फंक्शन कर सकती हैं और न्याय सस्ता मिल सकता है और सुलभ न्याय मिल सकता है, ग्रामीण क्षेत्रों को तो जैसे सरकार मुन्सिफ, मजिस्ट्रेट की व्यवस्था करती है तो न्याय पंचायतों के लिए भी व्यवस्था करनी चाहिये, उनके फाइनेन्सेज की व्यवस्था करनी चाहिये। ग्राम पंचायतों के ऊपर जिम्मेदारी डाली जाये यह उचित नहीं है। इससे तो आप यह चाहते हैं कि ग्राम पंचायतें कमजोर हों, न्याय पंचायतों को आप कतई चलाना नहीं चाहते हैं। इसलिए आवश्यक है कि जो न्याय पंचायतों को चलाने का भार ग्राम पंचायतों पर लगाया गया है उसको तत्काल ही बन्द कर देना चाहिये और उसके लिये राज्य सरकार को जल्दी से जल्दी घोषणा कर देनी चाहिये।

अब मैं अनाज के बारे में जो राजकीय व्यापार है उस पर अपने विचार रखना चाहता हूं। उसके लिये मेरा यह कहना है कि एफ० सी० आई० जो फंक्शन कर रही है वह फंक्शन मैंने देखा। जब कि हमारे यहां बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में जालौर डिस्ट्रिक्ट में अनाज के भाव बहुत ही सस्ते हो गये थे, उस समय जो फूड कॉर्पोरेशन के एजेन्ट्स ने जिस प्रकार से खरीद की वह तो मैं यह कहूंगा कि बिजनेसमेन जिस प्रकार से खरीद करता है उससे भी ज्यादा उन्होंने अन्याय किया। उन्होंने बनियों को एजेन्ट्स के रूप में लगाया और एजेन्ट्स ने बहुत ही नाजायज फायदा उठाया और जो फूड कॉर्पोरेशन के इन्सपेक्टर्स थे उन्होंने भी नाजायज फायदा उठाया। तो जो फूड कॉर्पोरेशन फंक्शन कर रही है और जिस प्रकार से यह फंक्शन करके किसानों को लाभ पहुंचाना चाहती है, किसानों को जो उनका अनाज है उसकी सही कीमत देना चाहते हैं उसमें फूड कॉर्पोरेशन कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुई। अब प्रश्न उठता है राजकीय व्यापार करने का। राजकीय व्यापार करने में बड़ी कठिनाइयां हैं। इसके लिए भी रिसोर्सेस चाहियें और रिसोर्सेस के बिना भी राजकीय व्यापार नहीं चलता। राजकीय व्यापार के लिए प्रत्येक स्थान पर छोटे और बड़े गोदाम बनाने की आवश्यकता होगी। गोदाम से ट्रान्सपोर्टेशन में भी खर्चा

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

लगता है और उसमें काफी सब्सीडाइज करना पड़ता है तब जाकर आप किसानों को मदद पहुंचा सकते हैं। अगर राज्य सरकार कुछ ताकत रखती है तो फाइनेन्शियल पोजीशन लेकर ही इस व्यापार को अपने हाथों में ले सकते हैं और किसानों को सब्सीडाइज करके कुछ मदद दे सकते हैं और उनको सही मूल्य मिल सकता है तो यह बड़ा भारी कार्य होगा। तो मैं चाहता हूं कि इसके लिए भी गवर्नमेन्ट कन्सीडर

(श्री बुद्धिचन्द जैन)

करे मगर उसकी फाइनेन्शियल पोजीशन की ओर भी गवर्नमेन्ट देख कर, कदम उठाये। जय हिन्द!

श्री उपाध्यक्ष : श्री विट्ठलभाई!

श्री विट्ठलभाई (पोपलखूट) : उपाध्यक्ष महोदय, सामुदायिक विकास परियोजनाओं के विषय में मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। जब से पंचायती राज बना और पंचायती राज का सपना जनता देख रही थी कि पंचायती राज बनने के बाद हमारा ग्रामीण क्षेत्र आगे बढ़ेगा, विकास होगा, शिक्षा में आगे आयेंगे और छोटे-मोटे तालाब बनेंगे, नालियां बनेंगी, सफाई रहेगी—हर बात के लिए जनता सोच रही थी, लेकिन उसका नतीजा हमें आज देखने में आता है कि पंचायती राज एक राजनैतिक अड्डा है और उसके सिवाय कोई प्रश्न नहीं दिखाई देता। अब राजनैतिक अड्डा कैसे है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस पंचायती राज में सिवाय राजनीति में चुनाव लड़ना और चुनाव में कौन आवे और उसमें तिकड़मबाजी करना, विकास का तो कोई आधार ही नहीं रहा। विकास की ओर कोई सरपंच ध्यान नहीं देता। पंचायतों के कार्यों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। जब-जब इलेक्शन आते हैं, चाहे विधान सभा के चुनाव हों, तब भी पंचायत समिति का जितना भी स्टाफ या टीचर्स, बेचारे लोग हैं, जो स्कूलो में पढ़ाते हैं उन पर कब्जा किया जाता है और सबको कहा जाता है कि कांग्रेस का प्रचार करो और कांग्रेस का प्रचार नहीं करोगे तो तुम्हारा ट्रांसफर किया जाएगा। तुमको नौकरी से खारिज किया जाएगा। इस तरह से सारे षड्यंत्र किये जाते हैं और उनसे प्रचार कार्य कराया जाता है। विकास के नाम पर कोई ध्यान नहीं देता। विकास के कार्यक्रमों में आज इनका क्या योगदान है। आज आठ साल हो गये चुनाव हुए लेकिन अभी तक चुनाव नहीं कराये जाते। अभी आठ सालों में कोई विकास के कार्य नहीं हुए। जहां पैसा सरपंचों को दिया गया, सरपंच धन का दुरुपयोग करते हैं। पंचायत समिति के मार्फत उनको सही वक्त पर पैसा नहीं दिया गया। विकास कार्य बिल्कुल खराब हो गये। कहीं स्कूल की बिल्डिंग के लिये धन दिया तो वह बिल्डिंग धंस गई, गंवाई कुए के लिए पैसा दिया तो वह कुई धंस गई और कोई विकास के कार्यों को पैसा नहीं मिलता। मैं और जिलों की बात नहीं करता, मैं बांसवाड़ा की ओर मेरे क्षेत्र की बात कर रहा हूं और जिलों में अच्छे भी काम हुए होंगे, मैं उनकी बात नहीं कहता लेकिन वहां स्कूल की बिल्डिंग के लिए आठ साल में जितना पैसा दिया गया वह बेकार गया और बिल्डिंग धंस गई। कुए धंसे पड़े हैं। पैसे का सारा चुकारा कर दिया। सरपंच और वहां के क्लर्क ने मिल कर ठेका दिया। आधा पैसा तो ठेकेदार खाकर भाग गया। पंचायत समिति की कोई देखरेख नहीं, सरकार ने ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। अब जब कि चुनाव होते हैं तो इन सरपंचों को दबाया जाता है। क्योंकि मेरी पंचायत समिति के बारे में मैं निवेदन करूंगा कि वहां का जो प्रधान है वह सोशलिस्ट पार्टी से जीत कर आया है। मैं भी सोशलिस्ट पार्टी से जीत कर आया हूं और मेरे क्षेत्र में हमारी पंचायत समिति के सरपंच और प्रधान जो हैं वे भी सोशलिस्ट पार्टी के थे लेकिन उसके लिये हमारे नेता महोदय जो हैं, जो जोशीजी हैं वे चाहते हैं कि सोशलिस्ट पार्टी के वहां सरपंच न रहें

(श्री विट्ठलभाई)

वहां पर सोशलिस्ट पार्टी के प्रधान न रहें, वहां का एम, एल. ए. सोशलिस्ट पार्टी का न रहे। इसके कारण सरकारी नौकरों से कहा जाता है कि सरपंच को दबाओ और उनके खिलाफ केस बनाओ सोशलिस्ट पार्टी के हों तो और फिर उनको टोपी पहना कर अगर वे कांग्रेस में आवें तो उनको बचाने की कोशिश करो। ये सारे धन्धे किए जाते हैं। मैं आपसे निवेदन करूं कि यह विकास की प्रक्रिया यह सारे धन्धे हमारे यहां विकास में राजनीति के चल रहे हैं, हय भयकररूप से चल रहे हैं। इसका नतीजा यह है कि आमने-सामने एक ही जाति के लोग हैं उनमें आपस में झगड़े हो रहे हैं। इस प्रकार आपसी झगड़े वहां पर कांग्रेस पार्टी के लोग और जोशी साहब करा रहे हैं। अभी हमारे वहां पर दो पंचायत समितियों में अविश्वास का प्रस्ताव प्रधान के खिलाफ आया। एक पंचायत समिति में अभी 9-10 को ही चुनाव की बात थी, वहां पर पंचायत समिति के विकास अधिकारी ने दो कांग्रेसी सरपंचों के खिलाफ कुछ कार्यवाही की थी। कार्यवाही करने के बाद उस सरपंच ने जोशीजी को शिकायत की कि हमारे खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं, अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा, मुश्किल हो जायगी, कुछ भी करो। तो उस विकास अधिकारी को कागज लेकर यहां बुला लिया। दस दिन तक वह विकास अधिकारी गवर्नमेंट होस्टल में पड़ा रहा, उससे कुछ पूछा तक नहीं। जब चुनाव हो गए और समय निकल गया तो उसको आगे की तारीख दे दी। तो इस प्रकार के धन्धे होते हैं, इस प्रकार के षडयंत्र होते हैं और जो धन का दुरुपयोग करते हैं उनके खिलाफ विकास अधिकारी कार्यवाही करे तो उसको दबाया जाता है। जब कोई सोशलिस्ट पार्टी का सरपंच हो और कोई गलत काम न भी करे तो भी गलत काम करने की सजा दी जाती है। यह आपका समाजवाद है, क्या ऐसा ही समाजवाद आप लाना चाहते हैं।

और अविश्वास प्रस्ताव के बारे में निवेदन करूं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष महोदय, कि यह क्या पक्षपात है कि जिस दिन अविश्वास का चुनाव था उसके पांच दिन पहले उन्होंने गाड़ियां दौड़ाना चालू कर दिया। हमारे सरपंचों को पकड़ लिया, पुलिस के जरिए। पुलिस उनको ले गई और कुछ लोगों को तो बस्ती परतापुरा में रखा और जो पीपलखूंट के थे उनको उदयपुर तक ले गए, चित्तौड़ तक ले गए। उनको जैसे गिरफ्तार किया हो इस तरह से पकड़ कर ले गए। एक सरपंच तो अस्पताल में थे पीपलखूंट क्षेत्र के, उसकी औरत मर रही थी, उसको उल्टी दस्त हो रहे थे उसको जाकर पकड़ लिया और पकड़ कर उसको उदयपुर गाड़ी में डाल कर ले गए।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : जबरदस्ती तो नहीं पकड़ा।

श्री विट्ठलभाई : मैं आपसे कहता हूं कि खादू का कुंडा के बारे में क्या हुआ। वहां के मानाभाई सरपंच हैं। जिस दिन मीटिंग थी उस दिन कांग्रेस के मेम्बर आये कहा कि तेरे लड़के का लड़ाई-झगड़ा हो गया है. मारपीट हो गई और तुम को अभी का अभी चलना पड़ेगा। उसको घेर कर ले गये उसने कहा कि मैं नहीं चलता हूं तो उसको कहा कि तुम्हारा लड़का मर जायगा। उसका झगड़ा हो गया है।

(श्री विट्ठलभाई)

इस तरह से उस सरपंच को वहां से ले गए और बन्द कर दिया। तो मैं निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार से झूठी इत्तला देकर सरपंच को बहकाया जाता है और उनके खिलाफ इस तरह से कार्यवाही की जाती है। आप समाजवाद का नारा लगाते हैं तो इस तरह से समाजवाद लाना चाहते हैं। मैं आपको 25 गवाह इसके दिला सकता हूं। इसी तरह से एक और सरपंच था जिसकी औरत अस्पताल में भर्ती थी। वह अकेली थी। उस औरत को अकेली छोड़ कर तीन आदमी कांग्रेसी उसको पकड़ कर गाड़ी में डाल कर ले गये। इस प्रकार की साजिश की जाती है और वह भी पुलिस से मिल कर की जाती है। पुलिस के द्वारा यह सब करवाया जाता है। यह सब आपने करवाया है। उदयपुर में आठ-आठ दिन तक सरपंचों को बन्द कमरे में रखा जाता है और एन टैम पर लाकर सुपुर्द किया जाता है। इस प्रकार के धन्धे किये जाते हैं और वह भी पुलिस के जरिए। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि इस तरीके से यह जो राजनैतिक षड्यंत्र हमारे जिले में किये जाते हैं, मैं दूसरी जगह की बात नहीं कहना चाहता, दूसरी जगह विरोधी लोग ज्यादा चुनाव नहीं लड़ते लेकिन हमारे यहां लोग वर्षों से चुनाव लड़ते हैं और आज भी हमारे यहां प्रधान और सरपंच हमारे दल के हैं और उनको परेशान किया जाता है। आप कहते हैं कि हम विकास कार्य कर रहे हैं, क्या विकास कार्य कर रहे हैं? चुनाव हुए 8 साल हो गए लेकिन अभी तक चुनाव करा नहीं पाए। सरपंच पैसों के मामलों में फंस गए हैं। आप कहते हैं कि विकास कर रहे हैं, क्या विकास कर रहे हैं। आपके सारे कार्य अधूरे पड़े हुए हैं। जो तालाब बनाये, जिन पर खर्चा हुआ, जो 25 हजार के एनीकट्स वगैरा हैं वे सब खत्म हो गए, उनका नामोनिशान खत्म हो गया। आपने रुपया खर्च किया लेकिन करोड़ों रुपया आपने सही ढंग से खर्च नहीं किया। आपने पैसा समय पर दिया नहीं, सरपंचों को समझाया नहीं और वहां के विकास अधिकारी और सरकारी स्टाफ ने काम किया नहीं, केवल सरकारी गाड़ियों में इधर-उधर घूमते रहे। अनपढ़ सरपंचों को आपने पैसा दिया जो उन्होंने थोड़ा बहुत इधर-उधर लगाया। सरकारी नौकर और ठेकेदार उस पैसे को खा गए। आज लाखों रुपये जहां खर्च हुए, वहां पर भी विकास का नामोनिशान उठ गया। अब सरपंचों को फंसाया जा रहा है। मैं पीपलखूंट पंचायत समिति के सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि उस पंचायत समिति की पूरी जांच कराइए। उसमें चाहे हमारे सरपंच हों, चाहे कांग्रेस के सरपंच हों, सब के खिलाफ इन्क्वायरी बैठाई जावे और जब से वे सरपंच हैं तब से कितना पैसा किस-किस मद में मिला और कितना पैसा खर्च हुआ, इसकी सही जांच की जावे। स्कूल के लिए कितना पैसा मिला, स्कूल है या नहीं, उस पर कितना पैसा खर्च हुआ, कुए के लिए कितना पैसा दिया और कितना काम कुए पर हुआ, कितने कम्पलीट और कितने अनकम्पलीट हैं, कितना पैसा वाजिब खर्च किया और कितना गैर वाजिब खर्च हुआ, यह सारी जांच होनी चाहिए। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह जांच नहीं करायेंगे कि धन का दुरुपयोग हो रहा है वह होता रहेगा। मैं

(श्री विट्ठलभाई)

और भी निवेदन करूं मेरे पीपलखूंट क्षेत्र में 16 एनीकट पर चार लाख रुपये खर्च हो गया और एक बीघा जमीन को पानी नहीं देते हैं। सब टूटे पड़े हैं, सब जगह पत्थर पड़े है। किस अधिकारी ने ऐसा किया है, सरपंच ने किया है, ठेकेदार ने किया है। ठेकेदार का तो सवाल ही नहीं है। ऐसे ठेकेदार को क्यों ठेका दिया गया। किस अधिकारी ने यह घोटाला करवाया है। यह सारी जांच कराई जानी चाहिये नहीं तो मैं कहता हूं आगे जाकर बहुत विश्वासघात होगा। आदिवासी इलाका है, हम चाहते हैं विकास हो लेकिन विकास नहीं होता है। एक तो यह चीज है माननीय सदस्यों ने कहा पंचायतों के चुनाव कराना चाहते हैं या नहीं, यह आप अपने वक्तव्य में दें। 8-8 साल होने के कारण हर जनता ऊब गई है। सरपंच खोटाखरा धन्धा करते हैं। जनता पंचों और सरपंचों के खिलाफ हो गई है। उनकी अपनी बपौती तो नही है। उन्होंने अपना घर बनाया, मन मरजी से काम किया पैसा मन मरजी से खाया। जनता को मौका नहीं दिया बदलने का तो बहुत खराब होगा। कम से कम चुनाव कब करा रहे हैं, वह हमको पता लगना चाहिये और उसकी निश्चित तिथि बता दी जाय। यह घोषणा करें फलां महीने में, फलां तारीख को करवा देंगे। नहीं करायेंगे तो बहुत बड़ा असन्तोष फैल रहा है। विनाश तो हो ही गया है और ज्यादा विनाश हो जायगा लेकिन आगे के लिये सुझाव दूंगा सही ढ़ंग से पैसे दिये जायें, सही ढ़ंग से जांच की जाय। कुओं का काम, स्कूलों का काम टेक्निकल ढ़ंग से करवाया जाय तो विकास हो सकता है। यह बात नहीं है कि विकास नहीं हो सकता है लेकिन जो पहले काम हुआ है वह गलत हुआ है। आज सारी पंचायतों का जो विकास हुआ है, वह बेकार गया। मेरे पीपलखूंट क्षेत्र और बांसवाड़ा क्षेत्र में पंचायत समितियों की जांच की जाय और जो सरपंच दोषी हो उनको सजा दी जाय और सरपंच दोषी नहीं पाये जायं उनको बचाया भी जाय, यह भी मेरा कहना है और यह जरूरी है। थोड़ा मैं स्कूलों में टीचर्स के लिये भी कह दूं। पंचायत समितियों में असन्तोष तो नहीं है लेकिन कई दिक्कतें आती हैं। अध्यापक सरपचों के अन्दर में रहते हैं, बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं, टीचर्स समय पर स्कूलों में नही रहते हैं। सरपंच चाहते हैं, हमारे दल का प्रचार टीचर्स करें। मैं और टीचर्स वहां रहे। मैं सुझाव दूंगा जो श्री पंचायत समिति के टीचर्स हैं वे सब शिक्षा विभाग के मारफत करा दिये जायं। पंचायत समिति के टीचर्स मारे-मारे फिरते रहते हैं। कई दिक्कतें आती हैं, शिक्षा विभाग के मारफत कर देना चाहिये, इसका भी सुझाव देता हूं।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : उपाध्यक्ष महोदय, पंचायती राज की स्थापना सर्वप्रथम राजस्थान में हुई और स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर में पंचायत राज की स्थापना की। उसके बाद में राजस्थान ने पंचायती राज की पांच संस्थाओं का, जिला परिषद से लेकर पंचायत तक गठन किया और दूसरे राज्यों ने हमारे पंचायती राज का अध्ययन किया। दूसरे प्रान्तों से हमारे यहां टीमें आई और हमारे पंचायती राज संस्थाओं का उन्होंने अध्ययन किया, और उसके बाद अपनी-अपनी स्टेट्स में पंचायती राज लागू किया

Page No 71

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

परन्तु उपाध्यक्षजी, यह हमारा दुर्भाग्य है कि इतने साल पंचायती राज चलने के बाद भी, इतने बरसों के प्रेक्टिकल अनुभव के बाद भी, जो कई कमियां नजर आईं, उन कमियों को दूर करके दूसरी स्टेट्स ने विशेष तौर से गुजरात और महाराष्ट्र ने उन कमियों को ठीक किया और उसके बाद पंचायत राज की स्थापना की। वहां के लोगों से हम मिलते हैं तो वह कहते हैं कि हमारे यहां पंचायत राज बहुत अच्छी तरह चल रहा है और पंचायत को यूनिट मानकर सारा काम होता है। गुजरात की पंचायत के अधीन एग्जीक्यूटिव इन्जिनीयर होता है और पटवारी वहां का सचिव होता है और बड़े-बड़े अधिकारी पंचायत राज के अन्दर रह कर काम का एग्जीक्यूशन करते हैं और निर्माण कार्य करते हैं। लेकिन हमारे यहां उन पंचायती राज की कमियों को ठीक नहीं किया गया। ग्राम नेता तैयार हों और उनके सहयोग से काम अच्छी तरह से हो सके, इस आशय को लेकर पंचायती राज का गठन किया गया। लेकिन जहां जन भावना जागृत हुई है, उसके साथ-साथ पार्टीबाजी भी बढ़ गई है। पहले समय-समय पर प्लान के अनुसार पंचायत समितियों को जो सामुदायिक विकास योजना के अधीन जो धन दिया जाता था अब वह उनको नहीं दिया जाता और उनके पास कोई काम नहीं सिवाय इसके कि अपने स्टाफ की तनख्वाहें बांटें और आज इससे एजुकेशन के टीचर्स की तनख्वाहें बांटे। यही काम उनके पास रह गया है। दूसरी राजस्थान में पंचायत राज के चुनावों की बात है। किसी न किसी कारण से, कभी फेमिन की वजह से, कभी मिड-टर्म इलेक्शन्स की वजह से, कभी विधान सभा के इलेक्शन्स की वजह से, यह चुनाव स्थगित होते रहे और उनकी अवधि बढ़ाते-बढ़ाते आज 8 साल हो गये आज सरपंच और पंच इतने शिथिल हो गये हैं कि वह मीटिंग तक अटेंड नहीं करते, और ज्यादातर तो मीटिंग ही नहीं होती है क्योंकि वह कहते हैं कि हमारे पास तो कोई काम ही नहीं है, मीटिंग किस लिये बुलायें? वे बिल्कुल निश्चिंत हो चुके हैं। न्याय पंचायतों का तो कहना ही क्या! भावना तो यह थी कि जैसे एग्जीक्यूटिव को जुडीशरी से अलग करने की बात की जाती है, उसी तरह न्याय पंचायत भी साधारण पंचायतों से अलग हों और जनता को सस्ता न्याय मिल सके। इसलिये पंचायतों को तो एग्जीक्यूटिव पावर्स दिये गये और न्याय पंचायतों को जुडीशिअल पावर्स दिये गये लेकिन न्याय पंचायत इतनी निष्क्रिय और साधनहीन बन गई हैं कि वहां के सचिव की तनख्वाह भी ग्राम पंचायत को देनी पड़ती है तो न्याय पंचायतें करीब-करीब डीफंक्ट सी हो गई है। जहां पार्टीबाजी ज्यादा है वहां पर लोगों को नोटिस देकर बुला लेना, फिर नोटिस को फाड़ देना, यह काम रह गया है। सचिव अपनी तनख्वाह लेने की कोशिश करता है, बाकी वहां कुछ नहीं हो रहा है। मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहूंगा कि कितनी न्याय पंचायतों के सचिवों की तनख्वाह देना बकाया है, इससे आपको मालूम पड़ेगा कि न्याय पंचायतों को सरकार कितना कम धन दे रही है। न्याय पंचायतों के स्थापन करने की जो मन्शा थी कि छोटे-छोटे केसेज वहां पर ही समाप्त हो जायेंगे और गांव वालों को सस्ता न्याय

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
मिलेगा उनको अदालतों में नहीं फिरना पड़ेगा, वह मन्शा पूरी नहीं हुई है।

हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट आपके सामने आई, सादिकअली कमेटी बनाई, उनकी विस्तृत रिपोर्ट आपके सामने आई, लेकिन सादिकअली रिपोर्ट के बाद भी आप कोई कन्सोलीडेटेड बिल सदन के सामने नहीं लाये। प्राइमरी और सेकेन्डरी एज्युकेशन उनको दिया जाये और पॉवर्स उनको दिये जायें, सीनियर ऑफिसर्स को वहां पर रखा जाये, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद् को मजबूत बनाया जाये, रेवेन्यू वगैरा का काम उनको दिया जाये, यह जो रिकमेंडेशन्स थीं, उनको दूसरी स्टेट्स ने तो लागू कर दिया, लेकिन हमारे यहां केवल इलेक्शन्स के पोर्शन को तो इम्प्लीमेंट किया गया पर दूसरी रिकमेन्डेशन ग्राम पंचायत आदि को मजबूत बनाने की थीं, उनको राज्य सरकार ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। मैं पूछना चाहूंगा कि इसमें इतनी डिले क्यों की ? क्या आप पंचायत राज संस्थाओं को फेल करना चाहते हैं ? अगर नहीं, तो उनकी सादिकअली कमेटी की रिपोर्ट रिकमडेशन्स को क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया ? अब आप कब तक करने जा रहे हैं ? दोहरापन इसमें हो रहा है। अब फिर कमेटी क्यों बनाई गई है ? एक तरह से विचार किया जाय तो इतनी बड़ी सारी जनशक्ति को दृढ़ जाग्रत तो कर दिया इसको कन्ट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कुछ न कुछ पावर देकर या जो इसका उपयोग किया जाय या इसको इतने पर ही छोड़ दें कि ग्राम पंचायतें बनादें व डिस्ट्रिक्ट लेवल तक परिषद् रहने दें और दूसरी जो न्याय पंचायतें हैं उनको खत्म कर दें। हर जगह इलेक्शन के वक्त लोग इन्टरेस्ट लेते हैं। बाद में कुछ काम नहीं किया जाता है। इसलिए आगे इन इन्स्टीट्यूट्स के लिए प्रोवीजन नहीं हों तो उसी रूप में कार्य-प्रणाली कानून के जरिये अख्त्यार की जानी चाहिए।

अब, माननीय उपाध्यक्षजी, दूसरी जो कमेटी का गठन किया गया है, उसके लिये यह सुनने में आया है कि वह हाई पावर कमेटी दूसरी स्टेट्स में स्टडी करने जा रही है। मद्रास वगैरह का टूर करेगी और वह उनके अनुभव को बतायेगी। अब यह कमेटी इतना लम्बा खर्चा करके और पूरा पेराफ़र्नेलिया लेकर टूर करने जा रही है, तो इसकी मान्यता क्या है ? समझ में नहीं आता है कि 8 साल से तो चुनाव कराना चाहते हैं। यह लम्बा प्रोसीजर है, आपका चुनाव का, और रि-ऑर्गेनाइजेशन आफ पंचायती राज का करना है तो डिलिमिटेशन बराबर करें और उसको कार्य रूप में परिणत करें। अगर उनका पुनर्गठन करके पावर देकर पंचायती राज का इलेक्शन कराना चाहते हैं तो यह स्पष्ट आश्वासन मंत्री महोदय से चाहूंगा। इसको इम्प्लीमेंट कब करेंगे, कब कानून लायेंगे, यह भी बतायें। बार-बार असेम्बली में प्रश्न आता है और आप जवाब देने में असमर्थ हैं। यह हाई पावर कमेटी कब तक रिपोर्ट देगी, क्या टर्म्स आफ रेफरेन्स इसको दिये हैं ? वैसे इनको सक्रिय बनाने के लिए कानून बनाकर पूरा करेंगे तो मकसद पूरा होगा। एक ओर पंचायती राज्य निष्क्रिय हो गया है। उसको सक्रिय बनाया जाय। मेरी यह मान्यता है कि पंचायती राज का स्वर्गीय पंडित जवाहरलालजी ने नागौर में दीप जलाकर उद्घाटन

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

किया था इसको मरने तो नहीं दिया जाय। दूसरी स्टेट्स ने हमारे यहां से लेकर इसका इम्प्लीमैंटेशन किया है और अब हम उनके पास जाकर देखेंगे कि उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किस प्रकार किया है और अपनी गलतियों को सुधारेंगे यह दुर्भाग्य है। इसको जल्दी इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। ज्यादातर ग्राम विकास के जो कार्य हैं जो भी स्कीमें लाई जायेंगी, उनको ग्राम पंचायतों को देकर करवाने की कोशिश होगी और ग्राम पंचायतों के पास अभी तक कुछ भी नहीं है। इस रूप में इस पर विचार करके राज्य की जो भी योजना हो उसको लोअर स्टेज पर इम्पलीमेंट कराने का सवाल है तो सक्रिय रूप से इनको सशक्त बनाना पड़ेगा, इनको साधन देने पड़ेंगे और तब जाकर फिर जो भी कार्य कराना है उसका बजट देकर आपको इनको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्षजी, इसके अलावा दूसरा जो यह प्राथमिक एज्यूकेशन का कार्य भी पंचायती राज के अन्दर आया उसकी क्या दुर्गति हुई। उसके अन्दर चाहिए तो यह था कि टीचर्स का टाइमली फिक्सेशन हो जाता। पंचायत लेवल पर फिक्सेशन हो गया। फायदा तो हुआ है इस बात से तो इन्कार नहीं किया जा सकता है, लेकिन पंचायत समितियों के बजट से उनका खर्चा पूरा नहीं होता है। दो-चार दिन पहले एक प्रश्न मेरा आया था उसके जवाब में एक एग्जाम्पल आपके सामने देते हुए मैंने बताया था कि सांचोर पंचायत समिति में जितनी भी प्राथमिकशालाएं हैं उनमें से 80 पर्सेन्ट प्राथमिकशालाएं ऐसी हैं जहां पढ़ाने का कोई सामान नहीं है। पंचायत समिति के पास में अपनी निजी इन्कम है और वे देना चाहते हैं। कुछ भवन के लिए, टाट-पट्टियों के लिये, टेबल्स वगैरह के लिये और मामूली जो बैठने की पट्टियां हैं, लेकिन वहां के जो डी० डी० ओ० हैं वे सैंक्शन नहीं दे रहे हैं। वे कहते हैं कि ऊपर से सेन्क्शन नहीं मिली है। प्राथमिकशालाएं तो उनको दे दीं, लेकिन इनकी देखभाल करने वाला नहीं है, मकान नहीं है। कुछ गांवों ने मकान बनाकर दिये हैं तो उनकी मरम्मत कभी हुई नहीं। 20 पर्सेन्ट स्कूल तो ऐसे हैं जो कि पेड़ों के नीचे चल रहे हैं, क्योंकि उनके पास साधन वगैरह नहीं हैं। यह जो प्राथमिकशालाओं की दुर्गति है वह तो आपके सामने है। 80 पर्सेन्ट स्कूलों की यह हालत है कि कोई सामान नहीं है। आज तक सामान नहीं दिया। डी० डी० ओ० यानी कलेक्टर साहब सेन्क्शन नहीं देते हैं, पॉवर्स उनके हाथ में है और लाखों रुपया पड़ा है तो स्कूलों में कुछ न कुछ लगाया जाय। इस बारे में राज्य सरकार को विशेष रूप से सोचने की आवश्यकता है। बी० डी० ओ० बैठाये हैं तो पंचायत समितियों को फेल करने वाले या बदनाम करने वाले बैठाये हैं। खुद का पैसा लगाकर पंचायत समिति खर्चे को मीट करना चाहते हैं तो रोक उस पर क्यों लगा दी? रुपया मिसयूज होता हो तो चैक करें पर उसको रोक क्यों रखा है? प्राथमिकशालाओं को पंचायत समिति के नीचे रखा है तो वहां पर जो टीचर्स के ट्रांसफर्स होते हैं, वे पार्टीबाजी के आधार पर होते हैं वह नहीं होने चाहिएं। मिडिल स्कूल्स को जिला परिषदों को ट्रान्सफर करने की बात आती है तो इस बारे में भी सोचा जाये एस० डी० आई० स्कूल विजिट नहीं करता है क्योंकि टी० ए०, डी० ए० में पैसा नहीं है या शायद

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

और कोई डिफिकल्टी हो। इस बारे में नये सिरे से सोचने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी, जो क्रेश की योजना है, वह केन्द्रीय सरकार की योजना है और जो यह क्रेश प्रोग्राम दिया है वह एक नया प्रोग्राम है। उसके बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। क्रेश प्रोग्राम के बारे में आपके विभागीय अफसर बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते हैं। जहां तक पेमेन्ट का सवाल है दो-तीन महीने तक पेमेन्ट नहीं देते हैं। इतना इम्पार्टेंट प्रोग्राम है, एम्प्लॉयमेंट देने का मामला है, उसके अन्दर नीचे के ऑफिसर्स बहुत ही ढिलाई दे रहे हैं और यह प्रोग्राम खत्म हो रहा है। आप यह फीगर्स बतायें कि कितने रुपये दिये थे और कितने युटिलाइज हुए हैं। लोगों की भावना तो जाग्रत कर दी, लेकिन कुछ नहीं किया। एक हजार को एम्प्लाय करने का बताया था वह फेल हुआ है, युटिलाइज नहीं किया गया है और रुपया लेप्स होगा। हमारे यहां अकाल से इफेक्टेड एरिया है और सेन्क्शन विकास डिपार्टमेंट में पड़ी है तो लेबर एम्प्लाय कैसे करें? ईधर राज्य सरकार यह कहना चाहती है कि अभावग्रस्त क्षेत्रों के अन्दर रूरल वर्क्स और क्रेश प्रोग्राम के अन्दर वित्त मंत्रीजी कहते हैं कि बजट में रकम दे रखी है उसको पहले एक्जास्ट करो और उसके बाद में पैसा नहीं होगा तो दूसरी सेन्क्शन देंगे, वर्ना नहीं देंगे। उनका कहना वाजिब है। पैसा युटिलाइज नहीं हो रहा है तो इस बारे में असावधान ऑफिसर्स को सस्पेण्ड करना चाहिए। ग्रामीण स्तर पर नेशनल प्रोग्राम के क्रियान्वयन के बारे में यह रुख अपनाते हैं तो राज्य सरकार को जवाब पूछना चाहिए और अफसरों को सजा देना चाहिए।

उपाध्यक्षजी, इसके अलावा दूसरी जो डिमाण्ड है योजनाओं पर पूंजी लागत के बारे में तो इसके बारे में पशुपालन यानी एनीमल हजबेन्ड्री की डिमाण्ड के बारे में मैंने राज्य सरकार का ध्यान पहिले भी आकर्षित किया था और आज और विशेष रूप से आकर्षित करना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर ज्यादातर ये भेड़-पालक हैं ये हिन्दुस्तान भर में मारे-मारे फिरते हैं और जब भी नेचुरल कैलिमिटी आती है तो भेड़ों के झुण्ड के झुण्ड मर जाते हैं। हमारे यहां पर जैसलमेरी भेड़ें, चौकला, मेवाड़ी और सोनारी अच्छी किस्म की भेड़ें हैं, इनके प्रजनन का कार्य विशेष रूप पर ट्यूबवेल पर वे चारा वगैरह करके विशेष रूप से एक जगह पर नहीं होता है और हिन्दुस्तान भर में मारे-मारे फिरते हैं। रेबारी और राइका लोग जो इस धन्धे को करते हैं वे अनपढ़ लोग हैं और हमेशा से फिरते आ रहे हैं, नोमेडिक हैं, गाड़िया लोहारों की तरह से उनके लिए ऊन योजना बने और ऊन खरीदते हैं एजेन्टों के जरिये तो जितना पैसा वास्तविक रूप में उनको मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। उनको पूरा पैसा मिलना चाहिए। और यह जो इतना फारिन एक्सचेंज उनसे आता है उसके प्रति राज्य सरकार की उदासीनता रही है और राज्य सरकार ने इस विभाग को बजट बहुत कम दिया है। सबकी सब पंचवर्षीय योजना में 76 लाख का बजट है, और दो साल में इक्कीस, साढ़े इक्कीस लाख रुपये खर्च हुए हैं। यह इतना इम्पोर्टेन्ट विभाग है और इतना कम बजट है इससे क्या विकास करेंगे? इसके बारे में

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

मेरा निवेदन है कि नेचुरल कैलेमिटी में भेड़ की भेड़ का झुंड खत्म हो जाता है। इसके लिए क्या ग्रान्ट-इन-एड सरकार ने आज तक दी है? पानी, घास खत्म हो जाता है तो भेड़ की भेड़ खत्म हो जाती हैं। लेकिन राज्य सरकार ने ऐसी स्कीम हाथ में नहीं ली कि इनकी क्षति-पूर्ति का इन्तजाम किया जा सके। इनके लिए कोई चरागाह का इन्तजाम नहीं किया। मैं इस सम्बन्ध में जवाब चाहूंगा कि इस रूप में राज्य सरकार इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करे और इस महकमे को ज्यादा ग्रान्ट दे। भेड़ और ऊन का महकमा है, यह इम्पोर्टेन्ट है क्योंकि लोगों का जीवननिर्वाह इस पर आधारित है। इसलिए इनकी ओर ध्यान दिया जाय और इनकी सुविधाओं की ओर ध्यान दिया जाय। इनके लिए अलग से जमीन का हिस्सा एलॉट करें और इनकी हालत को सुधारें। इनकी वातों के वारे में उपाध्यक्षजी, मैं राज्य सरकार का जवाब चाहूंगा।

फूड कॉर्पोरेशन है, इसके द्वारा अनाज खरीदने के बारे में सवाल आता है। राज्य सरकार इसमें असमर्थ रही है कि इस पर कैसे कन्ट्रोल किया जाय। आज काश्तकारों के अनाज के भाव नीचे गिर जाते हैं लेकिन कंट्रोल रेट पर फूड कॉर्पोरेशन नहीं खरीदता है। हमारा आग्रह है कि अनाज के भाव का कंट्रोल राज्य सरकार के द्वारा होना चाहिये। इसमें जितनी देर होगी उतनी ही डिफिकल्टी आयेगी। इसके अलावा फूड कॉर्पोरेशन में लोकल ऑफिसर हैं, मण्डी में क्वालिटी इन्सपेक्टर हैं, उनकी बदमाशी रहती है, उनकी जांच करायें और सही आधार पर काश्तकारों का अनाज है उसको खरीदे जाने का इन्तजाम करें। जो बैकवर्ड जगह पड़ी हैं वहां गोदाम की व्यवस्था नहीं है, इसलिये गल्ला खराव हो रहा है। इसलिये अच्छे किस्म के गोदाम की व्यवस्था करनी पड़ेगी ताकि वहां पर अनाज स्टॉक में रख सकें। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन और छीजत से भी नुकसान पहुँचता है, उससे काश्तकारों को दिक्कत होती है। इसलिए इस ओर भी राज्य सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है।

इसके अलावा बीज पंचायत समितियों की मार्फत बेचा है उसकी वसूली के लिए काश्तकारों के खेत कुर्क हो गये, उनके मवेशी कुर्क हो गये, उसका कोई हिसाब नहीं है। पी. ए. सी. की कई रिपोर्ट के बाद में हिसाब बना लेकिन बीज और खाद का पैसा कई लोग खा गये, कई लोगों के खिलाफ एम्बेजलमेन्ट के केसेज बनाये और लोगों से वसूली हो रही है लेकिन बीज और खाद किसने ले लिया, इस ओर राज्य सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। यह इतना इम्पार्टेन्ट मूवमेन्ट है कि अच्छे बीज और खाद के लिये हिन्दुस्तान की सरकार और राजस्थान सरकार ने छोटे-छोटे गांवों में को-ऑपरेटिव, पंचायत समिति के मार्फत देने की व्यवस्था की लेकिन टाइम पर ऋण नहीं मिलता है इसलिये इसका पूरा उपयोग काश्तकार नहीं करते हैं इसलिये समय पर ऋण उपलब्ध हो और समय पर ऑन क्रेडिट खाद और बीज का वितरण हो जिसकी पैदावार से वसूली हो। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मीठालाल !

श्री मीठालाल (लालसोट) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसी कि सदन के अधिकांश मान-

(श्री मीठालाल)

नीय सदस्यों की यह राय है कि पंचायत विभाग द्वारा पंचायत और पंचायत राज की राजस्थान में बहुत बड़ी दुर्गति हो रही है, मैं तो समझता हूं कि दुर्गति तो क्या पंचायत राज अपने राज्य में एक तरह से राजनैतिक आखेट का मैदान रह गया है जिसमें मंत्रियों को सबसे ज्यादा शिकार खेलने का मौका मिलता है। पंचायत विभाग, पंचायत समितियां और जिला परिषद्—आप सभी जगह देख लीजिये, मन्त्री उल्टे-सीधे ट्रांसफर कर देते हैं, सरपंच पैसा खा जाते हैं उनकी सिफारिश के लिये, मन्त्री लोग ताकत लगाते हैं चुनाव को करने के लिये सबसे ज्यादा अनुचित कार्यवाही पंचायत विभाग से होती है। सबसे ज्यादा यदि देश की बरबादी यदि किसी विभाग से हो रही है तो वह पंचायत विभाग है। मैं तो यहां तक कहूंगा, कि जब तक पंचायत समिति रहेगी तब तक राज्य का दीवाला निकलने से परमात्मा भी नहीं रोक सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत समितियों के पास यदि कोई चीज रह गई है तो वह है प्राइमरी स्कूल शिक्षा। प्राइमरी शिक्षा की वहां यह हालत है कि अध्यापक लोगों से पूछा जाय कि तुम पंचायत समिति से निकलना चाहते हो तो यह हालत होगी कि जैसे भेड़-बकरी को बाड़े में बन्द कर रखा हो, चारों तरफ से घेर रखा हो और मौका मिलते ही सबकी सब भागने को तैयार हों। यह स्थिति है। कोई अध्यापक नहीं चाहता कि पंचायत समिति में रहे। इन्स्पेक्टर ऑफ स्कूल्स हैं, वह बड़े-बड़े नोट लिख कर सिफारिश करते हैं कि इन अध्यापकों को पंचायत समिति से कैसे निकालें और यह शिक्षा विभाग में चले जायें। इसके पीछे कोई न कोई कारण हैं। उन अध्यापकों के साथ बहुत बुरी बीत रही होगी, बचने का कोई उपाय नहीं रहा होगा तब ही वह ऐसा सोचते हैं वरना गांवों में उन्हें रहना चाहिये क्योंकि गांव के वे अध्यापक हैं। इसके बावजूद वे पंचायत समिति के स्कूल में नहीं रहना चाहते हैं—इसके पीछे कोई न कोई राज है। उनकी आज वहां पर बेइज्जती हो रही है, उनका मान नहीं है, इज्जत नहीं है। जो उद्देश्य हैं कि वे बच्चों को शिक्षा दें, उस उद्देश्य की पूर्ति करके वे पूरी शिक्षा बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं। आज अध्यापक हैं, वे सरपंच की दया पर निर्भर रहते हैं। आज सरपंच नाराज हो जाय तो अध्यापक की खैर नहीं होती। एक-एक पंचायत समिति ऐसी है कि अध्यापक दस-दस बार तब्दील हुए हैं और वे एक तरह से फुटबॉल की तरह बने रहते हैं, आज इस गांव में, कल दूसरे गांव में और दूसरे गांव में जब तक मकान नहीं ले पाते हैं तब तक तीसरे गांव में स्थानान्तरण हो जाता है। सरपंच के घर का काम करना पड़ता है, हिसाब-किताब रखना पड़ता है, विवाह-शादी में काम करना पड़ता है। सरपंच के घर शादी होती है तो स्कूल की टाट-पट्टी और जो दूसरा सामान होता है वह भी वहां भेजना पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, इन स्कूलों की पंचायत समिति में यह स्थिति है कि बच्चों को बैठने की जगह भी नहीं मिलती है। साल में दो-तीन महीने स्कूल चलता है और अध्यापक उसमें दस-पन्द्रह दिन स्कूल जाते हैं। सरपंच की जिन अध्यापकों पर दया है, वे अध्यापक स्कूल नहीं जाते हैं और गायब रहते हैं। जब अध्यापक महोदयों की यह हालत है तो बच्चों की क्या हालत रही होगी ? जो देश के भावी नागरिक हैं, देश के भावी कर्णधार हैं, उनकी यह स्थिति है कि रेत में बैठते हैं,

(श्री मीठालाल)

धूप में बैठते हैं, बरसात होती है तो उन्हें छुट्टी मिल जाती है। गर्मियों में मौका मिले तो पेड़ के नीचे कक्षा लगती है और उन्हें पढ़ाया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर पंचायत समितियों ने कुछ रुपया पैसा दिया है तो दो फीट, चार फीट के स्कूल भवन बना दिये हैं, न छाया का इन्तजाम है और न दरवाजे का इन्तजाम है। इस स्थिति में आज राज्य सरकार सोचती है कि जयपुर में चार कॉलेज हो गये, पांचवां कॉलेज और खोल दिया जाय, अलग-अलग तरह की शिक्षा के स्कूल खोल दिये जायें। बड़ी-बड़ी बिल्डिंग पांच-दस लाख की बन जाती हैं लेकिन दूसरी तरफ पंचायत समिति हैं उस पंचायत समित के मार्फत पांच हजार रुपये भी खर्च नहीं किये जाते हैं। पांच हजार रुपये अगर सेंक्शनदि कर ये तो सरपंच दो-तीन हजार रुपये लगायेगा और बाकी का अपनी जेब में रख लेगा। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि शिक्षा विभाग के ऊपर कम से कम कृपा करें और प्राइमरी स्कूलों को माफ करें, बच्चों को माफ करें, पंचायत समिति से शिक्षा को निकाल दें और तब आराम से आप खेलें। उपाध्यक्ष महोदय, सरपंचों के खिलाफ कितने ही केस हैं, सरपंचों के खिलाफ 17 (4) के केसेज चल रहे हैं, मिनिस्टरों के यहां फायलें चलती हैं लेकिन फैसला नहीं होता, एक-एक सरपंच के खिलाफ दस-दस गबन के केस चल रहे हैं, दस-दस फाइलें पांच-छः साल से चल रही हैं लेकिन फैसला नहीं करते हैं क्योंकि फैसला हो जाय तो वे हाथ से छूट कर चले जायें। उन पर राजनैतिक असर रहता है इसलिए फाइल रोक देते हैं या उनकी फाइल गायब हो जाती है। इस ढंग से पंचायत समितियों का कार्य हो रहा है। विकास अधिकारी के पास जीप रहती है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब पंचायत समितियों के पास कोई काम नहीं बचा तो जीपें किस काम के लिए हैं? शिक्षा विभाग वाले प्राइमरी स्कूलों का निरीक्षण करते हैं तो एस० डी० आई० चला जाता है, पार्टी वगैरह हो जाती है, पार्टी का खर्च अध्यापक करेगा और अच्छी रिपोर्ट दी जाती है। जीपें केवल शादी विवाहों में या विकास अधिकारी या प्रधान के घूमने के काम आती हैं। उसके बावजूद साल में 15 से 20 हजार रुपये औसतन खर्चा उन पर मरम्मत का आता है।

इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि जब उनके पास काम नहीं है तो उनसे जीपें क्यों नहीं छीन ली जाती हैं। सेल्स टैक्स, इन्कम टैक्स, जो कमाऊ पूत हैं उनके पास तो साइकल भी नहीं, पी० एण्ड टी० टेलीफोन के एस० डी० ओ० वगैरह जो हैं वे कमाऊ पूत हैं। अगर ऑफिसों में जायेंगे तो रिक्शा या साइकल पर जायेंगे लेकिन पंचायत समितियों में तो जागीरदार बने बैठे हैं उनके लिए जीपें चाहिएं। साग-सब्जी लेने जायेंगे तो जीपें घूमने जायेंगे तो जीपें। उनसे पूछा जाए तो कहेंगे कि कोई योजना नहीं है, योजना है तो पैसा नहीं है। ये नए जागीरदार हैं। यह साधन इनको क्यों दे रखा है? जिला परिषद् की मुश्किल से साल में एक दो मीटिंग्स होती हैं। अधिकतर जिला परिषदों की स्थायी समितियों की मीटिंग्स आज तक नहीं हो पाई हैं इसके अतिरिक्त जिला परिषदों को अधिकार क्या हैं? अगर विभाग से कुछ कहा जाए तो कहेंगे हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। अगर जिला परिषद् प्रस्ताव पास कर राज्य सरकार के पास भेजती है तो रद्दी की

(श्री मीठालाल)

टोकरी में डाल दिया जाता है। सवाई माधोपुर जिला परिषद् ने प्रस्ताव पास किया था सर्वसम्मति से। उस समय विद्युत् मंत्री, परिषद् के सदस्य मौजूद थे। कहा गया कि इस विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है, अनियमिततायें हो रही हैं। प्रस्ताव पास किया गया है। वहां जो अधिकारी थे उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा भ्रष्टाचार हो रहा है। प्रोसीडिंग्स में आया, वे कागजात वापस भी नहीं गए और जैसा होता रहा वैसे अब तक हो रहा है। इसलिए जब जिला परिषद् को कोई अधिकार नहीं, पंचायत समिति में काम नहीं फिर क्यों आपने ये सफेद हाथी पाल रखे हैं ? माननीय सदस्यों ने कहा कि प्रमुख को तनख्वाह, भत्ता वगैरह बढ़ाया जाना चाहिए। जब जिला परिषदों व पंचायत समितियों में कोई काम नहीं रहता है, तो उनको भी खतम करो। जाते किस लिए हैं ? उनको टी० ए० भत्ता वगैरह कुछ नहीं मिलना चाहिए।

अध्यापकों के साल में 10-10 बार ट्रांसफर होते हैं, वैसे नियम बन रहे हैं कि 2 साल तक इनका ट्रांसफर नहीं किया जाएगा लेकिन मैं नादोती पंचायत समिति का उदाहरण बता सकता हूं। एक-एक साल में 10-10 ट्रांसफर हुए हैं। डी० डी० ओ० के पास अध्यापकों ने रिपोर्ट की। डी० डी० ओ० ने 5-5 पत्र लिखे लेकिन विकास अधिकारी ने आज्ञा का पालन नहीं किया और उल्लंघन किया लेकिन डी० डी० ओ० के हाथ में कुछ नहीं। वह विकास अधिकारी के खिलाफ कुछ नहीं कर सके। इसके अतिरिक्त एक-एक गांव में दो-दो स्कूल चलते हैं। एक गांव में जन-सहयोग देकर स्कूल बनाया, स्कूल चला। इसके बाद पार्टीबाजी के कारण आपस की पार्टीबाजी के कारण पंचायत समिति और विकास अधिकारी ने नये अपर्याप्त भवन में स्कूल खुलवाया। पहले वाले 15 हजार बेकार गए। वह स्कूल खाली पड़ा है जो गांव वालों ने बनवाया लेकिन पंचायत समिति के खर्च से जो विकास अधिकारी ने दूसरा स्कूल बनवाया वह चल रहा है।

गंगापुर पंचायत समिति की कुछ दिन पहले जब जनरल मीटिंग हुई, प्रोसीडिंग्स लिखी गई उसके लिखने के बाद मीटिंग खतम हुई उसके बाद विकास अधिकारी ने एक आईटम और बढ़ा दिया कि छोटी उदेई में दूसरा पंचायत भवन बनाया जाए और दस हजार की स्वीकृति हो। सदस्यों को जब पता लगा कि यह आईटम बढ़ाया गया है तो वातावरण काफी खराब हुआ लेकिन आज तक उस बारे में कुछ नहीं हुआ है और दूसरा भवन बनाने के लिए स्वीकृति हो गई। पंचायत समितियों द्वारा कुओं की स्वीकृतियें भी दे रखी हैं, 10-10 फुट के कुए बनाते हैं जिनमें जानवर और गिर जाते हैं। ऐसे कई कुए लालसोट पंचायत समिति में हैं।

आपने अगर असम व मेघालय में देखा तो वहां जिला काउंसिल्स बनी हुई हैं। छोटी-छोटी योजनाओं का अधिकार जिला काउंसिल्स को है। उनको टैक्स लगाने का अधिकार है, उनका बाकायदा चुनाव होता है। 5-7 दिन तक लगातार मीटिंग्स होता हैं। जिला परिषदों को अधिकार मिल जाएगा तो इससे इन पंचायतों का रूप बदलेगा। मेरी मंत्री महोदय से प्रार्थना है अब के चुनाव कब होंगे इस बारे में

(श्री मीठालाल)
बिल्कुल आश्वासन न दें क्योंकि जनता विश्वास नहीं करेगी। आप यदि बता देंगे कि फलां तारीख को चुनाव होंगे फिर भी जनता विश्वास नहीं करेगी क्योंकि चुनाव को आप 8 साल से टाल रहे हैं, लोगों का विश्वास उठ गया जैसे गडरिए वाली कहानी है। आप निश्चित तारीख की घोषणा करेंगे तो भी जनता समझेगी कि चुनाव नहीं होने वाले हैं।

पांच-पांच सालों तक प्रधानों के, सरपंचों और वार्ड सदस्यों के स्थान रिक्त रहते हैं, उनके चुनाव नहीं हो रहे हैं और बार-बार वहां लोग मांग कर रहे हैं कि चुनाव कराए जायें, कम से कम खाली स्थानों का चुनाव तो करवाइए।

इसके अलावा जिला परिषदों में मनमानियां होती हैं। 1971-72 में पंचायत समिति द्वारा हड्डियों का ठेका हुआ। एक सहकारी समिति है—वामनवास, हरिजन सहकारी समिति को ठेका दिया गया। हाई-कोर्ट का भी फैसला था। उस आधार पर उन्होंने सोचा कि पहले भी देते आ रहे थे, ठेका दे दिया गया, पैसा भी जमा हो गया, रसीद प्राप्त करली गई। उसके बाद अचानक राजनैतिक प्रेशर पड़ा और सहकारी समिति का ठेका कैंसिल कर दिया और बाद में नीलाम किया गया और 12 हजार में वह ठेका हुआ जबकि 5 हजार में उसी सहकारी समिति को औसतन आधार पर दिया गया था। किन्तु नीलाम करके फिर उसी सहकारी समिति को दिया। यह सहकारिता को जो बढ़ावा दे रहे हैं उसका अच्छा उदाहरण है। जो पैसा जमा किया वह वापस भी नहीं किया गया। यह जिला परिषदों की मनमानी ठीक नहीं है।

चाकसू पंचायत समिति में कृषि फार्म है। उस फार्म को पंचायत समिति चलाती है तो नुकसान में जाता है। लेकिन पंचायत समिति ने कुछ दिन पहले ठेके में दिया, किराए पर दिया तो ऑडिट पार्टी ने एतराज किया। पंचायत समिति ने कहा अगर किराए पर नहीं देते हैं तो नुकसान में जाता है, यदि किराये नहीं देने देते तो राज्य सरकार ले ले जितनी लागत आई है उस पर आप ले लें। लेकिन राज्य सरकार न तो खुद लेना चाहती न दूसरों को देने देती इसका मतलब पंचायत समिति खुद काश्त करे और नुकसान में जाए।

पंचायत समितियों में खाद व बीज तब आते हैं जब किसानों के बोने का समय निकल जाता है। इसका उदाहरण है कि किसी भी पंचायत के आंकड़े देख लें कितना बीज व खाद आया और बाद में कितना नीलाम करके बेचा। 100 बोरी में से 10 का बेचान दिखाया है बाकी नीलाम होती है उसकी 1/4 कीमत भी नहीं पड़ती। इसलिए समय पर न पहुँचने और न बेचने के अतिरिक्त पैसा भी दो बार वसूल करते हैं तो भी समय पर बीज आदि नहीं पहुँचाते। वामनवास का उदाहरण है। किसानों ने पैसा जमा करवा दिया किन्तु फिर वसूली के लिए दुबारा नोटिसेज पहुँच गए। दूसरी बात मैं जो आपसे निवेदन करना चाहूँगा वह यह है कि आज ग्राम पंचायतों के पास काम नहीं है, उनके आमदनी के स्रोत नहीं हैं और वहां जो स्टाफ है उन्हें तनख्वाह नहीं मिलती है। आज ग्राम

(श्री मीठालाल)

पंचायतों की और न्याय पंचायतों की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। मैं आपको बामनवास में जो न्याय पंचायत है उनके स्टाफ को 12 महीने हो गये हैं पर उनकी तनख्वाह बाकी है। अगर आज राज्य सरकार इनकी मदद नहीं करती है तो इन्हें समाप्त किया जाना चाहिये। नहीं तो जिस प्रकार बामनवास में अध्यक्ष रिकार्ड गांव में बाहर ले गया और वहां के सेक्रेट्री ने न्याय पंचायत की जो टेबिल कुर्सियां थी वे ले लीं तथा चपरासी ने वहां जो सामान बचा था वह ले गया और जहां पंचायत का दफ्तर था उस मकान का ताला लगा हुआ है क्योंकि पंचायत द्वारा मकान मालिक को किराया नहीं दिया गया है और इस प्रकार उसके जो हाथ लगा वह ले गया तो इस प्रकार की व्यवस्था आज है इसमें सुधार किया जाना बहुत ही आवश्यक है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त कुछ सरकारी व्यापार की योजनायें चल रही है वे भी घाटे में ही हैं, इसके बारे में मैं अधिक न कह कर इतना ही निवेदन करूंगा कि इसके लिये एक सलाहकार बोर्ड होना चाहिये क्योंकि आज जो वहां पर काम हो रहा है वह ऐसे लोगों से हो रहा है जो अनुभवी नहीं हैं और वहां पर ईमानदारी से काम नहीं होने से तथा उसमें भ्रष्टाचार के फैलने से उसमें घाटा ही होता है। तो इसके लिये मेरा निवेदन है कि जिन लोगों की बेईमानी से उसमें नुकसान हो रहा है उनके खिलाफ जांच की जानी चाहिये और जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया कि इसके लिये हमें उद्योगपतियों से सलाह लेनी चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि उनकी हिस्सेदारी हो पर चूंकि उन लोगों को इसका अनुभव होता है इसलिये मैंने निवेदन किया है कि इसका एक सलाहकार मण्डल बनाया जाये जिसमें उद्योगपतियों को भी सलाह के लिये रख लिया जाय। यह कोई बुरी बात नहीं है। वे आपको उन व्योपारों के चलने में काफी सहायता देंगे। उन लोगों को ज्यादा तजुरबा है और हमारे यहां जहां पर कि व्योपार हो रहा है उन लोगों को तजुरबा नहीं होने से भी नुकसान हो रहे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

मैं आपका ज्यादा समय न लेकर इतना ही निवेदन करूंगा कि अगर पंचायतों को और पंचायत समितियों को आपने काम नहीं दिया और अगर यही हाल रहा तो उपाध्यक्ष महोदय, जो पंचायती राज भारतवर्ष में सबसे पहले राजस्थान में शुरू हुआ था वो अगर इस वर्त्तमान परिपाटी से ही चलता रहा और इसमें अगर सुधार नहीं हुआ तो सबसे पहले राजस्थान में ही इसका अन्त होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शीशराम ओला !

श्री शीशराम ओला (पिलानी) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में सामुदायिक विकास योजना पर बहस चल रही है उसमें मैं भी कुछ निवेदन करूंगा। आज इस सदन में यह कहा गया है कि सामुदायिक विकास योजनाओं की शिकायतें राज्य सरकार के पास बहुत आती हैं तो मेरा निवेदन है कि क्या सहकारी विभाग की शिकायतें राज्य सरकार के

(श्री शीशराम ओला)

पास नहीं आती हैं ? आज क्वालिटी इन्सपेक्टर्स के खिलाफ शिकायतें आती हैं और अन्य भी ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ में सेक्रेटरियेट में मिनिस्टर्स के पास शिकायतें आती हैं इसका मतलब यह नहीं होता कि उनको खतम कर दिया जाये। क्या पंचायत विभाग के बारे में ही शिकायतें आती हैं ? आज राजस्थान में 7361 ग्राम पंचायतें हैं और राजस्थान में सिर्फ 150 म्युनिसिपैलिटीज हैं, और इस प्रकार राजस्थान में 85 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र है और इतने बड़े क्षेत्र में अगर काम होगा तो उसमें काफी दिक्कत भी आयेगी और आना भी स्वाभाविक है। जब 15 म्युनिसिपैलिटीज के कर्मचारियों के लिये दिक्कत आ सकती है तो क्या 7361 ग्राम पंचायतों की जनता के काम में दिक्कत नहीं आयेगी। आज अलबत्ता ऐसी स्थिति जरूर है कि राजस्थान सरकार जितने अपने कर्मचारियों को सहुलियतें देती है उतनी सहुलियतें हमारी पंचायतें नहीं दे सकती है क्योंकि उनके पास धन का अभाव है। और यही कारण है कि पंचायतों के कर्मचारी जो मास्टर्स वगैरह हैं वे इनमें नहीं रहना चाहते हैं। आज राजस्थान में जो पंचायती राज बना है जब से बहुत ही गांवों का विकास हुआ है। आज हमारे देश में यह पहला प्रान्त था जहां पर पंचायती राज कायम हुआ है और इसकी किस प्रकार की गतिविधियां उसके लिये हिन्दुस्तान के दूसरी स्टेट्स के लोग यहां पर देखने आते थे और यहां के कार्यक्रम को देखकर दूसरी स्टेट्स में अनुसरण किया गया वहां तो यह सफलतापूर्वक चल रहा है पर बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज यहां पर जहां कि पंचायती राज का श्रीगणेश हुआ वहीं इसके समाप्त करने की बात कही जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आज जो राज्य के बड़े सरकारी ऑफिसर हैं वे इसे नहीं चाहते। और यही कारण है कि वे इसे समाप्त करने में लगे हुए हैं। आज पंचायतीराज के जरिये सड़के बनी हैं, गांवों में तालाब बने हैं, स्कूलें बनी हैं और आज वे स्कूलें चल रही । आज छोटे से छोटे गांव में पंचायतें हैं और वहां पर प्राइमरी स्कूलें खोली गयी हैं। इस प्रकार ग्रामीण जनता का और वहां के बच्चों का काफी विकास हुआ हैं। लेकिन राज्य के बड़े अधिकारी इसमें सफलता नहीं चाहते और यही कारण है कि आज पंचायती राज को असफल बनाया जा रहा है। ताकि गांवों में रहने वाले व्यक्तियों का विकास नहीं हो उन सरकारी ऑफिसरों को उनके नीचे काम नहीं करना पड़े। आज इस प्रकार पंचायती राज को जो कि जनता का राज है उसे समाप्त करने के लिये सरकारी मशीनरी लगी हुई है कि किसी प्रकार इसे पंगु बनाया जाय ताकि बाद में इसका अन्त हो। आज पंचायती राज के नीचे काम करने वाले जो कर्मचारी हैं वे मांग करते हैं कि हम पंचायतों के नीचे काम करना नहीं चाहते क्योंकि हमें राज्य सरकार के कर्मचारियों को जो मेडिकल रिएम्बर्समेंट के पैसे मिलते हैं वे हमें नही मिलते है। यह सही है कि हमारे यहां पर पंचायतों में बजट नहीं होने की वजह से यह फैसिलीटीज उन कर्मचारियों को नहीं है। हमने अपने पंचायत समितियों में इस प्रश्न को इस प्रकार कह कर टाल दिया कि भई हमारे

(श्री शीशराम ओला)

पास पैसा नहीं है इसलिये पंचायत समिति के कर्मचारियों को कहा कि आप लोग इस खर्चे को खुद वहन करें। और यही कारण है कि उन्हें मेडिकल बिल हमारे यहां दिया नहीं जाता है। आज बार-बार मास्टर्स यहीं कहते है कि हम पंचायत समितियों के नीचे काम नहीं करना चाहते। आज वो पंचायतों के नीचे काम नहीं करना चाहते हैं उसके दो बड़े और कारण भी हैं। पहला तो यह है आज के युवा लोग शहरों में रहना पसन्द करते हैं। दूसरे आज सरकारी मास्टर लोग जो गांवों में रहते वो लोग अगर एक स्कूल में दो मास्टर हैं तो एक छुट्टी की एप्लीकेशन देकर चला जायेगा दस्तखत करके और इसी बीच में अगर कोई डिप्टी इन्सपेक्टर अथवा उच्च अधिकारी आजाता है तो इन्सपेक्शन करने तो वे उस छुट्टी की दरख्वास्त को दे देते हैं। और अगर कोई नहीं आता है तो योंही उसे फाड़ देते हैं और इस प्रकार लोग पोल मारते हैं और उसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई भी खराब होती है। पर अगर कोई मास्टर किसी पंचायत समिति के नीचे काम करने वाले हैं तो उन्हें यह भय रहता है कि कभी वहां पर बी०डी०ओ० इन्सपेक्शन करने आ जाता है, कभी प्रधान आजाता है कभी एस० डी० आई आजाता है, कभी डिप्टी डी० डी० ओ० आजाता है तो वो इस प्रकार जो राज्य सरकार के मास्टर मौज मारते हैं वह मार सकते हैं। पंचायत समिति के नीचे काम करने वाले मास्टर पोल की नहीं खा सकते हैं। राज्य सरकार के स्कूलों में गांवों में जब चाहे जब मास्टर चल जाते है। हां यह व्यवस्था तो पंचायत समिति के मास्टर्स को नहीं मिलेगी। और येही कारण कि इस तकलीफों के मारे पंचायत समितियों के मास्टर्स यही कहते रहते हैं कि मास्टर्स पंचायती राज के अन्दर चलने वाली पाठशालाओं में नहीं रहना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि आपके इस विधान सभा जिसमें हम चुनाव जीत कर आते हैं...

श्री मीठालाल : आप तो प्रधान और प्रमुख रह चुके हो इसलिये उसके बारे में कहोगे ही....

श्री शीशराम ओला : कृपया माननीय सदस्य शान्त रहें, मुझे अपनी बात कहने दीजिये। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब जनता से चुने हुए लोग हिन्दुस्तान की सरकार को चला सकते हैं, जनता के चुनिन्दे राज्य सरकार को चला सकते हैं तो क्या जनता के चुनिन्दे लोग पंचायती राज की व्यवस्था नहीं कर सकते। आज पंचायती राज से इस डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइजेशन की व्यवस्था से आज गांवों में विकास हुआ है, स्कूले खुली है और इस प्रकार शिक्षा का प्रसार हुआ है। आज आपके जो रूरल में एजूकेशन है वह इसी पंचायती राज की देन है। आज कृषि में विकास हुआ है तो इन्हीं सामुदायिक विकास योजनाओं के अन्तर्गत, आज गांवों में सड़कें वगैरह बनी इसमें पंचायती राज की बहुत भारी देन है। मेरा तो राज्य सरकारी से यह अनुरोध है कि आप अगर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास चाहते हैं तो आप इसे और ज्यादा सक्षम बनाइये और जो आज प्राइमरी स्कूल तक की एजूकेशन पंचायत समितियों के नीचे है उसे बढ़ाकर हायर सैकन्डरी स्कूल तक उनके नीचे कर दीजिये।

श्री मीठालाल : राम राम करो।

श्री शीशराम ओला : राम-राम मत करो। तो मैं निवेदन कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, कि जब शुरुआत पंचायती राज की हुई तब ऐसा प्रावधान था कि कोई आई० ए० एस० ऑफिसर आवेगा उसे पहले बी० डी० ओ० बनना पड़ेगा दो साल तक के लिये। उसको प्रशिक्षण दिया जाता था और जब वह यह प्रशिक्षण प्राप्त कर लेता तो बाद में उसे दूसरी जगह लगाया जाता था। नये आई० ए० एस० जो आते उन्हें यह ध्यान रहता था कि हमें विकास अधिकारी लगना है। रूरल एरियाज में जाना है। इससे दो लाभ हैं। एक यह लाभ था कि वे सारी ग्रामीण जनता की दिक्कतों को समझ लेते थे और जब कोई दिक्कत सामने आयी तो उसको बखूबी हल कर सकते थे। दूसरा यह था कि पंचायत राज्य का महत्त्व क्या यह राज्य सरकार को और उनको मालूम था। एक वक्त था कि अधिकारी पंचायती राज में जाने को उत्सुक रहते थे। एक वक्त ऐसा था कि डेवलपमेन्ट कमिश्नर की बड़ी भारी इज्जत थी। वह भी यह समझता था कि मैं इस पद के लिये चुना गया हूं और योग्य व्यक्ति हूं। आज कोई अधिकारी उसके लिये ऐसा महसूस नहीं करता है। उसका कारण यह है कि उस अधिकारी को भेजा जाता है और उसके लिये कहा जाता है कि इसको भेज दो पंचायत विभाग में। इस तरह की बात हमारी सरकार और हमारे प्रशासन ने पैदा की है। मूल कारण यह है कि पंचायती राज जड़ पकड़ता जा रहा है, विकास में रुचि बढ़ी है। लोग समझने लगे हैं और ग्रामीण जनता यह महसूस करती है कि विकेन्द्रीकरण शासन का हुआ, प्रजातन्त्र का हुआ, हम राज्य के हिस्सेदार हैं। यह गांव का आदमी मानने लगा है। विकास अधिकारी हटा दिये। आर० ए० एस० अफसर विकास अधिकारी होता था उसको विकास विभाग में भेजते थे तो दूसरे तहसीलदार और अफसर यह महसूस करते थे कि आज का विकास अधिकारी कल का एस० डी० ओ० है, कलेक्टर बनने वाला है, तो उनकी बात में, उनकी जबान में वजन होता था और उससे पंचायती राज संस्था में ताकत आती थी। आज पंचायत समितियों को जो अफसर दिये हैं, विकास अधिकारी बना दिये हैं, समझते ही नहीं है।

तकावी वितरण पंचायत समितियों के पास था। जब उनके पास था तो मैं समझता हूं जितने कुए व स्कूलों का निर्माण हुआ, औषधालय बने, जो भी निर्माण कार्य पंचायतों के अधीन, ग्राम पंचायत और पंचायत के द्वारा हुए, उसके बाद एक पैसा भी काम नहीं हो पाया। भूमि विकास की तकावी दी। जिले लेवल पर भी। पटवारी के पास जाओ, तहसीलदार के पास जाओ, यह ठीक नहीं है, इसमें यह काम बाकी है, चार-चार वर्ष तक फाइल भूमि विकास में आती है और काश्तकार को कर्जा नहीं मिलता है। खर्चा उसका देखिये। कितनी बार आना पड़ता है और जाना पड़ता है। बहुत नुक्सान होता है। तंग आकर वे लोग घर बैठ गये हैं। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी यह पैसा उनको नहीं मिला। पहले सरपंच और पटवारी दे देते थे। बी. डी. ओ. स्वयम् आकर देख लेता था और भूमि विकास के पास यह लोन जाने के बाद उसको मिल जाता था। मंत्री महोदय, आप स्वयम् जानकारी करें पहले काम अच्छा हुआ या अब हो रहा है। जो कर्जा दिया गया जो

(श्री शीशराम श्रोला)

तकावियां दी गयीं वे करीब-करीब वापिस श्रा गयीं। भूमि विकास को पैसा दे दिया तो वापिस नहीं हुश्रा श्रौर वहीं पड़ा है पंचायतों के जरिये हम काम करवाना चाहते थे वे श्रधिकार एक के बाद एक वापिस विड्रो कर लिये। पंचायती राज पंगू बन गया। श्राज का पंचायती राज मृत्यु शैय्या पर पड़ा है। या तो इसमें जान डाली जाय या इसको समाप्त ही कर दिया जाय। मैं नहीं जानता सरकारी मशीनरी की क्या मंशा है। सरकार उचित समझती है कि पंचायती राज कायम रहे, गांव के लोगों को लाभ पहुँचे, उनके श्रधिकारों का दुरुपयोग न हो, सुरक्षित रहें तो मैं समझता हूँ ग्रामीण जनता का विकास पंचायतों के द्वारा हो सकता है, वरना संभव नहीं है।

कृषि प्रसार श्रधिकारी, पशुपालन श्रधिकारी प्रोवाइड किया पंचायत समितियों में, उनसे निश्चित रूप से लाभ हुश्रा ग्रामीण जनता को। धीरे-धीरे एक-एक को वापिस करते जा रहे हैं। जो सहूलियतें दी थी उनको कायम न रखते हुए कम कर दी जब कि बढानी चाहिये थीं। यह जरूरी समझें इसकी गहराई में जायं कि दोष किसका है। मैं इस बात को मानता हूँ कि इसमें किसी का दोष है तो सरकार श्रौर सरकारी मशीनरी, सरकारी प्रशासन का श्रौर तीसरे का नहीं है।

सवाल यह रह जाता है, बार-बार कहा जाता है कि चुनाव नहीं हुए। क्या करोगे चुनाव करवा कर ? हो भी गये तो लाभ क्या है ? एक रुपया पंचायत समितियों के द्वारा स्कूल को नहीं दे सकते। श्राज पंचायत समितियों के पास रुपया नहीं है। मास्टरों को तनख्वाह भी समय पर नहीं मिलती है। यह फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट का काम है। पंचायत समिति श्रौर डवलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट से कोई फाइल श्राती है तो श्रधिकारियों के सिर पर चार शाल पड़ते हैं। बच्चों के लिये श्राज बैठने को टाट पट्टी नहीं। 85 प्रतिशत ग्रामीण जनता गांवों में बसती है। उनके बच्चों श्रौर जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है, बुरी बात है। इस पर सरकारी मशीनरी को सोचना पड़ेगा श्रौर समझना पड़ेगा। यह ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है।

गांव में स्कूल के लिये भवन बनाना है तो सरकार उनको पूरे का पूरा पैसा दे। श्राज गांव वालों को कहते हैं कि भवन बना दो, मास्टर हम दे देंगे। 32 लड़कों पर एक मास्टर के बजाय 100 बच्चे भी हो गये तो वहां मास्टर नहीं देंगे। पंचायत श्रौर डवलपमेन्ट विभाग इस श्रोर ध्यान नहीं देता।

इस प्रकार जो पंचायती राज की कमियां हैं उनको दूर करें; श्रौर यदि श्राप बेसिग बातों को लेकर चलेंगे तो यह कायम रहेगा श्रौर इसमें संशोधन की जरूरत है, वह किया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्रपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

श्री श्रजीतसिंह (टौंक) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव है मांग सं॰ 23, मुख्य शीर्षक 37। उपाध्यक्ष महोदय इसमें मेरा निवेदन है कि इसमें इतना कुछ हो रहा है श्रौर इतनी बात रखी जा रही है श्रौर पंचायतों का कोई लाभ नहीं है तो फिर इतना पैसा देने का इनको क्या मतलब है ? इसलिये मैं मांग करता हूँ इनको एक

(श्री अजीतसिंह)

भी पैसा न दिया जाय और फिर भी मंत्री महोदय नहीं मानते हैं, योजना को चालू रखते हैं तो मेरा निवेदन है इसके जल्दी से जल्दी चुनाव करवाये जाय। उपाध्यक्ष महोदय जनतन्त्र में यदि चुनाव नहीं होता है तो जनतन्त्र से लोगों की आस्था उठ जाती है और सरपंच और प्रधान स्वेच्छा से आचरण करने लग जाते है। लाखों रुपयों का गबन कर दिया। लाखों का घोटाला कर दिया सुनने वाला कोई नहीं है। मंत्री महोदय किसी के पास शिकायत होती है तो सारी फाइलें दबाकर बैठ जाते हैं। मेरे इलाके में हर प्रधान और सरपंच गबन के नीचे दबा हुआ है। अब राज्य सरकार से उनका छुट्टी पाना बड़ा मुश्किल लगता है। लगातार चुनाव होते तो आज यह स्थिति नहीं आती। हर पंचायत समिति का प्रधान और सरपंच ऋण से दबा हुआ है, इस अव्यवस्था से छुटकारा दिलाना है तो चुनाव करवायें जाय ताकि जनतन्त्र के तरीके से संस्था चल सके। पंचायत समितियों के चुनाव देर से होने के कारण सारा भ्रष्टाचार इतनी बुरी तरह से फैल गया है कि सारे आदमी नफरत करने लग गये हैं। बड़े ऑफिसर्स भी चिढ़ते हैं। मेरे जिले टोंक में लाखों रुपयों का घोटाला हो गया है। ऐसी कोई संस्था नहीं है जिसने पैसा नहीं ले रखा हो। पशुओं के लिये, गुड़ के लिये, खाद और बीज के लिये पैसे न मालूम कितनी-कितनी योजनायें सरकार ने जो ग्रामवासियों को उपलब्ध करा रखी है उसमें से ले रखे हैं। एक भी पैसा किसी भी संस्था को नहीं छोड़ा है। गरीबों के बेचारों के दस्तखत करा करा कर सारे पैसों का गबन कर रखा है। मेरा ख्याल है डेढ़ लाख से कम नहीं होगा। ऐसा भ्रष्टाचार हर पंचायतों में ही फैला हुआ है। सरकार कोई ऐसी योजना बनायें जो प्रधानों और सरपंचों में जागरुकता लाये और जो गांव वाले उनसे परेशान हो रहे हैं, उनसे उनकी मुक्ति हो जाय। कई आदमी कहते हैं प्रधानों ने दस्तखत करा लिये हैं लेकिन हमें मालूम ही नहीं किस चीज पर दस्तखत कराये हैं। दस्तखतों के बदले में सारा पैसा लेकर प्रधानों और सरपंचो ने अपने फार्म पर पैसा लगा दिया है। अगर आपको इस संस्था को चालू रखना है और जनतन्त्र को बनाये रखना है तो इस पर अंकुश लगायें।

दूसरा उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान शिक्षा की तरफ दिलाना चाहता हूं। पंचायत समिति ने शिक्षा पर टाटपट्टी के नाम से टैक्स लगा रखा है। 5 रु० प्रति काश्तकार के हिसाब से टाटपट्टियों की व्यवस्था के लिये, किवाड़ों के लिये, मकान की व्यवस्था के लिये लेते हैं। मंत्री महोदय इस तरह से टैक्स के रूप में और शिक्षा के नाम पर दो लाख रुपया वसूल हुआ है लेकिन सारा का सारा पैसा आज तक शिक्षा पर खर्च न होकर स्टाफ पर खर्च हो गया है। एक पैसा भी भवनों पर टाटपट्टियों पर, बोर्ड पर जो लगना चाहिये था वह न लगकर सारा का सारा पैसा स्टाफ पर खर्च कर दिया। अभी जब पंचायत समिति की मीटिंग हुई तो मैंने यह बात रखी लेकिन बी० डी० ओ० ने मुझे यह तक भी नहीं बताया कि इतने मद में इतना पैसा आया। सारे सरपंच जागरूक हुये यह प्रश्न जरूर खड़ा हुआ। दो दो लाख शिक्षा के नाम से वसूल होना और इसके अलावा जो खुद के साधन हैं पंचायत के अपने वह भी सारा स्टाफ पर

(श्री अजीतसिंह)

खर्च कर दें तो यह संस्था कैसे चले। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप जागरूकता लायें और जो पंचायतें टैक्स लेती हैं शिक्षा के नाम पर वह कम से कम काश्तकार पर तो खर्च कराने की व्यवस्था करें, ऐसी आशा मैं करता हूं।

सिंचाई के लिये पंचायतों के नाम छोटे-छोटे तालाब दे रखे हैं। मंत्री महोदय क्रेस वर्क का अकाल राहत में विस्तार हो गया अब उनके लिये नहरें चाहिये, उनके लिये मोरियां चाहिये ताकि पानी मिल सके। उनकी व्यवस्था ठीक नहीं है। लाखों रुपया जो क्रेस योजना और अकाल राहत पर खर्च किया है वे बन्धे टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं या तो सिंचाई विभाग के अन्तगर्त उनको ले लीजिये या ऐसे फन्ड्स की व्यवस्था कीजिये ताकि उनकी मरम्मत हो सके जो भी आप उचित समझें, ठीक ढंग की व्यवस्था करें। मेरा निवेदन है सिंचाई लोग करते है, पैसा देते नहीं हैं इसलिये ग्राम सेवकों को यह बात बतायें वे इसका पूरा रेकार्ड रखें। जैसा ग्राम सेवक समझें वैसा करें लेकिन उनका पूरा हिसाब हो और पंचायतों में जो छोटे छोटे तालाब बने हुये हैं उसका उपयोग हो सके और जो नहरें हैं उनसे ग्रामवासियों को फायदा हो सके। बी० डी० ओ० से अर्ज की तो वह कहता है मैं नहीं कर सकता। सारे गांव वाले परेशान हैं। इसलिये मैं निवेदन करता हूं सिंचाई की व्यवस्था के लिये आप गंभीरतापूर्वक विचार करें और निश्चित रूप से कोई बात तय करें।

शिक्षा व्यवस्था भी जो पंचायत क्षेत्र में चल रही है वहां के मास्टर परेशान हैं। उनका तबादला कर देते हैं या सरपंच, पंच तंग करते हैं। उनकी बड़ी भारी शिकायत है। इस व्यवस्था को कुछ बदल दिया जाय, इसके संभालने की भी जो व्यवस्था है, वह भी करें। दूसरा मैं निवेदन कर दूं अविश्वास के प्रस्ताव पर भी मैं निवेदन करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, अविश्वास प्रधान के खिलाफ आये या सरपंच के खिलाफ आये। अविश्वास प्रस्ताव का पूरा नोटिस देते हैं और व्यवस्था ऐसी है जब नोटिस आता है तो उसका निश्चित दिन तय किया जाता है। अभी टोड़ा रायसिंह में ऐसा हुआ। अविश्वास प्रस्ताव आया और उसी दिन कलक्टर को, निश्चित दिन कलक्टर को मंत्री महोदय ने बुला लिया। अविश्वास प्रस्ताव वहां का वहां ही रखा रह गया। ऐसी उपाध्यक्ष महोदय, एक नहीं अनेक वारदातें ऐसी होती हैं। अविश्वास प्रस्ताव के लिये पहले मना कर दें कि अविश्वास प्रस्ताव लाना मना है, अनुचित है। कितना खर्च होता है। इतने मेम्बर्स के पास आना-जाना पड़ता है और फिर कलक्टर को जो इस व्यवस्था के करने वाले हैं उनको अचानक बुलाकर सारी की सारी व्यवस्था बिगाड़ दें। अब फिर अविश्वास प्रस्ताव 6 महीने के लिये सरक गया। जनता में रोष है। 6 महीने बाद बात करते हैं, 10 महीने बाद बात करते हैं और ऐसे जिम्मेदार आदमी गायब होने लगें तो जनता में रोष होना भी स्वाभाविक है। अविश्वास प्रस्ताव पर विचार हो सके या नहीं हो सके लेकिन जनता जैसा ठीक समझे करे। जनता के अनुरूप काम करना चाहिये, यही जनतन्त्र का तरीका है। अविश्वास प्रस्ताव आता है तो कौन से चिपकने वाली बात है। अविश्वास प्रस्ताव चाहे प्रधान

(श्री अजीतसिंह)

के खिलाफ हो, चाहे सरपंच के खिलाफ हो कौन प्रधान होता है, कौन सरपंच होता है–जनता जिसको ठीक समझें विश्वास किया जाय। इतनी छोटी बातों पर अगर मंत्रिमण्डल ध्यान देने लगेगा तो फिर राजनैतिक स्तर पर काम करना बड़ा मुश्किल हो जायगा।

अब आखिरी बात मैं निवेदन करूंगा मंत्री महोदय से कि मांग संख्या 45 के बारे में अर्ज करूंगा वह है अनाज की खरीद के बारे में। जब सस्ताई आती है तो राज्य सरकार अनाज खरीदने के लिये व्यवस्था करती है लेकिन जनता इसमें भी बुरी तरह परेशान हो रही है। चुंगी पर दो रुपये प्रति बोरी वसूल करते हैं। मंत्री महोदय यह बड़ी भयंकर मुसीबत है दो रुपये हर बोरी पर उन्हें दें तब स्वीकृति प्रदान होती है। ऐसी हालत में काश्तकार मजबूर होकर महाजन के शरण में जाते हैं और काश्तकार से उल्टा सीधा खरीदकर कमीशन लेने वाले खड़े हो जाते हैं। मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा ऐसे कार्यकर्त्ता जो मार्केटिंग ऑफिसर जाते हैं उन्होंने कठोर रुख अपनाया तो काश्तकार को जो राहत दिलाना चाहते हैं वह मिल सकेगी वरना राहत देने के बजाय उनकी मुसीबत हो जायेगी। इसलिये ऐसी व्यवस्था करें कि भ्रष्टाचार बन्द हो और जनता को सुविधा हो।

श्री रामरघुनाथ (डेगाना): उपाध्यक्ष महोदय, सामुदायिक विकास परियोजनाओं पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत है उस पर मुझे कुछ निवेदन करना था। सामुदायिक विकास में सबसे नीचे की जो इकाई है वह ग्राम पंचायतें हैं और ग्राम पंचायतें जिस तरह से चलनी चाहियें, जिस तरह से काम करना चाहिये। उस तरह से काम नहीं कर पा रहीं हैं। कुछ तो सरकार से सहयोग, अनुदान या धनराशि जो वह चाहती है या उन्हें मिलनी चाहिये वह नहीं मिल पा रही है और कुछ जो सरकारी कर्मचारियों से सहयोग मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पा रहा है। इसमें मैं यह निवेदन करना चाहता था कि अनुदान के बतौर उनको जनसंख्या के आधार पर कुछ धनराशि मिलती है जो एवरेज से देखा जाय तो करीब 400 रु० होती है और उसके सिवाय उनकी आमदनी होती है वह आमदनी उपाध्यक्ष महोदय, कुदरती पैदावार से उनको मिलती है। लेकिन कुदरती कुवार के भी बहुत बड़े झगड़े हैं। कुछ ददरती पैदावार गोचर से मिलती है और वह उसको नीलाम करके प्राप्त करती है। लेकिन उसमें भी तहसीलदार या रेवेन्यू विभाग यह कहता है कि जो गोचर घोषित नहीं है या बंजड़ है या पड़त है उस पर ग्राम पंचायत का अधिकार नहीं है और है भी तो ग्राम पंचायतों को उसके अधिकार नहीं सौंपे गये हैं। कभी पटवारी लोग गड़बड़ी कर देते हैं और कभी नीलाम नहीं होने देते हैं तो निवेदन यह था कि जो आमदनी निरन्तर उनको होनी चाहिये वह नहीं हो पाती है। इस आमदनी से उनके सचिव का और उनके चपरासी का खर्चा चलता है, छोटे-मोटे विकास के कार्य होते हैं वह भी ग्राम पंचायतें करती हैं। लेकिन इसके साथ ही न्याय पंचायतें भी एक इकाई है और जो हिस्सा ग्राम पंचायतों को मिलता है अनुदान के बतौर उसमें से कुछ हिस्सा न्याय पंचायतों को चला जाता है

(श्री राम रघुनाथ)

जब कि न्याय पंचायते हम देख रहे हैं कि उनका काम एक तरह से बन्द पड़ा है। वैसे न्याय पंचायतों को अपने काम के लिये ग्राम पंचायत का जो सचिव है या चपरासी है उसीको प्रयोग में लाना चाहिये लेकिन न्याय पंचायतें उनका प्रयोग नहीं करती और अपना चपरासी अलग से रखती है। उनके पास आमदनी नहीं है और निश्चित ही जब कोई काम न्याय पंचायतें करेंगी तो आमदनी नहीं हो सकती और जितना पैसा ग्राम पंचायतों को मिलता है उसमें से अपना हिस्सा और अलग मांगती हैं। कई पंचायत समितियों ने उनको हिस्सा नहीं दिया है क्योंकि जब न्याय पंचायतें अपना बजट ही प्रस्तुत नहीं करेंगी तो हिस्सा कहां से दिया जाये ? इसके लिये राज्य सरकार ने आदेश निकाला कि न्याय पंचायतों को अनुदान का हिस्सा नहीं दिया जाता है तो ग्राम पंचायतों को अनुदान नहीं दिया जाये। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता था कि जब न्याय पंचायतें अपना बजट ही प्रस्तुत नहीं करती, जब न्याय पंचायतों को कोई काम ही नहीं होता तो न्याय पंचायतें किस तरह का और किस बात का अनुदान मांगती है ? इसके उपर किसी ने विचार नहीं किया और यह बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। काम तो वास्तव में ग्राम पंचायतें करती हैं और उनका मुख्य काम गांव वालों के साथ मिलकर विकास करने का है और केवल हमारे विकेन्द्रीकरण के ढांचे में ग्राम पंचायतें ही ऐसी संस्था है जो कि गांव वालों के साथ मिलकर कुछ विकास कार्य करती है।

इसके बाद पंचायत समितियां आती हैं। पंचायत समितियां हमारे यहां तीन प्रकार की हैं। एक तो पशुपालन पंचायत समितियां, दूसरी एग्रीकल्चर पंचायत समितियां और तीसरे जो कॉमन पंचायत समिति है वह है। तो उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन यह था कि हमारे यहां जो पंचायत समितियों में विकास अधिकारी लगे हुए हैं वह एडहॉक बेसिस पर हैं। कहीं एग्रीकल्चर पंचायत समिति है तो वहां पशुपालन का विकास अधिकारी लगा हुआ है और कहीं पशुपालन पंचायत समिति है तो एग्रीकल्चर का विकास अधिकारी लगा हुआ है और आज तक सरकार निर्णय नहीं कर सकी कि कौनसी पंचायत समिति में किस तरह का विकास अधिकारी होना चाहिये और कई बार देखा गया है कि जो सीनियर अधिकारी होते हैं उनको हटा दिया जाता है और जो नये विकास अधिकारी लगाये जाते हैं वह बहुत जूनियर होते हैं। न जाने क्या क्राइटेरिया है और न जाने किस तरह से नियुक्त किया जाता है-- इसको या तो सरकार जाने या फिर मंत्री महोदय जाने। इसलिये आपके मार्फत उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता था कि अगर इसके अन्दर किसी तरह का पक्षपात होता है या गलत पद्धति हो गई है तो इसको तुरन्त हटाया जाये और सीनियोरिटी कायम करके उचित तरीके से इनके आदेश निकाले जायें ताकि आमतौर से पंचायत समितियों में या पंचायतों में प्रधानों को जो शिकायतें होती हैं वह शिकायतें न हों क्योंकि आम तौर से मंत्री महोदय को यह कष्ट होता है कि प्रधान या दूसरे लोग उनको इस तरह की सिफारिशें करते हैं कि फलां विकास अधिकारी ठीक नहीं है वह शिकायतें भी उनको सुनने को नहीं मिलेंगी और उनको भी कष्ट नहीं होगा।

(श्री राम रघुनाथ)

इसके साथ ही निवेदन था कि हमारे यहां ग्राम सेवक पंचायत समितियों में कार्य करते हैं। एग्रीकल्चर के ग्राम सेवक लगे हुए हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता था कि जिस पंचायत समिति में पशुपालन का काम है उसमें पशुपालन का स्टाकमैन लगा हुआ होना चाहिये। नहीं तो क्या होता है कि पशुपालन पंचायत समिति में एग्रीकल्चर का ग्राम सेवक लगा देते हैं तो वह न तो कोई काम कर सकता है और न लोगों को किसी प्रकार की सलाह ही दे सकता है। फिर जहां ग्राम सेवक लगे हुए हैं और उन इलाकों में एक ही फसल होती है तो वहां उनको थोड़ा बहुत बीज देना पड़ता है या थोड़ी सी खाद देनी पड़ती है। उनको जितना वेतन दिया जाता है और हिसाब लगाया जाये तो निश्चित बात है कि जितना खाद का पैसा बनता है या बीज का पैसा बनता है वह उनके वेतन से भी कम होगा। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता था कि उन इलाकों में काम नहीं है और वहां पर ग्राम सेवक लगे हुए हैं तो या तो उनको काम दिया जाये और उनको काम का उतना भार दिया जावे जितना वे वेतन पाते हैं (वह उसके अगेन्स्ट काम करें, और अगर उनकी आवश्यकता नहीं है तो उनको हटा दिया जाये। यदि पंचायत समिति पशुपालन की है तो वहां पर स्टाकमैन लगाया जावे या ग्राम सेवक को एडवान्स कोर्स कराया जावे ताकि वहां पर पशुओं के विकास का काम है, कहीं उनके इलाज का काम है वह उनको कर सके। तो, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन यह था कि जहां इस तरह के पशुपालक हों वहां स्टाकमैन हो तो ज्यादा फायदा कर सकते हैं।

इसके साथ ही, उपाध्यक्ष महोदय, चिकित्सा के सम्बन्ध में निवेदन करना था कि पंचायत समितियों के पास कुछ स्टॉकमैन होते हैं। कई पंचायत समितियों के पास डिस्पेन्सरीज हैं उनके स्टाकमैन अलग हैं और वे पशुओं के इलाज के लिए कार्य करते हैं, लेकिन आम तौर से पशुपालक अब समझने लगे हैं कि उनके बैलों की कीमत क्या है और उनको ठीक तरह से रखा जाना जाना चाहिए, और उनके बैल बीमार हो जाते हैं, और वे हैडक्वार्टर से 30–40 मील दूर रहते हैं तो किसान न तो पशु को इतनी दूर ले जा सकता है और न इतनी दूर डॉक्टर ही आ सकता है। तो वह डाक्टर या तो पंचायत समिति की जीप से जाये या जो पशुपालक है वह किसी तरह का प्रबंध करे। इसके लिए निवेदन है कि जितने स्टाकमैन डिस्पेन्सरी में रहते हैं वहां एक स्टॉकमैन से काम चल सकता है और बाकी जितने भी स्टाकमैन हैं उनको अलग-अलग गांवों में उनको मकान देकर वहां रखें और उनको छोटे-मोटे इलाज के लिए मुफ्त दवाइयां दी जानी चाहिए। मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं जो डाइरेक्टर थे या जो हैं उनसे निवेदन कर चुका हूं कि पंचायत समितियों के पास इलाज के लिए कोई दवाइयां नहीं हैं। उनका यह कहना है कि पंचायत समितियों में जितनी दवाइयों का खर्चा होता है वह पंचायत समितियां खुद के बजट से खरीदें और काम चलावें। उसके बाद में विकास विभाग के सीनियर ऑफिसर से मिला था। उनका कहना है कि विकास विभाग को दवाइयों के लिए जितनी ग्रान्ट होती है वह पशुपालन विभाग को देते हैं और बराबर मिलनी

(श्री राम रघुनाथ)

चाहिए तो पता नहीं चला कि कितना रुपया वह देते हैं, और वास्तव में देते हैं या नहीं, और नहीं देते हैं तो क्यों नहीं देते हैं ? यह बड़े खेद का विषय है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अगर यह पैसा पशुपालन विभाग से मिलता है तो आज पंचायत समिति में क्यों नहीं मिलता है, और अगर नहीं मिलता है तो उस पर विचार कर दवाइयां किसी प्रकार से उपलब्ध करानी चाहिए । हमारा यह कहना है कि हमारा बहुत सा हिस्सा रेगिस्तानी है । जो पश्चिमी इलाका है वहां के लोगों का मुख्य धन्धा पशुपालन का है । अधिकतर पशुओं के आधार पर जीवन पालन करते हैं । उनको अगर इलाज के लिए दवाई भी उपलब्ध नहीं होती है तो यह बड़ी अजीब बात है !

इसके साथ ही साथ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां पर पंचायत समिति में जो स्टाफ होता है उसका वेतन जिस विभाग से वे आए हैं वहां से मिलता है पर उनको जो चिकित्सा की पुनर्भुगतान सुविधा है वह विभाग से उपलब्ध नहीं होती है । कहा यह जाता है कि पंचायत समिति अपने ओंन फण्ड में से भुगतान करे । उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी मुश्किल से पंचायत समितियां किसी तरह का टैक्स लगाकर कुछ पैसा इकट्ठा करती हैं ताकि उसके क्षेत्र में कुछ विकास के कार्य कराए जा सकें । चाहे वहां पर स्कूल का कार्य हो, चाहे सार्वजनिक भवनों के निर्माण का कार्य हो, चाहे कुएं का काम हो, चाहे गांव में पानी की व्यवस्था करने का कार्य हो, पंचायत समिति कुछ टैक्स लगाकर पैसा इकट्ठा करती है लेकिन बड़े खेद की बात है कि जिस पैसे को हम टैक्स लगाकर गांव वालों को समझा कर इकट्ठा करते हैं, पंचायत समिति अपनी ओंन आमदनी करती है उसमें से उनको चिकित्सा का पुर्नभुगतान करने को कहा जाता है । अगर ये पंचायत समितियां नहीं होतीं तो जितने कर्मचारी आज पंचायत समितियों मे काम करते हैं या जो डेपुटेशन पर आए हैं, किसी विभाग से भेजे गये हैं, अगर वे पंचायत समिति के तहत नहीं होते, सीधे सरकारी कर्मचारी होते तो उनकी चिकित्सा का पुनर्भुगतान उस विभाग को करना पड़ता । अतः मैं आपके मार्फत, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जितने भी यह पुनर्भुगतान के बिल हैं उनका भुगतान जहां से उनको तनख्वाह मिलती है वहीं से होना चाहिए ।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता था कि पंचायत समिति में पहले ओवरसियर हुआ करते थे । उस वक्त लंबा चौड़ा बजट हुआ करता था पंचायत समिति का और पंचायत समितियों को बहुत पैसा मिला करता था, बहुत से कार्य हुआ करते थे और हर आदमी, हर ग्रामवासी, पंचायत समिति का स्टाफ यह महसूस किया करते थे कि पंचायत समिति में बहुत कुछ काम है, और बहुत से काम गांवों में विकास के करते हैं । लेकिन आज न तो वह बजट रहा है, न उतना पैसा रहा है तो ऐसी स्थिति में ओवरसियरों को हटा दिया है तो यह ओवर, सियरों को हटाना तो ठीक है, पर, उपाध्यक्ष महोदय, अब पंचायत समिति में जितना पैसा मिल रहा है और जितने कार्य हो रहे

(श्री राम रघुनाथ)

हैं उसकी जांच के लिए, उसके एस्टीमेट्स के लिए, उसके सर्टीफिकेट्स के लिए हर जिले के अन्दर दो-तीन ओवरसियर होते हैं। एक ओवरसियर के पास तीन-चार पंचायत समितियां होती हैं। मुश्किल से वह दो-चार दिन दे पाता है। आज तक न तो कोई एस्टीमेट्स बने हैं, न कार्य होने के पूर्व के एस्टीमेट्स बने हैं, न कार्य होने के पश्चात् के एस्टीमेंट्स हैं और उसके बाद में उन पर एतराज हो रहे हैं, वे एतराज चाहे जिला विकास अधिकारी के द्वारा किए हुए हों चाहे ऑडिट वालों की तरफ से किए हुए हों। इसके लिए मेरा निवेदन यह था कि अगर कहीं पर पी. डब्ल्यू. डी. के ओवरसियर लगे हुए हैं उन ओवरसियरों को साथ में लेकर अगर पंचायत समितियों को सहयोग दिया जावे और जो एस्टीमेट्स बनाने का या सर्टीफिकेट देने का कार्य है वह इनसे लिया जाय तो आसानी हो सकती है। हर जिले में पी. डब्ल्यू. डी. के ओवरसियर हैं, दूसरे विभागों के भी ओवरसियर हैं, इनका सहयोग पंचायत समितियों को दिलाया जाय तो काफी सुविधा हो सकती है। अगर सरकार के आदेश इस बारे में हो जाय, और इनका कुछ इन्तजाम हो जाय, और इन ओवरसियरों का सहयोग मिल जाय तो मेरे खयाल से जो समस्या बनी हुई है, आम तौर पर पंचायत समितियों के सामने और ग्राम पंचायतों के सामने, उनका हल निकल सकता है और उनको आसानी से सर्टीफिकेट प्राप्त हो सकते हैं।

एक समस्या मैं पंचायत समिति, डेगाना के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता था। पंचायत समिति, डेगाना में एक कृषि फार्म है, सीड मल्टीप्लीकेशन फार्म। वह फार्म कृषि से सम्बन्धित है और कृषि विभाग ने उसको पंचायत समिति को सौंप दिया। बड़े खेद की बात है, उपाध्यक्ष महोदय, और मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उसके पास में एक हरसोर बांध आया हुआ है जिससे दो-तीन सौ, चार सौ बीघा की सिंचाई हो सकती है। किसी तरह से एक सरकारी अधिकारी महोदय ने उस फार्म को, उस जमीन को ले लिया, हजारों रुपये मुआवजे के दिये गए, उस सौ एकड़ जमीन के लेकिन उस बांध से सिंचाई हो नहीं सकती क्योंकि वह फार्म ऊंचाई पर पड़ता है। जब तक उससे नहर नहीं निकाली जावे तब तक फार्म पर सिंचाई नहीं हो सकती है। उसके बाद फार्म के विकास के लिये कुआ खोदा गया, उस कुए पर 50·60 हजार की धनराशि लगी लेकिन उससे दो बीघा की सिंचाई भी नहीं हो सकी। हमने कुए पर इतनी बड़ी धनराशि लगा दी और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि विकास के कार्यों के लिये पैसा नहीं है और इस प्रकार से धनराशि खर्च की जाती है। उस फार्म को बनाने की वजह से वहां पर मकानात बनाने पड़े, फॉर्म का मैनेजर भी नियुक्त किया गया, वहां पर ड्राइवर भी रखा गया और उन पर लाखों रुपये खर्च किया गया लेकिन उसका, उस फार्म का कोई उपयोग नहीं हो रहा है, उस पर पंचायत समिति ने एक खुद की स्कीम बनाई और जो बांध टूटाफूटा पड़ा था उसको ठीक करा कर उससे नहर निकालने के लिये स्कीम बना कर सरकार को भेजी लेकिन सरकार की तरफ से आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।

(समय-समाप्ति सूचक-घण्टी)

दो मिनिट में समाप्त करता हूं, उपाध्यक्ष महोदय।

(श्री राम रघुनाथ)

तो मैं निवेदन कर रहा था कि इस फार्म के उपयोग का एक ही रास्ता है कि नहर से सिंचाई की जाय तो ही फायदा हो सकता है। इस फार्म का एक उपयोग यह भी है की सीड मल्टीप्लाई करके काश्तकारों को बांटा जाय। सीड सरकार देती है, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिस देता है और उसकी पैदावार कर उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता था कि जो सीड मल्टीफ्लाई किया जाता है वह वहां के किसानों को नहीं मिलता बल्कि उसे एलॉट किया जाता है सुमेरपुर को। वहां की पंचायत समिति को जो सीड चाहिये वह आयेगा कोटा से। उपाध्यक्ष महोदय, यह कहां का न्याय है कि पंचायत समिति क्षेत्र में एक सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म हो, उसका सीड तो उस पंचायत समिति को नहीं दिया जाय और उसको तो सुमेरपुर को दिया जावे, और उस पंचायत समिति से कहा जाय कि तुम बाहर का सीड लो। सुमेरपुर जिला पाली में है और पाली जिले में अपना खुद का ही इतना बीज होता है कि वे दूसरों के बीज को क्या उठायेंगे? बीज वहां से जाता नहीं है, वहीं पड़ा रह जाता है और इस प्रकार बीज का उपयोग नहीं होने से वह सड़ जाता है, उसको बाजार से भी सस्ते दामों पर बेचना पड़ता है, और इसका लॉस पंचायत समिति को भुगतना पड़ता है, जिससे पंचायत समिति घाटे में रहती है। कई बार पंचायत समिति ने इस बारे में लिखा लेकिन कोई भी कान खोल कर सुनने वाला नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूँ कि यह हाल किसी एक पंचायत समिति का ही नहीं है, राजस्थान में कई पंचायत समितियों का यही हाल है। सरकार के द्वारा ध्यान नहीं देने से ये पंचायत समितियां घाटे में चलती हैं। मैं डेगाना के फार्म के बारे में निवेदन कर रहा था कि जब फार्म का कोई उपयोग नहीं हो रहा था, कोई पैदावार नहीं हो रही थी तो भी फार्म के मैनेजर को वहां पर रखा जा रहा था, इसके लिए पंचायत समिति ने प्रस्ताव भी पास करके भेजा कि इस फार्म मैनेजर की यहां पर क्या आवश्यकता है? हमारे यहां पर ट्रेक्टर नहीं है तो फिर ट्रेक्टर ड्राइवर की क्या आवश्यकता है? ड्राइवर पर चार सौ रुपये का खर्चा तनख्वाह और भत्ते आदि का होता था और मैनेजर पर खर्चा होता था। मैनेजर और ड्राइवर की तनख्वाह को ही ले लें तो भी जो साल भर का उनका खर्चा आता है उसके अनुसार अगर वह फार्म साल में पन्द्रह हजार रुपये भी पैदा करे तो भी मैनेजर और ड्राइवर की तनख्वाह में पूरा नहीं पड़ता। दो साल तक लगातार कॉरेसपोंडेंस करने के बाद मैनेजर महोदय को हटाया गया और पांच साल के बाद में उस ड्राइवर को हटाया गया। अब इस प्रकार पांच-छः साल में पंचायत समिति को हजारों का लगातार घाटा हुआ, इसकी जिम्मेदारी किन की है? इसकी जिम्मेदार सरकार खुद है, क्योंकि बराबर निवेदन करने के बाद भी सरकार ने कभी भी इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया कि फलां पंचायत समिति को यह तकलीफ है और फलां को वह तकलीफ है।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

दो मिनिट और, उपाध्यक्ष महोदय! इसके बाद जिला परिषदों के बारे में मैं थोडा सा निवेदन कर देना चाहता हूं।

(श्री राम रघुनाथ)

जिला परिषद् जिले की एक आटोनोमस बॉडी है और जिले के नुमायन्दों के हिसाब से बहुत बड़ी संस्था है। उसमें बैठ कर कई तरह के उपयोगी निर्णय लिये जाते हैं। उसमें जिले के अधिकारी, जिले के कृषक या और लोग, विभागों से सम्बन्धित अधिकारी वे सब बैठ कर वहां कि समस्याओं पर विचार करते हैं। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता था कि इनमें विचार करके जो सुझाव दिये जाते हैं या जो निर्णय लिये जाते हैं, उनका उपयोग क्या है ? सरकार को भेजते हैं तो कोई जवाब नहीं दिया जाता। जिला परिषदें सात-सात साल से चल रहीं हैं उनकी स्टेंडिंग कमेटीज हैं, उनकी मीटिंग होती हैं, उनके सुझाव सरकार को भेजे जाते हैं लेकिन उनका कोई जवाब नहीं दिया जाता है। आज तक पता नहीं क्यों सरकार जवाब नहीं देती। ऐसा लगता है कि जिला परिषदों को शायद सरकार ने ऐसे ही बना दिया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जनता को ग्राम पंचायतों की भी जरूरत है, जनता को पंचायत समितियों की भी जरूरत है, जिला परिषदें आज के विकास की आवश्यकताओं को देखते हुए इतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं जितनी कि पंचायत समितियां या ग्राम पंचायतें हैं। फिर भी मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि 8-10 वर्ष पहले तो इनके पास बहुत काम था, पढाई का काम था, विकास का काम था और दुनियाभर के कृषि के काम इनको दे दिये गये थे। 8-10 वर्ष पहले इनको सामान दिये गये थे और लाखों रुपये खर्च करके सामान दिये गये थे और उन पर आज जंग लग रहा है। इस तरह का सामान भूल से दे दिया हो, अधिकारीगण ने या यह सोच कर दे दिया हो कि पैसा तो खर्च हो गया और जयपुर में पड़ा हुआ सड़ रहा है तो उसका क्या किया जाय तो उन्होंने उनको पंचायत समितियों में बांट दिया। वह पंचायत समितियों के हैडक्वार्टर्स पर पड़ा हुआ है। उसको इकट्ठा करके अगर नीलाम कर देंगे तो पंचायत समितियों का भार भी कम हो जायगा और सरकार को भी उससे कुछ आमदनी हो जायगी, जिला परिषदों में इस तरह के केसेज रखे जाते हैं तो जिला परिषद उन पर विचार करने की आवश्यकता नहीं समझती है....

(3.12 म. प.)

(श्री भानुकुमार शास्त्री, सभापति, पदासीन)

मैं सुझाव देता हूं कि उनके लिए राज्य सरकार को एक महत्वपूर्ण विषय समझ कर उसका तुरन्त जवाब देना चाहिये ताकि जिला परिषद् जो जिले की बहुत बड़ी बॉडी है वह कुछ कर सके, पंचायत समितियों को संतुष्ट करा सकें या जो ग्राम पंचायतों में विशेष रूप से विकास के लिए जो सुझाव दिये हैं, उनके लिए कुछ कार्य कर सकें। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री केसरीमल !

श्री केसरीमल (ब्यावर) : माननीय सभापति महोदय, अभी जो प्रश्न चल रहा है उस पर मुझे निवेदन करना है कि सामुदायिक योजना का यह कार्य जिस तरह से चल रहा है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि सब गावों में जा जा कर देखें तो यह मिलेगा कि वहां पर कोई कार्य नहीं है। यों देखें बजट के हिसाब से तो इसमें 18 करोड़

(श्री केसरीमल)
के करीब इन सामुदायिक योजनाओं को अनुदान देने की बात कही है और करीब 1400 लाख का आपने प्रावधान किया है और सरकार ने प्रावधान किया है वह इतना कम किया है और इन पंचायतों की आमद इतनी नगण्य है कि वहां पर कोई भी काम नहीं हो सकता है। यह तो साफ लगता है कि हमारी ग्राम पंचायतों का जितना आबादी का तबका है और यह जितना कार्य है यह बहुत ही बड़ा ताल्लुक रखता है, इनका सम्बन्ध जुड़ा हुआ है लेकिन जहां इतना बड़ा तबका गांवों में रहता है और सामुदायिक योजना के मातहत।

श्री सभापति : कोरम पूरा नहीं है।

(गणभाव-सूचक घंटी)
(गण-पूर्ति के पश्चात्)
प्रारम्भ करिये।

श्री केसरीमल : सभापति महोदय, यह जो व्यवस्था है उससे ऐसा लगता है कि गांवों में अब विकास के कार्य या तो रहे नहीं हैं या करने के लिए हमारी सरकार की तरफ से जो बजट में प्रावधान किया गया है, उससे कोई रास्ता नहीं है। हम जो देखते हैं उससे पता लगता है कि जो गांवों में काम करने की बातें इस विभाग के मातहत आती हैं, चाहे वे शिक्षा की हों, चाहे वह ग्रामों में कुओं के निर्माण का काम हो या इस प्रकार के पंचायती राज्य जिसमें चिकित्सा भी आती है और वहां जहां ये सारे कार्य करने हैं और उस कार्य को करने वाली संस्थाओं के पास जब पैसे का अभाव हो तो फिर वहां काम क्या होगा ? काम यह होगा कि सिर्फ जो कर्मचारी वहां रखे गये हैं उन्हें सिर्फ तनख्वाह चुका दें या उनका भत्ता कितना होता है वह हम दे दें। लेकिन देखने में यह आ रहा है कि अब तक तो भत्ता देने जैसी बात भी वहां पर नहीं होती है, क्योंकि इन ग्राम पंचायतों में स्कूलों के अध्यापक हैं, उनका चिकित्सा भत्ता काफी लम्बे अरसे से मेरे खयाल में लाखों रुपयों की तादाद में पड़ा हुआ है, लेकिन वह पैसा उनको नहीं दिया जा रहा है। जब इन संस्थाओं को ग्राम पंचायतों के मातहत देने की बात कही गई तब यह बात साफ थी कि चूंकि इनकी सेवाएं आपके मातहत थी और जो कुछ पैसा मिलने वाला है और उनके जो हकूक दूसरे अध्यापकों के हैं और जैसा कि सरकार ने देने का वचन दिया था, उसी प्रकार से ग्राम पंचायतों के मातहत रहने वाले अध्यापकों को भी मिलेगा। लेकिन 68 के बाद ऐसा कह दिया गया है कि अब ग्राम पंचायतें खुद अपना पैसा इकट्ठा करे और इन अध्यापकों को उस पैसे में से जो भी कर से इकट्ठा करें उसमें यह चिकित्सा भत्ता और दूसरे पैसे दें। हमारे यह समझ में नहीं आता है कि यह अध्यापक यदि सरकार के मातहत रहते तो सरकार पैसा देती या नहीं, जो हकूक की बातें थीं उनको पूरा करती या नहीं ? लेकिन वहां सरकार यह बात कह जायगी, और उनके जो पैसे बनते हैं, वह नहीं दे रही है।

आज बरसों से लोगों को यह तकलीफ है। गांवों में यह भी देख रहे हैं कि अध्यापकों के साथ में नाना प्रकार के जुल्म होते हैं, अपने निजी स्वार्थ के लिए उनको तकलीफ देते हैं। ट्रान्सफर्स के मसले माननीय सदस्यों ने उठाये। वहां पर मैं बताना चाहता हूं कि गांवों के अन्दर जो स्कूलें हैं, उनकी दुर्दशा देख कर ऐसा लगता है कि

(श्री केसरीमंल)

विद्यार्थी उनके अन्दर बैठें तो ठीक होगा कि नहीं। मैं अभी कुछ गांवों में गया था। मुझे जाने का मौका पड़ा तो स्कूलों को देखा कि वहां पर बच्चे ऐसे स्कूलों में पढ़ रहे हैं कि जिनकी छतें टूट रही हैं और पट्टियां टूट कर गिरे तो बच्चों का क्या हाल हो। किवाड़ नहीं, दरवाजे नहीं, खिड़कियां नहीं, ठंडी हवा आ सकती है। ऐसे स्कूल हैं, जहां पर बैठने के लिये न तो टाट-पट्टी है, न मास्टर के लिये कुर्सी है और न मेज की व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था को आंखें मींच कर कैसे चलने देते हैं, लेकिन सभापति महोदय, आज चल रही है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं सरकार को कि एक तरफ तो वह कहना चाहती है कि एक हजार नये स्कूल खोलेंगे और नये 6 हजार मास्टरों को रखेंगे तो क्या एक हजार स्कूलों को खोलने की यही व्यवस्था होगी कि 6 हजार पेड़ों को लगाना पड़ेगा जहां 6 हजार मास्टर बैठ कर शिक्षा देंगे ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी या स्कूलों के भवन के लिये सरकार व्यवस्था करने जा रही है? जो ग्रामों के अन्दर स्कूल बनते हैं तो सरकार की अपनी जिम्मेदारी से नहीं बनते हैं और गांवों को खुद को बनाने होते हैं तो वहां पर लोगों को पैसा इकट्ठा करके, चन्दा इकट्ठा करके मकान का निर्माण करना पड़ता है। उन मकानों के नक्शे क्या होते हैं कि किसी स्कूल में कोई-कोई कमरा तो 20 फुट का है, कोई कमरा 12 फुट का है और कोई कमरा 8 फुट का ही होता है। समझ में नहीं आता है कि क्या इस जमाने में कुछ वैज्ञानिक तरीकों से सोचने की आवश्यकता नहीं है कि कितने बच्चे स्कूलों में आयेंगे और उनके बैठने के लिए कितने क्यूबिक फ़ीट जगह की आवश्यकता है, किस तरफ से रास्ता होना चाहिये। क्या यह नहीं सोच सकते? यदि यह सोचेंगे तो कमरे ठीक तरीके से बनाने पड़ेंगे और वहां पर इस तरह के कमरे होने चाहिये। ऐसी अव्यवस्था और ऐसी बदहाली इन स्कूलों की गांवों के अन्दर देखी जाती है।

मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि बोर्ड जैसी चीज और चाक जैसी खड़िया मिट्टी के मामले में बच्चे कहते हैं कि चाक के टुकड़े कहां से लाये जायेंगे। बोर्ड नहीं है तो कपड़ा लगाते हैं। यह क्या दुर्दशा है गांवों के स्कूलों की। इसके लिए सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर देश को आगे ले जाने की बात सरकार सोचती है, और जैसा कि मैंने कहा कि एक कदम उन्होंने सोचा है एक हजार स्कूल बनाने का तो मैं कहता हूं कि खुशी की बात है, लेकिन उसके साथ-साथ यह भी सोचना चाहिये कि एक हजार नये स्कूल खुलेंगे तो एक हजार नये स्कूलों के लिये भवन बनाने पड़ेंगे, भवन बनाने की बात नहीं सोचेंगे और उनके लिये केवल अध्यापक रखने की बात करेंगे तो फिर पेड़ के नीचे बैठना पड़ेगा। वह अच्छी बात है। यह हमारे भारत की पुरातन संस्कृति है कि नदियों के किनारे बैठ कर गुरुकुलों में शिक्षा पाते रहे हैं। अगर वास्तव में ऐसा होता तो ठीक होता, लेकिन राजस्थान में नदियां बहुत कम हैं और वैसे ही बरसात कम होती है और चारों तरफ रेत ही रेत है तो वहां पर शिक्षा खुले में दी जाय तो वह बात ठीक नहीं है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, एक तरफ इस तरह की बात चल रही, वहां लम्बे अर्से से चुनाव न होने के कारण पंचायतों के अन्दर एक प्रकार से जागीरदारी हो गई है। कोई गल्ती

(श्री केसरीमल)

कर रहा है, कोई न कोई आदमी तो उसकी गलतियां, गलतियां ही चलती रही हैं वह दुरुस्त नहीं हो सकती क्योंकि न वह जाकर जनता के सामने वोट के लिए कहेगा और न गलतियां दुरुस्त होने का मौका आयेगा। आदमी जब आम जनता के सामने जाता है, तब उसे मालूम होता है कि उसने गलत काम किया है या ठीक किया है। आपने दस साल तक चुनाव नहीं कराये, उनको जनता के सामने जाने का मौका नहीं मिला, इसलिए यह प्रश्न नहीं उठता कि जनता से फैसला करायें कि जो काम किया है वह अनुचित किया है या उचित किया है। चुनाव को बहुत टालने की बात चलती रही है, मेरा निवेदन है कि बहुत अच्छा हो यदि आप दस साल का प्रोग्राम बनायें, आठ साल का प्रोग्राम बनायें, सात साल का प्रोग्राम बनायें कि इस अवधि में चुनाव होगा। आठ-आठ साल तक चुनाव की अवधि बढ़ाने से आम आदमी की दिलचस्पी नहीं रहती है। तो यह जो व्यवस्था चल रही है यह डेमोक्रेटिक ढंग की व्यवस्था नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं, आगे मर्जी सरकार की है, चाहे जब हो, काम होना चाहिये, चाहे जब किसी काम को, जब मर्जी हो, आगे कर लें, पीछे कर लें। मेरा निवेदन है कि यह फौरन चुनाव होने चाहिये। यह बात सही है कि माननीय सदस्यों ने कहा, चुनाव की तिथि की घोषणा मत करिये क्योंकि लोग विश्वास नहीं करेंगे। अभी सुना है, मई में चुनाव होने जा रहे हैं। लोगों ने पूछा कि चुनाव हो रहे हैं या नहीं, तो हमने उत्तर दिया, जब नोटिस लग जाय तब समझ लें कि चुनाव हो रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि इतने समय तक चुनाव नहीं हो—यह बात ठीक नहीं है।

पंचायत समितियों में आज ऐसी अव्यवस्था फैली हुई है तो यह कहना मुश्किल है कि काम कैसे हो। गांव में बीज देने का मसला समितियों के पास जाता है, तो मुझे बड़े तजुर्बे और दुःख के साथ कहना पड़ता है, बीज जैसी चीज है, जिसमें खाली पैसा लेना-देना होता है उसमें से भी पैसा बीज बेच कर लोग खा जाते हैं। यह वहीं तक सीमित नहीं रहता है कि बीज बेच कर खा जायं, वह लोग सरकार के पास में पैसा जमा न करायें, उस पैसे का गबन कर लें इस चीज को बुरा नहीं समझता हूं। आज जमाने में ठीक है किसी ने पैसा खा लिया। लेकिन एक आदमी जिसकी जिम्मेदारी है कि अच्छा बीज खरीदेगा, पूरे इलाके में वितरण करेगा, वह बीज के इलाके, मंडावर तक से ऐसे बीज लाये और उसको रख कर खराब कर दे, जिसकी वजह से खेती नष्ट हो जाय तो मैं समझता हूं, ऐसे आदमी को जितनी बड़ी सजा दी जाय वह कम है। हमने देखा है, कई पंचायत समितियों में ऐसा बीज दिया है, जिसे गांव का जो किसान है उसने खरीदा नहीं, वह वितरित हुआ नहीं, वह बीज सड़ता रहा और लाखों रुपये का बीज नालों में बह गया। किसानों ने वह लेने से इन्कार किया। संकर बाजरे और गेहूं के बीज का मसला ऐसा आया है जिससे यह पता लगता है कि किस तरह से इस मामले में घोटाला किया गया है। हो सकता है वह बीज ही नहीं था, रद्दी नाज डाल रखा हो और उसको संकर बाजरे के नाम से बेचा हो और पैसा बनाया हो। यह ऐसी हालत बना रखी है कि जिसको

(श्री केसरीमल)
आप एक बार न रोकें तो किसान अपने आप बरबाद हो जाय । यह इतना बड़ा जुर्म है, सभापति महोदय, जिसके लिये किसी आदमी को बख्शा नहीं जा सकता ।

खाद के मामले में मैंने आंखों से देखा है । ब्यावर में तीन बड़े कारखाने हैं कपड़े के, उनमें इतने बड़े गोदाम हैं जितने राजस्थान में नहीं हैं । उनमें राजस्थान की सरकार ने बहुत बड़ी तादाद में कई प्रकार की खाद खरीद कर रखी है और वहां से बोरियों की बोरियां कई-कई जगह जाती है । वह जाती हैं उनमें क्या होता है, वह न पूछिये । वह जहां पड़ी रहती है तो आप जानते हैं कि खाद में ताकत होती है, उसके कारण जो पैकेज होता है, वह नष्ट हो जाता है । जब बोरियां जाती हैं तो खाद निकलती हुई जाती है और आधी बोरी खाद जाती है बजाय पूरी बोरी के । जो खाद किसानों को देने के लिये ले रहे हैं वह ऐसे खराब होती है, इस प्रकार की अव्यवस्था है । किसान ने उसका उपयोग किया नहीं और लाखों रुपये की खाद पड़ी रही । इसलिए इस ओर देखना पड़ेगा । हम कहते हैं, यह अधिकारी लोग इस तरीके से काम करते हैं खाद का, वह वास्तव में देश को आगे ले जाने की बात नहीं सोचते, जनता को राहत पहुँचाने की बात नहीं करते, वह इसके लिये तैयार नहीं है, वह अपने लिए सहूलियत पैदा करने के लिए तैयार हैं । किसी प्रकार से यह नहीं सोचते कि इससे देश का काम बिगड़ने वाला तो नहीं है, बिगड़ने वाला हो तो उसको रोकने के लिए कुछ करें, चाहे खाद हो, चाहे बीज हो, चाहे गेहूँ का बीज हो, चाहे संकर बाजरे का बीज हो, यह दुर्दशा है । मैं निवेदन करना चाहता हूँ, बात यहीं नहीं रुकती है । बात आगे बढ़ गई है । इन अधिकारियों ने ऐसी दशा बना दी है पंचायत समितियों की । इनकी गाड़ी सिनेमा दिखाने के लिए गांव-गांव में दिन-दिन भर फर-फर उड़ती है । इन्हें तो मौज करनी है । आसपास जो नदी नाले होते हैं, शिकारगाह होते हैं, तफरीह की जगह होती है वहां बाल-बच्चों को लेकर जाते हैं । इनकी शिकायतों से फायलों में कागजात भरते जाते हैं । ऐसे कई केसेज देखे हैं जिनमें उन पर इल्जाम लगाया गया है, उनकी जांच हुई, प्राइमा फेसी केस बनना चाहिए वह बन गया । जब केस बन गया तो कलेक्टर महोदय ने उसको दबा दिया क्योंकि जब पंचायत की गाड़ी लेकर गये थे तो उसमें कलेक्टर की फेमिली को लेकर गये थे । उन्होंने देखा कि राज खुलेगा तो इसमें मेरा भी खुलेगा । इसलिए उस केस को दबा दिया और नौ साल तक एक्शन नहीं होने दिया । तो जीप के इस तरह के कई मामले हैं जिनमें बराबर जीप को बेजा इस्तेमाल करते हैं ।

सभापति महोदय, जहां तक जीप-गाड़ियों का मसला है, वहां इसका दुरुपयोग, मिस यूज का बहुत बड़ा मामला है । एक तो पंचायत समिति के विकास अधिकारी ने बहुत बड़े धन का दुरुपयोग किया है, मामला इन्क्वायरी में आ गया । प्रथम जो इल्जाम था वह करीब-करीब सिद्ध हो रहा था जिसमें कार्यवाही चली, जांच चली और जब जांच के कागजात, जिस अधिकारी ने जांच का काम किया था, उससे मांगने गये तो उसने कहा, मेरे पास कोई कागजात नहीं है । वर्ष तक

(श्री केसरीमल)

इन्क्वायरी होने के बाद, जो कलेक्टर के पास जांच चली उसने बाद में इन्कार कर दिया कि मेरे पास कोई कागजात नहीं है। इस तरह की मैं कई मिसाल दे सकता हूं, नीचे के अधिकारियों ने यदि माल खाया है तो ऊपर के बड़े अधिकारियों ने उसको बचा लिया है और इन्क्वायरी के कागजात देने से इन्कार किया है। इस तरह के भ्रष्टाचार के मामले दिन बदिन पैदा होते जा रहे हैं। आॅफिसर भ्रष्टाचार में लिप्त होते जा रहे हैं, हर काम को नष्ट करते जा रहे हैं लेकिन इनको पकड़ा नहीं जाता। एक दफा नहीं, दस दफा जांच कागजात लिख कर मांगे, उनसे कहा कि जांच के कागजात भिजवा दीजिये, लेकिन कलेक्टर ने कहा कि पता नहीं लगता, कागज हैं या नहीं, जांच की थी या नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि जांच की होगी तो की होगी।

कृषि के औजारों के मामले के लिए कहना है कि डेढ़ लाख के औजार खरीदे गये और पंचायत समिति को भेजे गये। औजार की जहां जरूरत थी, वहां नहीं भेजे गये। जहां पहले से औजार थे वहां भेजे गये। यह औजार थे, जिन लोगों को जिस समय पर जरूरत थी और जिनके लिए खरीदे गये वहां पर औजार बाद में भेजें गये और बाकी औजार वैसे ही पड़े रहे इस प्रकार से चार से दस वर्ष तक यह पड़े रहे और डेढ़ लाख रुपये जो औजार में लगे थे वह बेकार हो गये। अगर वह उधार ही किसानों को दे देते तो उनका उपयोग हो जाता।

मेरा निवेदन करना है, यही नहीं, यह पंचायत समितियां काम कर रही हैं यह भूल भुलैया की तरह है, पंचायत समिति क्षेत्र में तालाब बनाने के लिए, बांध बनाने के लिए और खेती का विकास करने के लिए बगैर सरकार की इजाजत के लाखों रुपये उस काल के अन्दर खर्च किये, ट्रैक्टर, यह, वह, न मालूम क्या-क्या किया, 53 लाख रुपये खर्च किये गये और आगे जाकर कहा कि यह योजना का अंग नहीं है। जब यह योजना सामने आई तो सिंचाई योजना पर लाखों रुपया खर्च कर दिया, बाद में कह दिया, यह योजना का अंग नहीं है। यह अच्छा नहीं है, लाखों रुपया पंचायत समितियों में खर्च हो रहा है लेकिन सिवाय इसके कि वहां जाकर घूम आये, देख आये और कोई काम नहीं होता है। मैंने देखा है कि गांवों में पानी नहीं है, हमारे इलाके में कहीं भी पीने का पानी नहीं है, इस पंचायत समिति के अंतर्गत। उनका काम है कि गांवों में कूप खुदवाएं, पीने के पानी की व्यवस्था करें। मैं चाहता हूं कि सरकार यहां से 3-4 सज्जन को लेकर उनको और दिखायें कि उन इलाकों में कहां कुए बने आपको देखने को मिलेगा कि पानी की व्यवस्था नहीं और जो कहा जा रहा है कि इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। अगर आप देखें तो गत वर्ष जो व्यवस्था उन्होंने की है उसका सारा हिसाब लगाकर निकालें तो एक जिले में एक कुए खुदवाने की व्यवस्था गत वर्ष में की। बताइए एक कुआ एक साल में खुदे पूरे जिले में, जिस राज की ऐसी व्यवस्था हो पानी की कैसे अच्छी व्यवस्था हो सकती है? इस तरह से सारे इलाके में अव्यवस्था फैली हुई है। इसको रीआर्गेनाइज किया जाए। मैं चाहता हूं कि इनका काम भी म्युनिसपल कमेटियों जैसा हो। यह जो कहा जा रहा है एक

(श्री केसरीसल)

टायर टू टायर थ्री टायर, इस व्यवस्था को तोड़ा जाए। आप ग्राम पंचायतों को देखें, वहां पर पंचायत समितियों को देखें, फिर जिला स्तर को देखें। गबन घोटालों को रोका जाए लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गांवों के अन्दर जो खाद दिया जाता है, बीज दिया जाता है, जो औजार दिए जाते हैं इस तरह से न दिए जायं, इस तरह के न दिए जायं कि खराब हो और मशीनरी समय पर न पहुँच पाए, ऐसी व्यवस्था न हो।

सभापतिजी, मैंने बहुत समय लिया इसके लिए मुझे क्षमा करें।

श्री सभापति : श्रीमती कांता कथूरिया !

श्रीमती कांता कथूरिया (कोलायत) : सभापति महोदय, हमारे जो सरकारी उद्योग हमारे प्रांत में चल रहे हैं विशेष तौर पर बीकानेर में, उन उद्योगों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। बीकानेर जिले में पलाना माइन्स चला करती थी, सरकारी क्षेत्र में। उसमें करोड़ों रुपए की मशीनरी लगाई हुई थी और वहां पर कोयला निकलता था। उसके बाद में थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट की स्कीम बनी थी जो सर्वे हो कर आ गई लेकिन न जाने क्यों यह कहकर कि इसमें अधिक पूंजी खर्च होगी और सरकार के पास साधन नहीं है, इसको छोड़ दिया। खैर उसके बावजूद भी एक प्लांट लगाने की स्कीम थी जिसमें डोमेस्टिक फ्यूअल की बात थी लेकिन वहां कुछ नया नहीं लगाकर जो माइन चल रही है जिसमें करोड़ों रुपए का व्यय हो गया, गांव वालों की जमीन एक्वायर की गई, खेती की जमीन छीन ली गई इसलिए कि इस माइन का काम होगा और वहां की रहने वाली जनता को आजीविका का साधन मिलेगा, इस विश्वास पर उनकी जमीन भी ले ली गई लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि पलाना माइन्स में करोड़ों रुपए की मशीनें बिना किसी काम के पड़ी हुई हैं, उनमें जंग लग रहा है और वहां पर निगरान पर एक छोटा स्टाफ रखा है। आज जब हम एक तरफ पब्लिक सैक्टर के विस्तार करने की बात करते हैं और बेरोजगारी मिटाने की बात करते हैं, तो बीकानेर में कोई साधन नहीं है, अकाल-ग्रस्त क्षेत्र है और कोई व्यापार वगैरह नहीं है। ऐसी हालत में इस माइन को सरकार क्यों नहीं चलाती है, मेरी समझ में नहीं आता। बार-बार विधान सभा में तवज्जह भी दिलाई गई कि इसमें इतना खर्चा किया गया है। उन मशीनों के लिए, मेरी जैसी जानकारी है, यह भी कहा जाता है कि इन मशीनों को राजस्थान कैनाल प्रोजैक्ट में लगाया जा सकता है। करोड़ों रुपए की मशीनें जहां हम खर्च की बात करते हैं, वहां पर बेकार पड़ी हैं, इस तरह का नुकसान जो राज्य को होता है उसकी जिम्मेदारी को देखना चाहिए। इस व्यापार में जिसमें घाटा ही घाटा दिखाया जा रहा है, नफा भी हो सकता है अगर प्लांट लगाकर डोमेस्टिक फ्युअल निकालने की व्यवस्था की जाए, तो घाटे की माइन में नफा भी हो सकता है।

एक दूसरा उद्योग स्टेट वूलन मिल बीकानेर में लगी हुई है। यह राज्य का दूसरा उद्योग बीकानेर में चल रहा है। इस मिल में बहुत रकम लगाकर बिल्डिंग खड़ी कर दी गई। इसमें मशीनें लगाई गई लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि

(श्रीमती कांता कथूरिया)

व मशीनें आज भी बेकार पड़ी हैं। आज वहां की मैनेजमेंट में अनाप-शनाप खर्चा है जनरल मैनेजर आई० ए० एस० ऑफिसर, सीनियर अकाउन्ट्स ऑफिसर, वूल टेक्नीशियन इस तरह के बड़े-बड़े नामों वाले अधिकारी रहते हैं और मिल जबसे बनी है तब से घाटे में चल रही है। वूल का उद्योग बीकानेर का बहुत महत्वपूर्ण उद्योग है। प्राइवेट मिलें तो मुनाफे में चलती हैं और यह घाटे में चलती है, उसका कारण यह नहीं है कि लेबर काम नहीं करता। लेबर की कोई गल्ती नहीं है बल्कि मैनेजमेंट को मैनेज करना नहीं आता है। बड़े-बड़ अधिकारी टी० ए०, डी० ए० तनख्वाह उठाते हैं, न लेबर के लिए सिम्पैथी रखते हैं। आज वहां करीब 45 लाख रुपये का धागे का स्टॉक पड़ा हुआ है खराब धागा बनाया गया था, खराब वूल खरीदी गई थी, मार्केट में कोई खरीदने को तैयार नहीं। सारा घाटा मैनेजमेंट की वजह से है। 10 हजार किलोग्राम, 1½ की कीमत है, धागे को कीड़ा खा गया।

हाल ही में वहां पर एक वूल ग्रेडिंग सेंटर से काले रंग की वूल खरीदी गई और साथ-साथ खुले बाजार से भी खरीदी गई। दोनों को मिलाकर धागा बनाकर निकालना चाहते हैं। दोनों मिलाकर अगर निकाला गया तो एक तो वहां भी मशीन है वह जाम हो जाएगी उसकी क्वालिटी भी खराब होगी। व्यापारियों से जो वूल खरीदी गई है उसके लिए बहुत शिकायत की गई है लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। दाम में फर्क रखा गया। मार्केट में करीब 8 रु० के हिसाब से लेकिन उसको 8.30 के हिसाब में प्राइवेट व्यापारियों से खरीदा गया। यह सारी जो बातें हैं, मैनेजमेंट उनको सुधारने के बजाए कभी उनको कुछ कहा जाता है तो राज्य सरकार, निष्क्रय रहती है और कोई तवज्जह नहीं देती। वूल वाशिंग प्लांट भी लगाया हुआ है जिसमें एक रबड़ लगता है, रबड़ के रोलर्स लगे हुए हैं और रबड़ फट गया है। रबड़ रिप्लेस करने से 1200 का रबड़ का खर्चा होता है और दो रबड़ 2400 रुपये में लग सकते हैं लेकिन 1½ साल हो गया रबड़ का रिप्लेसमेंट टाट से किया जाता है, 1.45 रु० मीटर के हिसाब से वह टाट मिलती है। एक दिन छोड़कर दूसरे दिन टाट को रिप्लेस कर देते हैं और 1½ साल में 2400 से काम चल सकता था, उसमें करीब 50,000 का व्यय हुआ है।

मैं व्यक्तिगत तौर पर किसी अधिकारी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती थी लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब हम लेबर का आउटपुट नहीं बताते हैं, लेबर से सिम्पैथी नहीं रखते हैं। इसके बाद 8-8 लेबर्स और पीयोन्स अधिकारी के घर में काम करते हैं और उनका खर्चा देखा जाए तो 1075 रु० प्रति माह होता है जो अधिकारी की कोठी पर कार्य करते हैं और मस्टर रोल्स में हाजरी लगती है और फिर दिखाया जाता है कि लेबर काम नहीं करता है।

वहां पर ऊन सैम्पुल सर्वे के लिए भेजी गई। सर्वे सैम्पुल सर्वे का ज्ञान सिर्फ जनरल मैनेजर और सीनियर अकाऊंट्स ऑफिसर को था। न मालूम बात कैसे लीकआउट हो गई और वहां के व्यापारी, जिनसे ऊन खरीदी गई, उनको मालूम पड़ गया और उन्होंने खुद जाकर वहां पर सम्पुलिस्क को

Page No 101

(श्रीमती कांता कथूरिया)

किसी ढंग से ठीक करवाकर वहां से रिपोर्ट ले आए। तो सभापति महोदय, ऐसे मामले वहां पर होते हैं पर कोई एक्शन नहीं होता। आज वहां का जो स्टाफ है, वह अपनी मांगों के बारे में जाते हैं जनरल मैनेजर के पास तो उनकी कोई नहीं सुनता है। आज व्यापारियों के बावजूद इतनी गड़बड़ियें करने के भी उन्हें पेमेन्ट किया जाता है। पर स्टाफ को देने के लिये वो हमेशा उदासीन हैंप्रवृत्ति रखते। आज जो ऊन खरीदी जाती है वह एक ही जगह से खरीदी जा रही है। दो व्यापारी हैं उन्हें ही इसका लाभ मिलता है। आज कई वार इसके बारे में शिकायतें की गयीं पर इन अनियमितताओं की कोई जांच नहीं की जाती है। कोई एक्शन इनके खिलाफ़ में नहीं लियागया है। आज बजट एक्सप्ले-मेटरी मेमोरेंडम में पब्लिक इन्टरप्राइजेज जितने भी हैं उनमें नेट लोसेज दिखाये जा रहे हैं। सन् 71 में 17 लाख रुपये का नुक्सान बताया और 72 में पांच लाख रुपया का नुकसान हुआ है। ये फिगर्स बिलकुल ही गलत हैं। वहां पर 17 लाख की जगह 30 लाख रुपये का लोस 71 में और 72 में 50 लाख रुपये का नुकसान है। इसी प्रकार भारत कारपेट में रुपये बाकी है। उन्होंने जो माल सप्लाई किया वह एग्रीमेन्ट के अनुसार नहीं किया क्वालिटी खराब है और ज्यादा पैसे में टेन्डर पास किया गया, आज उन्हें उनसे कम पैसे में भी काम हो सकता था पर वह भारत कारपेट को ही वह काम मिला और उस फर्म को ही पेमेन्ट किया। आज भारत कारपेट में लाखों रुपये की बकाया है पर वही अभी तक वसूल नहीं की जा रही है। करीब 9 लाख रुपये की वसूली उनसे करनी बाकी है। इनकी वसूली का इम्पलीमेन्टेशन क्यों नहीं हो रहा है, एक ओर तो लोगों में बकाया है और दूसरी ओर बीकानेर में जो ऊन उद्योग वह बन्द हो गया है। दूसरे राजकीय क्षेत्रों में जो लेबर वहां काम करते हैं उनका एक्सप्लाइटेशन होता है। लेबर बराबर अपनी मांगों के बारे में कह रहे पर कोई नहीं सुनता। न राज्य सरकार सुनती है और न जनरल मैनेजर सुनता है। इस प्रकार वहां पर मजदूरों को कठिनाई हो रही है। इसलिये मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि जो बकाया है लोगों में उन्हें वसूल कराया जाय और जो मजदूरों की मांगें हैं, उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिये। आज वहां जो डाइरेक्टर्स हैं, उन्हीं की वजह से यह सभी हो रहा है। आज करोड़ों रुपये राजकीय क्षेत्र के अन्दर लगे हैं राज्य सरकार का और फिर भी लाभ कहीं नहीं हो रहा है। उल्टे उसमें लोसेज हो रहे हैं। इसलिये जिनकी जिम्मेदारी है उनकी जिम्मेदारी जांच करके उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिये। पंचायती राज के बारे में अधिक न कह कर मैं इतना ही निवेदन करूंगी कि आज जो हमारी सामुदायिक विकास योजनायें हैं वे फैल्योर हो गयी है और पंचायतों की वजह से जो विकास कार्य होने चाहिये थे वह नहीं हो रहे हैं। आज उनके फैल होने के कारण यह है कि एक तो उनके पास धन की कमी और दूसरी उनके पास काम नहीं है। आज अगर इन्हें ये सहुलियतें दी जाय तो काफी विकास कार्य हो सकता है। पर आज हुआ यह है कि इस पंचायती राज से पार्टीबाजी हो गई है। और इस पार्टीबाजी से कई कम्पलीकेसीज बन गयी है। जिससे भी विकास कार्य रुके

(श्रीमती कांता कथूरिया)

हुए हैं। एक बात मैं खास तोर से निवेदन करना चाहूँगी कि आज जो पंचायत राज में एपोइन्टमेंट्स के लिये जो रूरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनी हुई है उन्हें तो खत्म ही किया जाना चाहिये। क्योंकि जिस तरह से दूसरे एपोइन्टमेंट्स होते हैं वो भी उसी से किये जा सकते हैं और यह एक बेकार का खर्चा लगा हुआ है। और इसके लिये तो मुझे इतना ही कहना है कि आप अगर पंचायती राज को रखना चाहते हैं तो फिर आप उन्हें सबल बनाइये।

श्री सभापति : श्री लूणाराम।

श्री नाथूराम बागोड़ेरा : सभापति महोदय, मेरा भी नाम दिया हुआ है। मेरा नम्बर नहीं आया।

श्री सभापति : इसके बाद तो चौथा नम्बर है, और आपका नम्बर पांचवां है।

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : सभापति महोदय, हमारे राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज का श्रीगणेश हुआ था और आज सरकार का सहयोग नहीं मिलने के कारण बजाय इसके उत्साह के लोगों में निरुत्साह पैदा हो गया है। आज हमारी ग्राम पंचायतें साधनहीन हैं। यह पंचायतों की व्यवस्था हमारे भारतवर्ष में और खास तौर से हमारे राजस्थान में बहुत वर्षों से चली आ रही है। जब सरकार ने इसे पंचायती राज का जामा पहनाया तो दूसरे कई प्रान्तों में जहां पहले पंचायत नहीं थी उन्हें नया नया लगा पर राजस्थान में नया नहीं है और इस पंचायती राज में लोगों को बहुत ही उत्साह होने लगा था। पर बाद में राज्य सरकार के सहयोग नहीं करने के कारण धीरे-धीरे राजस्थान में यह समाप्त होने जा रहा है। आज पंचायतें काम करना चाहती है तो राज्य सरकार बीच में आजाती है जिससे कि काम नहीं होता है। आज राज्य के सरकारी अधिकारी हैं, सरकारी मशीनरी है उसका कोई सहयोग पंचायती राज को नहीं है। बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि आज इस सरकारी मशीनरी की वजह से गांवों का विकास नहीं हो सका है। सरकारी नीतियां ऐसी हैं कि पंचायती राज में जो उत्साह होता था वह खत्म हो गया है। आज इस सरकारी मशीनरी की वजह से जो हमारे गांवों में पंचायती राज के अन्तर्गत जो सुविधायें मिलनी चाहिये वह नहीं मिल पाती हैं। और इसे गांवों की जनता बहुत बुरा महसूस करती है। आज जितनी भी पंचायत समितियां हैं उनकी हालत बहुत खराब है। आर्थिक स्थिति उनकी बिगड़ी हुई है। जो कार्य पंचायत करना चाहती है उन्हें नहीं करने दिया जाता है। और जब विकास कार्य नहीं हो पाता है तो इसकी जिम्मेवारी आज सरकारी मशीनरी पंचायती राज पर मंड रही है। इसलिये आज पंचायतों को सबल बनाने की आवश्यकता है। आज पंचायतें जब कोई काम करवा लेती हैं तो उसका ऑडिट होता है। यह ऑडिट इतनी बारीकी से किया जाता है कि जिससे वहां की पंचायत के पदाधिकारी जो भी हैं बहुत ही परेशान हो जाते हैं। वो इस तरह जांच करते हैं पाई-पाई की जैसे ऑफिस में की जाती हो। सभापति महोदय, यह तो मालूम होना चाहिये कि पहले तो ग्रामीण जन बगैर पढ़ी-लिखी होती है उनिके चुनिन्दे भी उनसे काफी बगैर पढ़े-लिखे होते हैं वो इस

(श्री लूणाराम)

ऑडिट की पूरी व्यवस्था को समझते नहीं हैं और फिर बाद में उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिये लिख दिया जाता है। इसलिये जो भी किया जाय आज वो काम दस-दस पन्द्रह सालों में पहले किये हुए हैं आप इतने सालों बाद आये हैं, ऑडिट करने लिये।

(विद्युत् व्यवस्था भंग)

आज दस-दस साल पहले के ऑडिट होते हैं और फिर बाद में उसकी रिपोर्ट दी जाती है। और उसके बाद में पूछताछ शुरू हो जाती है तो मेरा निवेदन है कि ऑडिट इतना सख्ती से नहीं होना चाहिये। क्योंकि वहां पर जनता के प्रतिनिधि होते हैं जो बिना तनख्वाह काम करते हैं सरपन्च वगैरह।

श्री सभापति : माननीय सदस्य इतना ध्यान रखें की सदन में अन्धेरा हो गया है। कुछ भी रिकार्ड नहीं हो सकेगा।

(विद्युत् व्यवस्था ठीक हुई)

श्री लूणाराम : सभापति महोदय, एक बात मैं और निवेदन करना चाहूंगा वह ग्रामीण पंचायतों के क्षेत्र में भूमि विक्रय के बारे में है। इस भूमि विक्रय के बारे में भी काफी नुकताचीनी की जाती है। ऑडिट रिपोर्ट में एतराज किये जाते हैं कि इस प्रकार के नियमों की पालना नहीं हुई है तो गांवो में इतनी ज्यादा पूछताछ की इतने पैसे में ही क्यों विक्रय किया गया और बराबर पंचायतों से जवाब मांगते हैं। ये जो काम हैं पंचायती क्षेत्र के ये इतने कनीकी तरह से ऑडिट करना ठीक नहीं है। तो सरकार ऐसी व्यवस्था नियमों में करे की छोटी-छोटी बातों पर पंचायतों को तंग नहीं करे। और यही कारण है कि कहीं हमें फंसा नहीं दिया जाये इसलिए लोग काम करने आगे आने को डरने लग गये। इसलिये यह बात जो है कि यह भूमि विक्रय का अधिकार सिर्फ पंचायतों को ही होना चाहिये कि किस आदमी को कितनी जमीन दी जाय। एक पट्टा कितना हो। नियमों के अन्दर एक निश्चित व्यवस्था नहीं है कि इस ढंग से होना चाहिये। पंचायतें उसके लिये बन्दिश में नहीं हैं और गांव की सुन्दरता में विपरीत असर पड़े हैं। आज यह अंकुश नहीं होने से विपरीत असर पड़ता है। नियमों में अंकुश नहीं होने से गांवों की सुन्दरता में ठेस पहुँची है छोटे बड़े पट्टे देने में।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जमीन पंचायतों द्वारा देने का जो अधिकार है, एक निश्चित पट्टा होकर जो भी व्यवस्था हो। शहरों में देखा जाता है कि बाहर सौ अठारह दर गज के पट्टे दिये जाते हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि गांवों में भी इस बारे में व्यवस्था कराई जाय।

हरिजनों को पट्टा मुफ्त में लेने के लिये व्यवस्था की गयी है पंचायत नियमों में कि टिनेन्सी एक्ट की धारा 31 के अनुसार जमीन दी जाय, के अन्दर यह कार्यवाही की जाय। टिनेन्सी एक्ट की धारा 31 यह बताती है कि जो कोई किसान है सौ रुपया मालगुजारी दे तो 250 गज जमीन और 50 रुपया दे तो 200 गज जमीन दी जा सकती है। माननीय सभापति महोदय, यह व्यवस्था कतई उचित नहीं है।

(श्री लूणाराम)

और न ही काम करने वाली है। टेनेन्सी एक्ट का यह प्रोविजन केवल हरिजनों के लिये नहीं ही होना चाहिये किन्तु एक गांव का आदमी आबाद हो सके उसको उसके लिये भूमि मिलनी चाहिये।

नामांकरण का मामला। नामांकरण के मामले में पंचायतों को इस रूप में बदनाम किया जा रहा है कि पंचायत पक्षपात करती है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि राजस्व अधिकारी अपने स्वार्थों के लिये अकेले सरपंच को फुसला कर उसके अकेले के माध्यम से तस्दीक करा लेते हैं जिससे पंचायतों को बदनामी सुननी पड़ती है। पचायत विभाग और राजस्व विभाग दोनों की ओर से यह सूचना जानी चाहिये कि पंचायतों के पंचों के हस्ताक्षर हुए बगैर नामांकन नहीं होगा। इस व्यवस्था से इसमें सुधार हो सकता है और बदनामी पंचायतों को जो मिल रही है वह नहीं मिलेगी। ग्राम सुधार के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

सभापति महोदय, आवश्यक है इसलिये निवेदन कर रहा हूं। इस प्रकार के प्रावधान नहीं होने से आज हम देखते हैं कि गांवों की गलियों और रास्तों को टेड़े-मेड़े कर देते हैं। पंचायत हटाने की कार्यवाही करती है। पुलिस से भी सहयोग ले सकती है लेकिन जब वे लिखती हैं तो उनको सहयोग पुलिस से नहीं मिलता है इससे लोगों का होंसला अनधिकृत कब्जा करने का बढ़ता है और गांवों की सुन्दरता को अव्यवस्थित करते हैं।

आबादी और चारागाह की जमीन जहां न हो वहां सरकार मुआवजा देकर इसकी व्यवस्था करे। आज पंचायतों को जो अनुदान मिल रहा है और विकास नहीं हो रहा है और कहा जा रहा है कि पंचायतें ऐसी हैं और सरपंच वैसे हैं। सारी बुराई क्यों है? वह इसलिये है कि नियमों की जानकारी नहीं है। कानून के दायरे को कम जानते हैं इसलिये यह सारी चीज होती है। जिस प्रकार पंचायतों में रकम आदि देने की व्यवस्था सरपंच को ग्राम पंचायतों में है वह ग्राम सेवकों और सचिवों को दी जाय इससे प्रशासन भी अच्छा चल सकेगा जैसी कि व्यवस्था पंचायत समितियों में है।

गिरदावरी के लिये पटवारी के लिये यह कहा जाता है वह उसकी मर्जी चाहे वैसा करता है। यदि पंचायतों को पटवारी दे दिये जांय तो ये बुराइयां बहुत कम हो सकती हैं।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, आज पंचायतों में इतने निर्माण कार्य हुए हैं जिसका कोई शुमार नहीं। सरकार ने धन नहीं दिया जिससे कि ग्रामों का सुधार हो। ग्राम पंचायतों को 61 की जनसंख्या के आधार पर बीस पैसा प्रति सैंकड़ा देते हैं 500 रु० अधिक से अधिक और दूसरी तरफ नगरपालिकाओं को एक-एक लाख रुपया दे दिया जाता है। जिससे होता क्या है पंचायतों में कि रोशनी और सफाई की व्यवस्था को भी नजरअंदाज कर दिया जाता है। ग्राम पंचायतों के द्वारा जितनी नगरपालिकाओं को हिस्से की रकम दी जाती है उतनी ग्राम पंचायतों को नहीं दी जाती है। देश के विकास में ग्रामीण लोगों का विशेष हाथ है। उनका विशेष

(श्री लूणाराम)

दायित्व है। और आपका भी दायित्व है कि उनकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिये।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो चुका है।

श्री लूणाराम : थोड़ासा पंचायत समितियों के बारे में निवेदन कर दूं।

श्री सभापति : संक्षेप में।

श्री लूणाराम : माननीय सभापति महोदय, जब पंचायत समितियां बनीं उस समय हर विभाग का सहयोग था जिससे एक सहयोग के रूप में सारा काम होता था। जिस समय पंचायत समितियों का निर्माण हुआ यह आशंका थी कि आर. ए. एस. अफसर और पंचायत समिति का किस प्रकार से तालमेल बैठेगा। लेकिन किसी प्रकार कि दिक्कत नहीं आयी। इस लिये अधिकारियों ने यह तय किया, जैसा शीशरामजी ने बताया, लोगों की विचार धारा बनी हुई है कि यदि सरकार में जावेंगे तो अच्छी सहूलियतें मिलेंगी और बड़े आदमियों का संरक्षण मिलेगा। इस प्रकार से आर. ए. एस. अधिकारियों को कम कर दिया गया। एकमात्र पंचायत समितियों का ढांचा रह गया है पंचायत समिति की जीप को देखें और यह कहते हैं, यह सैर करने के लिये है, यह घूमने के लिये है। पर शायद उनके सही ढंग से देखने में नहीं आया कि यह सैर करने के लिये नहीं है, घूमने के लिये नहीं है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

आज यह जीप की ही मेहरबानी है जो गांवों में थोड़ा बहुत विकास हो रहा है और दूसरी बात यह है कि पंचायत समिति की जीप अकेले पंचायत के जिम्मे ही नहीं है। सरकार के कलेक्टर, हर विभाग के अधिकारी यह आदेश दे देते हैं फलां आदमी को फलां काम के लिये दे दी जाय। यह कोई मैं गलत नहीं कह रहा हूं। एक चीज मैं और निवेदन करना चाहूंगा पंचायत समिति की जीपों के पेट्रोल का जो कोटा बन्धा हुआ है वह बहुत पुराना कोटा बन्धा हुआ है। आज पेट्रोल के भाव डेढ़े हो गये हैं। जो पंचायत समिति की जीपों का माहवारी कोटा बन्धा हुआ है वह जितने पेट्रोल की कीमत बढ़ी है उस हिसाब से इनके कोटे में भी परिवर्तन किया जाय

(समय समाप्ति सूचक घंटी

श्री सभापति : 10 मिनिट के बजाय 17 मिनिट ले लिये हैं।

श्री लूणाराम : इसी प्रकार निर्माण कार्यों के लिये जितना भी निर्माण कार्य होता है उनके लिये कोई धनराशि नहीं दी जाती है। यहां तक की पीने के पानी की समस्यायें भी बनी हुई हैं। कई कुए अधूरे पड़े हुये है, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मेरे क्षेत्र में ऐसे बहुत से कुओं की संख्या है जो अधूरे पड़े है, कई कुए खारे पानी के है उनके लिये कोई पैसा नहीं दिया जाता है, नतीजा यह होता है कि कुछ भी विकास गांवों में नहीं हो पाता है। जो रकम का अलाटमेंट होता है तो किसी पंचायत समिति की मांग है या नहीं लेकिन सबको समान रूप से बांट देते हैं। सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में एक कुए पर 20 हजार रुपया बैठता है, क्योंकि 500-

(श्री लूणाराम)

600 फीट गहरे कुए है लेकिन अगर यही एस्टीमेट पी० डबल्यू० डी० से लगाया जाय तो एक लाख का एस्टीमेट आता है। जो अधूरे काम पड़े हैं पंचायत समितियों के उनको तत्काल पूरा कराने के लिये उसी अनुपात से रकम का अलाटमेंट करायेंगे तो मेहरबानी होगी।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

इसी प्रकार कृषि कार्यों के लिये थोड़ा सा निवेदन कर दूं।

श्री सभापति : आपको बहुत समय हो गया है, माननीय सदस्य !

श्री लूणाराम : अच्छा, धन्यवाद।

श्री सभापति : सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर) : माननीय सभापति महोदय आज सामुदायिक विकास और पंचायत राज की मांगों के सम्बन्ध में मैं अपने विचार रखना चाहती हूं। पंचायत राज के एक महत्वपूर्ण पद पर चलकर मैंने पंचायती राज को नजदीक से देखा है और उसकी कमियां भी देखी हैं। मैं उनके बारे में भलिभाँति परिचित हूं। सन् 1959 में हमारे राजस्थान ने हमारे देश को एक नई दिशा दी थी और वह दिशा यह थी सत्ता का विकेन्द्रीकरण करके, डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइजेशन करके नये युग का निर्माण किया था। इसको एक युग बीत चुका है। इस बीच में कई प्रकार के परिवर्तन हुये हैं। जिस समय यह पंचायत राज स्थापित हुआ उस समय लोगों को आशा थी कि वास्तव पंचायत राज के माध्यम से गांवों का बहुत कुछ विकास हो सकेगा और इसमें सन्देह भी नहीं है, विकास हुआ है, लेकिन आज वही सत्ता का विकेन्द्रीकरण लोगों के लिये आलोचना का विषय बन गया है। समय-समय पर उसकी आलोचना होती थी और पंचायत राज के चुने हुये जन प्रतिनिधियों को कहीं पर चोर कहा जाता है, कहीं पर डाकू कहा जाता है। मैं नहीं समझती इससे ज्यादा दुखद बात क्या हो सकती है। धीरे-धीरे हमने जिस चीज का डिसेन्ट्रलाइजेशन किया था अब हम सेन्ट्रालाईजेशन की ओर बढ़ रहे हैं लेकिन आलोचना की दृष्टि से सब आलोचना कर लेते हैं। उसकी गहराई कहां पर है उस पर पहुँचने का प्रयास नहीं किया जाता है। मैं थोड़े से शब्दों में कुछ बातों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। मुख्य रूप से जो पंचायत राज आज जिसे हम असफल कहते हैं जैसे आम लोगों की धारणा है–प्रसाशनिक दृष्टिकोण से या दूसरे दृष्टिकोणों से, या व्यक्तिगत रूप से मानना चाहिये कि पंचायत राज के जो जन प्रतिनिधि हैं वह कोई उनके कारण से और केवलमात्र सत्ता के कारण से हों, ऐसा नहीं है बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों के कारण और चुने हुये प्रतिनिधि दोनों ही के कारण से हो सकते हैं। जैसा कि सब जानते हैं पंच, सरपंच, प्रधान और प्रमुख के पद के लिये योग्यता का आधार नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो उस क्षेत्र का वोटर है वह इन पदों पर चुना जा सकता है और उसी आधार पर हमारे देश में, हमारे राजस्थान में चुनाव हुये हैं तो अगर एक गांव का आदमी पंच चुना जाता है, सरपंच चुना जाता है, प्रधान चुन जाता है या प्रमुख चुना जाता है तो हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वह बजट के आंकड़ों

(सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव)

का जो चक्कर है उसको भी वह समझ लें। ठीक वोट जरूर मिल जाते हैं लेकिन बजट के आंकड़ों की भूल-भुलैया को वह क्या समझें और इसी बात पर पंचायत में कलंक का टीका लगाया जाता है। मैं इसका घोर विरोध करती हूँ और मैं यह कहना चाहती हूँ, मैं यह नहीं कहती हूँ सभी लोग पूर्णतया ईमानदार होंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बहुत ज्यादा तेज तर्राट हैं। सब के सब चोर हैं और सबके सब डाकू हैं तो अगर कोई चोर और डाकू है तो बनाने वाला कौन है, उसके लिये जिम्मेदार कौन है? आज ग्राम पंचायतों में सचिव होते हैं पहले पंचायतें अपने-अपने सचिव रखा करती थीं उसके बाद राज्य सरकार ने आदेश निकाल दिया कि ग्रुप सचिव 3-3, 4-4 पंचायतों के अन्दर बनाये जाय। अब सचिव महोदय कहां रहते हैं इसके सम्बन्ध में पंचायत समिति क्या जानकारी रखे। चार-चार पंचायतों पर एक-एक सचिव। अब अगर किसी अधिकारी ने पंचायत का इन्सपेक्शन भी किया तो वहां पर कहेंगे अभी-अभी दूसरी पंचायत में गये हैं और जब अधिकारी दूसरी पंचायत में जायेंगे तो कहा जायगा अभी अभी तीसरी पंचायत में गये है। कहने का मतलब है जो लोग थोड़े से पढ़े लिखे हैं वे इन भोलेभाले जन प्रनिनिधियों के साथ इस तरह का रोल कर रहे हैं। इसलिये मैं नहीं मानती हूँ कि सारे के सारे पंच, सरपंच, प्रधान बेईमान होंगे, चोर होंगे, डाकू होंगे। कुछ अपवाद स्वरूप हो सकते है। मैं जानकारी रखती हूँ और आपको दो पंचायतों का उदाहरण देती हूँ बिलकुल एकदम एक दूसरे से उल्टा। एक पंचायत का सरपंच इतना ज्यादा तेज है। उन्होंने पंचायत का जो सरकारी रेकार्ड है उसकी चोरी की और उसकी एक रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवा दी और रिपोर्ट यह करवा दी कि पंचायत का रेकार्ड चोरी हो गया। उसके पीछे उनका उद्देश्य है कि....

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

सभापति महोदय शायद मुझे अभी मुश्किल से दो मिनिट हुये है और जिस संख्या में पुरुषों का अनुपात है उसके हिसाब से देखें तो महिला-सदस्यों में अधिक संख्या बोलने वालों की नहीं है और मेरे ख्याल से भी समय....

श्री सभापति : यह आपकी पार्टी का ही दिया हुआ समय है। जो समय दिया गया है वह दो मिनिट का समय है और 10 मिनिट का समय दे दिया गया है।

श्रीमती शकुन्तला श्रीवास्तव : धन्यवाद तो मैं जो निवेदन कर रही थी कि उन्होंने यह रिपोर्ट दर्ज करा दी और उसके बाद में पुलिस से मिलकर इसकी भी एफ० आई० आर० दिला दी कि इसका कोई पता नहीं मिलता। दूसरी तरफ एक सरपंच महोदय इतने सीधे हैं कि जो आंकड़ों को नहीं समझते और जो उनके सचिव हैं उन्होंने रोकड़ के ऊपर पानी का हाथ फेरकर मनमाने ढंग से इन्द्राज कर लिया। कहने का मतलब यह है कि यहां सब तरह के व्यक्ति होते हैं, ऐसा नहीं है।

आज सबसे बड़ी जो दिक्कत है पंचायतों के चलने में वह हमारे प्रधान हैं। जब-जब भी कभी इन्सपेक्शन होते हैं पंचायतों के, तो मेरा ऐसा मानना है कि जब हम यह मानकर चलते हैं कि सरपंच

(सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव)

बहुत ज्यादा पढ़े-लिखे नहीं हैं या बहुत ज्यादा अर्थ विशेषज्ञ नहीं हैं तो उनसे यह अपेक्षा कैसे की जा सकती है कि वह आंकड़ों की भूलभुलैया को अच्छी तरह से समझ लेंगे। जब इन्सपेक्शन होता है, उसका जो मेथड है वह आलोचनात्मक नहीं होकर, किसी को फंसाने का नहीं होकर करेक्टिव मेथड़ होना चाहिए। इसके बिना हमें पंचायती राज की सफलता में सन्देह है। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि इस प्रकार की प्रक्रिया चालू की जाये कि अगर कोई गलती है तो सरपंच को समझाकर उसे ठीक कर देनी चाहिए क्योंकि आमतौर से सरपंच लोग गलती नहीं करते डेलीब्रेटली, सरपंच लोग कोई पैसा नहीं खाना चाहते हैं पंचायतों का, और गलती से कोई फर्क रह जाता है तो कहा जाता है इन्होंने गबन किया है और इसका दण्ड मिलना चाहिए यह बहुत ही अनुचित बात है।

(4.11 म० प०)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मैं इस विकेन्द्रीकरण के बारे में निवेदन कर रही थी, उपाध्यक्ष महोदय, कि जहां हम यह अपेक्षा करते थे कि आने वाले समय में पंचायती राज को और ज्यादा पॉवर्स दी जायेंगी वहां धीरे-धीरे करके पंचायतें, पंचायत समितियों से जिला परिषदों के पास तो पावर्स पहले भी नहीं थी--तो धीरे-धीरे करके उनकी पॉवर्स को कम करते जाना, मैं समझती हूँ, कि प्रजातंत्र के लिए शुभ लक्षण नहीं है। बल्कि होना यह चाहिए था कि आज जो प्रजातंत्र की जड़ है पंचायती राज इसको सुदृढ़ बनाने के लिए अभी प्राइमरी स्कूल पंचायत समितियों के पास हैं उनकी व्यवस्था के लिए यहां कई बातें हुई लेकिन जिस प्रकार की बातें हुई उनको मैं व्यक्तिगतरूप से सही नहीं मानती हूं। यह सब प्रशासन के ऊपर निर्भर करता है कि प्रशासनिक अधिकारी कितनी देखभाल करते हैं। उसके अकेले का दोषी केवलमात्र प्रधान या प्रमुख या सरपंच नहीं हो सकता, अगर दोषी है तो सब मिलकर हैं, अन्यथा कोई नहीं। तो जहां प्राइमरी एजूकेशन हमने पंचायत समितियों को दी है, मैं उसके साथ-साथ यह निवेदन करना चाहती हूँ कि माध्यमिक स्कूलें भी जिला परिषदों के अन्तर्गत दी जायें तब जाकर समन्वय पूरा बैठेगा और पूरी तरह से काम करने के योग्य होंगे। कारण यह है कि जो प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक लगते हैं उनको यह लगता है कि उनके आगे का स्कोप बिलकुल बन्द हो चुका है और भविष्य बिलकुल अंधकारमय है और अगर उनको मालूम पड़े कि पंचायती राज की सर्विसेज एक है और उसमें प्राइमरी स्कूल से मिडिल स्कूल में जाने के उनके चान्सेस इसी संस्था के द्वारा है तो मैं समझती हूँ कि कोई भी अपनी ड्यूटी में इस तरह की गलती नहीं करेगा।

इसी प्रकार से, उपाध्यक्ष महोदय, सादिकअली कमेटी की रिपोर्ट आज दिन तक लागू नहीं हुई जिसमें पंचायती राज में परिवर्तन करने के लिए सुझाव दिये गये थे, मेरा नम्र निवेदन है कि सादिकअली कमेटी की सिफारिशों को शीघ्रातिशीघ्र लागू किया जाये और लागू करके हमारे यहां पर पंचायती राज के चुनाव अवश्यरूप से कराये जायें और इसके लिए सरकार जितनी शीघ्र घोषणा कर सके और अपनी घोषणा के ऊपर

(सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव)

कायम रह सके उतना ही इस गिरती हुई संस्था को ऊपर उठाने में काफी बड़ा सहयोग मिलेगा ।

पंचायत समितियों में पहले आई० ए० एस० और आर० ए० एस० स्तर के विकास अधिकारी लगाये जाते थे । अभी कुछ समय पहले, आज से चार-पांच साल पहले सरकार ने इसमें परिवर्तन किया और उसमें एग्रीकल्चर विभाग के, एनीमल हस्बेन्डरी विभाग के और सहकारी विभाग के कुछ प्रसार अधिकारी थे उनको विकास अधिकारी के पदों पर लगाया गया है । उसके बाद से मैं समझती हूँ कि व्यवस्था काफी बिगड़ी है । उसका कारण है कि जो विकास अधिकारी लगाये गये हैं उन लोगों के दिमाग में यह संकोच नहीं है कि वे इस पद पर कब तक रहेंगे ताकि वे पूरी दिलचस्पी के साथ काम कर सकें । आज तक विकास अधिकारी के चयन की कोई प्रणाली नहीं बन सकी है, अभी तक सिलेक्शन रूल्स नहीं बन सकें हैं और काम करने वाले व्यक्ति से हमारी नाराजगी है तो उसको कहीं भी फेंक सकते हैं और कोई काम करने वाले नहीं है तब भी उसको लगा दिया जाता है । आज मैं कई उदाहरण दे सकती एग्रीकल्चर हैंड नहीं है, एनीमल हस्बेन्ड्री हैंड नहीं है लेकिन ऐसे व्यक्ति विकास अधिकारी लगे हुए हैं । इस व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिये ।

प्रशासनिक दृष्टिकोण से पंचायत समितियां पहले तकावी दिया करती थी और उसके माध्यम से विकास का बहुत काम हुआ, जगह-जगह कुए खुदे, जगह-जगह पशुओं के पीने के लिये पानी की व्यवस्था हुई, जगह-जगह खेती के क्षेत्र में काफी प्रगति भी हुई लेकिन जहां हमने ऋण दिया तकावी दी उसका पेमेंट समय पर नहीं हुआ । आज पंचायती राज से नहीं बल्कि कम्युनिटी डवलपमेंट था और ब्लाक्स बने हुए थे, उस समय की डिमांड भी मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उन प्रशासनिक अधिकारियों ने या जो भी पंचायत समितियों में काम करने वाले लोग हैं उन्होंने समय पर डिमान्ड नहीं बनाई । उसके करण से आज करोड़ों रुपया बकाया पड़ा है और उसकी वसूली का कोई उपाय नहीं है । किसान जो कर्ज लेता है वह वापिस देना चाहता है लेकिन किसान चक्कर काटता रहता है और उसको कोई बताने वाला नहीं है कि उसके ऊपर इतना रुपया बकाया है । इसलिये यह डिमाण्ड नोट भेजा है । इसमें सबसे बड़ा दोष पंचायत समितियों का तो है ही कि जहां डिमाण्ड बनाई गई है वहां वसूली की कार्यवाही में पटवारी शामिल हो जाते हैं । रेवेन्यू एजेन्सी के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है कि वह हमारे लिये काम करें या नहीं । आज ज्यादातर वसूलियां इसलिये पड़ी हैं कि यह रेवेन्यू एजेन्सी उसकी वसूली नहीं कर पा रही है और उनको इस बात के लिये समय नहीं मिलता और वे सिर्फ अपने लगान की वसूली कर लेते हैं और उसके अलावा उनके पास दूसरा काम नहीं है । इसलिये मेरा यह सुझाव है कि कम से कम पटवारी स्तर के जो व्यक्ति हैं वसूली के लिए पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् की सर्विसेस में रखे जाने चाहिये जिससे कि हमारी सरकार का पैसा बहुत कुछ जनता में रुका हुआ है वह हमको मिल सके ।

(सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव)

इसी प्रकार हमारे इस पंचायती राज में काम तो हमने शुरू कर दिये कहीं स्कूलों का काम कर दिया, कहीं कुओं का काम शुरू कर दिया, कहीं पंचायत घर का काम शुरू कर दिया और कहीं सार्वजनिक काम शुरू कर दिये लेकिन पैसे की कमी के कारण आज भी वे काम अधूरे पड़े हैं। मैं सरकार को निवेदन करना चाहती हूँ उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि जिन कामों में सरकार का पैसा लगा है और सिर्फ थोड़े से पैसों के कारण वह पैसा मिट्टी में मिला हुआ है उसको मिट्टी में मिलने से बचाया जाये और सरकार उन अधूरे पड़े कामों के लिए पैसा दें।

पंचायत समितियों की आज आर्थिक स्थिति बहुत खराब है लेकिन उस स्थिति में और सुधार करने के बजाय आज एक नये आदेश निकाल करके पंचायत समितियों के ऊपर बड़ा भारी बोझा रखा गया है और वह है पंचायत समिति के कर्मचारियों अथवा जिला परिषदों के कर्मचारियों को पंचायत समितियां या जिला परिषदें अपनी निजी आय में से उनके मेडिकल बिलों का पेमेन्ट करें। मैं नहीं समझती कि जो कर्मचारी सरकार के भी हैं चाहे उनको पंचायती राज का कहें या सरकार का कहें यह व्यवस्था चलने वाली नहीं है। पंचायती राज में काम करने वाले कर्मचारियों के बारे में मैं कहूंगी कि वे भी इसी सरकार के अंग हैं और जब उनके साथ यह भेदभाव बरता जा रहा है कि राज्य सेवा में कर्मचारियों को तो मेडिकल बिल का पैमेन्ट राज्य के कन्सोलीडेटेड फण्ड में से होता है और दूसरी तरफ पंचायत समितियों से कहा जाता है कि अपनी निजी आय से मेडिकल बिल का पेमेन्ट किया जाये। मैं यह पूछना चाहती हूँ कि पंचायत समितियों को निजी आय के लिए आपने कौन से ऐसे श्रोत दिए हैं, पंचायत समितियों के कौन से ऐसे साधन जुटा दिए हैं जिसमें आप उनसे यह अपेक्षा करके चलते हैं कि अपना पेट्रोल का खर्चा ज्यादा हो तो बर्दाश्त करे। एक्सेस पेट्रोल जो खर्च होता है वह विकास के कामों के लिए खर्च होता है तो उसका पैसा आप दीजिए, इन मेडिकल बिल्स का पेमेंट आप करिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए।

एक बात और थी कि आज पंचायती राज के प्रति लोगों का आकर्षण क्यों कम हो रहा है। सरपंच हों, प्रधान हों या प्रमुख हों, मैं समझती हूँ कि जितनी उनमें योग्यता है उसके अनुसार वे ज्यादा से ज्यादा काम करने की कोशिश करते हैं लेकिन कर्मचारियों के साथ ही नहीं बल्कि चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ भी भेदभाव होता है। मैं उदाहरण के तौर पर बात कहूं कि अगर सरकार का एक चपरासी है, चाहे पंचायत समिति का है, चाहे जिला परिषद् का है अथवा सरकार का है, चपरासी के मेडिकल रिएम्बर्समेंट का आपने प्रोविजन किया है, उनको एम्पावर किया है लेकिन आपके प्रमुख, आपके प्रधान और आपके सरपंच, जो कि आपके लिए एक कड़ी हैं, आपकी एक कड़ी का काम करते हैं और जो आपकी जनता के बीच में चौबीसों घण्टे रहते हैं, अगर वह बीमार पड़ जाय तो उनके लिए इस तरह की फैसेलिटी

(सुश्री शकुन्तला श्रीवस्तव)

नहीं है जिसमें कि वे अपना इलाज करा सकें। तो जब इस प्रकार की बातें होती हैं, काम उनको चौबीसों घण्टे करना पड़ता है और फिर अगर वे अपना खुद का गुजारा करने के लिए, अपना खर्चा चलाने के लिए किसी तरह का काम अपना लेते हैं तो उस पर भी आलोचना की जाती है। यह बहुत ही अनुचित बात है। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि पंचायत समितियों को खत्म करने के बजाय, जिला परिषदों को खत्म करने के बजाय उनको ज्यादा अधिकार दीजिए। बैंकों से ऋण दिलाने की व्यवस्था कराइए उन काश्तकारों को जो कि आज इधर-उधर भटकते रहते हैं लेकिन उनको बैंकों से ऋण नहीं मिलता। ऋण का पैसा पंचायत समितियों और जिला परिषद में अलॉट कराइए ताकि वह पैसा काश्तकारों तक पहुंचे और जो बीच के दलालों में वे फंस जाते हैं उनके चक्कर से बच सकें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो अव्यवस्था है उसका कारण मैं यह मानती हूं कि आज पंचायती राज में काम करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों में घोर असंतोष व्याप्त है। इसका कारण यह है कि पंचायती राज कर्मचारियों को राज्य सरकार सरकारी कर्मचारी नहीं मानती जब कि सेवारत कर्मचारियों को वेतन, भत्ते, पेंशन आदि राज्य के कंसोलिडेटेड फण्ड से देते हैं। कुछ प्रशासनिक एवं वित्तीय मामलों में सरकार इनके साथ भेदभाव बरतती है जिसके कारण सरकार और कर्मचारी दोनों को हानि हो रही है। सरकार स्पष्ट घोषणा करे कि इनका एम्प्लायर कौन है।

भारत के संविधान की धारा 12 में राज्य शब्द की विगत में स्वायत्तशासी संस्थाओं को भी राज्य ही माना है। इस सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ए. आई. आर, 1967 एस. सी. 856 जो कि ग्राम पंचायत के सम्बन्ध में दिया गया है उसमें स्वायत्तशासी संस्था को भी माननीय न्यायाधीशों ने राज्य ही माना है। इसके अतिरिक्त 'संविधान की धारा 14, 16' में स्पष्ट किया गया है कि समानता का व्यवहार किया जायेगा। कर्मचारियों की सेवाओं के सम्बन्ध में भेदभाव नहीं रखा जा सकता है। संविधान की धारा 309 में पब्लिक सर्विसेज और पब्लिक सर्वेन्ट की व्यवस्था दी गई है। इसी क्रम में पंचायत-समिति जिला परिषद् अधिनियम की धारा 73 में इस सेवा के कर्मचारी को पब्लिक सर्वेन्ट बताया गया है। उसी के अनुसार इस सेवा का कर्मचारी विधान की धारा 309 के अन्तर्गत राज्य सेवक हो जाता है। जब इस सेवा की सम्पूर्ण विधायी व्यवस्था पद सृजन, सेवा शर्तें राज्य सरकार ही करती है और पंचायती राज संस्थाओं के हाथ में विधायी व्यवस्था नहीं है फिर इस सेवा के कर्मचारी के साथ जानबूझ कर राज्य सरकार भेदभाव क्यों बरतती है। यह भेदभाव क्यों बरता जा रहा है, यह मैं सरकार से पूछना चाहती हूं।

पंचायती राज संस्था में कार्यरत कर्मचारियों की राजकीय बीमा कटौती जनवरी, 1962 से क्यों बन्द की गई जब कि केन्द्रीय बीमा अधिनियम का कार्य व्यापक है उसी भांति राज्य का होना

(सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव)
चाहिए। फिर राज्य सरकार ने केन्द्रीय कानून की व्यवस्थाओं के विपरीत आचरण करके राज्य को प्रति वर्ष प्राप्त होने वाली 50 लाख की डिपोजिट की हानि क्यों की हुई है। अब तक लगभग 5 करोड़ रुपयों की हानि हुई है और कर्मचारियों के भविष्य के प्रति सरकार ने उपेक्षा बरती है। इसका जिम्मेदार कौन है ?

तो मैं यह निवेदन कर रही थी कि जो वेतन भत्ते सरकार देती है तो मेडिकल रीएम्बर्समेन्ट भी उन अधिकारियों को सरकार को देना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने कुछ कहने का मुझे अवसर दिया।

श्री **उपाध्यक्ष** : श्री गिरधारीलाल भार्गव !

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल, जयपुर) : माननीय अध्यक्षजी (उपाध्यक्ष) पंचायती राज का निर्माण काफी समय पूर्व हुआ था। उस समय 232 पंचायत समितियां और 26 जिला परिषदें बनी थी लेकिन उनके बन जाने के बाद आज यदि हम देखें तो इन पंचायतों के काम में आने वाले जितने भी बेस हैं, पुलियां बनाने के लिए, सडकें बनाने के लिए, भवन बनाने के लिए उन सब में आज घपलें हैं और जितनी भी रकम विकास कार्यों के लिए रखी जाती है उसमें से केवल 40 या पचास प्रतिशत का ही उपयोग भली प्रकार से हो पाता है और बाकी रकम का उपयोग सरकार के जो एजैन्ट हैं, जो चुनाव जिताने की व्यवस्था है वह लूटखसोट कर खा जाते हैं और वहां के पंचायतों के अधिकारी हैं, जो वहां के विकास अधिकारी हैं, उनको मजबूर होकर क्योंकि उनको नौकरी में रहना है, इसलिए उनको दस्तखत चैकों पर करने होते हैं और आज यह व्यवस्था हो गई है कि इस राज्य में लूटो, बांटो और खाओ। इस प्रकार की पद्धति चल रही है और आज इतनी सम्पत्ति इन राज नेताओं ने बना ली है कि जो व्यक्ति कुछ दिन पहले चने बेचता था इस समय लखपति बन कर गांवों में बैठा हुआ है। इसी प्रकार से लोगों में जो बकाया है और जिन-जिन लोगों में बकाया है उनसे पंचायत समिति अगर वसूल करना चाहें बकाया को तो आपकी राज्य सरकार ने ऐसे आदेश दे दिए हैं कि जिन एम. एल. एज. से जिन सरपंचों से बकाया रकम वसूल करना चाहते हैं पहले उसकी जानकारी हमको मिलनी चाहिए। हमारा आदेश प्राप्त हो जाने के बाद ही बकाया रकम वसूल करेंगे। मैं समझता हूँ कि यह दोषपूर्ण व्यवस्था है। यदि किसी में बकाया है तो बिना भेदभाव के, बिना किसी राजनेता के भेदभाव के वसूल किया जाना चाहिए और चाहे कोई भी राजनेता हो, कोई एम. एल. ए. या एम. पी. हो, चाहे किसी पार्टी का सरपंच हो अगर उसमें रकम बकाया है तो उसको बिना भेदभाव के वसूल किया जाना चाहिए।

इसी प्रकार से बीज में, खाद में और दवाइयों के बारे में भी गडबडियां हुई हैं। पंचायतों में फर्जी रिकार्ड रखे जाते हैं, फर्जी रिकार्ड रखे गए हैं और जिन लोगों का कुछ पैसा दिया गया है, जिन लोगों को बीज दिया गया है, जिन लोगों को खाद दिया गया है और जो लोग इस गड़बड़ी में शामिल नहीं होना चाहते, जो गड़बड़ी का भण्डाफोड़ करना चाहते हैं उन पर 12

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

परसेन्ट के रूप में ब्याज लगा कर वसूली के लिए नोटिस दिए हैं, नोटिस दिए जा रहे हैं और 12 परसेन्ट ब्याज लगा कर मूल से भी ब्याज की रकम अधिक वसूल करके इस प्रकार से उन लोगों को परेशान किया जा रहा है। आज पोषाहार योजना के अन्तर्गत धन का दुरुपयोग हो रहा है कि वह पोषाहार की चीजें बांटने वाले स्वयं ही उनको खा जाते हैं।

इस प्रकार से आज एक बड़ा सुन्दर नारा दिया गया है क्रेश प्रोग्राम का। क्रेश प्रोग्राम में मजदूर काम कर रहे हैं। मजदूरों से काम तो करा लिया जाता है पर जो उनका मस्टररोल होता है, उनके वेतन के सारे हिसाब की किताब होती है वह किताब सेंक्शन के लिए, उन मस्टर रोल्स पर सेंक्शन के लिए या तो वह कलेक्टरी में पड़ी हुई है या ट्रेजरी में पड़ी हुई है। सेंक्शन न होने के कारण जो आपने क्रेश प्रोग्राम प्रारम्भ किया है उसमें लाखों मजदूर अपने वेतन के अभाव में तड़फ रहे हैं।

ऐसा हम जानते हैं कि जो ऑडिट हुआ है, उस सारे ऑडिट का अनुपालन करें। उसमें जो बातें कही गई हैं कि सरपंचों में कितना बकाया है, विकास अधिकारियों में कितना बकाया है तो ऑडिट ने जो रिपोर्ट दी है तो आज राज्य सरकार उस ऑडिट की रिपोर्ट का भी पालन नहीं कर रही है।

आज जो राजनेता हैं चाहे वह प्रधान हो, चाहे वह कोई भी हो, पंचायत समिति के खजाने में से हजार, डेढ़ हजार टी. ए. डा. ए. के बिल बना रहे हैं। टी. ए., डी. ए. के बिल बनायेंगे और दूसरी ओर पंचायत समितियों की जीपें हैं जिन पर हजारों रुपया प्रति मास खर्च होता है, उनकी मरम्मत पर खर्चा होता है, पेट्रोल पर खर्चा होता है, उसकी ओर राज्य सरकार ध्यान नहीं देती है। एक ओर जीप की व्यवस्था है और दूसरी ओर टी. ए., डी. ए. की व्यवस्था है तो मैं कहता हूं कि आज जनता का विकास तो नहीं हो रहा है, लेकिन राजनेता अपना विकास जरूर कर रहे हैं।

इसी प्रकार से भू-राजस्व के नाम पर कर्मचारियों में बांटने के लिए राज्य सरकार पैसा देती है, लेकिन वह वे राजनेता उन कर्मचारियों में न बांटकर स्वयं में उस पैसे को बांटते हैं और कर्मचारियों को जो भत्ता मिलना चाहिए आज उस भत्ते को कर्मचारियों को नहीं

मैं तो साफ तौर से कहूंगा कि आज जो यह सत्तारूढ दल हैं, उन्होंने इस प्रकार से फर्जी अड्डे बना रखे हैं, चुनाव जीतने के लिए अड्डे बना रखे हैं। मैं समझता हूं कि क्या ऐसा करिश्मा था कि सारे राज्यों में कांग्रेस इतने बहुमत से आ जायं। वह करिश्मा यह है सारी पंचायत समितियों में राजनेताओं को संरक्षण दिया जाता है। उनकी बेइमानियों को संरक्षण दिया जाता है। कांग्रेस के चुनाव जीतने के वे एक प्रकार से अड्डे हैं। यह पंचायती राज्य ही वह है जिसके आधार पर आज कांग्रेस चुनाव जीतकर बहुसंख्या मे चुनाव जीतकर अपने आदमियों को ले आये हैं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज अकाल के नाम पर आपने को-ऑपरेटिव

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

सोसाइटी खोली और उन पर खजाना खाली कर दिया। खजाना खाली हो गया। ओवरड्राफ्ट हो गया, दीवालिया बता दिया गया और दीवालिया बताकर, ओवरड्राफ्ट बताकर आज राजस्थान की गरीब जनता पर, ग्रामीण जनता पर आप टैक्सेशन लाना चाहते हैं।

राज्य सरकार ने सादिकअली की रिपोर्ट जो उन्हें 64 में मिली थी, वह एक अमूल्य दस्तावेज था, उस अमूल्य दस्तावेज की परवाह नहीं की। उन्होंने बिल्कुल परवाह नहीं की और उन्होंने लिखा कि चुनाव होने चाहिए और शीघ्र चुनाव होने चाहिए उसकी चिन्ता न करके और एक नई कमेटी बना दी, श्री व्यासजी महाराज जो कि मेरे नामराशि हैं, उनकी अध्यक्षता में। दो वर्ष पूर्व समिति गठित हो गई। इस समिति की एक मीटिंग हुई और यह सुना जा रहा है और यह सुन कर आश्चर्य होगा कि जो राजस्थान कभी पंचायती राज में अग्रसर था और नागौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस पंचायती राज के दीप को यहां प्रज्जवलित किया था और जो राजस्थान प्रमुख राज्य था पंचायतों के क्षेत्र में आज उसी राजस्थान के लोग पंचायतों का ज्ञान प्राप्त करने को दूसरे प्रान्तों का दौरा करेंगे। गुरु तो गुड़ रह गये और चेला शक्कर बन गये। जो ज्ञान प्राप्त करने के लिये यह कमेटी गुजरात जायेगी, मध्यप्रदेश जायेगी आन्ध्र प्रदेश जायेगी। इस कमेटी के लोग हवाई जहाज से जाने की योजना बना रहे थे लेकिन भगवान जाने किस आधार पर वह हवाई जहाज से जाने की योजना रद्द कर दी गई। हो सकता है कि इस बात का डर लगा हो कि हवाई जहाज से ज्ञान प्राप्त करने जायं तो कहीं आलोचना न हो जाय। अब वह ट्रेन के माध्यम से प्रस्थान करने वाले हैं।

समिति के सदस्यों का चयन भी राजनीति के आधार पर हुआ है जिसमें मेरी जानकारी के आधार पर श्री गिरधारीलाल व्यास, श्री खेतसिंह, श्री रावतरामजी और श्रीमान् रामनारायणजी चौधरी हैं। मैं यह पूछना चाहूंगा कि पंचायत समितियों में किस प्रकार से काम होना चाहिये, चुनाव कैसे होने चाहिये, इस प्रकार का एक प्रारूप पंचायतों का बना कर सारे एम. एल. एज. और एम. पी. को भिजवाया जाना चाहिये था और उनकी राय आ जानी चाहिये थी और वह कमेटी उस पर विचार कर लेती और उसके बाद में किसी प्रकार का और ज्ञान प्राप्त करने की कमेटी को आवश्यकता होती तो राजस्थान से बाहर जाने की आवश्यकता महसूस की जा सकती थी। प्रारूप बना कर एम. एल. एज. को और एम. पी. को दिया नहीं गया, लोगों से विचार किया नहीं गया और कमेटी हिन्दुस्तान का भ्रमण करने के लिये जा रही है। बाहर से साहित्य मंगा सकते हैं, साहित्य के आधार पर हम विचार कर सकते हैं, लेकिन वह संस्था उच्चस्तरीय समिति के नाम पर आगामी आने वाले 5 वर्षों में भी राजस्थान में चुनाव कराना नहीं चाहती और किसी न किसी प्रकार से इन चुनावों को आगे खिसकाना चाहती है। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आज जैसे बुद्ध भगवान का धर्म जापान में रह गया और वह बाहर फैल गया और भारत में खत्म हो गया उसी प्रकार से जिस राजस्थान ने पंचायती राज की लौ लगाई थी नागौर में वह पंचायती राज आज राजस्थान

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

में खत्म हो गया। राजस्थान में उसके द्वारा निर्माण का सारा काम खत्म हो गया और चुनाव की सारी पद्धति खत्म हो गई और साधारण चुनाव जीतने का एक तरीका पंचायतें राजस्थान में रह गई और इसलिए दूसरे प्रान्तों से नई शिक्षा प्राप्त करने के लिये जा रहे हैं। इसलिये मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि कमेटी जो बनाई गई है और राजनैतिक आधार पर जिस कमेटी का गठन किया गया है इस कमेटी को रिआॅर्गेनाइज किया जाना चाहिये।

किन विभागीय अधिकारियों ने जो कि समितियों में लिये जाते हैं विकास विभाग से, किन राजनेताओं ने गड़बड़ी की है, किन विकास अधिकारियों ने गड़बड़ी की है। इसकी जांच कराई जाय। इसकी कई बार मांग की गई लेकिन राजस्थान सरकार में हिम्मत नहीं है कि दोषी अधिकारियों को दण्ड दिलवाने की व्यवस्था करें।

राज्य सरकार ने पंचायती राज ट्रेनिंग सेन्टर्स खोल रखे हैं। इन ट्रेनिंग सेन्टर्स में नियुक्त व्यक्ति उचित नहीं है और लाखों रुपये इन ट्रेनिंग सेन्टर्स में खर्च हो रहे हैं। इसलिए राज्य सरकार से मांग है कि इन सेन्टर्स को तुरन्त बन्द ही कर देना चाहिये।

मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि कर्मचारी यदि अपना अन्तरजिला ट्रान्सफर करना चाहते हैं तो भी आज उन्हें बड़ी कठिनाई है। पंचायती राज के निर्माण के साथ ही साथ सरकार की जो विकास की योजनाएं थीं उनके साथ सारे के सारे काम और राज्य कर्मचारी उनको ट्रान्सफर कर दिये गये, पंचायत समितियों को। राज्य सेवा में जो कर्मचारी काम कर रहे थे वे पंचायत समितियां और जिला परिषद् अधिनियम, 1959 की धारा 31 से यह सारी व्यवस्था है कि वे राज्य सेवा में यथावत् रहेंगे और राज्य कर्मचारी बराबर रहेंगे। यह उस वक्त राज्य सरकार ने घोषणा भी की थी लेकिन राज्य सेवा में एक पद से दूसरे पद पर ट्रान्सफर करने के जो नियम राज्य कर्मचारियों पर लागू होते हैं, लेकिन जो गरीब कर्मचारी पंचायत समितियों में आ गये उन पर वह नियम लागू नहीं हो रहे हैं। आज यह हालत है कि उनके लिये यह कहा गया है कि उनका पृथक् से सेवागठन किया जायेगा। उसके लिए एक चयन आयोग बनाया गया है और जिन राज्य कर्मचारियों को यह चयन आयोग स्वीकार कर लेगा, उनको पंचायतों के कर्मचारी माना जायेगा। इसी प्रकार से अधिनियम की धारा 86 में यह व्यवस्था की गई है कि उसका अध्यक्ष कौन बने ? इस चयन आयोग के अध्यक्ष बने श्री मोहनलालजी वासवानी। वे कौन हैं ? वे आपके राजनेताओं में से एक विशेष व्यक्ति हैं। आपका विशेष व्यक्ति वहां पर होना चाहिये। लेकिन वहां पर सर्विसेज के मामले में इण्डियन सिविल सर्विसेज का आदमी होना चाहिये। राजनेता को अध्यक्ष बनाते हैं चयन आयोग का। 6 मास से सेक्रेट्री का स्थान रिक्त है। चयन आयोग का नाम नहीं हो रहा है। वहां पर उस रिक्त स्थान की पूर्ति की जानी चाहिये।

71-72 में चयन आयोग में परिवर्तन आना चाहिये था वह परिवर्तन भी नहीं आया है और चयन आयोग की एक मीटिंग होती नहीं। चयन आयोग में प्रार्थियों की ओर से जो एप्लीकेशन्स आती हैं, उनकी चयन पद्धति माननीय मन्त्रीजी,

Page No 116

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

बड़ी दोषपूर्ण है। यह पहले सुना गया था कि गत वर्ष जयपुर जिले के लिए अध्यापकों का चयन करने के लिए साक्षात्कार किये गये थे। मैं पूछना चाहता हूं कि काफी समय गुजर गया और जून से पहले उनका साक्षात्कार हुआ था उनके परिणामों की घोषणा आज तक नहीं हुई, उनके रिजल्ट की घोषणा आज तक नहीं हुई।

आज जो कर्मचारी आपके इस विभाग में काम करते हैं वह असुरक्षित अपने आपको महसूस करते हैं क्योंकि पंचायत समिति द्वारा नियुक्त जो कर्मचारी हैं और जिनको 8-8 वर्ष काम करते हो गये और चयन आयोग से नियमित नहीं किये गये हैं उनको नौकरी से निकाल दिया गया है। एक प्रकार से जिसका विशेष आयु का समय इसमें व्यतीत हो गया तो वह कहां जायेगा? उनको सरकारी नौकरी मिलने से तो रही। इस प्रकार से मैं पूछना चाहता हूं कि उस व्यक्ति की दशा क्या होगी जिसको इस प्रकार से निकाल दिया है। कुछ लोगों ने जो पंचायत समितियों में चले गये आपके आदेश से और उनका आपने रिकार्ड दे दिया लेकिन वह आपका चयन आयोग है कि उसकी कोई परवाह नहीं करता है और बाकी जो कर्मचारी आपके इस पंचायती राज में काम कर रहे वे अपने आपको असुरक्षित महसूस करते हैं।

इसी प्रकार से ट्रांसफर करने की प्रणाली है और हिन्दुस्तान भर में सब में जोरदार प्रणाली आपकी है और वह यह है कि यदि कोई कर्मचारी अन्तर्जिला स्थानान्तरण कराना चाहे यानी एक जिले से दूसरे जिले में जाना चाहे तो एक महीने की उसको छुट्टी लेनी पड़ेगी और 500 रुपये के नोट उसकी जेब में होने चाहिये फिर वह घूमना शुरू करेगा, पंचायत समिति का जो प्रशासन है, स्थाई समिति के जो सदस्य हैं उनसे सम्पर्क करेगा दोनों पंचायत समिति के प्रशासन और स्थाई समिति के सदस्यों से मिलने में उसका कितना समय जायेगा, कितना रुपया उसका खर्च होगा–अभी यह अनुमान लगा लीजिये फिर वह जिला परिषद् की सहमति प्राप्त करेगा। उसके बाद चयन आयोग के दफ्तर में जायेगा और अपॉइन्टमेंट का आदेश प्राप्त करेगा। फिर जिस पंचायत समिति में जाना चाहता है वहां के लिए नियुक्ति आदेश जारी करायेगा, पहली जगह से रिलीव होकर वहां जायेगा। रिलीव होकर जब वह दूसरी पंचायत समिति के स्कूल में जायेगा तो वह पंचायत समिति कह सकती है, हम आपको नहीं लेते हैं तो वह कहां जायेगा? जिस पंचायत समिति से वह रिलीव हुआ है वह पंचायत समिति उसको लेने वाली नहीं है, वह उसे नौकरी पर लेगी नहीं तो वह फिर चयन आयोग के दफ्तर में चक्कर लगायेगा। चार-चार महीने तक वह चक्कर लगाये तब जाकर उसको नौकरी मिलेगी। मैं पूछना चाहता हूं यह दशा आपके साथ में हो जाय, आपके रिश्तेदारों के साथ में हो जाय, तीन-चार महीने तक सड़कों पर घूमना पड़े आज इस बेकार और मंहगाई के युग में तो वह आत्महत्या नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा। अभी मेडिकल कॉलेज में एक डाक्टर ने आत्महत्या की। उसने पत्र लिखा था कि उसे नौकरी नहीं मिली इसलिए वह आत्महत्या कर रहा है। वार्डन ने वहां पर जाकर उसको नहीं देखा, जबकि आत्महत्या वह कर चुका था, तीन-

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

चार दिन तक सोचते रहे कि सो रहा होगा। दूध पीकर सो गया होगा। तीन दिन से उसे नींद आ रही है। तीन दिन के बाद में जाकर दरवाजे खटखटाये, दरवाजा तोड़ा तब उस डाक्टर को मृत पाया गया। इससे बढ़ कर, मैं समझता हूं, राजस्थान सरकार के लिए, क्या अफसोस की बात होगी। उसकी एक चिट्ठी को गायब कर दिया गया दूसरी में लिखा है. बेकारी के कारण वह मृत्युलोक में जा रहा है, मर रहा है. यह राज्य में हालत है। यह हालत तो आत्म-हत्या के अलावा कोई क्या करेगा, तीन-तीन वर्ष तक नौकरी नहीं मिलेगी, स्थानान्तरण के लिए पंचायत समिति और जिला परिषद् की कृपा पर निर्भर रहना पड़ेगा, राज नेताओं की कृपा हो जाय तब उसका ट्रांसफर होगा।

आज चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की यह स्थिति है, वह उन्नति चाहे, उच्च पद की योग्यता प्राप्त कर ले तो योग्यता प्राप्त कर लेने के बाद भी पदोन्नति की कोई व्यवस्था नहीं है। जिला परिषद् और पंचायत समिति के बीच में एक स्थाई समिति है वह पदोन्नति की सिफारिश कर देगी, उसके बाद में चयन आयोग उसे अस्वीकार करेगा- यह हालत है। इसके अलावा जो समिति है उसकी हालत यह है कि उसकी बैठक होती नहीं है। तीन-तीन महीने तक कागज पड़े रहते हैं। इस कारण चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है वह दुःखी है, एल. डी. सी., यू. डी. सी भी दुःखी है।

इसी प्रकार राज्य कर्मचारी क्यों नहीं मानते हैं? मेरा यह निवेदन है कि उनको राज्य कर्मचारी मानना चाहिए, वह इसलिए मानना चाहिए, पदसृजन, पदोन्नति, पद समाप्ति, योग्यता, वेतन मान, अवकाश, पद या सेवा से स्थानान्तरण- यह सारे नियम राज्य कर्मचारियों के समान है। संविधान की धारा 12 में राज्य कर्मचारी की परिभाषा में स्पष्ट है, सुप्रीम कोर्ट में 1967में पंचायत राज संस्थाओं को राजकीय माना है। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 73 के अनुसार इस सेवा को जन कर्मचारी, पब्लिक सर्वेन्ट्स माना गया है। संविधान की धारा 309 में राजसेवक की भांति संरक्षण दिया है, अधिकार दिया है। सरकार संविधान की धारा 313, 314, 316 के प्रतिकूल काम करे, सरकार ने इन संविधान की धारा में समानता दूर करने का इस प्रकार का काम किया है, मैं समझता हूं कि फिर आखिरकार होगा क्या? आखिर-कार यह कर्मचारी जायेंगे कहां। आप हाई-कोर्ट का फैसला मानते नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानते नहीं, भारत के संविधान में दिया गया है वह मानते नहीं, फिर आपने यह स्थिति बना रखी है कि पंचायत के लोग हैं उनको इसी प्रकार भटकने दिया जाय और उनकी सेवा को राजकीय सेवा न मान कर जैसे नगर परिषद् कर्मचारी हैं इस प्रकार आप उनको मानना चाहते हैं? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं एक्ट की धारा 76 (10) (11) के अन्तर्गत समान वक्त, समान राजसेवा, पद-भत्ता राज्य कर्मचारियों की भांति है तो उनकी सेवा को अलग नहीं मानना चाहिए। जो कर्मचारी पंचायतों के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको आवास गृह निर्माण सहायता नही मिलती, फूड ग्रेन एडवान्स नहीं मिलता, मेडिकल रीएम्बर्समेंट नहीं होता। केवल कह दिया, ये सुविधायें लेनी हैं तो ये सुविधायें यहां से नहीं मिलेगी, यह सारी की सारी

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

सुविधायें पंचायत से लेनी चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पंचायतों से सुविधायें नहीं मिल सकती क्योंकि पंचायतों के पास पैसा कहां है। उन गरीब राज कर्मचारियों ने पंचायत राज की सेवा में जाकर क्या अपराध किया है उन्हें चयन आयोग के सामने जाना पड़ेगा, वह अपना ट्रान्सफर नहीं करा सकते, उनकी पदोन्नति नहीं होगी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अलग परेशान हैं। उनका काम है कि वह आपको केवल वोट दिलवायें। मैं समझता हूं, यह गरीब कर्मचारी जो राज्य का काम करते हैं और चुनाव में आपको जिताने के अन्दर सहयोग करते हैं उनकी आप सहायता करिये।

इसी प्रकार से बीमा के बारे में बीमा योजना है, वह बीमा योजना जनवरी, 1962 से बन्द पड़ी हुई है। इसके कारण प्रति वर्ष 50 लाख रुपये साल के डिपोजिट होने चाहिए थे, वह डिपोजिट नहीं हो रहे हैं। उसके कारण आज तक, मेरी मान्यता है, लगभग पांच करोड़ रुपये की हानि हुई है और कर्मचारियों का भविष्य है, वह कर्मचारियों का भविष्य भी आज असुरक्षित पड़ा हुआ है। मेरी आपसे मांग है, पंचायत राज है और इस पंचायत राज का जो ढांचा है इसमें राज्य सरकार को आमूलचूल परिवर्तन करना चाहिए। सारी रिपोर्ट आपके सामने है, आठ-आठ वर्ष आपको चुनाव कराये हो गये, मैं समझता हूं कि इस हालत में कब चुनाव होंगे इसकी आप घोषणा करें। मैं उम्मीद करूं, आप जिस समय भाषण देंगे, इसका उत्तर देंगे। इन पंचायतों में जो कर्मचारी हैं उनका भविष्य अंधकारमय है, वह दुःखी है, उनका भविष्य किस प्रकार से उज्ज्वल होगा और किस प्रकार राज्य सरकार किस माह में, किस तिथि को चुनाव कराने जा रही है। यह घोषणा मंत्री महोदय निश्चित रूप से करें।

मिल्क योजना है, इसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा। यह आज की डिबेट का दूसरा सवाल है। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा, यह मिल्क योजना बनाई गई है, इसके बड़े-बड़े बूथ बनाये गये हैं, हवा महल जैसे यहां से शिफ्ट करके, यहां से ले जाकर सवाई मानसिंह अस्पताल के सामने लगा दिया है बड़े-बड़े बूथ तो बना दिया, लेकिन दूध पीने के काबिल आता है, कभी इस दूध की चैकिंग की है। यह दूध भली प्रकार का नहीं है। समाज कल्याण विभाग को जो दूध के ड्रम्स जाते हैं उनमें मैं समझता हूं, सैकड़ों मक्खियां होती हैं। जो बच्चों को दूध बांटा जाता है वह यह दूध बांटा जाता है और गरीब हरिजन छात्रों को ऐसा दूध दिया जाता है जिसमें मक्खियां पड़ी हुई हों। मक्खियां भी निकाल दें तो मक्खी का पर भी पेट में चला जाय तो बालक की क्या दशा होगी। इस प्रकार दूध भली प्रकार का मिलता नहीं, छाछ पहले मिलती थी, अब उसकी व्यवस्था नहीं है, भली प्रकार के घी की व्यवस्था नहीं है। मेरा निवेदन है, इस प्रकार के जो राजकीय उपक्रम आपने चला रखे हैं, संस्थायें चला रखी हैं, जिनमें राज्य सरकार ने योगदान दिया है, तो जैसे आपकी जिम्मेदारी है कि लोगों को शुद्ध पीने का पानी मिलना चाहिए, उसी प्रकार लोगों को शुद्ध दूध मिलना चाहिए। लेकिन इस राज्य में शुद्ध पानी भी नहीं मिल सकता है। जयपुर में पानी आता है उसमें

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

कहीं गटर का पानी आ जाता है, कहीं मल-मूत्र पानी में आ जाता है, पानी में जानवर निकलना आसान है। इस प्रकार मिल्क योजना के अन्तर्गत जो दूध सप्लाई किया जाता है उस दूध में कीड़े होते हैं शीशी में, जानवर होते हैं, जो ड्रम्स भेजते हैं उनमें भली प्रकार का दूध नहीं होता। वह दूध यहां भी आता है और हॉस्पिटल में भी जाता है। हास्पिटल में गरीब मरीज पड़े हुए उनको भली प्रकार का दूध मिले नहीं, तो मैं समझता हूँ, इस कारण से बहुत से लोग बीमारियों से पीड़ित होते होंगे। इसलिए आपके द्वारा जो उपक्रम चलाये जा रहे हैं, उद्योग चलाये जा रहे हैं उनकी आप उचित व्यवस्था करें यह मेरी आपसे प्रार्थना है।

अंत में मैं यह प्रार्थना करते हुए कि पंचायत राज के बारे में जो मैंने आपसे निवेदन किया है उस पर अवश्य ध्यान देंगे और अपने भाषण में उनका उत्तर देंगे, यह भी बतायें कि पचायतों के चुनाव कब होंगे—इन सब बातों का आप जरूर उल्लेख करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजयसिंह !

श्री विजयसिंह (मांडल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सामुदायिक विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए हमारे यहां पर विकास खण्डों की स्थापना हुई, उनमें कई तरह के प्रसार अधिकारी रहे, कृषि प्रसार अधिकारी, समाज कल्याण प्रसार अधिकारी, सामुदायिक विकास प्रसार अधिकारी—यह सब काम करने में लगे। उसके काफी समय के बाद उनके काम करने में शिथिलता आई, तभी राजस्थान में सबसे पहले पंचायत राज का जन्म हुआ और पंचायत राज के माध्यम से सामुदायिक विकास योजना को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी हम लोगों ने ली। उसके बाद जो काम हुआ, बड़े जोश-खरोश, बड़ी तेजी से कदम हमारे यहां पर चला, कहीं एनीकट बनाने का, कहीं तालाब बनाने का, कहीं स्कूल बनाने का, कई तरह के विकास के काम हुए। बहुत अफसोस की बात है, उसके बाद उन कामों को पूरी गति नहीं मिल पाई और ज्यादातर काम पंचायत समितियों से वापिस ले लिये जो काम पंचायत समिति के माध्यम से हुआ करते थे वह वापिस ले लिये और कृषि और शिक्षा का काम पंचायत समिति के पास रह गया। उसके बाद जो काम में शिथिलता आई तो जो काम पहले कर लेते थे उसके बाद वह भी नहीं हो पाया। मेरे निवेदन करने का अभिप्राय है कि जिन प्रवृत्तियों को उनसे वापिस लिया हैं वो सारी पंचायत समितियों को दी जानी चाहिए। अगर नहीं तो जिस हद तक काम अधूरे पड़े हैं वह वहीं रह जायेंगे। कई काम अधूरे पड़े हैं क्योंकि वहां पर प्रसार अधिकारी नहीं है। जो काम वहां से लेकर डिस्ट्रिक्ट को सौंपे गए हैं वे काम आज गांवों के क्षेत्र में कहीं पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं इसलिए सारी प्रवृत्तिये जो जो ट्रेन्ड्स आपने पंचायत समितियों से लिये थे वह वापस पंचायत समितियों को दिए जाने चाहिएं।

आज जो प्रधान व सरपंच हैं जो विकास कार्य में लगे हैं, जितने प्रधान हैं 24 घंटे के लिए विकास कार्य में लगे रहते हैं लेकिन आप क्या सुविधा उनको देते

(श्री विजयसिंह)

हैं ? इस ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि जितने काम विधायक नहीं करते उतने काम आज प्रधान के जिम्मे हैं लेकिन उनको केवल 200 मासिक आप देते हैं और दैनिक भत्ता 5) रुपया। शायद उनके साथ में कोई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दौरे में जाए उसको भी उससे ज्यादा तनख्वाह व टी. ए. डी. ए. मिलेगा। इसलिए इस भत्ते को बढ़ाना चाहिए। इसलिए इज्जत के नाते ही उनको देना चाहें तो इतना जरूर देना चाहिये कि उनकी इज्जत बढ़े। कहीं कहीं तो प्रधान एक लाख की आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं, कहीं 50 हजार की आबादी का। उसको कम पैसा दें तो शोभाजनक बात नहीं। इसलिए दैनिक भत्ता बढ़ाने का प्रयत्न करें और ऐसा प्रावधान करें कि मासिक तनख्वाह उनको ज्यादा मिले।

सरपंच हमारी मिटिंग को एटेंड करते हैं। तीन महीने में पंचायत समिति की मीटिंग होती है। आज इस सदन में इस विषय पर चर्चा हुई है। सरपंच वहां पर तीन महीने में एक बार पंचायत समिति की मीटिंग अटेंड करने आते हैं उनको केवल 3 रु. दैनिक भत्ता देते हैं। 3.25 आप मजदूर को देते हैं। लेकिन सरपंच जो 10 हजार की आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं उसकी इज्जत के लिए आप केवल 3) उसको देते हैं। पता नहीं किस हिसाब से देते हैं। मैं समझता हूं यह सरपंच के लिए बहुत ही अन्याय की बात है। कम से कम 7) सरपच के लिए दैनिक भत्ता होना चाहिए और आवागमन का खर्चा तो है ही।

इसके अलावा मुझसे पहले महिला-सदस्या ने निवेदन किया था कि उनको मेडिकल रीएम्बर्समेंट होना चाहिये लेकिन वह कितनी हो सकती है, कितनी नहीं हो सकती पहले भी इसके लिए आलोचना हुई है कई चाहते हैं कि तनख्वाह के साथ फिक्स्ड मेडिकल एलाउन्स ही दिया जाय क्योंकि कई तरह के बिल्स पेश होते हैं वे न हों इसलिए ऐसी चीज को प्रोत्साहन देना मैं अच्छा नहीं समझता लेकिन एक चीज निवेदन करना चाहता हूं कि प्रधानों का मासिक और दैनिक भत्ता और सरपंच का भत्ता बढ़ाना आवश्यक है।

पंचायतों को बड़ा बनाने के लिए आपको कदम उठाने चाहियें। दो हजार की आबादी पर आपने पंचायतें बनाई हैं लेकिन इतने छोटे यूनिट्स हो गये हैं कि उनके पास कोई काम नही हैं, जरिया आमदनी का नहीं है। इसलिए पंचायत यूनिट्स कम से कम 5 हजार से लेकर 10 हजार की आबादी का होना जरूरी है। ऐसे कदम नहीं उठाए गए और पहले जैसी पंचायतें जारी रखी तो जो शिथिलता आज पंचायतों में हैं उसी तरह की शिथिलता भविष्य में भी मिलेगी।

न्याय पंचायतों के जितने अधिकार हैं, वे आप पंचायतों को दे दें आपने एग्जीक्यूटिव और जूडीशियरी को अलग किया लेकिन उसका नतीजा अच्छा नहीं आया है इसलिए मंत्री महोदय से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी चुनाव होने से पहले इस तरह का प्रावधान करें कि न्याय पंचायत और विकास पंचायतों को एक कर दिया जाय और न्याय पंचायतों के जितने अधिकार हैं वे विकास पंचायतों के अन्दर

(श्री विजयसिंह)

नीहित कर दिए जाने चाहिए। पंचायत कानून में अगर कोई तबदीली नहीं की जिससे पंचायत समितियां और पंचायतें पावरफुल नहीं बनाई गई जिला परिषदों को पावरफुल नहीं बनाया तो जिस तरह की शिथिलता आप देख रहे हैं वह 12 महीने बाद फिर आने वाली है। आप उनको ज्यादा पावरफुल बनायें।

श्री खेतसिंह : मैं निवेदन करूंगा कि सदन का समय एक घन्टे के लिए बढ़ाया जाए ?

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति से समय बढ़ाया जाता है।

श्री विजयसिंह : आप कानून में तबदीली लाकर जो जो प्रावधान करना चाहते हैं जिससे पंचायतें, पंचायत समितियां ज्यादा सशक्त हों उसके बाद चुनाव करायें। नहीं तो 8 साल से तो शिथिलता रही इससे ज्यादा शिथिलता आएगी। आवश्यकता इस बात की है कि आप पहले कानून के अन्दर ऐसा प्रावधान करें जिससे इफेक्टिव लोकल बाडीज़ हो सकें।

इसके अलावा प्राइमरी टीचर्स को हटाकर राज्य सरकार को देने वाली बात सामने आई है। यह बिल्कुल गलत बात है। आज कुछ लोग जो नेतागिरी अपने हाथ में लेना चाहते हैं खामखां आवाज उठाकर अध्यापकों को अलग करना चाहते हैं और प्राइमरी एजूकेशन को राज्य सरकार को सौंपना चाहते हैं लेकिन हमारे यहां एक पंचायत समिति मान्डल है वहां से तो सभी अध्यापकों ने मिलकर प्रस्ताव पास कर भेजा है राज्य सरकार के पास कि हम पंचायत समिति के तहत रहना चाहते हैं वहां अगर किसी अध्यापक को दिक्कत है तो उनकी डायरेक्ट एप्रोच है, सीधा सरपंच के पास जाता है, विकास अधिकारी के पास जाता है, प्रधान के आगे अपनी दिक्कत रख सकता है।

मेडीकल रिएम्बर्समेंट के कितने ही लोगों के केसेज जल्दी निपटाए जाते हैं जब कि इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स में कितने ही मास्टरों के मेडिकल बिल्स पड़े रहते हैं फिक्सेशन के केसेज पड़े रहते हैं जब कि पंचायत समिति में जल्दी निपटाये जाते हैं। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग नीहित अपने स्वार्थों को लेकर इस बात को कहते हैं कि प्राइमरी एजूकेशन को अलग कर दिया जाए लेकिन आज आप उच्च प्राइमरी एजूकेशन को भी पंचायत समिति को सौंप दें तो कोई ऐसी बात नहीं है, इससे आपकी शिक्षा का उत्थान होने वाला है।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि टू टायर सिस्टम कर दिया जाए। मैं समझता हूं शायद वहां प्रधान ने टिकट मांगा होगा नहीं तो इस तरह की बात नहीं आती। तहसील लेवल पर बाहर से काश्तकार 50 मील से अपनी समस्या लेकर आता है और तहसील लेवल पर सार्वजनिक कार्यकर्ता को ढूंढता है तो उसको प्रधान ही मिलता है और प्रधान ही उसकी समस्या का समाधान करता है। इसलिए आप इन अध्यापकों को यहां से हटाने की बात छोड़ दें। आप उनको ज्यादा ताकतवर बनाइए, टू टायर सिस्टम की जरूरत नहीं है थ्री टायर को और मजबूत किया जाए। जिला परिषद के पास कोई पावर्स नहीं हैं।

(श्री विजयसिंह)

जितने काम राजस्थान में होने वाले हैं स्कूल खुलने वाले हैं, सड़के बनने वाली हैं, तालाब बनने वाले हैं, मेहरबानी करके आप उनको पंचायती राज के सुपुर्द करें ताकि वह सशक्त हो जायेंगें और जनता व सरकार के बीच में पंचायत समिति कड़ी बन पाएगी। एक मिनट मैं और निवेदन करना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मारफत मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि आज पंचायतों के कई काम अधूरे पड़े हैं और वे थोड़े थोड़े रुपयों के लिये रुके पड़े हैं और अगर वह रकम राज्य सरकार से मिल जावे तो जो पंचायत समितियां या पंचायतों ने जो कन्स्ट्रकशन्स के काम करवाये हैं वे पूरे हो सकते हैं। जिससे कि वहां की जनता को काफी सहुलियतें मिलेगी। वरना वो सभी कार्य जो अधूरे पंचायतों द्वारा किये गये जैसे पानी निकालने के लिये मोरियां, कोई पाठशाला के भवन तथा कोई सार्वजनिक कुए खुदवाये हैं या तालाबों की मरम्मत के काम है और माइनर इर्रीगेशन के काम हैं वे सिर्फ इसलिये पूरे नहीं हो रहे हैं क्योंकि आज पंचायतों के पास पैसा नहीं है। अगर यह रकम राज्य सरकार द्वारा मिल जावे तो पंचायतों के करवाये कार्य हैं वे पूरे हो सकते हैं ताकि उनकी यूटिलिटी हो सके। जैसे कि पहले राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार का अनुदान पंचायत समितियों को दिया जाता था पर बाद में बन्द कर दिया गया। नहीं मालूम वो बन्द क्यों कर दिये गये? अगर पंचायतों को कुछ धनराशि राज्य सरकार दे दे तो काफी लाभ वहां की ग्रामीण जनता को हो सकता है। एक थोड़ी सी रकम राज्य सरकार द्वारा दिये जाने से काफी एचिवमेन्ट्स हो सकते हैं।

इसके अलावा मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं कि लोगों ने कहा है कि पंचायत समितियों में जीपों का दुरुपयोग बहुत होता है। यह गलत बात है क्योंकि पंचायत समितियों में कभी जीपो का दुरुपयोग नहीं होता है। जीपों का दुरुपयोग या मोटरों का दुरुपयोग दूसरे डिपार्टमेन्ट्स में ज्यादा होता है। पंचायत समितियों के बजाय प्रधान और सरपंच वगैरहा तो सिर्फ अपने काम के लिये नहीं बल्कि पंचायतों के काम के लिये अपने ही क्षेत्र में जाते हैं पर दूसरे डिपार्टमेन्ट्स में सरकारी गाड़िया यूं ही घूमती रहती हैं। इसके अलावा आज जो राज्य सरकार द्वारा 200 रुपये पैट्रोल के उन पंचायत समितियों के जीपों के लिये दिया जाता है वह बहुत ही कम है। उपाध्यक्ष महोदय यह दो सौ रुपये तो उस वक्त सैंक्शन हुए थे जब कि कीमतें ज्यादा नहीं थी। आज जब से कीमतों में इतना फर्क पड़ गया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार को जीपों के पैट्रोल के लिये जो धनराशि दी जाती है वह बढायी जाय। इसके अलावा पंचायत समितियों में जीपों के रिपेअर्स के लिये प्रावधान रखा जाना चाहिये। आज पंचायत समितियों के पास तो पैसा नहीं है और न ही उनके पास राज्य सरकार के सोर्स हैं इसलिए अगर जीप में टूट-फूट हो जाय तो उसके लिये राज्य सरकार द्वारा व्यवस्था की जानी चाहिये। आज राज्य सरकार तो यहां बैठकर टैक्स लगा देती है। उसे तो वहां जाना नहीं पड़ता है। पर अगर सरपंच या प्रधान अपने पंचायत समिति क्षेत्र में कोई टैक्स लगाता है तो उसका वहां रात दिन बैठना रहता है और वो वहां की जनता को पेश नहीं कर सकता है इसलिये टैक्स लगाकर आय नहीं बढाई जाती इसलिये मेरा निवेदन है कि जीपों के

(श्री विजयसिंह)
पैट्रोल के खर्च में बढ़ोतरी की जाय, और यह जो खर्च है वह आज जो सिर्फ दो सौ रुपया ही दिया जाता है उसमें बढ़ोतरी की जाय। इसके अलावा कुछ माननीय सदस्यों ने उपाध्यक्ष महोदय, पंचायती राज के बारे में कहा है कि इसे समाप्त कर दिया जाय। इसके बारे में मेरा निवेदन है कि इसको समाप्त करने के बजाय सबल बनाया जाय क्योंकि पंचायती राज से ग्रामीण क्षेत्रों में काफी विकास हुआ है। पंचायतें और पंचायत समितियां अपने क्षेत्र में खुद काम करती हैं और इसमें जनता को काम का मौका मिलता है। इस पंचायती राज में जनता की बात सुनी जाती है और जनता की बात समझने का मौका मिलता है जिससे कि जनता में जाग्रति पैदा हुई है और समय पर काम होता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूराम बागीडोरा !

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : उपाध्यक्ष महोदय, सामुदायिक विकास के अंतर्गत जो मेरे कटौती के प्रस्ताव हैं, उन पर मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यहां पंचायती राज कायम हुआ और भारत के प्रधान मंत्री स्वर्गीय नेहरूजी ने इस सत्ता के विकेन्द्रीकरण को 1959 में श्रीगनेश किया, उस वक्त सारे देश की आंखें राजस्थान की ओर थीं। आज इस हाउस में कई माननीय सदस्यों ने प्रकाश डाला कि पंचायती राज सफल नहीं हो रहा है। लेकिन मेरा विचार है कि पंचायती राज सफल हो रहा है। सरकार ने नीतियों में परिवर्तन नहीं किया। शुरू शुरू में जब पंचायतें कायम हुई तो पंचायत समितियों को तालाबों का काम दिया गया, तालाबों के लिये उनको पैसा मिलता था, सड़कों के लिये पैसा मिलता था। अब सरकार ने सारे फन्ड्स बन्द कर दिये तो वह सारे काम अधूरे पड़े हुए हैं। एक तालाब पंचायत ने बनाया नहर के आसरे पर, लेकिन नहर नहीं आई तो वह तालाब सिंचाई के काम में नहीं आ सकता। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि जो पंचायत समितियों और पंचायतों के काम अधूरे पड़े हुए हैं उनको पूरा करने के लिये सरकार को पैसा देना चाहिये।

मैं यह निवेदन करूंगा कि चुनाव प्रणाली में तब्दीली होनी चाहिये। मैं मानता हूँ कि दलबन्दी के आधार पर जो चुनाव होते हैं, उसमें परिवर्तन हो तो विकास के कामों में फायदा हो सकता है। कहीं कोई प्रधान होता है तो वह जरूरतमंद किसान को पैसा न देकर अपने दल वाले को पैसा दे दिला देता है। इसलिये चुनाव प्रणाली में दलबन्दी की जो नीति है, उसमें संशोधन करना चाहिये ताकि विकास का काम अच्छी प्रकार हो सके।

पहले पांच हजार के लगभग आबादी पर पंचायत थी, अब दो हजार की सीमा बांध दी, तो मेरा सुझाव है कि 5 और 10 हजार के बीच में आबादी पर पंचायत होनी चाहिये। छोटी छोटी पंचायतें होने से काम अच्छी तरह नहीं हो सकता।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि न्याय पंचायतों को जुडिशियल पावर्स दिये हुए हैं। यह पावर्स न्याय पंचायतों से हटाकर विकास पंचायतों को देने चाहिये ताकि लोगों को वास्तव में सुविधा मिले और पंचायतों की हालत ठीक हो सके। छोटी-छोटी पंचायतें बनाने से उनके पास कोई

(श्री नाथूराम)

पैसा न होने की वजह से काम में रुकावट होती है। जब तक आप पंचायतों को पावरफुल नहीं बनायेंगे तब तक काम ठीक नहीं होगा। जिला परिषद को भी आपको ज्यादा पॉवर्स देने चाहिये। जब तक आप जिला परिषद को विशेष अधिकार नहीं देंगे तब तक जिले के विकास का काम भली प्रकार से नहीं हो सकेगा। कई माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया कि पंचायत समितियों से प्राइमरी स्कूल्स हटा देने चाहियें क्योंकि वहां काम ठीक ढंग से नहीं होता। मैं निवेदन करूं कि सभी पंचायत समितियां ऐसी नहीं हैं। बांसवाड़ा का उदाहरण है। वहां पर ज्यादातर आदिवासी लोग हैं, वहां के प्रधान भी आदिवासी हैं, लेकिन वहां की पंचायत समिति ठीक चल रही है। यह सरकार की गलती जरूर है कि आठ वर्षों में चुनाव नहीं करवाया और कई तरह के फन्ड्स बंद कर दिये। वहां पर आदिवासी लोग भी इतने पॉवरफुल हैं कि उनके सहयोग के बिना कोई अधिकारी काम नहीं कर सकता। राज्य सरकार ने 26 जिलों से जिला परिषदों और पंचायत समितियों से सुझाव मांगे थे, जिला परिषदों और पंचायत समितियों ने सुझाव भेजे, लेकिन सरकार ने कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं निवेदन करूंगा कि बांसवाड़ा पंचायत समिति और जिला परिषद् ने जो सुझाव भेजे हैं उन पर आप मनन करेंगे और उनको ज्यादा पॉवर्स दें।

जिला परिषद् और पंचायत समिति काम करने वाली संस्थाएं हैं। लेकिन जहां लोक सभा के सदस्यों और विधान सभा के सदस्यों को अच्छा टी. ए. और डी. ए. मिलता है, लेकिन जिला परिषद् और पंचायत समिति के सदस्यों को मीटिंग अटेंड करने के लिये कुछ भी नहीं मिलता। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि पंचायत समिति के मेम्बर्स को मीटिंग अटेंड करने के लिये भत्ता मिलना चाहिये। इसी प्रकार सरपंच और प्रधान को भी भत्ता अधिक मिलना चाहिये। आज लोक सभा और विधान सभा के सदस्य विकास के कार्यों में इतना भाग नहीं लेते जितना जिला परिषद् के मेम्बर्स लेते हैं। इसलिये उनको सुविधा देनी चाहिये। शिक्षा पर आप टैक्स लगावें तो वहां के सदस्यों पर नाराजगी वहां के लोगों की होती है।

आज पंचायत समितियों में जो हाईस्कूल हैं, उनकी बिल्डिंग्स उनको बनानी पड़ती हैं। सरकार को इस नीति में परिवर्तन लाना चाहिये। जब शहरों में आप हाईस्कूल और मिडिल स्कूल के भवन सरकारी खर्चे पर बनाते हैं तो गांव में यह खर्चा जनता पर क्यों थोपते हैं? वहां पर सरपंच और प्रधान को लोगों से चन्दा लेकर अपने लेबर से बिल्डिंग बनवानी पड़ती है। इसलिये आपके द्वारा सरकार से निवेदन है कि सरकार को अपनी नीति में परिवर्तन करना चाहिये। जिस प्रकार सत्ता में परिवर्तन हुआ है, उसमें इसी प्रकार परिवर्तन करके पंचायती राज को सफल बनाना चाहिये।

कुछ अधिकारी हैं जिनके विचार अच्छे हैं। काम में सहयोग भी दिलाने की कोशिश करते हैं लेकिन नीचे से सहयोग नहीं मिल रहा है। ऊपर से आदेश होते हैं। सारी सत्ता का विकेन्द्रीकरण हुआ है। पंचायती राज को सफल

(श्री नाथूराम)

बनाने के आदेश हुए हैं लेकिन नीचे के लोग आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि कोई भी कानून हो उसका पालन जरूर होना चाहिये।

न्याय पंचायतें हैं उनको समाप्त कर देना चाहिये। चुनाव से पहले ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये ताकि पंचायती राज सफल हो।

इसी प्रकार जिला परिषदें हैं। इसको अधिक अधिकार देने चाहिये। इन्सपेक्टर होता है, छः-छः महीने स्कूल नहीं देख सकते हैं। जब तक जिला परिषद् को अधिक अधिकार नही देंगे तब तक व्यवस्था नहीं सुधर सकती। इन्सपेक्टर जिला परिषदों में जरूर जाते हैं लेकिन व्यवस्था अच्छी नहीं है। मेम्बर्स मिटिंग अटेन्ड करते हैं लेकिन उनका सम्बन्ध कम रहता है। अधिकार ज्यादा हो जावेंगे तो ज्यादा सम्बन्ध रहेगा।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

उत्पादन का नारा लगाया। कृषि विभाग की ओर से ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों को हाईब्रिड सीड वितरण के लिये दिया गया। उन्होंने खराब बीज वितरण किया, आप देखेंगे जो छोटे-छोटे किसान हैं दस रुपया पन्द्रह रुपया जो लगान देते हैं उनको 40 रुपये बिजली के कर दिये और उनसे 50-60 रुपये मय व्याज के वसूल किया जा रहा है। वसूल हुए हैं। जिला परिषद् और पंचायत समितियों ने प्रस्ताव पास किया है, खराब बीज बांटा और उनके खेत पड़े रहे और गरीबों से वसूल हुआ। पंचायत समिति, गढ़ी और बांसवाड़ा से प्रस्ताव पास होकर गया है उसकी जांच करनी चाहिये और गरीबों को रकम वापिस देना चाहिये पंचायत समितियों को अधिकार देने चाहिये। पंचायत समितियां और पंचायतें विकास में भाग लेती हैं लेकिन ऊपर से सहयोग नहीं मिलता है। पंचायत राज सफल बनाना चाहते हैं तो इनको अधिक अधिकार दीजिये, यही आप से निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामगोपाल।

श्री रामगोपाल (किशनगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, पूज्य बापू ने एक रामराज्य का स्वप्न लिया था। पंचायत राज की स्थापना के द्वारा पूज्य बापू का स्वप्न साकार हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत राज की प्रणाली बनी, जनता ने विश्वास किया कि यह स्वप्न साकार होने वाला है। सन् 1964 में इस पंचायती राज के चुनाव हुए और उसके बाद में इस पंचायत राज की गति धीमी पड़ गई। इसमें एक प्रकार की शिथिलता आई। उसी का परिणाम है कि आज इस वर्त्तमान सदन में कई माननीय सदस्य हैं जिनमें असंतोष व्याप्त है और कई के चहरों पर आक्रोश है। जनसंघ के माननीय सदस्यों ने भी उसका समर्थन किया है। इसका कारण क्या है? क्या वजह है, उपाध्यक्ष महोदय, जिससे हमारे जनसंघ के माननीय सदस्यों ने भी सामुदायिक विकास के लिए इस प्रकार की चर्चायें की और सामुदायिक विकास की मांगों पर वाद-विवाद में भाग लेते हुए कहा।

(श्री रामगोपाल)

माननीय मंत्री महोदय को मैं अपनी ओर से सूचित करना चाहता हूं कि वे माननीय सदस्यों के विचारों को पूरी तरह से समझें, उनकी भावनाओं का मूल्यांकन करें और एक प्रकार की व्यवस्था बनाने की कोशिश करें, इसमें परिवर्तन लाने की कोशिश करें, ताकि इसकी गति, जो धीमी पड़ गयी है, इसको एक गति मिले और जो शिथिलता इस पंचायती राज प्रणाली में आई हुई है वह शिथिलता उसकी दूर हो। मैंने भी सोचा था क्या कारण है इस शिथिलता का ? क्या कारण है यह गति धीमी पड़ गयी । उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मेरे मन में इस पर विचार किया। मैंने एक ही नतीजा निकाला है कि हमारी सरकार ने अपने मन के अन्दर या अपनी कार्यप्रणाली में पंचायती राज प्रणाली को उपेक्षित किया है जो प्रजातन्त्र में एक महत्वपूर्ण प्रणाली और उसकी जड़ है। पंचायती राज के सन् 1964 में चुनाव हुए । उसको आठ साल होने आये हैं, उसका यह भी एक कारण है। क्योंकि इस प्रणाली को विकास का मौका नहीं मिला। और सरकार को सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि नये पंचायती राज प्रशासन के चुनाव कराने की कोशिश की। इस संस्था को चार भागों में बांट दिया । जिनके माध्यम से चलें लेकिन सही माने में वे चल नहीं पाई। सर्वप्रथम पंचायत को ले लीजिये, जो कुछ अधिकार होना चाहिए लम्बा चौड़ा, उसको कम कर दिया गया है। कम करने का नतीजा यह हुआ कि उसकी गति धीमी कर दी गयी। अधिकारों की कमी हुई । चुनाव का समय लम्बा हो गया। सरपंच महोदय के पास कोई अधिकार नहीं है। उनके पास गांवों में खेडिया और वाड हटाने का ही काम रह गया है। लेकिन वे उपयोग नहीं कर पाते हैं। यदि अधिकारों का प्रयोग करेंगे तो भी आगे से उनको समर्थन नहीं मिल सकेगा । सचिव को तनख्वाह देनी पड़ती है किसी भी तरह से. कॉमन हाउस या और तरह के उपाय करके उनको तनख्वाह चुकानी पड़ती है और आज की प्रणाली से उसको उसका खर्च चलाना पड़ता है ।

न्याय पंचायत को देख लीजिये। फौजदारी के अधिकार दे दिये हैं और कोई काम नहीं है। फौजदारी के अधिकार हैं तो एक झूठा अभियोग कायम करते हैं वह शिकायत कर दे और जिसके खिलाफ झूठा अभियोग होता है उसको न्याय पंचायत में हाजिर होना पड़ता है। उस पर जुर्माना हो जाता है और इस प्रकार सचिव का खर्चा चलता है। तीसरी ले लीजिए पंचायत समिति संस्थायें उसके अन्दर सरकार खर्चा करती है–एक पोस्ट है एग्रीकल्चर ऑफिसर जिसको कृषि प्रसार अधिकारी के नाम से पुकारते हैं। उस पर सरकार खर्चा करती है और हजारों लाखों रुपया हमारे राजस्थान के अन्दर उस पोस्ट पर काम करने वालों को दिया जाता है लेकिन उसमें जो कमियां हैं। उस कर्मचारी में जो कमियां है ये हैं। जो भी गांवों के महत्वपूर्ण धन्धे हैं उसमें काम करने के लिए सहयोग देते हैं, काश्तकार को सिखाते है.......

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय मैं बताऊंगा लाखों रुपया खर्च करती है। उस अधिकारी का काम है गांवों में प्रदर्शन कराना और किसी न किसी प्रकार उस प्रदर्शन को सबल बनाने का काम रहता है। कोशिश यही

(श्री रामगोपाल)

रहती है कि वह प्रदर्शन सफल हो जाय। कोई फंक्शन करते हैं और काश्तकार के खेत की फसल को काट लिया जाता है। जिला परिषदों की मीटिंग होती है। कभी-कभी हमारे प्रधान आते हैं लेकिन वे गांव वालों को यह सूचना नहीं देते हैं कि मीटिंग में क्या हुआ। गांव वाले लोग उनकी गतिविधियों से अवगत नहीं हो पाते हैं। ग्राम सेवक होते हैं, उनको तनख्वाह बहुत कम मिलती है। काम करते हैं वहां से सैंकड़ों मील दूर रहते हैं। यह भी उनके साथ बड़ी भारी दिक्कत है। इस प्रकार की ये कमियां दूर हो जायं तो विषमतायें दूर हो जायं। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इसके ऊपर अभी जो मांग है एक तो यह है कि पंचायत क्षेत्र को बढ़ा दिया जाय, ग्राम पंचायतों को अधिक अधिकार दिये जायं। दूसरी चीज मेरी यह है कि न्याय पंचायतों को समाप्त कर दिया जाय। तीसरी मांग ग्राम सेवक और जो आपके सचिव हैं जो दोनों काम करते हैं उसमें से दोनों में से एक को रख दिया जाय ताकि जो दोनों पर खर्चा किया जाता है वह बच सके और पंचायत समिति को सुदृढ़ बनाया जाय ताकि विकास की गति तीव्र गति से चलती रहे और उपाध्यक्ष महोदय एक विशेष बात है आपके सभी सदस्य स्वीकार करेंगे जो पंचायतों के चुनाव हैं वे भी बहुत ही जल्दी करा दिये जायं।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

अगर माननीय मंत्री महोदय इन बातों को न माने तो इस पंचायत प्रणाली में सामुदायिक विकास पर जो खर्च होता है उसमें से कुछ खर्चा निकाल कर राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक समारोह किया जाय जिसमें सभी पंचों, सरपंचों और प्रधानों आदि को बुलाया जाय और हमेशा के लिये चुनकर उनके सिर पर जन्म जात के लिये पगड़ी बान्ध दी जाय ताकि हमेशा-हमेशा अपनी सीटों पर बैठे रहें। इतना ही कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री भावरमल (फतेहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय कटौती प्रस्ताव चल रहे हैं बहुत कहने की इच्छा होती है लेकिन कहें किसको। हमारे पास कुछ कहने के अलावा है भी नहीं। कुछ मुंह पर कहें तो शर्म आये, कुछ सोचें तो सही। हमारे कुछ कहने का कोई अर्थ निकलने वाला नहीं है। कुछ अधिकारी बैठे हैं क्योंकि प्लान बनाने वाले बैठे हैं इसलिये यही ठीक है।

उपाध्यक्ष महोदय यह ग्राम राज्य का जो स्वप्न था यह एक वास्तविकता थी कि गांव के अन्दर देश की अधिक पापुलेशन रहती है इसलिये ग्राम का शासन चलाने के लिये ग्राम पंचायत को इकाई माना था और ग्राम के सम्पूर्ण विकास के लिये एक कॉआॅपरेटिव, एक स्कूल और एक ग्राम पंचायत इसमें सम्पूर्ण विकास की बात आती थी ऐसा कुछ सोचा गया था लेकिन जो दुर्दशा इस पंचायती राज की हुई है और इस पंचायत राज के मारफत जो पैसा पानी की तरह बहाया गया है, मेरे ख्याल में इतने बड़े बजट का कोई भी हैड नहीं है जिसमें इतना ज्यादा दुरुपयोग पैसे का होता है जिसकी मुख्य वजह यह कि इनके पास जो थ्री टायर सिस्टम नाम दिया है इसमें न कुछ अधिकार है और न

(श्री भावरमल)

कुछ अधिकार दिये हैं और जो कुछ थोड़े बहुत दिये हैं उनको प्रयोग करने के लिये कोई साधन नहीं है। जैसा पंचायतों में टैक्स लगाने का एक अधिकार दिया हुआ है लेकिन वसूल करने के कोई अख्तियारात नहीं है। इसका कारण यह नहीं है कि दे नहीं सकते उसकी वजह यह है कि कहीं गांव का आदमी एज्यूकेटेड न हो जाय, जागरूक न हो जाय। मैं यह कहूं इस प्रजातन्त्र में जितने ज्यादा दफा वोट दिये हैं उतने ही ज्यादा जागरुक हुये हैं लेकिन पंचायतों को स्टेगनेन्ट बनाया गया है, उसके जंग लगा दिया गया है। इसमें भी जानबूझकर षड्यन्त्र किया गया है नहीं तो कोई वजह नहीं म्यूनिसिपैलिटी और पंचायतों में बहुमत का आधार अलग अलग रखा गया है। पंचायतों में थ्री–फोर्थ का बहुमत रखा गया है–यह क्या कारण है। पंचायतों को भी बहुमत का मौका दें। जिस प्रकार चेयरमेन के लिये मौका दिया है उसी प्रकार का प्रधान के लिये मौका देना चाहिये। पंचायत में टू–थर्ड के बिना प्रधान को नहीं हटा सकते। इन सारी बातों का षड्यन्त्र यह है कि ये ज्यादा जागरुक न बन जाय। ज्यादा चुनाव करवायेंगे तो अपने अधिकारों की ज्यादा मांग करेंगे इसलिये बढ़िया यही है इनको ऐसा पंगू बना दिया जाय जिससे कोई आवाज ही नहीं उठा सके, चल ही नहीं सके। कोई वजह नहीं एक पंचायत के अन्दर 8–8, 10–10 साल से चुनाव नहीं करवाये और इस बीच में दो-दो बार विधान सभाओं के चुनाव हो गये लेकिन पंचायत को वहीं रहने दें। जो चुनाव जीतकर आते है उसमें हटाने के प्रोविजन को थ्री-फोर्थ रख दिया इसलिये वे निर्भिक हो जाते हैं। इतनी कमजोरी महसूस करते हैं कि कभी साहस ही नहीं करते हैं। इसलिये जो कुछ भी चुनाव हुआ करते हैं वह धारा प्रवाह चला करते हैं बाकी जो परिवर्तन चाहते हैं वह हताश हो जाते हैं इसलिये मेरा निवेदन है अगर पंचायती राज को मजबूत करना है तो इसमें चुनाव की जो प्रक्रिया है, जो प्रणाली है इन सब बातों को ध्यान से, ढंग से, तरीके से लोगों को ज्यादा लाभ देने के हिसाब से करना चाहिये। लेकिन मैं कहता हूं अब भी मंशा सरकार की साफ नहीं है। जो गवर्नर साहब का भाषण हुआ था उसमें और आज में कन्ट्राडिक्टरी बात है। उसमें यह था कि एक तो पंचायतों के चुनाव कराना चाहते हैं और साथ ही उसमें यह भी था कि एक कमेटी का गठन किया है जो रिपोर्ट देगी। उसके क्या तरीके होंगे चुनाव को इस तरह से बदला जाय जिसमें ग्राम प्रशासन में कमजोरी न आय। यह एक्सपेरिमेंट गांव वालों पर ही किया जाता है। गांव वाले क्या समझते हैं, किसी भी तरह आप दुरुपयोग करें। नाम ग्राम पंचायत का रहे और उपयोग में लोगों का विकास होता रहे। आज जितने पैसे पंचायत समिति में दिये जाते हैं उसमें केवल तनख्वाह के अलावा कुछ नहीं है। जो थोड़ा बहुत पैसा बचता है वह पीने के पानी के लिये है। किसी भी गांव में आज पीने का पूरा पानी उपलब्ध नहीं है फिर आपका यह कौनसा विकास हो गया? थ्री टायर सिस्टम पंचायत समिति और जिला परिषद् में मैं कहता हूं अगर सारे लोगों से बात पूछ ली जाय कि पंचायत समितियों को चाहते हैं या नहीं चाहते है तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि सिवाय मौजूदा प्रधानों के, सिवाय मौजूदा पंचों और सरपंचों के या

(श्री झावरमल)

मौजूदा प्रमुखों के जो यहां सदस्य हैं जो गाड़ियों वगैरह का उपयोग करते हैं उनके अलावा मौजूदा सिस्टम को कन्टीन्यू कराने को तैयार नहीं है। लेकिन उनका चूंकि व्यक्तिगत लाभ है और व्यक्तिगत लाभ के लिए वह इस पर जोर देते हैं लेकिन जो हट गये प्रधान से या प्रमुख से वह कहते हैं कि अच्छा हो बाकी लोगों को भी हट जाना चाहिए लेकिन वे अपनी सुविधाओं के लिए हटना नहीं चाहते इसलिए इसको कन्टीन्यू करने की चेष्टा करते हैं।

कुछ बातें स्कूलों के लिए कही गयी। मैं कहता हूं कि पंचायत समितियों में जो भी कुछ बचा है वह सिर्फ शिक्षा ही बचा है। अब चाहे सरपंच कैसे करता है, प्रधान कैसे करता है वह अलग बात है लेकिन हमारे उधर शेखावाटी में कहावत है कि "पिलानी-बिड़ला ट्रस्ट ढ़ाणी"। यही हालत पंचायत समितियों की है। इसमें से प्राइमरी एजूकेशन निकाल देंगे तो मैं कहता हूं कि कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। अब दुरुपयोग होता है, सदुपयोग होता है, सरपंच गलत तरीका अख्तियार करते हैं यह तो रिप्रेजेन्टेटिव की बात है। यहां भी ऐसे ही होता है। यहां इतने बड़े विधान में वर्त्तमान में कौन से अच्छे फैसले किये जा रहे हैं? कौनसा इसमें पक्षपात नहीं बरता जाता है? जब यहां पक्षपात बरता जाता है तो छोटी ईकाइयों में भी बरता जा सकता है। इसमें यह नहीं है कि सरपंच के भय से इसको आप विथड्रा करलें। मैं कहता हूं कि ज्यादा अधिकार पंचायत समितियों को देने चाहिएं लेकिन यह थ्री टायर सिस्टम नहीं करके अधिकारों का बंटवारा करके जो कुछ किया गया है उससे सारे काम और भी ज्यादा ठप्प हो गये हैं। तो मेरी तो मान्यता है कि हाई पावर कमेटी बनाई है यह खतम करने की बात कहेगी यह तो वह जाने लेकिन जैसे व्यापारी और गरीब के बीच बिचौलिया नाम आता है मैं तो पंचायत समितियों को भी पंचायत और जिला परिषदों में एक बिचौलिये की संज्ञा दे सकता हूं। तो पंचायत समितियों को ज्यादा मजबूत बनाया जा सकता है, पंचायतों को और ज्यादा अधिकार दिये जा सकते हैं। पहले लैण्ड रेवेन्यू की चर्चा उठी थी। मैं अब भी कहता हूं कि लैण्ड रेवेन्यू को इकट्ठा करने के लिए जितना एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा होता है उतना ही लैण्ड रेवेन्यू हमको मिलता है। तो वह सारा बराबर हो जाता है। अगर लैण्ड रेवेन्यू पंचायतों को दे दिये जाये और वह खुद ही उगाई करे और अपने कोष में जमा करके गांव के विकास में खर्च करे तो मैं मानता हूं कि उस रुपये का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो सकता है लेकिन ऐसा यह राज्य सरकार क्यों नहीं कर रही है? क्या राज्य सरकार की मंशा है यह मेरी तो समझ में नहीं आता। लेकिन साफ बात यह है कि जो आदमी जितना ज्यादा इग्नोरेन्ट है उतना ही उसका ज्यादा शोषण कर लिया जाये और गांव के आदमी से ज्यादा इग्नोरेन्ट इस सरकार को और अधिकारियों को नहीं मिलने वाला है। इसलिए उसकी इग्नोरेन्सी का लाभ उठाना चाहते हैं और यही कारण है कि एक्सपेरीमेन्ट के लिए एक नया रूप देने के लिए इस पंचायती राज को चलाने के लिए एक हाई पावर कमेटी बनी है जो कि हास्यास्पद रिपोर्ट देगी। इसका मुझे पहले से ही अन्देशा है। लेकिन इतना बड़ा विशाल

(श्री झावरमल)

बहुमत जो सामने बैठता है उससे हम हतोत्साहित हो जाते हैं। हम जो कुछ करना चाहते हैं थिन प्रजेन्स को देखकर मेरा दिल भी टूट जाता है। मैं तो इतना ही बोल सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चतुर्भुज !

श्री चतुर्भुज चौधरी (टोडा रायसिंह): उपाध्यक्ष महोदय, सामुदायिक विकास परियोजना पर आपके माध्यम से कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। जब पंचायती राज की स्थापना हुई नागौर में सन् 59 में जिसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्वपना स्वराज्य का पूरा किया था। उसके बाद जब तक श्री जवाहर-लाल जी देश में मौजूद रहे तब तक पंचायती राज का लाड़ रहा और भरपूर विकास योजनाओं के लिए धनराशि मिलती रही। जब पंडित जी देश को छोड़ कर स्वर्गवास हुए उनके बाद पंचायती राज के एकदम ताला लगा दिया सरकार ने। यह एक हमारी दुर्भाग्यपूर्ण बात रही। उसके बाद में केवल पंचायती राज को चुनाव प्रणाली में मदद लेना या छोटी परेशानियों में पंचायती राज को आगे रखना और सारी बदनामी का घर इस पंचायती राज को बना दिया। यह भी सरकार का एक कारण था जो अशिक्षित, गरीब वर्ग जो कानून को नहीं समझ पाते वह आज दिन तक इसको भोगते आ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। होना यह चाहिए था कि महात्मा गांधी के वचनों का पालन व पंडित नेहरू की नीतियों का पालन सरकार को करना चाहिए था लेकिन यह सब सरकार ने नहीं किया। महात्मा गांधी का वचन यह भी था कि पंचायती राज सारे देश में लागू हो और ग्राम राज्य की स्थापना हो। उसकी पूर्ति तो हो गयी उसके बाद राज्य सरकार पंचायतों के ऊपर राजस्व की आय किस अधिकार से ले रही है? सारी दुनिया का टैक्स गरीब और किसान दे रहे हैं और जितना भी टैक्स है वह देहात की जनता देती है और इस आय के सारे पैसे को राज्य सरकार अपने काम में लेती है। लेकिन देहात को वापिस कुछ भी नहीं दे रही है, यह भी एक दुखदायी बात है। आज शहरों में कोई भी बिल्डिंग बनाई जाये चाहे छोटी चाहे मोटी उसके लिए सारा पैसा सरकार देती है। कोई भी बिल्डिंग देहात में बनाई जाती है चाहे वह स्कूल हो, चाहे पंचायत भवन हो या कोई भी संस्था की हो तो उसके लिए यह कर रखा है कि दो-तिहाई पैसा तो जनता लगाये और एक-तिहाई सरकार लगाये; जिसके ऊपर भी दुनियां भर की कानून की जाल बिछा दी गयी, जिसको देहात के लोग समझ नहीं पाते और वह कानून की जाल में फंस जाते हैं। इसके साथ ही शिक्षा की बात प्राइमरी की आती है तो शिक्षा से देहात के लोगों और पंचायतों में सहयोग की भावना आई है और स्नेह पैदा हुआ है। देहात में बच्चों के टूर्नामेन्ट होते हैं और 400 बच्चे वहां प्रेम से रहते हैं और खाना खाते हैं। यह सब देहात की जनता करती है। अगर इस बात को सरकार गलत मानती है तो कोई भी मिनिस्टर देहात में आये और देख ले समय पर।

इसके अलावा आज प्राईमरी के अध्यापकों को मेडिकल का खर्चा पंचायत

(श्री चतुर्भुज चोधरी)

की आय में से देने को कहती है यह न्यायसंगत बात नहीं है। वेतन सरकार देती है और मेडिकल पंचायत समिति से दिलाती है इस प्रकार के आदेश दिये हैं तो पंचायत समिति पैसा कहां से लायेगी? उसके पास पैसा नहीं है तो फिर वह पैसा वहां कहां से दे पायेगी?

इसके अलावा एक सुझाव पंचायत समिति की आय के बारे में और है कि जो पंचायत समिति क्षेत्र में लघु सिंचाई के तालाब और काफी छोटे-मोटे बांध बेकार पड़े हुए हैं, उनसे जो भी पिलाई होती है वह बेकार जाती है और चाहे जो इसका इस्तेमाल करता है जिससे कोई आय भी नहीं होती है, और हर समय झगड़ा पैदा होने की सम्भावना रहती है। इस पर किसी भी विभाग का प्रशासन नहीं है। इसलिए मेरा सुझाव है कि ऐसे तालाब पंचायत समितियों को सौंप दिये जायं जाये जिससे पंचायत समितियों को आय भी होगी, पिलाई भी होगी और लोगों में आपस में झगड़े भी नहीं होंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भोपालसिंह।

श्री भोपालसिंह (जैसलमेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पंचायती राज का जन्म इसी सदी के छठे हिस्से में हुआ और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तुरन्त हमारे महान नेताओं और हमारे देश के कर्णधारों के सामने यह सवाल आया कि इस के अन्दर ग्राम जीवन का विकास कैसे हो और उसके साथ ही यह सोचना पड़ा कि हमारे पास जितने साधन हैं उन साधनों और जो हमारा सरकारी तंत्र हैं उनके जरिए क्या ग्राम जीवन का विकास हो सकता है या नहीं तो उत्तर यह मिला कि नहीं हो सकता। पहले पहल यह कोशिश की गई कि सरकारी तंत्र के जरिए कुछ विकास किया जाय लेकिन उपलब्ध साधनों और सरकारी तंत्र की खामियों को देखते हुए यह सम्भव नहीं दिखा। इसके बाद में यह विचार आया कि किसी भी तरह इस देश के अन्दर जो महान जन-शक्ति है उसको यह जतलाया जाय कि अगर वह उठ खड़ी हो और इस बात को समझ ले और वह कार्यरत हो जाय तो इस देश का बहुत अच्छी तरह से विकास हो सकता है और उसी महान शक्ति को काम में लेने के लिए यह पंचायती राज का जन्म हुआ जो आज भी मौजूद है। इसको थ्री टायर सिस्टम बनाया गया। पहले पंचायत, इसके बाद पंचायत समिति और उसके बाद जिला परिषद्। पंचायत इसकी आधार है और इसके ऊपर इमारत खड़ी करने की कोशिश की गई। पंचायतों को एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, इकॉनोमिक यूनिट और ज्युडिशियल यूनिट बना कर उसके बीच में पंचायत समितियों को रखा और सुपरवीजन के लिए जिला परिषदों को रखा लेकिन जितने भी साधन थे वे पंचायत समितियों के अधिकार में कर दिए गए। हुआ क्या कि जो इसकी जड़ थी, जो इसका आधार था वह कमजोर रह गया, और वह पंचायत समितियों की तरफ देखने लगी, और साधनों के साथ साथ इसकी गतिविधि हमेशा पंचायत समितियों की तरफ रही। उसका अपना दृष्टिकोण पंचायत समितियों की गोद में चला गया। उसकी जो रूचि थी गांव के विकास के बारे में वह बिल्कुल इस बात के लिए विरक्त रही की पंचायत समितियों से जो कुछ मिल जाय उसको लेकर वापिस पंचायत समितियों के जरिए जो

(श्री भोपालसिंह)

कुछ काम हो सके, काम करा देना। लेकिन चूंकि पंचायतों को मौका नहीं मिला, उन पर पूरा भरोसा नहीं किया गया, उनको पूरी जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई इसलिए जो पंचायतों का आधार था वह कमजोर रह गया और हुआ यह कि पंचायत बिल्कुल साधनहीन और गतिहीन रह गई। न यह एडमिनिस्ट्रेटिवली काबिल हो सकीं, न यह इकोनॉमिकली अपना साधन जुटा सकीं और न ही जड़ के तौर पर ही अपना स्थान बना सकीं।

आवश्यकता आज इस बात की है कि जो पंचायतें आज पंचायत समिति और जिला परिषद् की गोद में हैं उनको वहां से हटा कर उनको अपने आप अपने पैरों पर खड़ा होने दें। यह इसके अन्दर आधारभूत पहलू है। पंचायतों को अपने साधन जुटाने का, टैक्स वसूल करने का, रेवेन्यू वसूली करने का अधिकार दें ताकि वे अपना साधन जुटा सकें। कई गलतियां होंगी। हर जगह गलती होती है, चाहे लेजिस्लेशन में हो, चाहे पालियामेंट में हो, गलती तो होती रहती है और वह ठीक भी की जाती है। जब तक पंचायतों को आप अधिकार नहीं देंगे उनको अपने पैरों पर खड़ा होने का आधार नहीं देंगे आपका पंचायती राज का आधार मजबूत नहीं होगा और तब तक इमारत खड़ी नहीं हो सकेगी। इसी तरह से पंचायत समितियों को रखना मैं जरूरी नहीं समझता। आप कोई संरक्षण इन पर रखना चाहते हैं तो वे 26 जिला परिषदें हैं और जिला परिषदों के रूप में ही रहना चाहिए। और यह जो थ्री टायर सिस्टम है इसको घटा कर टू टायर सिस्टम कर देना चाहिए।

यह भी कहा गया कि सरकारी तंत्र के कारण ये सफल नहीं हुई। यह मैं मानता हूं कि सरकारी तंत्र ने और सरकार के अधिकारियों ने इसको शंका व सौत की दृष्टि से देखा और जन-प्रतिनिधियों को जितना सहयोग और इनका योगदान मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। हमारा सरकारी तंत्र इस ओर उदासीन था असहयोगी था। परोक्ष नहीं तो अपरोक्ष रूप में असहयोगी जरूर था। यह भी कहा जाता है कि सरकारी तंत्र बिल्कुल भरोसे का नहीं है, इसमें गल्तियां हैं, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकारी तंत्र भी हमारे में से ही है, दूसरा नहीं है। हम एक ही समाज के हैं, एक ही कुटुम्ब से आने वाले हैं। लेकिन सरकारी तंत्र को इतना जरूर समझना पड़ेगा कि अगर वह अफसर हैं तो अपने मातहतों के लिए अफसर हैं लेकिन जनता के वे सेवक हैं। इस तरीके का रुख उन्हें अपनाना होगा। जहां तक उनके जनता का सेवक होने का

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सवाल है वे इस बात को भूल जाते हैं कि उनको जो सुख-सुविधाएं दी गई हैं, जो कुछ उन्हें दिया जा रहा है वह आखिर किस लिए? इसलिए कि वे जन-साधारण के सेवक बन कर काम करें। हम किस लिए उनको इतनी अच्छी-अच्छी तनख्वाहे दें, किस लिए इतनी सुविधाएं दी जा रही है, इसलिए कि उनको पूरा मौका दिया जावे कि वे जनता की सेवा कर सकें। मैं किसी व्यक्ति विशेष पर दोषारोपण नहीं करता, लेकिन उन्हे इस बात को समझना होगा कि यह जो कुछ भी किया जाता है, जन-साधारण के भले के लिए किया जाता है इसलिए उन्हें भी अपनी

(श्री भोपालसिंह)

सुख-सुविधाओं का उपभोग करते हुए ऐसा रुख अपनाना चाहिए कि यह हमारा जो समाज है, यह महान जन-शक्ति है वह अपनी शक्ति को पहचान कर उस शक्ति को काम में लाया जावे और वह विकास की ओर अग्रसर हो सके।

दो शब्द में इसकी चुनाव की प्रणाली के बारे में भी कहना चाहता हूँ। आज जो चुनाव की प्रणाली जैसे भी आपकी है मौजूदा, उसके अन्दर यह होता है कि प्रमुख जो चुना जाता है उसका इलेक्टोरल कालेज जो है उसमें, सरपंच, प्रधान, एम. एल. ए. एम. पी. होते हैं, लेकिन जो जिला परिषद् की बॉडी कांस्टीट्यूट होती है उसके अन्दर प्रधान, एम. पी. एम. एल. ए. होते हैं इससे ऐसा हो जाता है कि प्रधान उसके फेवर के आदमी नहीं रहे तो वह माइनोरिटी में रह जाता है, और उससे वह कोई कार्य कर नहीं पाता। इसी तरह से प्रधान जो चुना जाता है वह पंचों और सरपंचों से और एम. एल. ए., एम. पी. मिल कर चुनते हैं लेकिन बाद में उसकी बॉडी में सरपंच रह जाते हैं। अगर सरपंच उसके फेवर में नहीं रहे और वह मायनोरिटी में आ गया तो वह कोई काम नहीं कर पाता है। यह बड़ी एम्बेरेसिंग पोजीशन है। इसका भी सुधार होना चाहिए। जो बॉडी इसको चुने वही इसको डायरेक्ट कण्ट्रोल करे। जिस प्रकार पंचायत के सरपंचों के चुनाव होते हैं उन्हीं के साथ ही प्रधान और प्रमुख के भी चुनाव हो जाने चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

तो मेरा यही निवेदन है कि पंचायती-राज सिस्टम थ्री टायर के बजाय टू टायर होना चाहिए और प्रधान और प्रमुख का इलेक्शन डायरेक्ट फ्रेंचाईज से होना चाहिए।

श्री ओंकारलाल (सामुदायिक विकास-मंत्री) : माननीय उपाध्यक्षजी, जो सामुदायिक विकास प्रयोजना के सम्बन्ध में पंचायती राज की मांग के सम्बन्ध में चर्चा चल रही है मैं सोचता था कि जितने भी माननीय सदस्यों ने इसमे हिस्सा लिया, भाग लिया एक ऐसी पिक्चर पेश की जिसको मैं कह सकता हूँ कि निराशाजनक प्रकाश है और एक डिसएपाइंटिंग पिक्चर सामने रखी है। मैं समझता हूँ कि पिक्चर इस प्रकार की नहीं है। पंचायती राज जैसा कि माननीय सदस्य मैं समझता हूँ जानते होंगे कि आज का राज नहीं है। पंचायती राज यह सारे भारतवर्ष की एक परम्परा रही है, और भारतवर्ष में हमेशा से पंचायती राज के माध्यम से ही कार्य चलता रहा है यह भी माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि पंचायती राज को लगभग 19-20 वर्ष हो गये, और पंचायती राज जो चला भारतवर्ष के अन्दर उसका राजस्थान में ही श्रीगणेश हुआ। उस समय हममें जोश था, खरोश था और काफी हिम्मत थी जनता में उचित जागरूकता पैदा करने की, जनता के साथ में मिलजुलकर काम करने की, जनता का हौंसला बढ़ाकर ग्रामीण जनता के सम्बन्ध में उनको अधिक से अधिक सुविधाएं दिलाने के सम्बन्ध में यहां पर यह निवेदन करना अपना कर्त्तव्य समझता हूँ कि गत-13 वर्षों के अन्दर इस पंचायती राज के माध्यम से, इन विकास योजनाओं के माध्यम से हमने कृषि के क्षेत्र में प्रगति की है, आज हम कृषि के क्षेत्र में बिल्कुल एक ऐसी

(श्री ओंकारलाल)

स्टेज पर खड़े हुए हैं और हम किसी के मोहताज नहीं हैं, और आज हम आत्म-निर्भर हैं। हिन्दुस्तान में आज अनाज की कमी नहीं है, और ऐसी स्थिति में अपने आप पहुँचे हैं। कभी एक ऐसी स्थिति थी कि जब हमें पी० एल० 480 के मातहत अनाज मंगाना पड़ता था। विकास की योजनाओं के करण हमारे कृषि के क्षेत्र में उन्नति हुई।

मैं दूसरी बात यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इसके साथ-साथ यानी कृषि के साथ-साथ शिक्षा की भी उन्नति हुई। मैं समझता हूँ कि हमारा भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। इसमें कोई दो राय नहीं है, और कृषि-प्रधान देश होने के नाते 80-85 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं, ग्रामीण जनता है। इन 20 सालों के अन्दर विकास हुआ शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा के बढ़ने से लोगों का दृष्टिकोण बदला, लोगों में भावनाएं पैदा हुईं, लोगों मे जागृती पैदा हुई कि इस प्रकार से लोगों का ऐसा मानस बनाया जाय और वह मानस लोकतन्त्र के रास्ते पर, डेमोक्रेसी के रास्ते पर, लोकशाही के रास्ते पर चले। मैं बहस सुन रहा था माननीय सदस्यों की तो मुझे ताज्जुब भी हुआ। काफी आलोचनाएं हुईं, काफी क्रिटिसिज्म हुआ। ठीक है क्रिटिसिज्म होता है। हेल्दी क्रिटिसिज्म हो यह जनतन्त्र की, लोकतन्त्र की एक प्रणाली है। लेकिन मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना अपना कर्त्तव्य समझता हूँ कि हिन्दुस्तान के विकास का कोई और रास्ता नहीं हो सकता है सिवाय पंचायती राज के, क्योंकि, यहां की ग्रामीण जनता पचायत राज के माध्यम से विकास कर सकती है, और उनका आर्थिक ढांचा जो कि आज है पंचायती राज में रह कर ही और उसके बिना सुधर नहीं सकता है। ठीक है, खामियां होती हैं और खामियां हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इसका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए कि 20-21 सालों के अन्दर कोई प्रगति की या नहीं की। दो क्षेत्रों के अन्दर, एक तो कृषि के क्षेत्र में और दूसरे शिक्षा के क्षेत्र में। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ और आकड़ों के आधार पर कह सकता हूँ कि इन दोनों क्षेत्रों के अन्दर प्रगति हुई, आशातीत उन्नति हुई है और ग्रामीण जनता में शिक्षा का प्रसार हुआ है और ग्रामीण जनता का जीवन-स्तर वहां पर ऊंचा उठा है।

श्री विट्ठल भाई : आंकड़े तो आपके झूठे हैं।

श्री ओंकारलाल : आपकी राय में झूठे हो सकते हैं। मुझे जो निवेदन आपके सामने प्रस्तुत करना है आप उससे भिन्न मत रख सकते हैं। मैं निवेदन कर रहा था कि इन दो योजनाओं के अन्तर्गत हमने प्रगति की है

सन् 65 के अन्दर चुनाव हमारे पंचायती राज का हुआ था। मुझे याद है अच्छी तरह कि यह जितनी बातें आज कही जा रही हैं कि शिथिलता आ गई है, गति धीमी हो गई है, और जिस पौधे को हमारे स्वर्गीय जवाहरलालजी नेहरू ने लगाया था या जो दीप जलाया था उसमें रुकावट पैदा हुई और उस दीप की लौ जो आप कहते हैं टिमटिमाती नहीं है, बिल्कुल मृत अवस्था में पड़ी हुई है। उसको आक्सीजन की जरूरत है। मैं नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं माननीय

(श्री ओंकारलाल)

सदस्यों के सामने कि आज हम यहां पर लोकतन्त्र प्रणाली से चुने हुए बैठे हैं। यह भी हमें समझना होगा कि अगर लोकतन्त्र की जड़ मजबूत हो सकती है तो पंचायती राज के माध्यम से ही मजबूत हो सकती है और उसी के द्वारा हम आगे बढ सकते हैं और ग्रामीण जनता का विकास कर सकते हैं।

इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि गति जो धीमी हुई है, कुछ कार्य में शिथिलता आई है तो इसका मुख्य कारण, मूल कारण मैं यह मानकर चलता हूं और स्पष्ट है कि चुनाव नहीं होने से और चुनाव में देरी होने की वजह से इस प्रकार की बात आई है। लेकिन चुनावों को टालने की बात कोई राज्य सरकार की ओर से नहीं हुई या चुनाव नहीं किये जायं ऐसी कोई बात राज्य सरकार ने अपनी ओर से नहीं की। अकाल की स्थिति पैदा हुई, फिर कुछ ऐसा समय आया कि जिस समय मिड-टर्म पोल और मिड-टर्म पोल के बाद आपका इलेक्शन विधान सभाओं का, और इनके माध्यम से कुछ ऐसी बातें पैदा हुई, कुछ ऐसे कारण बने कि जिनके द्वारा चुनाव की तिथियां आगे बढ़ानी पड़ीं। लेकिन इन चुनावों को रोकने के लिए यह आवश्यक समझा गया कि आज माननीय सदस्यों ने विचार प्रकट किये हैं, आलोचना की गई है और बहुत से माननीय सदस्यों के सुझाव थे कि पंचायतों का क्षेत्र बढ़ाया जाना चाहिए, पंचायतो का रूप दूसरी किस्म का होना चाहिये। प्रशासन में सुधार होना चाहिए इनको सशक्त होना चाहिए। इनको अधिक अधिकार दिये जाने चाहिए इस प्रकार के सुझाव मैं समझता हूं बहुत उत्तम हैं, और आज को इन परिस्थितियों के अन्दर जब कि विकास की गति धीमी पड़ी हुई है और पंचायती राज में शिथिलता आई है तो ऐसी परिस्थितियों के अन्दर यह आवश्यकता महसूस की कि एक हाई पॉवर कमेटी, एक उच्चस्तरीय समिति का निर्माण किया जाय। इस हाई पॉवर कमेटी के टर्म्स आफ रेफरेन्स इसी प्रकार के हैं। वे देखेगें कि किस प्रकार से नई पंचायतों को, पंचायत समितियों को, जिला परिषदों को सशक्त बना सकते हैं किस प्रकार से मजबूत बना सकते हैं, किस प्रकार से क्या पॉवर्स और दिये जायं, या इनके ऐसे कौन से जरिए पैदा किये जायं कि जिससे पंचायती राज सशक्त बने, मजबूत हो और इसका सुचारुरूप से काम चल सके। क्या टू टायर सिस्टम रखा जाय या थ्री टायर सिस्टम रखा जाय, और पंचों, सरपंचों के भत्ते की बात है, और दूसरी चीजें हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं, वे सब मसले, सब जो बातें इससे सम्बन्धित हैं जो कि यह कमेटी इन सब मसलों पर गौर करेगी, विचार करेगी।

मुझे एक बात जो कि हवा महल से माननीय सदस्य आते हैं.......

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : माननीय उपाध्यक्ष, जब तक यह मांग पास न हो तब तक के लिए समय बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि यह मांग पारित हो तब तक के लिए समय बड़ा दिया जाय ?

(स्वीकृत)

मांग पारित होने के समय तक के लिए समय बढ़ाया जाता है।

श्री ओंकारलाल : माननीय सदस्य जो हवा महल से आए हैं उन्होंने जो बातें

(श्री ओंकारलाल)

कहीं उनके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। उन्होंने कुछ उच्चस्तरीय समिति के बारे में जिक्र किया तो उन्होंने उनमें रखे गये मेम्बर साहबान के नाम गिनाये। श्री गिरधारीलाल व्यास की अध्यक्षता में यह समिति बनाई गई थी। उसमें प्रोफेसर केदारनाथ, डॉ० इकबाल जैसे अर्थशास्त्री (राजनीति शास्त्री) भी मौजूद हैं। इसमें एम. पी. भी मौजूद हैं। इसकी एक मीटिंग हुई है। इसकी एक मीटिंग 4-12-71 को हुई थी। मैं समझता हूं, माननीय सदस्य को याद होगा, इमरजैन्सी डिक्लेअर होने के बाद मीटिंग नहीं हो पाई। उसको पुनर्गठित किया जाना था जो 6-5-72 को हुआ है। अ समिति इस सम्बन्ध में बैठी है, वह इस बात पर पूरा विचार करेगी। मुझे विश्वास है, इसकी अवधि चार महीने रखी है और इस अवधि के अन्दर एक अन्तरिम रिपोर्ट चार महीने में प्रस्तुत करेगी और उसी के आधार पर, मैं समझता हूं, यह चुनाव कराये जायेंगे। मैं आज इस आगस्ट हाउस के सामने नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं इस सदन के मानीय सदस्यों को

(6.00 म. प.)

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

विश्वास में लेकर कि इस वर्ष के अन्त तक पंचायतों के चुनाव अवश्य हो जायेंगे। पंचायतों के चुनाव होने के बाद, जो इस वर्ष के अन्त तक होंगे, मैं समझता हूं इसकी कार्य-प्रणाली में जो कमियां हैं, खामियां रह गई हैं उन सब पर गौर करके दूर करने का विचार किया जायगा।

मैं निवेदन कर रहा था कि कुछ माननीय सदस्यों ने पंचायतों के अधीन प्राथमिक शाला, प्राइमरी स्कूल्स के सम्बन्ध में जिक्र किया है और कहा है, वह पंचायतों से हटा ली जायं। मैं समझता हूं कि पंचायतों के पास शिक्षा और कृषि दो ही चीजें हैं। स्वायत्त शासन संस्थाओं के पास, लोकतांत्रिक संस्था के पास इस प्रकार की संस्थायें, शिक्षा सम्बन्धी संस्थाएं रहती हैं तो मैं समझता हूं, वह सबल बनेगी और उनको बल मिलेगा लोकतंत्र में विश्वास होने का, पनपने का और आगे बढ़ने का।

मैं यह मानकर चलता हूं, कि शिक्षा जैसी संस्था एक आवश्यक चीज है आज के जमाने में क्योंकि इससे हर एक को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, मध्यम श्रेणी का हो, मजदूर हो, किसान हो–कोई व्यक्ति बिना शिक्षा के, विद्या के आगे जा नहीं सकता यह निश्चित बात है। इसलिए अगर शिक्षा का कार्यक्रम पंचायत के पास रहता है तो मैं समझता हूं उससे ज्यादा शक्ति मिलेगी और वहां पर उसे ज्यादा प्रोटेक्शन और रक्षा मिलेगी। साथ ही, शिक्षा क्यों रहनी चाहिए, मैं उसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं, 75 पर्सेन्ट हमारे अध्यापक बन्धु हैं उनको एजूकेशन में, शिक्षा में जाने का मौका दिया गया है, वह वहां इसमें हिस्सा ले सकते हैं। दूसरे, उनकी सैलेरीज, वेतन हैं उनका भी डिपार्टमेंट के माध्यम से, डिपार्टमेंट के जरिये से भुगतान किया जाता है। इसके साथ लगभग 81 पर्सेन्ट फिक्सेशन के कैसेज को निबटा दिया गया। ऐसी स्थिति में, मैं समझता हूं, बहुत से माननीय सदस्यों का ऐसा सुझाव रहेगा कि शिक्षा का बिन्दु है, शिक्षा का केन्द्र है, शिक्षा का स्रोत है वह पंचायत के पास रहना चाहिए जिससे पंचायत सबल हो सकती हैं।

(श्री ओंकारलाल)

इसी प्रकार हमारे पंचायत राज के माध्यम से सिंचाई, लघु सिंचाई के अन्तर्गत भी काम हुए हैं, इसमें काफी धनराशि अलग-अलग सालों में दी गई है। कुओं के सम्बन्ध में कुछ माननीय सदस्यों ने जिक्र किया है। कुओं के सम्बन्ध में, पेयजल के सम्बन्ध में जो ग्रामीण समस्या है वास्तव में वह चिन्ता का विषय है। ग्रामों में कई जगह कुओं की कमी है लेकिन इस सम्बन्ध में, कुओं के सम्बन्ध में धनराशि बराबर दी जा रही है, 1972-73 में पचास लाख और 1973-74 में 60 लाख का प्रावधान है, जो अधूरे कार्य हैं, मैं यह समझता हूँ, उन्हें इस धनराशि के माध्यम से पूरा किया जा सकेगा जिससे ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की आवश्यकता पर जोर दिया जाकर उनको पूरा किया जा सके।

श्री रघुनाथ विश्नोई : बहुत थोड़ा-थोड़ा बोल रहे हैं।

श्री ओंकारलाल: काफी है थोड़ा-थोड़ा।

इसी प्रकार मेडिकल बिल्स, टी. ए. बिल्स का जिक्र किया गया। मेडिकल बिल्स के बारे में जो पंचायत समितियां सक्षम हैं, जिनके अन्दर निजी आय से देने का प्रावधान है, और यह भी सही बात है, विचारणीय प्रश्न है, जो कर्मचारी मेडिकल बिल बनाते हैं उनका भुगतान होना चाहिये। मैं इस सम्बन्ध में सोच रहा हूं, मैं माननीय शिक्षा मंत्री से परामर्श करना चाहता हूँ, यह पैसा उस मद से आता है, उससे क्या कोई तालमेल बिठाया जा सकता है जिससे इस काम को पूरा कर सकें।

क्रेश प्रोग्राम के अन्दर राजस्थान के अन्दर काफी रुपया दिया गया है और क्रेश प्रोग्राम के अन्दर रोजगार की बात कही गई है, रोजगार दिलाया जाय। रोजगार क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत दिलाने की बात कही है। हवा महल से जो माननीय सदस्य आते हैं, उन्होंने काफी आलोचना की है, कई बातों का जिक्र किया, घोटाला है, लूट बांट खाया, काफी बांटा है वह ओन दी रिकार्ड है। मैं निवेदन करता हूं कि उन्होने भाषण ही भाषण दिये हैं, कोई बात बताई नहीं, कोई दरख्वास्त दी नहीं, कोई कम्पलेन्ट की नहीं, कोई कम्पलेन्ट भेजी नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अगर इस प्रकार के घोटाले की कोई बात आये, शिकायत आये तो कृपया मेरे पास पहुँचायें, मैं उसकी जांच करूं और किसी अधिकारी ने गलती की है तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, निष्पक्षरूप से उसकी जांच की जायगी और जांच करके कार्यवाही की जायगी। यह विश्वास आपको रखना चाहिये।

इस प्रकार कई सुझाव माननीय सदस्यों ने प्रस्तुत किये हैं, मैं उन सब बातों को देख रहा हूं। कोशिश इस बात की है। भ्रष्टाचार की, जीप की बात आई। जीप का वास्तव में अजीब सा मसला है। अव्वल तो जीप बी. डी. ओ. के नियन्त्रण में रहती है। एक यह भी तरीका है कंट्रोल का, दो सौ रुपये पेट्रोल के लिए उसके हाथ में रहते हैं, यदि दो सौ रुपये से अधिक का पेट्रोल खर्च कर सकते हैं तो निजी आय से खर्च कर सकते हैं। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूँ, मैंने अभी कलेक्टर साहबान को लिखा है कि जीप के बारे में

(श्री ओंकारलाल)

वास्तव में चिन्ता का विषय है, जीप का दुरुपयोग होता है, इसलिये इस पर वह नियन्त्रण रखें और नियमों के अन्दर जीप का उपयोग होने दें। नियमों के अन्तर्गत विकास कार्य में जीप का उपयोग होता है तो ठीक माना जाय। विकास कार्य के अलावा निजी कार्य और दूसरे कामों में जीप का उपयोग होता है तो वह नोटिस में लाया जाना चाहिये और सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये और उसकी रोकथाम करनी चाहिये।

इसी प्रकार से भ्रष्टाचार की बात कही गई और काफी बातें इस बारे में सुझाई गई हैं। मैं उन बातों का, भावनाओं का आदर करता हूं और मेरी हार्दिक इच्छा है, पंचायत राज हमारे यहां 1959 में शुरू हुआ, इस आशा से शुरू हुआ, इसमें जान आयेगी; जान आकर ग्रामीण जनता का फायदा होगा, फायदा होगा तो फायदा हुआ है—मैं यह चाहता हूं कि वास्तव में ग्रामीण जनता आज भी कई मायनों में उपेक्षित है, कई मायनों में पीछे रह गई है, कई मायनों में जिसका पूरा विकास नहीं हो पाया है, या हो रहा है, इसका कुछ तरीका निकालना है। इसके लिये एक कमेटी बनी है, उस कमेटी के सुझाव आयेंगे तो उन सुझावों के जरिये इस प्रकार की इसकी प्रणाली निकाली जायगी जिससे इन्हें सबल बनायें, मजबूत बनायें और पंचायत राज में गति लाकर उनको मजबूत बनाया जा सके।

इतना ही निवेदन करते हुए मैं निवेदन करूंगा, इस सम्बन्ध में जो मांग है उसको पारित करके स्वीकार किया जाय।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : एक तो राज्य कर्मचारी इनको मानेंगे या नहीं मानेंगे? एक चीज। दूसरा मेरा निवेदन है, भंडारी समिति की रिपोर्ट अध्यापकों के सम्बन्ध में लागू हुई है, उसके कारण से असंतोष अध्यापकों में है, उस पर आप कुछ प्रकाश डालें। तीसरे, पंचायत के अधिकारों के लिये श्यामलाल, चेयरमैन, भूतपूर्व राजस्व मंडल ने जो सुझाव दिये थे, उनके बारे में क्या सोचा है?

अंतिम यह है, जिन सरपंचों की शिकायत आपके पास आई थी उनको क्या आपको सस्पेन्ड करने का अधिकार है? पिछली बार चैनाराम, सरपंच, डीडवाना के विरुद्ध पचासों आरोप आये, महिलाओं के साथ जबर्दस्ती, कई आगजनी की घटना आदि, उसके बाद उनको सस्पेन्ड किया, फिर कांग्रेस की तरफ से उन्होंने चुनाव लड़ा। तो क्या सस्पेन्ड करने का अधिकार है?

श्री खेतसिंह : चैनाराम की बात अभी नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जो कमेटी बनी है, उसके सुझावों के अनुसार पंचायत एक्ट में संशोधन करके उसके बाद में नये रूप में इलेक्शन करायेंगे या एज इट इज है ढांचा उसके अनुसार करेंगे?

श्री ओंकारलाल : मैंने निवेदन किया, उसकी रिपोर्ट चार महीने में आ जायगी व उसके आधार पर चुनाव हो जायेंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : रिपोर्ट आ जायगी उसके अनुसार कानून में संशोधन करके चुनाव होंगे या मौजूदा कानून में होंगे?

श्री हीरालाल देवपुरा : संशोधन के बाद होंगे।

श्री ओंकारलाल : संशोधन की स्थिति आई तो संशोधन किया जाएगा और पहले रिपोर्ट आ जाती है तो पहले ही चुनाव कराये जायेंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : पंचायत समिति के अध्यापकों के बारे में श्याम-लालजी ने रिपोर्ट दी थी।

श्री ओंकारलाल : पंचायतों के आकार के बारे में निवेदन किया है कि हाई पावर कमेटी विचार कर रही है कि दो हजार पर रखा जाए या दस हजार पर रखा जाए।

दो बातें आपने की हैं कर्मचारियों के बारे में। आपका प्रश्न विचाराधीन है। मैं सोच रहा हूं कि इसमें क्या किया जा सकता है और जिस प्रकार से उचित राहत दिलाई जाए वह अवश्य दिलाए जाने की कोशिश करूंगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : प्राइमरी स्कूल्स के बारे में कलेक्टर्स ने इजाजत नहीं दी है और स्कूलों के लिए सामान वगैरह खरीदने....

श्री ओंकारलाल : शीघ्र ही आपको सामान की स्वीकृति मिल जाएगी सांचोर में।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : मैंने पंचायत कर्मचारियों के बारे में निवेदन किया था, उस बारे में सरकार की ओर से स्पष्ट आश्वासन नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37-सामुदायिक विकास परियोजनायें राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के संबंध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6,67,31,000 रुपए तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

श्री रघुनाथ विश्नोई : दूसरा भी जवाब होना है।

श्री परसराम मदेरणा (भेड़ व ऊन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, भेड़ व ऊन के बारे में 5 माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। जो मुद्दे माननीय सदस्यों ने उठाए हैं, उन पर चर्चा करूंगा। सांचोर से आने वाले माननीय सदस्य ने ऊन और भेड़ के विकास के संबंध में कुछ बातें कही हैं। जैसा कि मैं तीन दिन पहले निवेदन कर चुका था इस विभाग के संबंध में जो चर्चा उठाई है उसका उत्तर आज के दिन देना पसंद करूंगा। भारत-वर्ष में भेड़ की कुल पापूलेशन 4 करोड़, 40 लाख है जिसमें से राजस्थान में 81 लाख भेड़ें हैं, जो पूरे देश भर की 21 प्रति-शत हैं लेकिन जो वूल उत्पादन होता है वह पूरे देश का राजस्थान में 40-50 प्रतिशत के बीच में है। राजस्थान में भेड़ पालन का धंधा गरीब आदमी के लिए है, जो काश्तकार खास तौर से पश्चिमी राजस्थान में रहता है उनका जीवन निर्वाह भेड़ पालन पर है

(श्री परसराम मदेरणा)

इसके लिए राज्य सरकार ने 1964 में इस धंधे को सरकारी तौर पर स्टेट ट्रेडिंग के तौर पर करने का निश्चय लिया था, वूल ग्रेडिंग में ट्रेनिंग के लिए एक्सपर्टस बुलाए जो वूल ग्रेडिंग में ट्रेनिंग देते हैं। तीन वूल ग्रेडिंग सेंटर्स चल रहे हैं जहां अलग-अलग वूल ग्रेड की जाती है। यही नहीं एक्सटेन्शन कम शीयरिंग सेंटर्स भी लगे हैं ताकि मशीन के जरिए कतराई होनी चाहिए। आज कैंची के जरिये सही प्रकार का धागा नहीं रहता है और कम कीमत मिलती है भेड़ पालकों को। इसलिए राजस्थान में 14 वूल शीयरिंग सेंटर्स हैं जिनमें 7 स्टेटिक हैं और 7 मोबाइल हैं। इस वर्ष हमने उदयपुर में 7 स्टेटिक शीयरिंग सेंटर्स खोलने का प्रावधान रखा है जिनको इस साल खोला जाएगा भेड़ नस्ल सुधारने के लिए। उनके साथ-साथ आर्टिफिशियल इन्सेमीनेशन के 8 सेंटर्स कायम किए गए हैं ताकि भेड़ नस्ल सुधारी जा सके। इसी प्रकार सर्विसेज एक्सटेंड करने के लिए 127 एक्सटेंन्शन सर्विस सेंटर्स राजस्थान में इस साल चल रहे हैं।

सांचोर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही कि सांचोर तहसील और जालौर जिले में शीप एण्ड वूल विभाग द्वारा ऊन खरीदी नहीं जा सकी है। जैसी मुझे जानकारी मिली है पिछले तीन वर्षों में 9 लाख किलो ऊन खरीदी गई है। इस वर्ष राजस्थान में 8½ लाख किलो ऊन खरीदी है जो 48 लाख रुपए की कीमत की होती है। हम पूरी ऊन, जो भेड़ पालकों के पास में है, खरीदने की स्थिति में नहीं है। जब सरकार मार्केट में उतरती है तो उचित दाम भेड़ पालक को मिल सके, उसमें सहायता मिलती है। 48 लाख रुपए की ऊन राजस्थान में कोई व्यापारी खरीद नहीं सकता। इसलिए हमने ऊन खरीदने की कोशिश की है। 9 लाख की पिछले तीन साल में खरीदी है लेकिन तो भी कम खरीदी। इसलिए विभाग को मैं आदेश दे रहा हूं कि जालौर जिले में आगे ज्यादा ऊन खरीदी जाए।

सांचोर से आने वाले माननीय सदस्य ने खाद और बीज के संबंध में कहा कि उसका हिसाब ठीक तरह से नहीं रखा जाता। यह सही है। मैं स्वीकार करता हूं पिछले कई वर्षों में जो खाद और बीज वितरित किया गया चाहे वी० एल० डब्ल्यू०, चाहे अधिकारी, चाहे कर्मचारियों के जरिए या पंचायत समितियों के माध्यम से वितरित किया गया, इसका काफी समय तक हिसाब नहीं रखा। अभी जो सूचना मिली है उसके आधार पर 1968 व 1969 जितना खाद व बीज वितरित किया गया इसका हिसाब कम्पाइल किया गया है और ए० जी० को भेज दिया गया है और 5 जिलों को छोड़कर 21 जिलों का हिसाब तैयार किया गया है जो अकाउंट्स ऑफिसर और दूसरे अधिकारियों को लगाकर अकाउंट्स कन्सट्रक्ट कराया गया है। इसमें जरूर देरी हुई है।

यहां पाली से आने वाले, सांचोर से और ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्यों ने एक बात कही कि जो बीज दिया जाए वह शुद्ध होना चाहिए, उसका जर्मीनेशन नहीं हुआ हो। यह सही है। हमको नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन से एक बार जो बीज मिला उसका जर्मीनेशन नहीं हुआ था

(श्री परसराम मदेरणा)

और मैंने उस दिन कहा था कि उस संबंध 211 लाख की राशि हमने निगम की रोक ली है। जो बीज मिलता है खास तौर से बाजरा, पूरे का पूरा बीज चाहे प्राइवेट एजेंसीज के मार्फत लेते हैं या नेशनल सीड कॉर्पोरेशन से लेते हैं, पूरा बीज हाई ग्रेड का राजस्थान में आता है, उसको सर्टीफाई करने के लिए यह कॉर्पोरेशन ही है। इसमें एक्सपर्ट्स हैं और दूसरा कृषि रिसर्च इन्स्टीट्यूट है उसकी मदद से भी और उनके द्वारा बीज के उत्पादन में बढ़ोतरी करने के लिए बराबर प्रयास किए जा रहे हैं। हमने जो कुछ बीज खरीदा जिसमें जर्मीनेशन नहीं हुआ वह नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन का था। इस बात का ध्यान रखा गया है और हमेशा उसके जर्मीनेशन में किसी प्रकार की कमी न हो, उसके प्रमाणित हो जाने के बाद में यह बीज वितरित करते हैं और आगे भी ध्यान रखा जाएगा कि जो बीज काश्तकारों को वितरित किया जाए वह ऐसा हो कि किसी प्रकार की जर्मीनेशन की शिकायत न हो और इसी तरह से हम जो बीज खरीद रहे हैं हाई ब्रीड का वह कॉर्पोरेशन से इस साल खरीद रहे हैं किसी प्राइवेट एजेंसी से नहीं। जैसा मैंने उस दिन कहा और आज रीइट्रेट करता हूं कि हाई ब्रीड बीज बाजरे का पंचायत समितियों को हरेक सेंटर पर जो काश्तकार लेने वाले हैं समय पर पहुंचना चाहिए ताकि समय पर सोइंग व काश्त कर सकें।

हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कृषि की मांग के समय कि बीज जो खरीदा जा रहा है, मंत्रियों से खरीदा गया है। मुझे उस दिन सूचना नहीं थी। उसके बाद में मैंने विभाग से पूछा, विभाग ने बताया, किसी मंत्री या भूतपूर्व मंत्री से कृषि विभाग ने कभी भी बीज नहीं खरीदा है। मेरी समझ में नहीं आता, माननीय सदस्य ने आरोप किस आधार पर लगाए। आरोप लगा सकते हैं लेकिन ऐसा करने से पहले आपको तथ्यों के बारे में........

(श्री परसराम मदेरणा व श्री गिरधारीलाल भार्गव साथ-साथ बोलने लगे)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप चाहें तो मैं नाम भी बताने को तैयार हूं।

श्री परसराम मदेरणा : जनता आपकी होशियारी समझ चुकी है कि इस तरह के आरोपों में कितना तथ्य है। यहां पर जो हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने आज बताया कि कुछ मन्त्रियों के फार्म्स से गेहूं मंहगा खरीदा गया है। यह गलत है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह गलत नहीं है। अभी उदयपुर में राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री के फार्म से 500 बोरी गेहूं 7 रु० किलो के हिसाब से खरीदा गया- यह गेहूं बीज के लिये खरीदा गया है।

श्री परसराम मदेरणा : जैसी कि मुझे जानकारी है वह नहीं खरीदा गया है। अगर हो तो तारीख बतादें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अभी खरीदा गया है।

श्री परसराम मदेरणा : अभी कब खरीदा है ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अभी कुछ दिन पहले।

Page No 142

श्री परसराम मदेरणा : तारीख बताइये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : तारीख तो मुझे अभी याद नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : यह गलत बात है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जब शोभारामजी कृषि मन्त्री थे तो पांच लाख रुपये का अनाज सरकार में बेचा गया।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह गलत बात है। ये रेपुटेड व्यक्ति हैं। यह झूठा आरोप है।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य इस प्रकार के जो आरोप लगाते हैं वे निराधार हैं। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो यह आरोप लगाया है कि राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री मोहनलाल सुखाड़िया के फार्म से गेहूं के बीज के लिये गेहूं खरीदा, गलत है। चूंकि मुझे जो जानकारी मिली है उसमें यह है कि कुछ लोग वहां पर उनके फार्म पर गये थे। भूतपूर्व मुख्य मन्त्री के फार्म पर एक मोती गेहूं की फसल है जो गेहूं के बीज के लिये बहुत ही अच्छा है। वहां तो सिर्फ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जोइन्ट डाइरेक्टर व कुछ लोग गये थे, यह देखने गये थे कि इस मोती गेहूं के बीज से प्रोडक्शन अधिक होता है। इसलिये वो तो देखने गये थे उन्होंने कोई गेहूं नहीं खरीदा है, सिर्फ देखने गये।

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह वहां के समाचार-पत्रों में छपा है कि गेहूं खरीदा है।

श्री परसराम मदेरणा : समाचार पत्रों की बातें कई बार गलत होती है और उससे ज्यादा मुझे जानकारी है क्योंकि डिपार्टमेंट का मैं मन्त्री होता हूं। वहां पर मुझे डिपार्टमेंट वाले ऑफिसर झांसापट्टी नहीं पढ़ा सकते हैं। इसलिए बीज खरीदने की बात गलत है।

श्री शोभाराम : अध्यक्ष महोदय ! मुझे भी कुछ निवेदन करना है। अभी मेरे बारे में कहा गया है कि शोभारामजी जब कृषि मन्त्री थे तब लाखों रुपये का गेहूं बीज खरीदा गया था। मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह कौनसी तारीख को खरीदा गया ?

श्री परसराम मदेरणा : वह गलत बात थी।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री परसराम मदेरणा : दूसरे कोलायत से आने वाली माननीय सदस्या ने बीकानेर में वूलन मिल के बारे में कहा कि मिल में टाट के बदले रबर को रिप्लेस कर दिया है जिससे उत्पादन खर्च बढ़ गया और 2400 रुपये का पहले हर महीने खर्च होता था वह अब 50 हजार रुपया हो गया है। यह बहुत गम्भीर आरोप है। इसके लिये मैं जांच के आदेश दे रहा हूं और दूसरे कि मैनेजमेन्ट द्वारा दो व्यापारियों से ही माल खरीदा गया तो इसके बारे में मैं आपसे निवेदन कर दूं कि 50 प्रतिशत माल तो शीप और वुल डिपार्टमेन्ट से खरीदा जाता है और ग्रेडेशन के आधार पर खरीदा जाता है और बाकी 50 प्रतिशत बाहर से ग्रेडेशन के आधार पर मार्केट से खरीदा जाता है। इसमें अगर कोई गड़बड़ हुई है तो इसकी जांच भी करवाली जायेगी और दूसरे

(श्री परसराम मदेरणा)
भारत कारपेट के बारे में कहा गया कि राज्य के पैसे बाकी है तो उसके लिये पी० डी० आर० के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। दूसरे जयपुर से हवाईमहल से आने वाले माननीय सदस्य ने, हवाईमहल नहीं हवामहल, हां हवामहल, जयपुर मिल्क स्कीम के बारे में कहा है कि दूध में मक्खियां और जानवर वगैराह पड़े हुए होते हैं तो उसके बारे में यह निवेदन करदूं, मैं खुद मानता हूं कि दूध खराब नहीं जाना चाहिये। हमारे यहां दूध गांवों से आता है दूध की कॉलोनी हसनपुरा है और वहां से दूध....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय दूध में जानवर पड़े हुए होते हैं, लोगों में बीमारी फैलने का खतरा है।

श्री परसराम मदेरणा : मैं खुद मानता हूं कि अगर दूध में जानवर पड़े होंगे तो बीमारी फैलने का खतरा है। इस बारे में मेरा निवेदन है कि दूध के जो कैरेट भरे जाते हैं उनका जयपुर मिल्क सप्लाई द्वारा पहले पैकिंग ठीक तरह से नहीं हुआ होगा और हो सकता है किसी कैरेट का ढीला पैकिंग और ढक्कन खुल गया हो तो हो सकता है उसमें मक्खियां वगैरह गिर सकती हैं। इस सम्बन्ध में मेरे पास भी शिकायतें आई, तो बात यह है हम दूध को जो तैयार करते हैं उसमें पहले जो दूध आता है उसमें से फैट निकाली जाती है फिर उसमें पाउडर मिक्शचर करके दूध तैयार करके फिर कैरेट में भरकर भेजते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा पैकिंग में कोई गड़बड़ रह गई होगी तो ऐसा हो सकता है। अब हमने अच्छी तरह से पैकिंग की व्यवस्था करली है जिससे कि ऐसी गड़बड़ नहीं हो। दूसरे यह दूध इसके 64 सेन्टर्स हैं, भेजा जाता है। और यह दूध हरिजनों के बच्चों को मुफ्त बांटा जाता है। हो सकता है गलती रह गई होगी। दूसरे अब जो दूध जाता है उन रिसेप्शन सेन्टर्स में इस बात का पर्टीक्यूलरली ध्यान रखा जायेगा। अब दूध के वितरण की व्यवस्था में काफी स्ट्रीक्टली सुपरवीजन इस बारे में किया जा रहा है। चूंकि दूध रिसेप्शन सेन्टर में पहुँचने के पहले कई स्टेजेज से पार होता है, इसके कई प्रासेसिंग स्टेज हैं. दूध आता है, टैंक, में डाला जाता है, फिर उसे पेश्चुराइज किया जाता है, फिर बाद में पैकिंग होता है। इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि कहीं अडल्ट्रेशन नहीं हो। मैं निवेदन करूंगा कि हमारे जयपुर डेयरी की मिल्क सप्लाई स्कीम के अन्तर्गत जहां पहले रोजमर्रा 5 हजार लिटर दूध पिछले साल बिकता वहां अब इसकी मांग बढ़ जाने से 16 हजार लिटर तक की सप्लाई हो गई है। दूसरे मालपुरा में एक प्लान्ट लगाया है। इसके अलावा राज्य का यह बहुत बड़ा प्लान्ट है। दूसरी बात अब राज्य सरकार ने बाई प्रोडक्ट जो हैं घी, मक्खन वगैरह बहुत ही लिमिटेड क्वान्टटी में बनाया जाता है। उसका कारण है, यहां दूध की मांग ज्यादा है। दूसरे दूध में से फेट निकाने से दूध का महत्व खत्म हो जाता है। अब जयपुर मिल्क सप्लाई स्कीम है उसमें मैंने और जनरल मैनेजर ने दूध की सप्लाई का ही मुख्य काम रक्खा है और मैंने इसके अलावा मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन सेन्टर्स, पैकिंग सिस्टम का इन्ट्रोड्यूज कर दिया है जिससे कोई गड़बड़ नहीं होगी।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जयपुर मिल्क सप्लाई स्कीम से छाछ सप्लाई करने के प्रश्न के बारे में....

श्री परसराम मदेरणा : हवामहल क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्य ने छाछ की सप्लाई के बारे में कहा। उसके बारे में मेरा यह कहना है कि हम छाछ वगैरह की सप्लाई नहीं करेंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : छाछ सस्ती रही है और अच्छी रहती है स्वास्थ्य के लिये ?

श्री परसराम मदेरणा : मैं आपको छाछ नहीं दूध पिलाऊंगा जिससे ताकत रहती है शरीर में। और उससे आपके लिये हाउस में भी बोलने में स्टेमना रहेगा।

श्री अजीतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय से मेरा निवेदन है मालपुरा में जो प्लान्ट रिसर्च इन्स्टीट्यूट है उसके बारे में मन्त्री महोदय ने कुछ नहीं....।

श्री परसराम मदेरणा : मालपुरा में हमने एक रिसर्च इन्स्टीट्यूट भेडों के वूल के लिये खोला। यह, अध्यक्ष महोदय हिन्दुस्तान में अपनी तरह का एक ही होगा और हिन्दुस्तान में सबसे बड़ा रिसर्च इन्स्टीट्यूट होगा। इसी तरह फतहनगर में हमने एक फार्म लगाया है। बढ़िया किस्म की 7 हजार भेड़ें रहेंगी। अगर उसमें कोई बात है और आपको लाभ नहीं मिल रहा है। हमारे उनके बीच में कोओर्डिनेशन है। भेड़ पालक भेड़ों में कोई बीमारी है और उनको लेकर आता है तो अधिकारियों का कर्त्तव्य है कि उनको हर तरह की सुविधा उपलब्ध करें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : नेचरल केलेमिटी की वजह से, बारिश की वजह से भेड़ें खत्म हो जाती हैं तो भेड़ पालकों को कोई सब्सिडी देने की व्यवस्था करें।

श्री परसराम मदेरणा : इसके लिये कोई अनुदान देने का प्रोविजन नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक-124-सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 8,95,68,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखा द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही दिनांक 15-5-72 के म. पू. 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायंकाल 6.32 बजे सोमवार, दि० 15-5-72 के प्रातः 11 तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट–1

(ता. प्र. सं. 471 की सूची)

ऋण की मुख्य-मुख्य शर्तें :

1. प्रतिभूति :	(क) कम्पनी की सभी वर्त्तमान एवं भविष्य की सम्पत्तियों पर निगम का प्रथम अधिकार होगा कम्पनी की संगमरमर की खानें जो बर तथा मारवाड में स्थित है इनमें कच्चा-माल स्टॉक इनट्रेड एवं अर्द्ध निर्मित माल सम्मिलित नहीं है ।
	(ख) कम्पनी सभी माल वाही (संगमरमर लाने ले जाने वाली) गाड़ियों पर निगम का अधिकार होगा ।
2. प्रारंभिक मार्जिन	40%
3. प्रत्याभूति (गारन्टी)	श्रीमती सुशीला जैन जो कम्पनी की चेयरमैन है । श्रीमती जैन ऋण की अदायगी व ब्याज की राशि के भुगतान के लिए व्यक्तिगतरूप से भी उत्तरदायी होंगी ।
4. पुनर्भुगतान की अवधि	किसी भी दशा में दस वर्ष से अधिक नहीं होगी तथा प्रथम मूलराशि की किश्त बन्धक पत्र की क्रियान्वयन की तिथि से ठीक 2 वर्ष बाद देय होगी ।
5. ब्याज दर	समय-समय पर प्रचलित बैंक दर से 4% अधिक होगी तथा सामयिक भुगतानों पर 1/2% की रिबेट होगी । यदि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से 5.1/4% पर पुर्नवित्त की प्राप्ति हो जाती है तो ब्याज दर 8.1/4% प्रति वर्ष देय होगी ।

6. कम्पनी को सेन्धरा से किशनगढ़ के लिए स्थान परिवर्तन की राजकीय अनुमति लेनी होगी ।

———

परिशिष्ट–2

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

अधिकारियों के विरुद्ध जांच के मामले

476. श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विभागीय जांच आयुक्त के कार्यालय में इस समय कितने अधिकारियों के विरुद्ध जांच चल रही है तथा यह जांच इन अधिकारियों के खिलाफ कितने साल पूर्व आरंभ हुई थी ? सूची सदन की मेज पर रखें ?

(2) क्या सरकार यह मानती है कि इन जांचों में बहुत अधिक समय लगता है ? यदि हां, तो इस देरी को दूर करने के लिये सरकार क्या कदम उठाये जाने का इरादा रखती है ?

(3) क्या सरकार विभागीय जांच के कायदे-कानून में कोई संशोधन करने का इरादा भी रखती है ?

उत्तर

(1) विभागीय जांच आयुक्त के कार्यालय में जिन अधिकारियों के विरुद्ध जांच चल रही है उसकी सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) जी हां। इस सम्बन्ध में कार्यवाही सरकार के विचाराधीन है।

(3) जी हां।

विभागीय जांच आयुक्त के कार्यालय में अधिकारियों के विरुद्ध चल रही जांच की सूची

क्रम सं०	नाम मय पद	जांच अधिकारी नियुक्त करने की तिथि
1	2	3
1.	श्री एल. एन. यादव, आर. ए. एस.	30-1-68
2.	,, आर. एस. दाधीच, आर. ए. एस.	21-12-68
3.	,, बी. के. पुरी, आर. एफ. एस.	17-10-68
4.	,, रामबक्श राम ए. सी. टी. ओ.	4-12-68
5.	,, सुन्दरलाल भट्ट, आर. ए. एस.	9-7-69

1	2	3
6.	श्री जमीलअहमद काजी, आर. पी. एस.	24-9-69
7.	,, जमील अहमद काजी, आर. पी. एस.	16-12-69
8.	,, बी. डी. शर्मा, लेखाधिकारी	13-6-69
9.	,, जे. एल. लड्ढा, आर ए. एस.	4-6-69
10.	,, आशकरण अग्रवाल, आर. ए. एस.	11-7-69
11.	,, बृजमोहन त्रिवेदी, तहसीलदार	
12.	,, डा० दर्शनसिंह, सी. ए. एस.	13-11-69
13.	,, एस. सी. शर्मा, अधिशाषी अभियन्ता, सा० ज० नि० विभाग	25-11-69
14.	,, ओंकारलाल शर्मा, सहायक अभियन्ता	
15.	डॉ० श्यामस्वरूप शर्मा, सी. ए. एस.	19-11-69
16.	डॉ० टी० पी० भारद्वाज	22-9-69
17.	श्री बी. एल. एच. जैन, सहायक अभियन्ता सिंचाई	12-11-69
18.	,, जी. एल. जैन, सहायक अभियन्ता, सिंचाई	
19.	,, बी. डी. भार्गव, प्रिंसिपल	20-5-69
20.	,, आर. एस. भट्ट, निदेशक, जन सम्पर्क विभाग	6-11-69
21.	,, अमरचन्द सेठी, आर. ए. एस.	12-5-70
22.	,, ओ. पी. मल्होत्रा, विकास अधिकारी	15-1-70
23.	,, डी. डी. विसारिया, आर. ए. एस.	13-8-70
24.	,, सर्वदानन्द, विकास अधिकारी	6-5-70
25.	,, एम. एल. घावेजा, आर. ए. एस.	12-10-70
26.	,, उमादत्त शर्मा, विकास अधिकारी	8-7-70
27.	,, वीरेन्द्रसिंह, विकास अधिकारी	29-6-70
28.	,, आर. के. सुरोलिया, आर. पी. एस.	23-6-70
29.	,, कंवरसेन, आर. पी. एस.	20-10-70
30.	,, जी. एल. खण्डेलवाल, आर. ए. एस.	4-11-70
31.	,, अवधेशचन्द्र दुबे, ऊन प्रसार अधिकारी	21-3-70
32.	,, उदयकिशन बोहरा, ए. सी. टी. ओ.	4-5-70
33.	डॉ० प्राणशंकर द्विवेदी, सी. ए. एस.	1-9-70
34.	श्री रामबक्ष, ए. सी. टी. ओ.	1-9-70

1	2	3
35.	श्री एम. एम. सिंघल, अधिशाषी अभियन्ता	22-10-70
36.	,, भगवतराम, जिला उद्योग अधिकारी	7-11-70
37.	डॉ० आर. सी. तोतूका, सी. ए. एस.	2-5-70
38.	डॉ० डी. आर. मेहता, सी. ए. एस.	
39.	श्री जी. के. भट्ट, फिजिशियन, आयुर्वेद	2-5-70
40.	,, एल. एस. पंडित, अधिशाषी अभियन्ता विद्युत् मण्डल	3-6-70
41.	,, वीरेन्द्रसिंह विकास अधिकारी	22-7-70
42.	डॉ० मदनलाल डांगी	
43.	श्री जी. के. टण्डन, सहायक अभियन्ता, जलदाय	22-7-70
44.	,, जगदीशलाल माथुर, ए. सी. टी. ओ.	23-11-70
45.	डॉ० एम. एल. डांगी, सी. ए. एस.	8-12-70
46.	श्री एस. पी. कुन्चल, सहायक अभियन्ता	28-9-70
47.	,, एस. एम. अग्रवाल, सहायक अभियन्ता, सिंचाई	29-4-70
48.	,, डॉ० एस. सी. जैन	3-7-70
49.	,, रोशनलाल, विकास अधिकारी	27-11-71
50.	,, वीरेन्द्रसिंह यादव, विकास अधिकारी	19-2-71
51.	पी. एल. जोशी, विकास अधिकारी	15-9-71
52.	,, धर्मेन्द्रसिंह, विकास अधिकारी	27-8-71
53.	,, पी. के. शर्मा, आर. ए. एस.	30-8-71
54.	,, रूपराम व्यास, आर. ए. एस.	22-12-71
55.	,, रूपराम व्यास, आर. ए. एस.	11-10-71
56.	,, जे. के. शर्मा, आर. ए. एस.	8-1-71
57.	,, दलीपसिंह यादव, ए. सी. टी. ओ.	5-4-71
58.	श्री नन्दकिशोर शाह, ए. सी. टी. ओ.	30-4-71
59.	,, आर. एम. सेठी, भेड़ ऊन प्रसार अधिकारी	30-4-71
60.	डॉ० शिवकुमार शर्मा, जूरिस्ट	14-5-71
61.	डॉ० डी. सी. बापना, सी. ए. एस.	28-8-71
62.	श्री जे सी गांधी, भेड़ ऊन प्रसार अधिकारी	12-1-71
63.	डॉ० आर. सी. तोतूका, सी. ए. एस.	19-2-71
64.	श्री रोशनलाल वर्मा, सहायक अभियन्ता	12-7-71

1	2	3
65.	श्री श्यामलाल वर्मा, सहायक अभियन्ता	12-7-71
66.	,, लालचन्द जैन, सहायक अधीक्षक, मुद्रणालय	23-8-71
67.	,, सुरेशचन्द्र गुप्ता, भेड़ व ऊन प्रसार अधिकारी	8-9-71
68.	,, ओंकारसिंह, सचिव, जिला सैनिक व वैमानिक मण्डल	17-12-71
69.	,, आर. एल. डाबी, आर. ए. एस.	8-2-72
70.	,, बी. के. शर्मा, आर. ए. एस.	14-4-72
71.	,, बी. वी. ठाकुर, आर. ए. एस.	7-1-72
72.	,, जे. एन. मिश्रा, आर. ए. एस.	6-4-72
73.	,, महेशरूपराय, विकास अधिकारी	4-1-72
74.	डॉ० हरगोविन्द पुरोहित, सी. ए. एस.	22-1-72
75.	श्री धर्मपालसिंह, जिला ऊन अधिकारी	3-3-72
76.	,, पी. सी. बिजलानी	4-3-72
77.	,, डी. आर. सिंघवी, लेक्चरार, बायोकेमिस्ट्री	17-4-72
78.	डॉ० अखिलेश विष्णु, गुप्ता	20-4-72
79.	श्री नन्दलाल माथुर, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग	26-4-72
80.	,, इन्द्रजीतसिंह, ए. सी. टी. ओ.	17-[illegible]-72
81.	,, रामेश्वरलाल सी. माथुर, भेड़ व ऊन प्रसार अधिकारी	10-5-72
82.	,, एम. एल. सेठी, निदेशक, खनिज विभाग	28-4-72
83.	डॉ० देशबन्धु गुप्ता	1-2-72
84.	श्री के. एस. बालिया	28-1-72

भू-संरक्षण कार्य

477. **श्री मोहरसिंह** (चुरू) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या रेगिस्तानी क्षेत्रों में सोइल कन्जरवेटर का कार्यालय स्थापित करना भू-संरक्षण की योजना बनाने व कार्यान्विति के लिये आवश्यक है ?

(2) चूरू जिले में अब तक सोइल कन्जरवेटर का कार्यालय स्थापित न करने का क्या कारण है ? क्या यह सही है कि सोइल कन्जरवेटर न होने के कारण भू-संरक्षण का कोई कार्य चूरू जिले में नहीं हो सका ?

(श्री मोहरसिंह)

(3) क्या अब सरकार जनता की मांग व आवश्यकता को देखते हुई शीघ्राति-शीघ्र सोइल कन्जरवेटर का कार्यालय चूरू में खोलेगी ?

उत्तर

(1) रेगिस्तानी क्षेत्रों में भू-संरक्षण योजना बनाने व कार्यान्वित करने के लिए भू-संरक्षण कार्यालय स्थापित है।

(2) चूरू जिले में भू-संरक्षण का कार्य जिला भू-संरक्षण अधिकारी, नागौर द्वारा देखा जाता है। यह सही नहीं है कि चूरू जिले में सोइल-कन्जरवेटर का कार्यालय न होने के कारण कोई कार्य नहीं हो सका है।

(3) चूरू जिले में अलग से भू-संरक्षण कार्यालय वहां वर्क-लोड का स्तर (नार्म) पूरा होने पर स्थापित किया जावेगा।

कोलायत तहसील के खान श्रमिकों को पीने का पानी

478. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले की कोलायत तहसील के खान श्रमिकों को पीने के लिये खान मालिकों द्वारा गंदा पानी दिया जाता है जिसमें असंख्य कीटाणु व कीड़े होते हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि वर्षों से ऐसा पानी मिलने के कारण खान श्रमिकों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है और रोगी भी अधिक होते जा रहे हैं ? यदि हां, तो श्रमिकों के स्वास्थ्य को खराब करने वाले खान व्यवस्थापकों के खिलाफ अब तक सरकार ने कोई कार्यवाही क्यों नहीं की ? अगर कोई कार्यवाही की तो क्या ?

उत्तर

(1) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(2) जी नहीं। शेष प्रश्न ही नहीं उठता।

बैलेंसिंग स्टेशन एवं मिल्क चिलिंग प्लान्ट

479. श्री भीमसेन (लूनकरणसर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि देहली मिल्क सप्लाई स्कीम की ओर से बीकानेर शहर में एक बैलेंसिंग स्टेशन कायम करने हेतु कुछ वर्षों पहले राज्य सरकार से जमीन लेकर चार दीवारी एवं ट्यूबवेल्स खुदवा लिये ?

Page No 151

(श्री भीमसेन)

(2) क्या यह भी सही है कि जिले के लूणकरणसर एवं पूगल क्षेत्र में लाखों लीटर दूध प्रतिदिन उपलब्ध हो सकता है ? अगर हां, तो इस दूध के उपयोग हेतु महाजन, लूणकरणसर, कानोलाई एवं छत्तरगढ़ में मिल्क चिलिंग प्लान्ट लगाने की भी योजना थी ? अगर हां, तो इस संबंध में अब तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

(3) क्या यह सही है कि बीकानेर शहर में गांवों से दूध को खरीदने के उद्देश्य से एक बैलेसिंग स्टेशन कायम करना था ? अगर हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(4) क्या यह भी सही है कि इंडियन डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष भी इसी राय के हैं कि उक्त दूध पर आधारित फैक्ट्री बीकानेर में लगाई जावे ?

(5) क्या यह भी सही है कि इस जिले के अभावग्रस्त लोगों के लिये उनकी गायों के दूध की बिक्री का उचित प्रबन्ध करने से ही उनकी आर्थिक हालत में सुधार लाया जा सकता है ?

उत्तर

(1) जी हां।

1962 में केवल 22 हजार लीटर दूध की क्षमता के प्लान्ट के लिये 5 एकड़, फिर 1967 में 50000 लीटर की क्षमता के प्लान्ट के लिये 30 एकड़ भूमि लेकर चहार दीवारी एवं ट्यूब वेल्स बनाये गये।

(2) जी नहीं।

दिल्ली मिल्क स्कीम की इन समस्त स्थानों पर चिलिंग प्लान्ट लगाने की योजना राज्य सरकार को प्रस्तुत नहीं की गई। राज्य सरकार दुग्ध उत्पादकों को उचित मूल्य देने, बीकानेर शहर में आवश्यकतानुसार दूध वितरण करने, बड़ी मात्रा (एक लाख लीटर) का बेलेंसिंग प्लान्ट लगाने तथा इन्डियन डेरी कार्पो० द्वारा सरकार को उपलब्ध राशि का उचित उपभोग करने आदि कारणों से स्वयं बेलेंसिंग प्लान्ट लगा रही है।

(3) जी हां।

इसके लिये राज्य सरकार द्वारा "ऑपरेशन फ्लड" कार्यक्रम के अन्तर्गत योजना तैयार की जा रही है, जिसकी स्वीकृति होने पर शीघ्र उचित व्यवस्था की जायेगी।

(4) जी हां।

(5) जी हां।

सर्वोच्च न्यायालय का फैसला और सीनियोरिटी-कम-मेरिट से प्रमोशन

480. श्री राजेन्द्रसिंह (उनियारा) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे;—

(1) क्या यह सत्य है कि 1971 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राजस्थान सेवा नियमों के संबंध में निर्णय दिया गया था ? यदि हां, तो निर्णय क्या था ?

(2) क्या यह सही है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह उल्लेख किया है कि मेरिट-कम-सीनियोरिटी की प्रक्रिया जो राज्य सरकार ने अपना रखी है वह गलत है और उसके अन्तर्गत जो निर्णय लिये गये हैं. उन पर राज्य सरकार पुनः विचार करे ? यदि हां, तो ऐसे कुल कितने मामले हैं ?

(3) क्या यह सही है कि सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के बाद भी कई व्यक्तियों को अनड्यू प्रमोशन दिये गये हैं ? यदि हां, तो यह कहां तक उचित है ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त निर्णय के बाद भी राज्य सरकार ने वही प्रक्रिया अपना रखी है जो पूर्व में थी ? यदि नहीं, तो अब क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है ?

उत्तर

(1) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील नं० 1815/1970, रिट याचिका नं० 7676/1970 तथा रिट याचिका नं० 159/1970 में दिये गये निर्णय के ओपरेटिव भाग की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई।

(2) सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा नियम, 1954 के नियम 28 (बी) तथा 32 को वैध करार दिया है। केवल राज्य सरकार के परिपत्र दि० 27-8-66 को अवैध घोषित कर उसे निरस्त कर दिया गया है। इस निर्णय के फलस्वरूप परिपत्र दिनांक 27-8-66 को वापस ले लिया गया है। निर्णय में यह भी कहा है, सिविल अपील में असेल किये गये आदेश दिनांक 4-2-67 में उल्लिखित प्रतिवादी संख्या 2 से 4 (सर्वश्री पागोरिया, एम० एल० गोयल तथा आर० डी० माथुर) के पदोन्नति के मामलों को वादी श्री गुमानसिंह के साथ केवल नियमों के अनुसार (रिव्यू) पुनः निरीक्षण किया जाय। इस निर्णय के अन्तर्गत पुनः विचार की कार्यवाही की जाकर आदेश जारी भी कर दिये गये। रिट याचिकाओं में केवल राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 27-8-66 को ही अवैध घोषित कर रद्द किया गया और कोई रिलीफ नहीं दिया गया है। इस निर्णय में सब मामलों का जनरल रिव्यू करने का कोई आदेश नहीं है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। पदोन्नति समितियां अब नियमों के अनुसार किसी भी उचित प्रक्रिया को अपना सकती हैं। राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई आदेश जारी नहीं किए गए हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

हाडेचा क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना

481. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि सांचोर एवं हाडेचा क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना के कार्य अब तक अधूरे हैं एवं काफी स्थानों पर पेय जल की व्यवस्था करनी शेष है ? अगर हां, तो कहां कहां पर ? इन स्थानों रप पीने के पानी की व्यवस्था कब तक कर दी जावेगी ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि सांचोर ग्राम पंचायत क्षेत्र में सांचोर ढाणी विश्नोईयान एवं रेवारियों का गोलिया एवं अनुसूचित जाति एवं जन-जाति मोहल्लों में अभी तक जल प्रदाय योजना द्वारा पीने का पानी सप्लाई नहीं किया जा रहा है ? अगर हां, तो क्यों ? अब उन जगहों पर पीने का पानी कब तक सप्लाई करा दिया जावेगा ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि हाडेचा क्षेत्रीय जल योजना के तहत बाकी स्थानों पर हौजों का निर्माण कर दिया गया है एवं काफी स्थानों पर हौज निर्माण कार्य शेष है ? अगर हां, तो कहां कहां ? सारा कार्य पूरा किया जाकर स्वच्छ पेय जल की व्यवस्था कब तक करदी जावेगी ?

(4) क्या यह भी सत्य है कि सांचोर या सील ग्राम में एक नया नल कूप का निर्माण भी इस योजना के तहत किया जावेगा ? अगर हां, तो कब तक ? उपरोक्त योजना को पूर्ण कब तक करा दिया जावेगा ?

(5) क्या यह भी सत्य है कि सांचोर जल प्रदाय योजना के लिये मौजूद नल-कूप माकुपुरा-गोलिया में बनाया गया है ? अगर हां, तो क्या यह भी सत्य है कि इस नल-कूप से माकुपुरा-गोलिया के लोगों एवं मवेशियों को पानी पीने से मना कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? माकुपुरा के लोगों को इस नल कूप से पीने के पानी की व्यवस्था कब तक करादी जावेगी ? निश्चित अवधि बताने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी हां, योजना निर्माणाधीन है। निम्न ग्रामों में पानी की व्यवस्था की जानी है। ग्राम बावरला की ढाणी, बावरला कलबियों की, गोलिया, हिडेबारा की मिश्रित देवल व आमली की ढाणी, दवाकलबीयों गोलिया, डबाल गोलिया कांकरिया, तालबी बगयरी गलिफ गोलियां, वेनो की ढाणी, बिछवाड़ी, कलबियों का गोलिया, ग्राम बिछवाडी तथा सरवाना इनको इसी वित्तीय वर्ष में पानी की व्यवस्था कर दिये जाने की सम्भावना है।

(जन स्वास्थ्य मंत्री)

(2) ग्राम पंचायत सांचोर स्थित क्षेत्र में ढाणी विश्नोईयान एवं कलबियों का गोलिया में पीने के पानी की सप्लाई का प्रबन्ध किये जाने के लिये कार्यवाही की जा रही है और शीघ्र ही पानी वितरण का प्रबन्ध कर दिया जावेगा तथा ग्राम सांचोर के जन-जाति एवं अनुसूचित जातियों के मोहल्लों में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था पहले ही हो चुकी है।

(3) हाडेचा क्षेत्रीय जल योजना के अन्तर्गत सभी ग्रामों में हौजों के निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं। इन सभी ग्रामों में पानी की समुचित व्यवस्था इसी वित्तीय वर्ष में होने की आशा है।

(4) इसी योजना के अन्तर्गत एक नये नल-कूप का निर्माण सांचोर ग्राम में किया गया है। यह इस वृहत योजना के लिये पानी एक मुख्य स्रोत होगा।

(5) जी हां, मौजूदा नल-कूप मोखापुरा में स्थित है जो कि गांव से थोड़ी दूरी पर है, जिससे पानी की सप्लाई होती है मोखापुरा-गोलिया के लोगों एवं मवेशियों को पीने के पानी के होज का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिससे पीने का पानी वहां के प्राणियों को उपलब्ध हो सकेगा। वैसे वहां के लोगों ने इस विभाग को कोई ऐसी शिकायत नहीं की है।

राज्य सरकार द्वारा अनुदानित पब्लिक स्कूल

482. **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में सरकार द्वारा कितने अनुदानित पब्लिक स्कूल्स हैं? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन स्कूलों को राज्य सरकार प्रति वर्ष कितनी राशि अनुदान के रूप में देती है?

(3) इन स्कूलों में श्रमिक व किसानों के कितने प्रतिशत बच्चे शिक्षा प्राप्तकर रहे हैं?

उत्तर

(1) वर्तमान में राज्य में एक भी सरकार द्वारा अनुदानित पब्लिक स्कूल नहीं हैं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

बल्लियां काटने का ठेका

483. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि वन खंड राता देवी, रेंज असनावर, जिला झालावाड के कूप से सन् 1970-71 में सागवान की बल्लियों को काटने का ठेका दिया था ? यदि हां, तो यह ठेका किनको कब और कितनी रकम में दिया गया तथा कितनी-कितनी बल्लियां काट कर जंगल से किस नाके से निकाली गई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि यह ठेका बिना नोटिस जारी किये रेंज ऑफिसर, असनावर के किसी रिश्तेदार को बहुत कम रुपये पर दिया गया था ?

उत्तर

(1) सागवान की बल्लियों को काटने का ठेका नहीं दिया गया। डांडों का ठेका दिया गया था। ठेका दिनांक 26-3-71 को श्री रामप्रसाद पुत्र किशनलाल पारीक, बिलासरा निवासी के नाम 3300 रु० में हुआ था। असनावर नाके से ट्रांजिट पास द्वारा 8365 डांडे व छांगन कामडी निकास की गई।

(2) जी नहीं।

चूरू जिले में कुओं को गहरा करने के लिये बोरिंग यूनिट

484. **श्री रावतराम** (छापर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चूरू जिले में सिचाई के कुओं तथा पीने के पानी के कुओं को गहरा करने के लिए स्थाई तौर पर एक बोरिंग यूनिट स्थापित करने हेतु सरकार ने कई बार आश्वासन दिये हैं ? यदि हाँ, तो अब तक बोरिंग यूनिट स्थापित क्यों नहीं की गई ?

(2) आवश्यकताएं व उपयोगिता को देखते हुये इस जिले में बोरिंग यूनिट कब तक स्थापित कर दी जायेंगी ? निश्चित तिथि बतायें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार ने किसान संघर्ष समिति, चुरू को इस सम्बन्ध में आश्वासन दिया था। इस आश्वासन का कार्यान्वित करने हेतु भू-जल सर्वेक्षण और ड्रिलिंग की एक योजना स्वीकृत की जा चुकी है। राजस्थान भू-जल मण्डल उस योजना को पूरा करने हेतु चुरू जिले में नलकुप बनाने हेतु सर्वेक्षण का कार्य हाथ में ले चुका है।

(2) दो रोटेरी ड्रिलिंग मशीनें एवं एक परक्युशन मशीन चुरू में काम कर रही है एवं 1 परक्युशन ड्रिलिंग मशीन और भिजवाई जा रही है।

राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय, नाथद्वारा

485. **श्री मनोहर कोठारी** (नाथद्वारा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय, नाथद्वारा में विज्ञान विषय भी है जबकि बोर्ड के नियमानुसार वांछित प्रयोगशालायें वहां नहीं है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इसके लिये क्या प्रबन्ध करने जा रही है ?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मंत्री के आग्रह पर राज्य सरकार ने प्रयोगशालाओं के निमित्त पच्चीस हजार रुपये की राशि अनुदान के रूप में देना स्वीकार किया था ? यदि हां, तो उस राशि का क्या हुआ ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त राशि जो प्रयोगशालाओं के निमित्त स्वीकृत हुई थी, शिक्षा निदेशालय की गलती से कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय, नाथद्वारा के भवन निर्माण पर खर्च कर दी गई ? यदि हां तो प्रयोगशालाओं के निर्माण के लिये अब राज्य सरकार क्या विचार रखती है ?

(4) क्या राज्य सरकार राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय, नाथद्वारा का वर्त्तमान भवन स्कूल के लिये पर्याप्त समझती है ? यदि नहीं तो उसके विकास के लिये क्या योजना हैं ?

उतर

(1) जी हां । वर्त्तमान में केवल एक प्रयोगशाला कक्ष जनता एवं राज्य सरकार के 5000 (पांच हजार) के अनुदान (कमोडिटीज चैरिटी फण्ड) के द्वारा निर्मित हुई हैं ।

(2) भूतपूर्व मुख्य मंत्रीजी से ऐसा कोई आश्वासन नहीं मिला था । विद्यालय की प्रधानाध्यापिका द्वारा उनको अवश्य लिखा गया । प्रयोगशालाओं के निमित्त 25000 की राशि स्वीकृत नहीं हुई वरन् उक्त राशि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा राजकीय कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय, नाथद्वारा में कमरों के निर्माण कार्य के उपयोग में ली गई ।

(3) यह सही नहीं हैं । रु० 25000 प्रयोगशाला के लिये निमित्त स्वीकार नहीं हुए थे बल्कि कन्या उच्च प्राथमिक शाला के भवन के लिए स्वीकार किये गये थे।

(4) राज्य की अन्य शालाओं के भवनों की तरह इस शाला में भी कुछ कमियां हैं। विभाग सुविधानुसार एवं वित्तीय साधनों की उपलब्धि पर इन्हें पूरा करेगा ।

राज्य की नगरपालिकाओं के चुनाव और प्रशासकों की नियुक्ति

486. **श्री नन्दलाल बैरवा** (पाटन) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में कितनी नगरपालिकाएं इस समय कार्य कर रही हैं और इनका निर्वाचन कब हुआ ? कितनी नगरपालिकायें ऐसी हैं जिनका निर्वाचन हुये कई वर्ष हो गये ? यदि हां, तो इनका चुनाव राज्य सरकार अब कब करवा रही है ?

(2) राज्य की कौन कौनसी नगरपालिकाओं में प्रशासक नियुक्त हैं ?

उत्तर

(1) राज्य में इस समय 146 नगरपालिकाएं हैं व कार्य कर रही हैं।

25-10-70 को 114 नगरपालिकाओं के चुनाव हुए।

6-6-71 को 6 नगरपालिकाओं के चुनाव हुए।

20-6-71 को 12 नगरपालिकाओं के चुनाव हुए हैं।

27-6-71 को 3 नगरपालिकाओं के चुनाव हुए।

इस तरह 135 नगरपालिकाओं के चुनाव हो चुके हैं।

नगरपालिका विद्याविहार व जहाजपुर क्रमशः मनोनीत बोर्ड व समिति है।

9 नगरपालिकायें ऐसी हैं जिनके चुनाव नहीं हुए हैं।

नगरपालिकाओं की सीमा वृद्धि का कार्य एवं बोर्डों के विभाजन के कार्य के पूर्ण हो जाने के बाद चुनाव करवाये जावेंगे।

(2) निम्न नगरपालिकाओं में प्रशासक हैं:—

1. हनुमानगढ़ 2. सांभर 3. बांदीकुई 4. सूरतगढ़
5. नावां 6. बाड़मेर 7. भीलवाड़ा 8. सादुलशहर
9. फतहनगर।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 5-5-72)

राज्य में शीत लहर से क्षति

327. **श्री राजेन्द्रसिंह** (उनियारा) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में शीत लहर से 1972 में किस-किस जिले में काश्त को कितनी-कितनी क्षति पहुँची है ?

(श्रीराजेन्द्रसिंह)

(2) सरकार ने क्षतिग्रस्त क्षेत्र में राहत के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

उत्तर

(1) राज्य में शीत लहर से 1972 में काश्त को होने वाली क्षति का विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(2) अभी तक क्षतिग्रस्त क्षेत्र में राहत के लिये कोई कदम नहीं उठाये गये हैं, क्योंकि केवल अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा जिलों से अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं जो अधूरे हैं और जिनमें कुछ सूचनायें मांगी गई हैं। अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त होने पर जैसी स्थिति प्रकट होगी वैसी कार्यवाही की जायगी ।

शीत लहर फरवरी, 1972 से हुई क्षति का जिलेवार विवरण:

1. बांसवाड़ा	काश्त में कोई क्षति नहीं हुई ।
2. बाड़मेर	,,
3. बीकानेर	,,
4. बून्दी	,,
5. चूरू	,,
6. डूंगरपुर	,,
7. गंगानगर	,,
8. जैसलमेर	,,
9. जालौर	,,
10. झुन्झुनू	,,
11. जोधपुर	,,
12. सवाई माधोपुर	,,
13 सिरोही	,,
1. चित्तौड़गढ़ 2. जयपुर 3. कोटा 4. टौंक	काश्त में 25 प्रतिशत से कम खराबी है ।

झालावाड़ काश्त में 37 प्रतिशत से कम खराबी है । पाली, देसूरी, खारची, सोजत, जैतारण तहसीलों में कोई खराबी नहीं है । बाली, तहसील के 11 गांवों में चने की फसल में व एक गांव में जीरे की फसल में चार आने तक, नुकसान हुआ है, तहसील रायपुर के खराबी के सम्बन्ध में जांच की जारही है ।

नागौर जिले की डीडवाना तहसील के अतिरिक्त अन्य किसी तहसील में कोई क्षति नहीं है। डीडवाना तहसील के 7 गांवों में 50 से 75 प्रतिशत व 7 गांवों में 25 से 50 प्रतिशत तक क्षति हुई है।

सीकर जिले की नीमका थाना तहसील के 121 गावों में से 61 गावों में चार आने तक, 24 गावों में चार आने से छः आने तक, 25 गावों में छः आने से आठ आने तक और 11 गावों में आठ आने से अधिक खराबी है। सीकर तहसील के एक गांव में चार आने तक, 3 गावों में चार आने से छः आने तक, 6 गावों में छः आने से आठ आने तक व 29 गांवों में आठ आने से दस आने तक व एक गांव में दस आने से बारह आने तक का खराबी है।

तहसील दांतारामगढ़ के 49 गांवों में चार आने से आठ आने तक, 20 गावों में चार आने से छः आने तक 16 गावों में छः आने से आठ आने व 39 गावों में आठ आने से अधिक खराबी है।

इन सभी गावों में खरीफ प्रमुख फसल है। अतः रबी में हुए नुकसान महत्वपूर्ण नहीं हैं।

भरतपुर जिले की धौलपुर, वाड़ी, बसेड़ी, राजाखेड़ा में कोई नुकसान नहीं। तहसील भरतपुर व नगर में तीन आने तक व तहसील बयाना सब डिविजन में 20 प्रतिशत तक खराबी है। तहसील डीग में साढ़े छः आने तक तहसील नदबई व कामा में नौ आने प्रति रुपया तक नुकसान है।

अजमेर तहसील के 116 गांव तथा तहसील ब्यावर के 169 गांव शीत लहर से प्रभावित हैं जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक फसल में नुकसान हुआ है।

जिला अलवर में कुल गांव 1895, छः आने से आठ आने तक, 72 गांव, आठ आने से दस आने तक, 275 गांव दस आने से बारह आने तक, 767 गांव बारह आने तक, 51 गांव बारह आने से अधिक तक, 631 गांव, कुल योग 1796।

भीलवाड़ा जिले की तहसील भीलवाड़ा 20 गांव, तहसील माण्डल 40 गांव, तहसील सहाड़ा 9 गांव, तहसील रायपुर 20 गांव, तहसील हुरड़ा 2 गांव, आसीन्द 108 गांव, तहसील शाहपुरा 2 गांव, कुल योग 211 गांव।

जिला उदयपुर

क्र० सं०	नाम तहसील	क्षति अनुमान
1	2	3
1.	आमेट	आठ आना प्रति रु० से।
2.	मावली	,,

1	2	3
3.	देवगढ़	आठ आने से 12 आना प्रति रु० से।
4.	भीम	,,
5.	रेलमगरा	चार आना प्रति रु० से।
6.	कोटड़ा	,,
7.	झाड़ोल	आठ आना प्रति रु० से।
8.	गिरवा	आठ आना से 12 आना प्रति रु०। केवल चने की फसल में।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 5-5-72)

भूतपूर्व राजा-महाराजा व नवाबों की कृषि भूमि

330. श्री अजीतसिंह (टोंक) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) राजस्थान के भूतपूर्व राजा-महाराजा व नवाबों के पास कितनी-कितनी कृषि भूमि कहां-कहां पर है ?

(2) राजा महाराजाओं में राज्य सरकार की किस-किस विभाग की कितनी-कितनी बकाया है ?

(3) इन राजा-महाराजाओं के पास किस-किस प्रकार के कितने-कितने हथियार हैं ?

(4) 1 अप्रेल, 1967 से लेकर अब तक किस-किस राजा ने कितनी-कितनी कृषि भूमि किस-किस के नाम पर हस्तान्तरित की है ?

(5) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा सन् 1971 में राजा-महाराजाओं को सीलिंग सीमा से ऊपर कृषि भूमि को राज्य सरकार में लिये जाने हेतु जिला अधिकारियों को आदेश दिये थे ? यदि हां, तो इन आदेशों का कहां तक पालन हुआ है ?

उत्तर

(1) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5) जी हां, सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

परिशिष्ट— 3

(अ. प्र. सं. 165 की सूची)

जल विभाग बीकानेर के नियंत्रण में चल रहे नल-कूपों व ग्रामीण जल योजना कूपों की सूचीः—

क्र. सं.	नाम ग्राम नलकूप	योजना	तहसील
1	2	3	4
1.	रामसर	जल योजना	बीकानेर
2.	उदासर	"	"
3.	सिथल	"	"
4.	नापासर	"	"
5.	करणीसर	"	"
6.	उदयरामसर	"	"
7.	लालमदेसर	"	"
8.	बससी	"	"
9.	शिवबाड़ी	नलकूप	"
10.	घटसीसर	"	"
11.	बंबलू	"	"
12.	नवरंगदेसर	"	"
13.	पलाना	"	"
14.	गाढवाला	"	"
15.	महाजन	जल योजना	लूणकरणसर
16.	लूणकरणसर	नलकूप	"
17.	सेखासर	"	"
18.	कोलायत	जल प्रदाय	कोलायत
19.	झझू	"	"
20.	गड़ियाला	नलकूप	"
21.	कोलासर	"	"
22.	भीखमपुर I	"	"

1	2	3	4
23.	भीखमपुर II	नल कुप	कोलायत
24.	रणजीतपुरा	"	"
25.	पुगल	"	"
26.	कंकराला	"	"
27.	बैरासर	जल योजना	नोखा
28.	पांचू	"	"
29.	जसरासर	"	"
30.	काकड़ा	"	"
31.	सुरपुरा	"	"
32.	देसलसर	"	"
33.	रासीसर	"	"
34.	बीकासर	"	"
35.	रोडा	"	"
36.	भामटसर	नलकूप	"
37.	सोमलसर	"	"
38.	कुदसू	"	"
39.	जांगलू	"	"

योजनायें जिन पर कार्य चल रहा है अथवा आरम्भ किया जाना है:—

क्र० सं०	नाम योजना	अनुमानित लागत रुपया	समाहित क्षेत्र	पूर्णता संभावित	विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	कूदसू	2,60,000	कूदसू, खारा सेखासर	1972-73	
2.	सोमलसर	2,29,000	सोमलसर, अंकीसर, दासनू	"	
3.	साथासर	3,66,000	साथासर, उतमामदेसर, लालमदेसर छोटा लालमदेसर बड़ा	1973-74	
4.	कुचोर आथुनी	3,57,000	कुचोर आथुनी, कुचोर आगुनी, सूस्त सिहपुरा	1972-73	
5.	शेररा	2,58,000	शेररा, हमेरा, आंसेरा, मांजूरा, रूपेरा, राजेरा, आनन्दपुर	1973-74	
6.	गजनेर-मेधासर	4,11,000	मेधासर, चांदासर, गजनेर	1972-73	
7.	बादनू	87,000	बादनू	1972-73	
8.	पीथरासर	96,000	पीथरासर	1972-73	

Page No 164

1	2	3	4	5	6
9.	अंबासर, गीगलाना	6,00,000	अंबासर, गीगासर, सुरथाना, पडिहराना सुरथाना, चौहानान, किलचु, सूजासर		
10.	केसरदेसर, सावा	4,50,000	केसरदेसर, जाटान, बेहरान, गंगागुरान		
11.	जालवाली, लाछूसर	6,40,000	जालवाली, लाछूसर, कोलासर, बदरासर		
12.	शेखसर, कपूरीसर	9,60,000	शेखसर, गोपालन, धीरदान, अमरपुरा, कपूरीसर, करणीसर, कीसनासर, मानपुरसर, नाथवाना, पांडुसर, राजपुरा, खुडाला आदि		इन योजनाओं का कार्य धनराशि एवं सामग्री की उपलब्धि पर लगभग 3 वर्ष की अवधि में पूर्ण किये जाने की संभावना है।
13.	बम्बलू गेसर	4,20,000	बम्बले, गेसर, नागासर, पम्पालसर		
14.	गारबदेसर, कागासर	3,00,000	गारबदेसर, घटासर, कागासर		
15.	जाडेली	4,11,000	जाडेली, गजसुखादेसर, थावरिया	1973-74	
16.	सीजगुरु	3,33,000	सीजगुरु, कीरतासर, मानकासर, सिन्धु, मोखाना।	1973-74	

परिशिष्ट—4

(अ० प्र० सं० 170 की सूची)

तालिका (अ)

आर० ए० एस० अधिकारी जो वर्ष 1960 से जयपुर में ही हैं अथवा जिनका हैडक्वार्टर जयपुर ही है:—

क्रम सं०	नाम अधिकारी	पद जिस पर अब कार्य कर रहे हैं	दिनांक जब से जयपुर में हैं
1.	श्री किशोरीलाल	विशेषाधिकारी, कृषि भूमि नियमन, जयपुर	10-12-58
2.	कु० मुकुलिका सेन	उप-जिलाधीश, जागीर, जयपुर	1-10-59
3.	श्री लक्ष्मीचन्द गुप्ता	मैनेजिंग डायरेक्टर, राजस्थान वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन, जयपुर (प्रतिनियुक्ति पर)	17-9-59

तालिका (ब)

आर० ए० एस० अधिकारी जो वर्ष 1965 से जयपुर में ही हैं, अथवा जिनका हैडक्वार्टर जयपुर ही हैं:—

क्रम सं०	नाम अधिकारी	पद जिस पर अब कार्य कर रहे हैं	दिनांक जब से जयपुर में हैं
1	2	3	4
1.	श्री मूंगालाल सुरेखा	उप-शासन सचिव, राजस्व (उपनिवेशन) विभाग, जयपुर	6-6-61
2.	,, रूपकुमार जैन	सहायक आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक रसद एवं पदेन सहायक शासन सचिव, जयपुर	31-8-61
3.	,, कन्हैयालाल कोचर	उप-शासन सचिव, नियुक्ति (ब-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर	2-62
4.	,, ताराप्रकाश जोशी	नगर दण्ड-नायक, जयपुर	6-7-62
5.	,, बी० डी० शर्मा	उप-निदेशक, परिवहन, राजस्थान, जयपुर	28-7-62
6.	,, पी० सी० सिंघी	उप-निदेशक, हरिश्चन्द्र माथुर राजकीय लोक प्रशासन, संस्थान जयपुर	12-10-62

1	2	3	4
7.	श्री डी० एन० उपाध्याय	उप-शासन सचिव, खनिज विभाग, राज०, जयपुर	2-8-62
8.	,, एम० एस० नाम जोशी	सहायक आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक रसद एवं पदेन सहायक शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर	15-4-63
9.	,, ए० सी० यू० बापना	निदेशक, प्रशिक्षण पंचायत एवं विकास विभाग, जयपुर	जुलाई, 64
10.	,, बृजकिशोर शर्मा	अतिरिक्त जिलाधीश एवं अतिरिक्त जिला दण्ड-नायक, जयपुर	8-10-64
11.	,, शिवराम जैन	अतिरिक्त भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर	20-5-65
12.	,, पूरणसिंह राजोरिया	भू-प्रबन्ध अधिकारी, जयपुर	20-7-65
13.	,, एस० एस० जोशी	उप-शासन सचिव, विधि विभाग, राज०, जयपुर	9-8-65
14.	,, नरसिंहप्रसाद भट्ट	उप-आयुक्त, सहायता विभाग राजस्थान, जयपुर	24-12-65
15.	,, गोपेश्वर भट्ट	उप-आयुक्त (अपील) प्रथम, वाणिज्य कर, राजस्थान, जयपुर	जुलाई, 65
16.	,, एन० एन० शर्मा	उप-आयुक्त एवं पदेन उप-शासन सचिव, जन अभियोग निराकरण विभाग, जयपुर	21-8-63
17.	,, मुन्नालाल गोयल	जनरल मैनेजर, राजस्थान लघु उद्योग निगम, जयपुर (प्रतिनियुक्ति पर)	14-5-63
18.	,, ओमप्रकाश जोशी	उप-निदेशक, जनगणना (भारत सरकार), जयपुर (प्रतिनियुक्ति पर)	2-7-63
19.	,, एम० पी० कल्ला	सचिव, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर (प्रतिनियुक्ति पर)	3-7-64
20.	,, के० एम० सहाय सक्सेना	उप-सचिव, राजस्थान राज्य विद्युत् मंडल, जयपुर (प्रतिनियुक्ति पर)	अगस्त, 64

— —

परिशिष्ट—5 (अ)

(अ. प्र. सं. 173 की सूची)

झालावाड़ जिले में आवन्टित ट्रैक्टरों की सूची, सन् 1979

क्रम सं०	प्रार्थी एवं पिता का नाम	ग्राम	तहसील
	जीटर 2011		
1.	श्री ललितसिंह पुत्र श्री जालमसिंह	बोरीखेड़ा	झालरापाटन।
2.	श्री हरिसिंह पुत्र श्री अखतराजसिंह,	जालापा	खानपुर।
3.	डॉ० के० एल० सोरी पुत्र श्री एस० के० सोरी	झालरापाटन	झालरापाटन।
	डी० टी० 14		
1.	श्री सुदर्शनसिंह पुत्र श्री जालमसिंह	बोरीखेड़ा	झालरापाटन।
2.	श्रीमती मन्नी बाई धर्म पत्नी श्री शिवकरणलाल	झालावाड़	झालावाड़।
	बोलगार ट्रैक्टर		
1.	श्री ललितसिंह	वसी खेड़ा	थामेम्बली।
2.	श्री हरिसिंह	जापा	खानपुर।

परिशिष्ट-5 (ब)

झालावाड़ जिले में आवन्टित टैक्टरों की सूची, सन् 1970

क्रम सं०	प्रार्थी का नाम एवं पिता का नाम	ग्राम	तहसील
	बेलारूस		
1.	श्री कल्याणसिंह पुत्र श्री भैरूसिंह	हरिगढ़	खानपुर।
2.	श्री रामचन्द्र पुत्र श्री महादेव	भोसला	पिपाला।
	उरसस सी-335		
1.	श्री नन्दलाल पुत्र श्री श्रवणमल माली	दुर्गापुरा	झालरापाटन।
2.	श्री मांगीलाल, शालिगराम पुत्र श्री कँवरराम	दुर्गापुरा	झालरापाटन।
3.	श्री इशाकअली पुत्र श्री गुलामअली	मंगलपुरा	खानपुर।
	जीटर 2011		
1.	श्री प्रहलाद पुत्र श्री देवकरण	जोलिया	खानपुर।
2.	श्री दौलतराम पुत्र श्री मोगाजी	रोमेडी	झालरापाटन।
3.	श्री कृपालसिंह पुत्र श्री लालसिंह	किशनपुरा मलभारसी।	झालरापाटन।

परिशिष्ट–5 (स)

झालावाड़ जिले में आवंटित ट्रैक्टरों की सूची

सन् 1971

क्रम सं०	प्रार्थी का नाम एवं पिता का नाम	ग्राम	तहसील
1	2	3	4
	बेला रूस		
1.	श्री किसनाराम पुत्र श्री कानाराम	वेनसला	पीपाला
	जीटर 5511		
1.	श्री जमनालाल पुत्र श्री घासीलाल	जोलपा	खानपुर
2.	श्री नवनीतलाल पुत्र श्री गोपाललाल	पच पहाड़	पचं पहाड
	उरसस सी–328		
1.	श्री भूरिया पुत्र श्री घासीलाल	जोलपा	खानपुर
2.	श्री भवानी शंकर पुत्र श्री किशन	जोलपा	खानपुर
3.	श्री रामकिशन पुत्र भौंरीलाल	जोलपा	खानपुर
4.	श्री आनन्द पुत्र श्री रामनाथ	जालिया	खानपुर
5.	श्री रतनलाल पुत्र श्री किशनलाल	मेगरा	खानपुर
	मैसी फरगुसन–135		
1.	श्री सपदारसिंह पुत्र श्री मुरलीधर	भगवानपुरा	खानपुर
	टी–25		
1.	श्री धन्नालाल पुत्र श्री सुन्दर	खारीखेरी	खानपुर
2.	श्री मौसिन हुसैन पुत्र श्री यूसुफ अली	गाडार वाला नूरजी	खानपुर
3.	श्री धूलसिंह पुत्र श्री विशनसिंह	कालमारी खुर्द	झालरापाटन

Page No 170

1	2	3	4
	आई० एम० टी० 555		
1.	श्री रामचरण पुत्र श्री रामनाथ	मेपाडा	खानपुर
2.	श्री बद्रीलाल पुत्र श्री हीरालाल	मेपाडा	खानपुर
3.	श्री मोहम्मद हुसैन पुत्र श्री इब्राहीम	10-3-2 रुण्डार	झालरापाटन
	जीटर 2011		
1.	श्री जगदीश प्रसाद पुत्र श्री प्यारेलाल	मंडावरी	झालरापाटन
2.	श्री रामसहाय शर्मा पुत्र श्री रामनाथ	मंडावरी	झालरापाटन
3.	श्री बजरंगसिंह पुत्र श्री प्रभातसिंह	कालमडी	झालरापाटन

शुद्धि-पत्र

शुक्रवार, दिनांक 12 मई, 1972

स्कम्भ संख्या 1	पंक्ति संख्या 2	अशुद्धि 3	शुद्धि 4
9	ऊपर से 4	श्री चैतराम	श्री चेतराम
10	ऊपर से 10 व 15	,,	,,
19	अन्तिम से 1	लए	लिए
20	ऊपर से 12	?	।
	अन्तिम से 12	रख है ।	रखा है
22	ऊपर से 14	रिपर्ट	रिपोर्ट
23	ऊपर से 12 व 13	इंटेन्ट	इन्डेन्ट
	,, 17	उोयगों	उद्योगों
24	,, 12	इंटेन्ट	इन्डेन्ट
	अन्तिम से 5	जय	जयपुर
28	ऊपर से 8	श्री नरंजननाथ	श्री निरंजननाथ
		आचार्य	आचार्य
29	,, 1	कोठारीति	कोठारी
31	,, 13	मोहदया	महोदया
33	अन्तिम से 8,10,	सन्घू	सन्धु
	15		
34	,, 2	,,	,,
35	ऊपर से 10	,,	,,
	,, 3	,,	,,
	अन्तिम से 7	श्री योगेद्रनाथ हांडा	श्री योगेन्द्रनाथ हांडा
41	,, 10	हतरोई	हथरोई
42	,, 8	ईदिखा	दिखाई
44	,, 15	961	196
	,, 1	सत्सम्बन्धी	तत्सम्बन्धी
45	,, 1	गरफ्तार	गिरफ्तार
53	,, 5	ह्रास	ह्रास
55	ऊपर से 1	श्री वृद्धिचन्द जैन	श्री वृद्धिचन्द्र जैन
78	,, 6	अध्यक्ष श्री	श्री अध्यक्ष
82	,, 15	सहृदयुता	सहृदयता

Page No 172

1	2		3	4
84	ऊपर से	13	जैकड	कब्जे
87	अन्तिम से	12	रप	पर
	,,	9	श्री ओंकार लाल	श्री ओंकार लाल
96	,,	18	श्री दीपशंकर	श्री दीपंकर
101	ऊपर से	6	झव्वरमल	झाबरमल
115	,,	1	श्री निरंजनाथ आचार्य	श्री निरंजननाथ आचार्य
117	,,	8	चुकते	चुकाते
184	अन्तिम से	2	ो	भी
195	,,	15	डेड़	डेढ़
197	,,	16	चाहता	चाहती
198	ऊपर से	8	निगरान	निगरानी
201	,,	8	हैं प्रवृत्ति रखते	प्रवृत्ति रखते हैं
205	शीर्ष		अनुयायों	अनुदानों
	अन्तिम से	1	कनीकी	तकनीकी
210	,,	13	की	कि
218	ऊपर से	7	शाथ	साथ
229	अन्तिम से	7	करना	कराना
232	,,	8	वेकार	बेकारी
245	ऊपर से	2	वढ़ातेरी	बढ़ोतरी
266	,,	2	फ्रेचाइज	फ्रन्चाईज
270	,,	10	लिस	किस
271	अन्तिम से	12	मानीय	माननीय
272	,,	6	ऐहसी	ऐसी
284	,,	6	वुल	बुल
297	ऊपर से	6	रप	पर
302	अन्तिम से	1	मैं	में
303	ऊपर से	1	मैं	में
303	,,	6	धिक	अधिक
	,,	9	खराबी	खराब
311	,	3	1979	1969
312	,,	1	पिरशिष्ट	परिशिष्ट